द्वादश माला, खंड 22, अंक 9

बुधवार, 13 मार्च, 2002

22 फाल्गुन 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)

अंक 9, बुधवार, 13 मार्च, 2002/22 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 143	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 144 से 160	31-55
अतारांकित प्रश्न संख्या 1466 से 1695	55-385
सभा पटल पर रखे गए पत्र	386-407
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	407
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
अट्ठाईसवां से इकतीसवां प्रतिवेदन	407-408
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
सत्ताईसवां से इकतीसवां प्रतिवेदन	408-409
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
हिमाचल प्रदेश में न्यूमोनिक प्लेग का प्रकोप	
डा. सी. पी. ठाकुर	409-413
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) भारतीय विज्ञान संस्थान की परिषद	413-414
(दो) भारतीय नर्स परिषद	414-415
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2001-2002	415
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1998-1999	415
उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	416

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	421-430
(एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	421-422
(दो) बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	422-423
(तीन) गुजरात के जामनगर शहर को बी–2 शहर का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	423
(चार) गुजरात राज्य के लिए खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	423-424
(पांच) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुआ स्थित कोल्ड बॉन्डेड पिलेट प्लांट को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	424
(छह) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हरिश्चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र का बहुमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	424-425
(सात) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	425
(आठ) रक्षा कर्मियों के लिए समान रैंक समान पेंशन योजना लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार	425-426
(नौ) देश में हेरोइन की तस्करी रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय हान्दिक	426-427
(दस) पश्चिम बंगाल में मुकुटमणिपुर और बांकुरा का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	427
(ग्यारह) मदुरै–बोडी रेलमार्ग को बंद करने के कदम को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री टी. टी. वी. दिनाकरन	427-428

(बारह) बिहार के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर और सुपौल जिले में वीरपुर में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 428

(तेरह) हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज–यमुना लिंक नहर परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा 428-429

(चौदह) वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 429

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में बसंती में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित कर टी.वी. रिले केन्द्र शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 429-430

लोक सभा

बुधवार, 13 मार्च, 2002/23 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का बयान अखबारों में छपा है, यह बहुत गम्भीर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, राज्यपाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह संघ सरकार की ओर से राज्य की संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख हैं। जब प्रधानमंत्री ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है तो राज्यपाल अलग राय किस तरह कायम कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे क्वैश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर में लीजिए मैं आपको टाइम दूंगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें धमकी देने वाला एक पत्र इंदौर से आया है, इस पत्र में हमें मारने की धमकी दी गई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो ऑवर में चान्स दूंगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ऋण गारंटी योजना

*141. **डा. संजय पासवान** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2000 में लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए शुरू की गई ऋण गारंटी योजना के कुछ परिणाम सामने आए हैं;

(ख) क्या उक्त योजना नई इकाइयां स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के उन्नयन के लिए शुरू की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेषतः बिहार राज्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी वितरित की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री, योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) नई और विद्यमान लघु औद्योगिक यूनिटों को 25 लाख रु. तक का ऋण बिना सम्पार्श्विकता के प्रदान करने के लिए गारंटी कवर प्रदान करते हेतु अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की गई। 28 फरवरी, 2002 की स्थिति अनुसार 2824 लघु उद्योग यूनिटों को 2853.93 लाख रु. की राशि के ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान किया गया है। इन यूनिटों, जिनमें 7416 व्यक्ति नियोजित हैं, ने अनुमानतः 15800 लाख रुपये का उत्पादन किया तथा 259 लाख रु. का निर्यात किया।

(ग) स्कीम के तहत बिहार सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को दी गई ऋण गारंटी संबंधी विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गारंटिड ऋण राशि (लाख रु. में) (28 फरवरी, 2002 की स्थिति अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.98

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	278.62
3.	असम	106.38
4.	बिहार	46.52
5.	छत्तीसगढ़	46.01
6.	दिल्ली	8.45
7.	गोवा	10.20
8.	गुजरात	60.22
9.	हरियाणा	54.33
10.	हिमाचल प्रदेश	42.96
11.	जम्मू एवं कश्मीर	10.99
12.	झारखंड	67.99
13.	कर्नाटक	352.72
14.	केरल	175.38
15.	मध्य प्रदेश	185.30
16.	महाराष्ट्र	331.86
17.	मणिपुर	15.20
18.	मेघालय	1.47
19.	नागालैंड	0.15
20.	उड़ीसा	22.96
21.	पंजाब	95.97
22.	राजस्थान	59.95
23.	सिक्किम	0.90
24.	तमिलनाडु	400.24
25.	उत्तर प्रदेश	424.88
26.	उत्तरांचल	3.26
27.	पश्चिम बंगाल	49.04
	कुल	2853.93

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ष 2000 के अगस्त महीने में लघु उद्योगों की भलाई के लिए जो स्कीम चलाई थी, यह उनकी अच्छी सोच का परिणाम है। आज सही मायने में लघु उद्योगों के लिए दुनिया भर के संस्थानों से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं और हमारे देश के लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं, इसके लिए सरकार की चिन्ता बहुत जायज है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में लघु उद्यमियों के लिए जो क्रैडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदया को बधाई दूंगा। साथ–साथ जो कम्पोजिट फंड में इन्होंने जो राशि को बढ़ाकर पांच लाख से बीस लाख कर दिया है, इसके लिए भी वे बधाई की पात्र हैं। मगर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्रैडिट गारंटी स्कीम जिसमें बैंक का रोल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक हो, फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस हों, उनके रोल को इसमें...

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप सवाल कीजिए।

डा. संजय पासवान : मेरा पहला सवाल है कि इसमें लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को बैंक के लिए ऑप्शनल किया गया है, मैंडेटरी नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इस स्कीम से समाज और उद्योग को जो लाभ मिलने वाला है, क्या बैंक के लिए फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बैंक का रोल ऑप्शनल से लेकर मैंडेटरी बनाने की बात सोची जा रही है अथवा नहीं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में आन्सर दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह सच है कि जहां तक लघु क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है, हमें इसमें काफी समस्या रही है। जहां तक ऋण सुविधाओं का संबंध है, पहली बात यह कि हमें पर्याप्त ऋण सुविधाएं नहीं मिलीं और अनेक लोगों को यह ऋण प्राप्त करने के लिए भारी जमानत भी देनी पड़ी। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 30 अगस्त को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की

जिसमें उन्होंने एक विशेष ऋण गारंटी योजना की घोषणा की जिसकी निगरानी एक न्यास करेगा और भारत सरकार तथा 'सिडबी' इस न्यास के सदस्य होंगे। वह न्यास बैंकों के लिए ऋण गारंटी योजना की निगरानी करेगा जिससे बैंकों के लिए लघु उद्योग को ऋण देना सुविधाजनक हो जाएगा। हमने 125 करोड़ रुपये के कोष से शुरूआत की थी जो अब बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गया है। मेरा विश्वास है कि पांच वर्षों में हम 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण दे पाएंगे।

महोदय, यह सुविधा शुरू करने में कतिपय समस्याएं थीं क्योंकि इससे पहले भी ऋण योजना थी जिसमें बैंकों को उद्योग के साथ कुछ समस्याएं थीं, लेकिन अब हमारे पास व्यापक ऋण योजना है और इस योजना में हम ऋण गारंटी सुविधा दे रहे हैं जो पहले नहीं दी गई थी। जहां तक बैंकों का संबंध है, मेरे विचार से इससे कुछ संतोष होगा। हमारे पास पहले ही 26 बैंक तथा ऋण देने वाले संस्थान हैं जो अब ऋण गारंटी न्यास के भाग हैं। पहली बात यह है कि यहां सात या आठ से अधिक संस्थान नहीं हैं। हमें काफी जागरूकता पैदा करनी थी ताकि अधिकाधिक बैंक इस न्यास में शामिल हो सकें। उनके न्यास में शामिल होने के बाद हम अधिक ऋण देने में समर्थ हैं और हम यह बात आंकड़ों से देख सकते हैं तथा हमें आशा है कि ऋण देने की दर और बढ़ेगी। अधिक धनराशि ली जाएगी और क्रियान्वयन बेहतर होगा। इस ऋण गारंटी योजना के कारण बैंकों का नजरिया भी बदला है। मेरे विचार से जिस योजना की अच्छी शुरूआत हुई है वह आने वाले समय में सम्भवतः अच्छी चलेगी।

(हिन्दी)

डा. संजय पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ सालों में बैंक ने जो रुचि दिखाई है, वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां पर पांच यूनिट के लिए केवल 8 लाख रुपये की ग्रांट दी गई है। डेढ़ साल में अगर यह प्रोग्रेस है तो पता नहीं क्या होगा। बिहार की 39 योजनाओं के लिए 46 लाख रुपये दिए गए हैं। इसमें बैंक की रुचि और बैंक का इरादा क्या है, पता नहीं लगता। माननीय मंत्री जी के विभाग का सीधा संबंध तो बैंकिंग विभाग से नहीं है लेकिन जिनका संबंध है, क्या वह चिंता कर रहे हैं? यह स्कीम इतनी पायस स्कीम है कि इससे लाभ मिलने वाला है। क्या आपको मालूम है कि बैंक पर लघु उद्योग मंत्रालय का नियन्त्रण है? अगर बैंक द्वारा बनाई गई स्कीमें फेल होती हैं, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या होगी और उनको क्या सजा मिलेगी? अगर उनके द्वारा दी गई स्कीम फेल हो गई है चाहे वह बेरोजगारी दूर करने वाली स्कीम हो या लघु उद्योगों को बचाने वाली स्कीम हो, सब मामलों में बैंक का रोल फेल हो चुका है। क्या बैंक पर इनका नियंत्रण रहेगा, यह हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मेरे पास गारंटी सुविधा के लिए दिए गए प्रस्तावों का राज्यवार तथा आकारवार विश्लेषण दर्शाने वाली तालिका है। हम देख सकते हैं कि पिछले सात अथवा आठ महीनों में ऋण सीमा 5000 रुपये से बढ़कर 20,00,000 और पुनः बढ़कर 25,00,000 हो गई है। यह एक बड़ी राशि है। आज हमने 2,824 एककों को ऋण दिया है, लेकिन इसके लिए एककों को बैंकों से संपर्क करना पड़ता है और बैंक अपनी संतुष्टि के पश्चात् तत्काल ऋण गारंटी न्यास से संपर्क करते हैं। ऋण गारंटी न्यास मानदंडों की जांच करने के पश्चात् एकाध दिन के भीतर गारंटी सुविधा देते हैं अथवा नहीं देते हैं।

जहां तक निगरानी का संबंध है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली विद्यमान है। योजना की प्रगति की निगरानी मंत्रालय तथा न्यास द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। हमारे पास राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति भी है जो इस योजना के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करती है। इस समिति का प्रमुख 'सिडबी' का अध्यक्ष होता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, लघु उद्योग संघ के सदस्य तथा लघु उद्योग उद्यमी भी शामिल हैं ताकि लघु उद्योग मंत्रालय को सभी तरह की आवश्यक जानकारी मिलती रहे। इंडियन बैंक रिवयू फोरम भी विद्यमान है। यह मंच बैंकिंग उद्योग तथा न्यास के समन्वय से योजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। बैंकों के साथ तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह नियमित रूप से होना चाहिए ताकि हम कठिनाई को समझ सकें और क्रियान्वयन बेहतर कर सकें। लेकिन इसके अतिरिक्त उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति भी है जिसने इस विषय में काफी रुचि ली है और लघु उद्योग हेतु दिए गए ऋण की पिछले वर्ष दो बार पुनरीक्षा कर चुकी है। वित्त मंत्री ने स्वयं यह सुनिश्चित करने हेतु कि बैंकों का नजरिया बदले और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण का प्रवाह बेहतर हो, पिछले चार अथवा पांच माह में बैंकों के साथ बैठकें की हैं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, सामान्यतः उद्योग और विशेष

रूप से लघु उद्योग समाप्त हो रहे हैं। हम जानते हैं कि देश में दूर–दूर तक लाखों उद्योग स्थापित हैं। यद्यपि मैं इस योजना को बनाने की सराहना करता हूं तथापि मुझे आशंका है कि क्या इस योजना ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। विवरण से मैं देख सकता हूं कि वे लाखों उद्योगों में से केवल दो हजार आठ सौ एककों को सहायता प्रदान कर पाए हैं। इसमें केवल 28 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। जब देश में लाखों उद्योग हैं तो वे केवल कुछ उद्योगों अर्थात् दो हजार उद्योगों को सहायता दे पाए हैं। उन्होंने बहुत कम राशि दी है। मेरे विचार से, जो भी अवधारणा है, मुझे तो अभी यह देखना है कि वास्तव में यह योजना शुरू हुई है अथवा नहीं। पिछले दो वर्षों में वे केवल कुछ उद्योगों की सहायता दे पाए हैं जिसमें उन्होंने केवल 28 करोड़ रुपये की सहायता दी है। हमारे जैसे देश में ऐसी स्थिति में क्या हम यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है? यहां पर जो भी बताया जाए लेकिन तथ्य दर्शाते हैं कि उन्होंने केवल 2800 एककों को सहायता प्रदान की है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना अपने आप में ही दोषपूर्ण है अथवा योजना के क्रियान्वयन में ही मूल रूप से कुछ गलती है। यह पहला प्रश्न है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने अभी–अभी माननीय मंत्री को बताया है और मैं पुनः बताती हूं कि यह योजना लघु उद्योगों के लिए विशेष नीति पैकेज, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त, 2000 में की थी, के माध्यम से वर्ष 2000 के अंत में अस्तित्व में आई। ऋण गारंटी न्यास जनवरी, 2001 में गठित हुआ। इसके बाद बैंकों ने धीरे–धीरे इस न्यास में शामिल होना शुरू किया। ऋण गारंटी न्यास में शामिल होने हेतु उनकी अपनी प्रक्रियात्मक कठिनाइयां भी हैं। वे तीन या चार माह का समय ले सकते थे। आरंभ में हमने सात अथवा आठ बैंकों से अपनी योजना शुरू की। यह संख्या बहुत कम है। ऋण गारंटी न्यास वास्तव में लगभग चार अथवा पांच माह पूर्व शुरू हुआ है। अब बैंकों सहित 26 ऋण देने वाले संस्थान हैं। भारतीय स्टेट बैंक जनवरी, 2002 में ही इसमें शामिल हुआ है। इसलिए, यदि आप वास्तव में देखें तो पिछले चार अथवा पांच माह से काम शुरू हुआ है। यहां धीमा और निरंतर सुधार हुआ है। हमें इससे बहुत आशा है। हमें आशा है कि मौजूदा निगरानी तन्त्र के कारण योजना के लिए काफी गुंजाइश है। हमने थोड़े से शुरूआत की है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि गुंजाइश काफी है। हम आने वाले समय में योजना का विस्तार कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो कैश गारंटी स्कीम दी गई है उसके अंदर गुजरात में केवल 60.22 लाख रुपये की सहायता देने दर्शाए गए हैं। महोदया आपको गुजरात की स्थिति के बारे में जानकारी है। वहां पिछले साल भयानक भूकम्प आया और हर साल कोई न कोई विपदा से गुजरात राज्य त्रस्त रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में कुल 2853.93 लाख रुपये देने दर्शाए हैं जिनमें से गुजरात में केवल 60.22 लाख रुपये दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वे गुजरात में आने वाले समय में जब वहां ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग लगाने के लिए उद्यमी आगे आएंगे, तो क्या वे बैंकों को गुजरात के अंदर इस प्रकार के निर्देश देंगी कि उन्हें अधिक से अधिक सहायता इस योजना के अन्तर्गत दी जाए या वे कोई ऐसा प्रयत्न करेंगी कि इस योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य के लघु उद्यमियों को बैंकों से अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध हो सके?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि गुजरात भारी भूकंप की समस्या का सामना कर रहा था तो लघु उद्योग मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय था जिसने राज्य सरकार के साथ एक पैकेज बनाया। हमने उन्हें 350 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जिसकी निगरानी राज्य स्तर पर उद्योग सचिव द्वारा की जाएगी। यह बहुत बड़ी आपदा थी। जिस तरह से हो सकता था हमने उस तरह से उनकी सहायता की। लेकिन सच यह है कि यह ऐसी योजना नहीं है जिसका कार्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारें कर रही हों अपितु ऋण गारंटी न्यास, जिसके ऋणदाता सदस्य बैंक तथा संस्थान हैं, इसका कार्य देख रहा है। लघु उद्योग के उद्यमी ऋण गारंटी न्यास के माध्यम से बैंकों से धनराशि ले सकते हैं। उनका राज्य सरकार से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें हमारे द्वारा दी गई सुविधा सेवा के अतिरिक्त केन्द्र से कोई सरोकार नहीं है। यदि और अधिक लोग वहां जाते हैं

तो हमें उन्हें सुविधा सेवा प्रदान करने और ऋण गारंटी योजना के माध्यम से ऋण देने में बहुत प्रसन्नता होगी बशर्ते वे मानदंडों के अंतर्गत आते हों।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक काम करने का अनुरोध करता हूं। उत्तर में दिए गए तथ्य तथा देश में व्याप्त स्थिति दोनों ही निंदनीय हैं। इस देश में छह लाख से अधिक लघु उद्योग हैं। इस संबंध में हमने कोई गणना नहीं करवाई और सर्वेक्षण भी नहीं करवाया। लघु उद्योग विभाग ने यह सर्वेक्षण भी नहीं करवाया कि लघु क्षेत्र में कितनी इकाइयां हैं। अनुमानतः यह छह लाख हैं।

छह लाख एककों में से केवल 2,824 एकक इस योजना के अंतर्गत आते हैं और केवल 259 लाख रुपये की राशि अदा की गई। ऋण देने के बाद ही ऋण गारंटी की बात आती है।

माननीय मंत्री कहते हैं कि बैंक का नजरिया बदलने वाला है। यह पिछले कई वर्षों से हो रहा है लेकिन उनका नजरिया अभी भी नहीं बदला है। बैंक आगे नहीं आ रहे हैं और लघु उद्योगों का 15 प्रतिशत से भी कम उद्योग बैंकर्स के नेट में आता है। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार इन लघु उद्योगों की सहायता करने हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा का निश्चित लक्ष्य निर्धारित करेगी? क्या सरकार इस संबंध में आदेश देगी कि इतनी राशि लघु उद्योगों को दी जाएगी और कम से कम 50 प्रतिशत लघु उद्योगों को बैंकों की परिधि में लाया जाएगा? छह लाख से अधिक उद्योगों के लिए 2,853 लाख रुपये अर्थात् 28 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मेरा माननीय मंत्री से विनम्र प्रश्न है कि क्या सरकार बैंकों के नजरिए में बदलाव की प्रतीक्षा करने की बजाय इस संबंध में निश्चित आदेश देगी कि प्रत्येक बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग को अमुक राशि दी जानी चाहिए?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहती हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र में एककों की संख्या बहुत अधिक है। देश में यह वस्तुतः 6 लाख नहीं अपितु 33 लाख है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह सच है कि हम लघु उद्योग मंत्रालय में आंकड़े नहीं रखते हैं क्योंकि यह मंत्रालय एक नवनिर्मित मंत्रालय है। यह दो वर्ष पूर्व ही का है। इसलिए हमें आरबीआई द्वारा दिए गए आकड़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि पिछले वर्ष आरबीआई ने रुग्ण इकाइयों के जो आंकड़े दिए थे वह 3,04,000 थे और इस वर्ष रुग्ण इकाइयों की संख्या 2,49,000 घट गई है। इस प्रकार कुछ सुधार हुआ है। मेरे विचार से हालात में कुछ हद तक सुधार हुआ है क्योंकि यह सच है कि क्रेडिट गारंटी योजना प्रभावी सिद्ध हो रही है।

मुझे यह बात यहां स्पष्ट रूप से करनी है क्योंकि यह योजना नई है और तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि यह योजना स्वीकार होगी या नहीं। दूसरा योजना की व्यापकता और तीसरा, योजना के बारे में जानकारी। आरभ से देखें तो, योजना के बारे में जानकारी सीमित है। योजना की व्यापकता, बैंक के संख्या के रूप में बहुत सीमित है। अब योजना की स्वीकार्यता बढ़ गई है। हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उन बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, और मेरा विश्वास है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है।

जहां तक जनगणना का प्रश्न है मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमें उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर ही निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। निःसंदेह आरबीआई द्वारा दिए आंकड़ों पर सामान्यतः संदेह नहीं किया जा सकता। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि लघु उद्योग मंत्रालय ने एक व्यापक गणना का कार्य हाथ में लिया है जिसे पूरा होने में एक साल लग जाएगा परंतु इस गणना में बहुत सारी बातों को शामिल किया जाएगा, जिसमें शामिल है कि कितनी रुग्ण इकाइयां अस्तित्व में हैं और वास्तव में कितनी इकाइयां बंद हुई हैं।

श्री ए. सी. जोस : इस संबंध में बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं, मंत्री महोदय?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इस संबंध में मैं विचार करूंगी।

श्री के. येरननायडू : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, भारत में बेरोजगारों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार भारत में 33 लाख लघु-स्तर के उद्योग हैं। यह योजना नए उद्योग और साथ ही पुराने उद्योगों पर लागू होती है। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश क्या हैं? लघु उद्योगों के लिए कितनी प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है? क्या बैंक भारत सरकार द्वारा जारी पिछले तीन वर्षों के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? यदि नहीं तो बैंकों द्वारा निर्देशों का पालन न करने के क्या कारण हैं?

भारत सरकार भी ऊर्जा जैसे बड़े उद्योगों के लिए गारंटी प्रदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भी गारंटी ,

दे रहा है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बैंकों को 1,000 या 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि की गारंटी दे रहे हैं।

वे भी 100 लोगों को केवल 2,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रोजगार मुहैया कराएंगे। यदि आप लघु उद्योग के सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये की क्रेडिट गारंटी देते हैं, जब उद्योग स्थापित हो जाता है तो उसमें 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देश में यही परिस्थिति चल रही है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए, भारत सरकार को लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से इस क्षेत्र के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित राशि प्रदान करनी चाहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, जहां तक बैंक का संबंध है, 40 प्रतिशत की प्राथमिक क्षेत्र की देयता में कृषि और लघु उद्योगों को भी शामिल किया गया है, हम यह पाते हैं कि सामान्यतः बैंक लघु उद्योग क्षेत्र को 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत राशि ही देती है। इस धनराशि में से 60 प्रतिशत लघुतम क्षेत्र के लिए नियत की गई है। अब ये मार्गनिर्देश बैंकों को जारी कर दिए हैं, किसी भी तरह वे उन्हीं मानदंडों में काम करते हैं जो मैंने उन्हें दिए हैं।

जहां तक माननीय मंत्री के दूसरे सुझाव का प्रश्न है, उनका किसी भी समय इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए स्वागत है। हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इस पर पूरा ध्यान देंगे।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र बढ़ने वाला और संबंधित क्षेत्र भी है। लघु उद्योग क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसे चुनौती दी गई है और इस भूमंडलीकरण के युग में यह कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। माननीय मंत्री ने अभी कही है कि इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुछ ही वित्तीय संस्थान सामने आए हैं। यदि हम इन सामने आई वित्तीय संस्थानों का कार्यनिष्पादन देखें, हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि वे लघु उद्योग और लघुतम क्षेत्रों को ऋण देने के लिए आगे नहीं आते हैं। उनका लक्ष्य हमेशा बड़े औद्योगिक घराने हैं।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण दिया जाना उन राज्यों में अधिक रहती है जहां सहकारी बैंक कार्यरत है और वैश्वीकरण के इस युग में ये बैंक भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री, वित्त मंत्रालय से परामर्श करके उन लघु उद्योगों की मदद करने के लिए जो नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और और नए ग्रामीण उद्योगों को भी मदद करने के लिए सहकारी बैंकों और क्रेडिट गारंटी न्यास के मध्य किसी प्रकार के सहयोग की अनुमति देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि अब 26 संस्थान लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण दे रहे हैं, परंतु शुरूआत में बहुत कम संस्थान आगे आए थे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 26 पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं में से 19 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, दो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, एक है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और फिर एक उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम। इन संस्थानों ने क्रेडिट गारंटी सुविधा पाने के लिए अपना पंजीकरण किया है, परंतु यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे जोर-जबरदस्ती से कराया जाए। वे ऋण देने वाली एजेंसियां जो समझौता करने के लिए उत्सुक हैं क्रेडिट गारंटी न्यास और साथ ही ऋण लेने वालों से आकर बात कर सकते हैं।

जहां तक लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का संबंध है पिछले एक-डेढ़ साल से अनेक उपाय किए गए हैं। मैं इससे सहमत हूं कि इस वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनने की आवश्यकता है। बहुत सारे उपाय किए जाने की आवश्यकता है और सरकार लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्रेडिट गारंटी सुविधाएं और ऋण उपलब्ध करवाकर सुविधाएं दे रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर हाफ एन ऑवर डिस्कशन करवा दीजिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट सबजैक्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सात सदस्यों ने पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं इसके बाद भी यदि सभा आधे घंटे की चर्चा की इच्छुक है तो चर्चा हो सकती है।

बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

***142. श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999–2000, 2000–01 और 2001–02 के दौरान बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। क्षति का आकलन प्रतिवर्ष राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार। बाढ़ के कारण क्षति के आकलन के आधार पर वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान क्रमशः 89.52 करोड़ रु. और 109.65 करोड़ रु. के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए। चालू वर्ष के दौरान अब तक 74.59 करोड़ रु. के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की मरम्मत, प्राथमिकता के आधार पर की जाती है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके। मरम्मत के लिए खर्च की गई वर्षवार धनराशि इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	खर्च की गई धनराशि (करोड़ रु.)
1.	1999–2000	71.62
2.	2000–2001	105.16
3.	2001–2002	65.12 (अब तक)

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, देश में जब मानसून सत्र चालू होता है तो मानसून आने के बाद कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, उससे देश के 12 राज्यों में जैसे असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि में क्षतिकरण हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नं. 4, 6 और 17 मुंबई–आगरा मार्ग भी इससे कई बार अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा कई बार बारिश और बाढ़ के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत सा यातायात भी बंद हो जाता है। यह ठीक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण यातायात में आसानी होती है, लेकिन वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण कई रास्तों पर ट्रेफिक जाम हो जाता है और कई बार तो लोगों को वहां पर दो–दो, तीन–तीन दिन तक रुकना पड़ता है। बाढ़ से इस प्रकार जो रास्तों की क्षति होती है उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में पिछले तीन साल के आंकड़े दिए हैं। 1999–2000 में 71.62 करोड़ रुपये, 2000–2001 में 105.16 करोड़ रुपये और 2001–2000 में अभी तक 65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस तरह करीब हर साल 100 करोड़ रुपये हमें इस पर खर्च करने पड़ते हैं। आप कोई ऐसा प्रबंध करें, जिससे बार–बार यह खर्चा न करना पड़े और समस्या का भी समाधान हो जाए। जिन इलाकों में बाढ़ का प्रभाव होता है, आप वहां कंक्रीट की रोड्स बनाएं, उससे पैसा भी कम खर्च होगा। इसके अलावा सरकार इस बारे में क्या ठोस उपाय कर सकती है, जिससे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ठीक रह सकें?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, यह ठीक है कि मानसून के समय बाढ़ से हमारे देश में रोड्स को काफी क्षति होती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कंक्रीट रोड बना दें तो यह क्षति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। कंक्रीट की रोड्स भी क्षतिग्रस्त होती हैं। बाढ़ से देश में जो रोड्स का नुकसान होता है, उसको हमारा मंत्रालय ठीक करता है। जब कहीं लैंड्स्लाइड होता है, सड़कें टूट जाती हैं, तो हम इमर्जेंसी एडहाक अमाउंट राज्यों को देते हैं। अभी हमने बाढ़ग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 74 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए हैं, इस वर्ष इस प्रकार के कार्यों पर 65 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। करीब साढ़े आठ करोड़ रुपया तीन–चार प्रदेशों को इमर्जेंसी के रूप में दिया है। मानसून के बाद पूरे देश में असेसमेंट किया जाता है, प्रदेशों के माध्यम से आंकड़े लिए जाते हैं, मंत्रालय के माध्यम से भी जाइंट सर्वे होता है और फिर फंड दिया जाता है। अलग–अलग स्थानों पर हर साल क्षति होती है, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अगर हम मात्र कंक्रीट रोड बनाकर ही यह सोचें कि क्षति

नहीं होगी, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए जो नुकसान होता है, उसको बराबर देखते रहना होगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि कंक्रीट की रोड बनाने पर भी क्षति होती है, लेकिन उस पर बाढ़ का प्रभाव कम होता है। आप इसके लिए कोई ठोस रास्ता निकालें। चाहे तो आप विदेशी तकनीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो मुम्बई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुम्बई तक स्वर्णिम चतुर्भुज रोड की घोषणा की है, उस पर काम शुरू हो गया है। क्या सरकार अभी से इन जगह पर ऐसे प्रिकाशंस लेगी, जिससे हमें बार-बार खर्चा न करना पड़े?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, यह एक अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो गोल्डन क्वाड्रीलैटरल रोड बन रही हैं, उसमें इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि बारिश के समय नुकसान न हो। सड़क के दोनों तरफ जो पानी रुक जाता है, नई योजना के तहत पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है और यह भी देखा जा रहा है कि पानी वहां खड़ा न होकर किसी नाले में चला जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की ऊंचाई के स्तर का उचित प्रकार से आकलन, मापन नहीं किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि मानसून के दौरान अधिक पानी जमा होने के क्या कारण हैं?

मैं आपको एक विशेष उदाहरण देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33-34 जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर आते हैं। हुआ यूं कि सड़क का स्तर, जिसे 30-40 वर्ष पहले बनाया गया था, इतना नीचे है कि मानसून और बाढ़ के दौरान यदि थोड़ा सा भी पानी जमा होता है तब संपूर्ण सड़क नदी का हिस्सा बन जाती है। स्वभावतः इससे हुआ नुकसान इतना अधिक होता है कि मरम्मत के लिए जो भी धन दिया जाता है वह अपर्याप्त होता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री विशेष रूप से सभी राज्यों के ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में-जैसा कि मैंने पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33-34 का उल्लेख किया है-की जांच-पड़ताल करेंगे, जहां सड़क की ऊंचाई को वर्तमान स्तर से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? फिर, मेरे विचार से उनके उद्देश्य के लिए और राज्यों के उद्देश्य के लिए निवेश सफल होगा।

एक अन्य बात और है कि व्यय की गई धनराशि का यहां स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, मैं इस संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न के उत्तर में राज्यवार और राजमार्गवार आकलन अलग-अलग बताया गया है, परंतु उन्होंने इस आकलन को सभा के समक्ष आज अलग-अलग प्रस्तुत न करके सामान्य उत्तर दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि के लिए आकलन क्या है? यदि उन्होंने ये आंकड़े उपलब्ध कराए होते, तो हम यह जान सकते थे कि इस संबंध में उनके विभाग से कौन से राज्य को किस प्रकार का समर्थन मिला है। क्या माननीय मंत्री इस संदर्भ में बताएंगे कि वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कितनी राशि दी गई थी? श्री अधीर चौधरी और बरकत दा के साथ संभवतः मैं सबसे बुरा भुक्तभोगी हूं। इन तीन जिलों के राष्ट्रीय राजमार्ग 33-34 को कम मानसून के दौरान भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि जल का स्तर सीधा सड़क पर पहुंच जाता है। जब भी हम प्राधिकारियों से बात करते हैं, वे केवल मौजूदा सड़क के स्तर की रखरखाव करने की बात करते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए वह निवेश करने का कोई अर्थ नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, प्रश्न का पहला भाग सड़क की ऊंचाई से संबंधित है। मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसी अनेक सड़कें हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम है। आज हमारे यहां लगभग 58,112 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग है। नौवीं योजना के दौरान बहुत बड़ी संख्या में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के दौरान विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है कि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग बनने लायक है या नहीं। परंतु विभिन्न कारणों से, कई बार उस सड़क को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना पड़ता है जो इसका मानदण्ड पूरा न भी करती हो, सभी सदस्य इसके बारे में जानते हैं।

परंतु जहां तक नियम का संबंध है सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग उस क्षेत्र के अनुमानित या ज्ञात बाढ़ स्तर से एक

मीटर ऊपर होना चाहिए। इसलिए, यदि सड़क बाढ़ के पानी में डूब जाती है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक है कि वह बाढ़ असाधारण प्रकृति की है और उसने अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़े हैं। इसलिए बाढ़ का स्तर बनाई हुई सड़क से अधिक है।

दूसरी बात यह हो सकती है कि सड़क का निर्माण इस मानक के अनुसार नहीं किया गया है। यह भी सम्भव है कि पुरानी सड़क के संबंध में ऐसा हुआ हो।

उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि क्या इस सड़क को ऊपर उठाने संबंधी मुद्दा हम उठाएंगे। हम अवश्य ही ऐसा करना चाहेंगे। हमें ऐसे राजमार्गों की जानकारी है जहां सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आप रास्ता बना सकते हैं ताकि जल निकासी हो सके, लेकिन अनेक मामलों में जल निकासी भी संभव नहीं हो पाई है तो हमें सड़कों को ऊपर उठाना ही होगा। लेकिन जिस तरह की वित्तीय परिसीमाएं अपेक्षित हैं वे सड़कों के संबंध में अब भी बहुत अधिक हैं।

रखरखाव हिस्से के लिए मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि रखरखाव के लिए जितनी धनराशि की हमें आवश्यकता है उसका केवल 40 प्रतिशत ही हमें मिल रहा है। इसलिए हमारी सीमाएं हैं। जैसा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 33–34 के बारे में उल्लेख किया है, मैं इस पर ध्यान दूंगा और संसाधनों की उपलब्धता के भीतर हम इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे।

जहां तक ब्यौरे के संबंध में उनके प्रश्न का संबंध है, हमने यह समझा था कि प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तर पर बाढ़ों का आकलन किए जाने के संबंध में था। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर राज्य हमें रिपोर्ट करता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे प्रभारान्तर्गत आते हैं लेकिन उनका रखरखाव राज्यों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से इनके रखरखाव के लिए हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। इसलिए जब हमें सूचना मिलती है, हमारा व्यक्ति जाता है और इसकी जांच करता है, उसके बाद आकलन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सामान्य क्षति के लिए आकलन किया जाता है, हमारे पास सूचना आती है और फिर निधियां आबटित की जाती हैं।

अब, पश्चिम बंगाल के मामले में, जैसा कि उन्होंने कहा है; गत तीन वर्षों के बारे में मैं उन्हें बाढ़ क्षति मरम्मत अनुमानों की स्वीकृति के आंकड़े दे सकता हूं, ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। 1999–2000 के लिए बाढ़ क्षति हेतु 1249.80 लाख रुपये दिए गए थे, 2000–2001 के लिए 2521.46 लाख रुपये दिए गए थे और इस वर्ष अब तक 1013.61 लाख रुपये दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर अधूरा आया है, जो आकलन पूछा गया है वह नहीं बताया है, किस राज्य में कितने की क्षति हुई है; इसका आकलन नहीं किया गया है, हम जानना चाहते हैं बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ से काफी प्रभावित होता है; इस साल भी काफी प्रभावित हुआ था। उन इलाकों में बाढ़ गई थी, जहां कभी नहीं जाती थी। क्या इन्होंने बिहार के बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का कोई आकलन किया है और अगर किया है तो उसकी राशि कितनी है? इन्होंने मरम्मत के लिए कितने की स्वीकृति दी है? इन्होंने कहा है कि हमने स्वीकृति दी है, सदन में यह गलत सूचना आ रही है। हम दो स्पेसिफिक पथ बता रहे हैं, जो बाढ़ के कारण इतने क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर चलना मुश्किल हो चुका है। पहला है छपरा से गोपालगंज, वाया सीवान और दूसरा छपरा से महमूदपुर, वाया बनियापुर, एनएच संख्या 101 है। इसमें इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। वहां का प्राकलन आया हुआ है, इनके यहां इसी तरह पड़ा हुआ है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जिसका प्राकलन आया है, क्या उसकी स्वीकृति देकर मरम्मत कराना चाहते हैं? बिहार राज्य का जो बाढ़ वाला इलाका है उसकी कितनी आकलन की राशि है? यह भी जानना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में एक निर्णय किया था कि जिन राज्यों में पथों के मरम्मत के काम सही ढंग से नहीं होते हैं, वहां भारत सरकार किसी दूसरी एजेंसी से करा लेती है। क्या इन्होंने राज्यों का आकलन किया है, जहां इन्होंने पैसा दिया है उसका सही ढंग से उपयोग हुआ है या नहीं? वे कितने राज्य हैं और कौन–कौन से राज्य हैं, जहां उपयोग नहीं हुआ है वहां क्या ये दूसरी एजेंसी से काम कराना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने अभी काफी स्टेट वाइज बताया है। स्टेट वाइज पूछा भी नहीं था, नेशनल हाईवे के लिए पूछा था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शुरू में दो बातें पूछीं, पहले बिहार के लिए

कितना पैसा दिया गया है। फलड रिलीफ में बिहार को पिछले तीन साल में जो पैसा दिया गया है, वह में आपको बता रहा हूं। 1999–2000 में 1495 लाख दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का आकलन क्या है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा है कि आकलन की क्या प्रक्रिया है। जब कभी बाढ़ से नुकसान होता है, अगर अचानक हुआ और भारी क्षति है, इमर्जेंसी केस है तो उसके लिए अलग से पैसा दिया जाता है। हमने इसी साल बिहार को इस मद में दो करोड़ रुपये दिए हैं।

[अनुवाद]

आकलन अर्थात् जो अनुमान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने आवंटन के आधार पर कोई आकलन किया है?

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : सामान्य क्षति के लिए आकलन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

नार्मल डेमेज होते हैं, उनका आकलन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। वे हमें भेजते हैं, फिर हम उसे देखते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसी के आधार पर होता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, इनसे उत्तर तो सही दिलवा दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास जो सूचना थी, उन्होंने दे दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : कोलापुर से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच एक माह तक एनएच बंद रहा और आज तक खराब है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने श्री प्रभुनाथ सिंह के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं कि जब भी नुकसान होता है हमारे पास प्रदेश से उसका आकलन आना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आपके पास आकलन आया हुआ है। ...*(व्यवधान)* ये जवाब नहीं देते हैं, जवाब देने में इनका खर्च होता है।...*(व्यवधान)* ये भारत सरकार के मंत्री हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आकलन आया है तो कितना है तथा इन्होंने उसमें से कितनी राशि दी है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, माननीय मंत्री ने ब्यौरा दे दिया है। वे पहले ही ब्यौरा दे चुके हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय सदस्य अगर किसी विशेष सड़क के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको दे सकता हूं लेकिन हर सड़क की जानकारी अभी मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जो जानकारी मांग रहे हैं उनको तो आप जानकारी दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सांसद डिटेल्स मांग रहे हैं उनको आप डिटेल्स दे दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस प्रश्न से राष्ट्रीय राजमार्ग–वार विवरण मांगा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग–वार आंकड़े क्यों नहीं दिए गए?

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : बाढ़ के कारण जिन सड़कों को नुकसान हुआ है उनको सरकार बनाना चाहती है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने बताया कि पिछले साल इस कार्य के लिए दो करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया गया है तथा जो आप पूछ रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आप दोनों को भेजने के लिए मैंने मिनिस्टर साहब को कह दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको प्रश्नकर्ता को बचाना है। प्रश्न था "यदि हां, तो वर्ष–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सभा पटल पर रखे गए विवरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग–वार आंकड़े नहीं दिए गए थे। आपको सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग–वार विवरण मांगा गया था। यह नहीं दिया गया। इसलिए सदस्य उत्तेजित हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : श्री दासमुंशी उत्तेजित हो रहे हैं। महोदय मेरा कहना है कि श्री दासमुंशी उत्तर पढ़े बिना उत्तेजित हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्पष्ट करने दें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उन्हें उत्तर पढ़ना चाहिए।

आपने उत्तर नहीं पढ़ा है। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपने उत्तर क्यों नहीं पढ़ा?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : दिया गया उत्तर वर्ष–वार है और न कि राष्ट्रीय राजमार्ग–वार। प्रश्न वर्ष–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार था। अब उन्होंने सही प्रश्न उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग–वार आंकड़े क्या हैं? आप कृपया देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग–वार आंकड़े भी दिए गए हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। आप उत्तर को देखें। यह वर्ष–वार दिया गया है और न कि राष्ट्रीय राजमार्ग–वार दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी और जो सूचना उन्हें चाहिए इसे भी भेज सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय उन्हें आपका संरक्षण चाहिए। मुझे भी आपका संरक्षण चाहिए। उत्तर राज्य–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार हुई क्षति के आकलन के बारे में है। कृपया उत्तर को पढ़ें। महोदय, प्रश्न का भाग (ख) कहता है, "यदि हां, तो वर्ष–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?" यह प्रश्न है, और उत्तर राजमार्ग–वार नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री संतोष मोहन देव को बोलने की अनुमति दी है, मैं उन्हें पहले ही पुकार चुका हूं।

श्री संतोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बाढ़ प्रवण है। असम में प्रतिवर्ष दो बार या तीन बार बाढ़ आती है, हम रेल और वायु मार्ग से बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हैं। सड़क हमारी मुख्य संचार प्रणाली है। असम के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बुरी हालत में हैं। माननीय मंत्री ने इसे ध्यान में रखा और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कुछ निधियां भी दी थीं।

यदि आगे आने वाली बाढ़ों से पहले पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाएगी तब तक हम भयावह स्थिति में पड़ जाएंगे। अतः प्रत्येक सड़क की बात रखने की बजाय मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके इस पर गौर किया जाए।

आपने सौराष्ट्र से सिलचर तक राजमार्ग के बारे में उल्लेख किया है, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण में घोषणा की थी। इस सड़क की दशा बहुत खराब है। यह किसी के भी क्षेत्राधिकार में नहीं है। सीमा सड़क संगठन से कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चला गया है, न तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न ही सीमा सड़क संगठन इसकी देखरेख कर रहा है। आप कृपया इस पर ध्यान दें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, दो मुद्दे हैं। एक निधियों के बारे में है। जो मुझे मिल रहा था उसका मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था। सड़कों के रखरखाव के लिए अपेक्षित धनराशि में से मुझे केवल 40 प्रतिशत मिली है। इसलिए हर जगह ध्यान देना सम्भव नहीं है। मैंने जितनी धनराशि मांगी थी मुझे आवंटन की केवल 40 प्रतिशत राशि ही मिली है। इस वर्ष मेरी आवश्यकता 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, लेकिन मुझे केवल 800 करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। सभा को मेरी इस समस्या को समझना चाहिए कि मुझे मेरी आवश्यकता की केवल 40 प्रतिशत धनराशि ही मिल रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी किस से शिकायत कर रहे हैं? सरकार इनकी है। वित्त मंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं और यह हाउस में कह रहे हैं कि इनको फंड नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ...*(व्यवधान)* यह बहाना करके कह रहे हैं कि इन्हें फंड नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कहकर यह जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास उपलब्ध उपायों के अंदर वे निश्चय ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं जो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं वह गैर योजना व्यय है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो संपूर्ण सदन यह कहती रहती है कि गैर योजना व्यय में कटौती की जानी चाहिए। मुझे खुशी होगी यदि संपूर्ण सदन इस मुद्दे को उठाए और कहे कि मुझे 2000 करोड़ रुपये की अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

माननीय सदस्य ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के बारे में प्रश्न उठाया है। जैसाकि आपको जानकारी है सीमा सड़क संगठन को एक सड़क सौंपी गई थी। इस पर राज्य सरकार और हमारे बीच मतभेद थे। इस पर अब अंततः सहमति हो गई है। सीमा सड़क संगठन इसकी जिम्मेदारी अपने पर लेने की प्रक्रिया में है और हमें आशा है कि स्थिति में सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्य इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम पानी का प्राकृतिक तरीके से बहाव का इंतजाम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान बस्ती–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ ले जाना चाहता हूं। बस्ती–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में राप्ती नदी पर जो पुल बना है, वह काफी संकरा है जिससे पानी का बहाव नहीं हो रहा है। क्या वह गोरखपुर में राप्ती नदी पर बड़ा पुल बनाने का काम करेंगे?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं। मैंने अपने पहले जवाब में यह कहा था कि हम पानी के निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं जो एनएचडीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। इन्होंने गोरखपुर की बात की है। गोरखपुर में दूसरा पुल ईस्ट वैस्ट कॉरिडोर बनाने की योजना है जो चार लेन का बनेगा। उसमें यह व्यवस्था देखी जाएगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और अनेक माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : कोई समस्या नहीं है।

एड्स संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यू.एन.पी.) और एड्स के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

*143. **श्री अधीर चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय एड्स के मामलों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या एड्स संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में एड्स के केवल 29007 मामलों का पता चला है जो कि अनुमानित 3.86 मिलियन मामलों की वास्तविक संख्या से बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों आंकड़ों के बीच इतने बड़े अंतर के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 31 जनवरी, 2002 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को 32,191 संचयी एड्स रोगियों की सूचना दी गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय ने विश्व एड्स दिवस अर्थात् 1 दिसंबर, 2001 को दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में एच.आई.वी./एड्स के बारे में एक तथ्य पत्र जारी किया है। यह रिपोर्ट देश में 29,007 सूचित एड्स रोगियों और 3.86 मिलियन एच.आई.वी. संक्रमणों (संक्रमित व्यक्तियों) को दशाती है। ये आंकड़े 31 अक्टूबर, 2001 को सूचित एड्स रोगियों के सरकारी आंकड़ों और अक्टूबर, 2000 को 3.86 मिलियन एच.आई.वी. संक्रमणों के एच.आई.वी. अनुमानों से मेल खाते हैं। अक्टूबर, 2001 को एच.आई.वी. संक्रमणों के अद्यतन अनुमान 3.97 मिलियन है।

सूचित एड्स रोगियों और अनुमानित एच.आई.वी. संक्रमणों में इतने व्यापक अंतर के कारण इस प्रकार हैं :

29,007 की संख्या सूचित एड्स रोगी हैं जबकि 3.86 मिलियन की संख्या अगस्त से अक्टूबर, 2000 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी दौर से प्राप्त की गई एच.आई.वी. संक्रमणों की अनुमानित संख्या है। एक एच. आई.वी. संक्रमित व्यक्ति को एड्स का पूर्ण विकसित रोगी होने में 5 से 7 वर्ष का समय लगता है। इसके अतिरिक्त, इसकी चिरकारिता, भेदभाव और इस रोग से जुड़े हुए सामाजिक कलंक के कारण एड्स के रोगियों की संख्या बहुत कम सूचित की जा रही है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी का बयान सतही और विषय से हटकर है।

जैसा कि हम जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीशियेन्सी सिन्ड्रोम का कारण एक घातक ह्यूमेन इम्यूनो डेफीशियेन्सी वायरस है जो संसार के लोगों की नियति बन गया है। एड्स का अर्थ है मौत का फरमान। इससे दुनिया भर में विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों, उप–सहारा के देशों और भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका है।

मैं मंत्री महोदय से अपना बयान पुनः देखने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा : "ये आंकड़े 31 अक्टूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार एड्स और 31 अक्टूबर 2000 तक एच. आई.वी. के अनुमानित 3.86 मिलियन के अधिकारिक आंकड़ों से मेल खाते हैं। एच.आई.वी. संक्रमण के ताजे आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या अक्टूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानतः 3.97 मिलियन है।" इसका अर्थ है कि हम प्रतिवर्ष दुनिया की एच.आई.वी से संक्रमित आबादी में 0.11 मिलियन लोग और जोड़ रहे हैं।

जहां तक विश्व की जनसंख्या का प्रश्न है भारत उसमें 16 मिलियन व्यक्ति जोड़ रहा है और जहां तक विश्व की एड्स से प्रभावित जनसंख्या का प्रश्न है भारत उसमें 0.11 मिलियन जोड़ रहा है। हालांकि मंत्री महोदय ने कहा है कि "इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में एड्स से जुड़ी शर्म, भेद–भाव और सामाजिक कलंक आदि के कारण इस बीमारी के बहुत से मामलों का पता नहीं लग पाता। इसलिए भारत में एड्स के रोगियों की वास्तविक संख्या के बारे में हम पूर्णतया अंधेरे में हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि भारत में एच.आई.वी. से संक्रमित कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या में एड्स पूर्णतया उभरकर सामने आ पाता है?

डा. सी. पी. ठाकुर : महोदय, माननीय संसद सदस्य ने कहा कि यह एक सतही उत्तर है। वास्तव में ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के एड्स संबंधी कार्यक्रम के आंकड़े और भारत सरकार के आंकड़े समान हैं। वास्तव में हम सर्वेक्षण करते हैं और वे हमसे आंकड़े लेते हैं। अतः वर्ष 2000 में एड्स के मरीजों की संख्या 29,000 थी और ताजा आंकड़ों के अनुसार यह 32,000 है। जैसा कि माननीय संसद सदस्य जानते हैं इसमें एक मुश्किल है, एड्स से जुड़ा कलंक। जब एड्स का रोगी इस रोग के अंतिम चरण में किसी अस्पताल में किसी और रोग जैसे तपेदिक, मस्तिष्क में फंगल संक्रमण, न्योमोसाइटिस कारिनी संक्रमण आदि की चिकित्सा हेतु जाता है तो हो सकता है कि इन्हें एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के आंकड़ों में सम्मिलित न किया जाए। अतः आंकड़ों में कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन यह एक अनुमानित आंकड़ा है जिसमें घर–घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। केवल भारत सरकार द्वारा ही सर्वेक्षण किया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आंकड़ों के अनुसार 1998 में इनकी संख्या

3.9 मिलियन थी, 1999 में 3.7 मिलियन हुई, 2000 में 3.86 मिलियन और 2001 में 3.97 मिलियन रही है। अतः वृद्धि दर भी घट रही है। यह 0.2 मिलियन थी फिर 0.16 मिलियन हुई और अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 0.11 मिलियन है। अतः यदि यही दर बनी रही और यदि सभी निरोधात्मक उपाय अपनाए गए तो 2007 तक एड्स पर नियंत्रण पा लिया जाएगा।

श्री अधीर चौधरी : भारत में एच.आई.वी. से संक्रमित लोगों की संख्या में एड्स से मरने वालों का अनुपात कितना है? मैंने यह भी पूछा था। आपने 0.11 मिलियन का आंकड़ा दिया है परंतु आपने यह भी कहा है कि बहुत कम मामलों का पता चलता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम एड्स के वास्तविक आंकड़ों के बारे में अंधेरे में हैं। इसके अलावा आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपके विभाग ने एक घिसा–पिटा तरीका अपनाया है, वह है, के.ए.पी. तरीका–ज्ञान, रवैया, कार्यव्यवहार। यह एड्स के वर्तमान खतरे से निपटने हेतु पूर्णतया अपर्याप्त है क्योंकि एड्स का इलाज बहुत खर्चीला है। विषाणु–रोधी औषधियां इतनी महंगी हैं कि आम भारतीय उनका खर्च वहन नहीं कर सकता। इसलिए क्या भारत सरकार जन स्वास्थ्य के लिए जैसे मलेरिया, तपेदिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम चलाए गए हैं उसी प्रकार एड्स के मामले में भी ऐसा कोई कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है। ऐसा कार्यक्रम ब्राजील में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्या आप एड्स के लिए विशेष अस्पताल, जिसमें एड्स पुनर्वास केन्द्र भी हो, स्थापित करने जा रहे हैं?

डा. सी. पी. ठाकुर : वास्तव में माननीय संसद सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हम मलेरिया और तपेदिक जैसे कार्यक्रम में एड्स–रोधी कार्यक्रम या चिकित्सा भी शामिल करने जा रहे हैं। वास्तव में, वर्तमान में यह संभव नहीं है क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट से भी अधिक हो जाएगा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, भारत में हम एक एड्स बम पर बैठे हैं।

डा. सी. पी. ठाकुर : लेकिन महोदय, इन्हें यह पता होना चाहिए कि एड्स अधिकांशतः जागरूकता पैदा करके ही रोका जा सकता है और वह हम कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : केवल जागरूकता पैदा करना एक घिसा–पिटा उपाय है और विषाणु–रोधी औषधियां बहुत महंगी हैं।

डा. सी. पी. ठाकुर : ब्राजील में एड्स के रोगियों की संख्या कम है और वे इसके कारण आर्थिक रूप से दिवालियेपन का सामना कर रहे हैं। अतः यह संभव नहीं है। हम इस वर्ष इसका मां से बच्चे में स्थानान्तरण रोकने का तरीका शुरू करने जा रहे हैं। हम यह करने जा रहे हैं। हम उन चिकित्सा कर्मचारियों, अर्ध–चिकित्सा कर्मचारियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा देने जा रहे हैं जिन्हें किसी तरह अस्पताल में यह संक्रमण हुआ है। हम यह करने जा रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : क्या अस्पतालों में एड्स से संक्रमित रक्त की जांच करने वाले उपकरण हैं?...*(व्यवधान)*

डा. सी. पी. ठाकुर : हम एड्स की उच्च संभावना वाले सभी राज्यों के जिला अस्पतालों में जांच और आवास की सुविधा भी आरंभ कर रहे हैं...*(व्यवधान)* हम सभी अस्पतालों में उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : हाल ही में पश्चिम बंगाल में कुछ थैलेसीमिया के रोगियों को उस समय एच.आई.वी. संक्रमण हो गया जब उन्हें रक्त चढ़ाया जा रहा था। अब उनका एड्स का इलाज चल रहा है।...*(व्यवधान)* क्या आपने एड्स के लिए औषधियों को प्रतिस्थापित किया है?

डा. सी. पी. ठाकुर : यह सही नहीं है। हम अधिकांश अस्पतालों में उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। हम यह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : पहले आपने भारत में एड्स के लिए विशेष अस्पतालों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उसका क्या हुआ?

डा. सी. पी. ठाकुर : वह एड्स के लिए अस्पतालों के बारे में नहीं थी...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इस खतरे को, जो कि न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में व्याप्त है, कम करने हेतु एक कृतिक बल का गठन कर सकते हैं।

डा. सी. पी. ठाकुर : महोदय, यह सिद्धान्त के विरुद्ध है। हम कलंक को कम करना चाहते हैं। यदि एड्स के लिए अलग अस्पताल बनाया गया तो इसमें और वृद्धि होगी। इसीलिए हम एड्स के अधिकाधिक मरीजों का इलाज सामान्य अस्पतालों में कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आपकी सरकार का बड़ा भाई राजनैतिक 'एड्स' से संक्रमित है। इसीलिए आप असली एड्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब श्री किरीट सोमैया अपना प्रश्न पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि एड्स 15–45 के एज ग्रुप में ज्यादा होता है। क्या कभी मंत्रालय ने इस प्रकार की स्टडी की कि यंग एज में डैथ का परिमाण पिछले पांच साल से बढ़ा है? मैं मुम्बई महानगरपालिका के आंकड़े देता हूं। 1998–99 और 2000, इन तीन सालों में टोटल डैथ 85000 है और उसमें 15–45 एज ग्रुप के 27000 हैं–यानी 31 प्रतिशत। 1990 से पूर्व यह केवल 10 प्रतिशत था। तो क्या इस प्रकार की स्टडी आपने कोई की है या इस प्रकार की स्टडी करेंगे? दूसरा, जो रिपोर्ट आई है, उसको सभा पटल पर रखेंगे?

डा. सी. पी. ठाकुर : महोदय, एड्स बीमारी इसी एज ग्रुप की है और भारत में अधिकांशतः सैक्सुअली ट्रांसमिटेड है और जो सैक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप है, उसमें ज्यादा है। माननीय सदस्य का कहना ठीक है लेकिन मुम्बई से भी पहले से कम रही है, उस एज ग्रुप में भी कम रही है। एस.टी.डी. वगैरह में जो सर्वे हुए हैं, उसमें भी कम रही है और उसी एज ग्रुप का हम सर्वे कराते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, इस प्रश्न के लिए अब बहुत कम समय बचा है। फिर भी, आंध्र प्रदेश में हाल ही में कराई गई गणना के अनुसार एड्स फैलने के विस्मयकारी आंकड़े सामने आए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बहुत शोर हो रहा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप एड्स के लिए असंतुलित रूप से मिली–जुली औषधियां नियत कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप एड्स का औषधि–रोधी विषाणु विकसित हो रहा है। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखे जाने योग्य बात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का वह निर्णय है जिसके अनुसार राज्य एड्स के रोगियों की परिचर्या की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एड्स के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित रोगियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गृह–परिचर्या केन्द्रों को बढ़ावा देना पड़ेगा।

डा. सी. पी. ठाकुर : महोदय, माननीय संसद सदस्य ने आंशिक रूप से सही कहा है कि असंतुलित तरीके से विषाणु–रोधी औषधियों का उपयोग करने से विषाणु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हम इस दिशा में भी कुछ करने जा रहे हैं। दुनिया भर में विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में औषधि के असंतुलित उपयोग से इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। दूसरे हम निजी निकायों जैसे स्वयंसेवी संगठनों को अस्पताल बनाने और आंध्र प्रदेश में भी एड्स के रोगियों के लिए परिचर्या–केन्द्र स्थापित करने को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में उच्च संभावना वाले राज्यों की एक बैठक बुलाई थी, इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे सभी सावधानियां बरतेंगे और आंध्र प्रदेश में एड्स को नियंत्रित करने के सभी उपाय करेंगे...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : पांचवें स्थान से आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। क्या आंध्र प्रदेश सरकार इस संबंध में यही कर रही है?...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अभी–अभी एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे ध्यान में आया है। कृपया मुझे अनुमति दें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, अभी प्रश्नकाल समाप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें अभी यह सूचना मिली है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में संतों को पूजा करने की अनुमति दिए जाने हेतु एक याचिका दायर की है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : पूरा देश ही बीमार पड़ा हुआ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षेस शिखर वार्ता

*144. श्री एस. अजय कुमार :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काठमांडु में दक्षेस (सार्क) शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों और विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या शिखर सम्मेलन के समापन पर कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। सार्क शिखर-सम्मेलन 4 से 6 जनवरी, 2002 तक काठमांडु में हुआ।

(ख) से (घ) ग्यारहवें सार्क शिखर-सम्मेलन ने अंतिम दस्तावेज के रूप में काठमांडु घोषणा पारित की। जिन मुख्य मसलों पर सदस्य देशों ने विचार-विमर्श किया उनमें आर्थिक तथा व्यापार मसलों से संबद्ध क्षेत्रीय सहयोग, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और लोगों से लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दो अभिसमय-अर्थात् वेश्यावृति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने तथा उसका मुकाबला करने से संबद्ध अभिसमय; और दक्षिण एशिया में बाल कल्याण के संवर्धन के लिए क्षेत्रीय प्रबंधों से संबद्ध अभिसमय संपन्न हुए।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा

*145. **श्री रामशकल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिए कई परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की गई हैं तथा सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ब्यौरे विवरण I, II तथा III में दिए गए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाएं

1. मीडिया लैब एशिया की स्थापना

मीडिया लैब एशिया की स्थापना सितम्बर, 2001 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और एमआईटी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मुम्बई में संयुक्त रूप से किया गया है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं अद्यतन तकनीकी जानकारी और भावी प्रौद्योगिकियों का विकास तथा ग्रामीण जनता सहित साधारण जनता के लाभार्थ विशेष रूप से संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों के मामले में इन प्रौद्योगिकियों का नियोजन करना। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकियों को जनसाधारण तक ले जाकर अंकीय विभाजन के अंतराल को दूर करने और इस प्रकार उन्हें समर्थ बनाने में सहायता करना है। कार्य के मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूक्ष्म उद्यमशीलता शामिल हैं। मीडिया लैब एशिया ग्रामीण स्तर की परियोजनाओं के एक बड़े नेटवर्क में केन्द्रित हैं। मीडिया लैब एशिया की भूमिका खोज, परिशोधन तथा अभिनवत्व के प्रचार-प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराना है जिसका लाभ जनसाधारण को प्राप्त होगा। भारत के ग्रामों में इन अभिनवत्व को लाने के लिए मीडिया लैब एशिया उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

आवंटित धनराशि

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 65.0 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से एक वर्ष के आरम्भिक चरण का अनुमोदन कर दिया गया है।

2. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) परियोजना

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में इस क्षेत्र के

त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की एक योजना आरम्भ की है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में दो वर्षों के अंदर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

- इस परियोजना का उद्देश्य मुख्यतः अंकीय विभाजन के अंतराल को दूर करना और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के निम्नतम स्तर पर संपर्क उपलब्ध कराना है जहां राष्ट्रीय विकास के लाभ समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों, को अपेक्षित स्तर तक नहीं मिल पाए हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ही अपनी आवश्यकताओं से संबंधित सूचना के अभिगम से वंचित रखा गया है।

- भारत सरकार की सीआईसी परियोजना नामक अग्रणी योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों, अगम्य तथा दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित समुदाय को किफायती रूप में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

- राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्थल पर ब्लॉक मुख्यालयों में 30 सीआईसी स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अक्टूबर, 2000 में पूरी कर ली गई है।

- प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 30 सीआईसी के कार्यों से प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर मुख्य परियोजना 242 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय (जिसमें प्रायोगिक परियोजना के 15 करोड़ रुपये की लागत शामिल है) से मुख्य परियोजना शुरू कर दी गई है।

आवंटित धनराशि

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान इस परियोजना के लिए 67 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए प्रस्तावित योजनाएं

1. रोजगार सृजन प्रशिक्षण योजना

इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पूरा–पूरा लाभ उठाने के समग्र उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के अन्य प्रांतों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार सृजन प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में डीओईएसीसी 'ओ' स्तर तथा 'ए' स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है।

आवंटित धनराशि

इस प्रयोजन से वर्तमान वित्तीय वर्ष (2001–2002) के लिए आवंटित धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ रुपये है।

विवरण-III

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए चल रही वर्तमान योजनाएं

1. समाधान केन्द्र

ग्रामीण भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 1997–98 में ग्रामीण सूचना केन्द्र (समाधान केन्द्र) की एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में जनसांख्यिकी फसल, पशु पालन तथा इस क्षेत्र के अन्य संबद्ध मुद्दों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद एक ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापित किया गया था। ग्रामीण जनता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पैकेजों का विकास किया गया। समाधान केन्द्र इस समय चल रहा है और इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। इस परियोजना को सेंटर फॉर इकोलॉजी रिसर्च एंड डेवलेपमेंट, पांडिचेरी नामक एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 15.48 लाख रुपये है।

इस परियोजना की सफलता को देखकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तीन और प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं :

(क) मध्य प्रदेश–नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरमेंट (एनसीएचएसई), भोपाल द्वारा 15.47 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश–महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा 17.64 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) आंध्र प्रदेश--भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद नामक एक सीएसआईआर आधारित संगठन द्वारा 22.34 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

कृषि कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(क) विभिन्न फसलों के लिए उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा 29.66 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) आदर्श चाय फैक्टरी के आधुनिकीकरण तथा चाय प्रसंस्करण के एकीकृत स्वचालन का विकास चाय अनुसंधान संघ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कोलकाता तथा केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी द्वारा 357.69 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

(क) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र जिला स्तर तक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा तकनीकी विशेषज्ञता की दृष्टि से आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसके अंतर्गत चल रहे प्रमुख प्रयास नीचे दिए अनुसार हैं :

(i) विभिन्न ग्राम कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कुशल प्रचालन, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी की प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का विकास। रूरल सॉफ्ट नामक वेब समर्थित सॉफ्टवेयर इस दिशा में प्रमुख प्रयास है।

(ii) वेब आधारित अनुप्रयोग रूरल बाजार का विकास जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई–वाणिज्य की सुविधा प्राप्त हो तथा ग्रामीण दस्तकारी एवं उद्योग के हितों को बढ़ावा दिया जा सके।

(iii) भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण जिसे भारत के 540 से ज्यादा जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण जनसाधारण को सुविधा प्राप्त हो और भूमि संसाधनों का बेहतर प्रबंध किया जा सके। यह भारत सरकार की केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इसका कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर रहा है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान भू–अभिलेख परियोजना के कम्प्यूटरीकरण, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का दर्जा बढ़ाने और तकनीकी सहायता के लिए 2.15 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

औषधीय (हर्बल) पौधे उगाना

*146. **श्री राजो सिंह :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय पौधों की विभिन्न किस्मों को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं, जैसे, स्वस्थाने/बाह्य स्थाने संरक्षण, जीव–मंडल आरक्षित–क्षेत्र (बायोस्फेयर रिजर्व), जीन बैंकों की स्थापना तथा कृषि–तकनीकों का विकास के जरिए पादप प्रजातियों के प्रचार और कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। एक औषधीय पादप बोर्ड का भी गठन किया गया है जो औषधीय पादपों के संरक्षण और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करेगा।

सरकार ने राज्य फार्मेसियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए

उनकी सहायतार्थ एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की है। पिछले दो वर्षों के दौरान 21 राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसियों को 15.50 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मुहैया कराया गया है। घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए गुणवत्तायुक्त अपरिष्कृत औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता पुनः शुरू करना

*147. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू किए जाने के लिए अन्य राजनयिक माध्यमों (बैक चैनल डिप्लोमेसी) से प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ शर्तें रखी हैं;

(घ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः बातचीत शुरू किए जाने की कहां तक संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान के साथ बातचीत पुनः आरंभ करने के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को अनेक अवसरों पर दोहराया गया है। सार्थक बातचीत आरंभ करने के लिए समुचित परिस्थितियां पैदा करने के लिए पाकिस्तान को भारत में सीमा–पार आतंकवाद का प्रायोजन बंद करना होगा जिससे कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिक

*148. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में देश–वार कितने भारतीय नागरिक बंद हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें रिहा कराने और देश में वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों की देशवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जैसे ही भारतीय राजनयिक मिशन को विदेश में किसी भारतीय राष्ट्रिक के जेल में बंद होने की सूचना मिलती है, वह कोंसली पहुंच के लिए मेजबान सरकार को अनुरोध करता है। मिशन का एक कार्मिक बंदी बनाए गए व्यक्ति के पास उसे गिरफ्तार किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए जाता है। जहां आवश्यक होता है, मिशन मेजबान सरकार के पास शीघ्र और निष्पक्ष मुकदमे और सजा के पुनरीक्षण के लिए मामले को उठाता है। सामान्यतया बंदियों को उनकी सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया जाता है। उचित मामलों में, हमारे मिशन सजा को समाप्त कराने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से मिलते हैं।

खाड़ी के देशों में रमजान के पवित्र महीने में हमारे मिशन मानवीय आधार पर भारतीय बंदियों को रिहा करने के लिए राजकीय याचना के लिए अनुरोध करते हैं।

जब तक स्थानीय नियमों के अनुसार सजा पूरी होने के पश्चात संबंधित देश द्वारा बंदी को भारत वापिस भेजा जाए, भारतीय राजनयिक मिशन भारतीय बंदी रिहा होने के पश्चात भारत में प्रत्यावर्तित कराने की सुविधा प्रदान करता है।

विवरण

विदेशी जेलों में रह रहे भारतीय

देश	जेलों में भारतीयों की संख्या
1	2
अजरबेजान	02
बहरीन	64
बंगलादेश	620

1	2
बेलारूस	01
भूटान	47
ब्रूनी	01
चीन (हांगकांग)	28
डेनमार्क	02
मिस्र	12
फिजी	03
फिनलैंड	01
जर्मनी	224
जार्जिया	01
यूनान	184
इंडेनेशिया	02
ईरान	15
इराक	01
आयरलैंड	01
इज्रायल	02
इटली	34
जमैला	14
जापान	03
कोरिया गणराज्य	07
कुवैत	162
लेबनान	36
लीबिया	03
मैडागास्कर	02
मलयेशिया	697 (कैम्पों/जेलों में नजरबंद)
मालदीव	25
मारीशस	44
म्यामां	32
नेपाल	280
नीदरलैंड	105
न्यूजीलैंड	09
ओमान सल्तनत	40
पाकिस्तान	1239
पनामा	03
फिलीपीन्स	03
कतर	27
सऊदी अरब	1240
सिंगापुर	226
दक्षिण अफ्रीका	04
श्रीलंका	43
सीरियाई अरब गणराज्य	01
थाईलैंड	36
उक्रेन	03
संयुक्त अरब अमीरात	1097
यूनाइटिड किंगडम	130
संयुक्त राज्य अमरीका	260
यमन	02
उजबेकिस्तान	01
कुल	6919

भ्रूण लिंग-निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध

*149. **श्री श्रीनिवास पाटिल :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अभी भी भ्रूण लिंग–निर्धारण परीक्षण जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने भ्रूण–निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या सरकार देश में भ्रूण लिंग–निर्धारण परीक्षणों पर और अधिक प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए "प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (दुरुपयोग निवारण विनियमन) अधिनियम, 1994" में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (ग) किसी गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना तथा उसका खुलासा करना गैरकानूनी है और 1 जनवरी, 1996 से प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के अधीन यह एक दंडनीय अपराध है। देश में की जा रही लिंग निर्धारण जांचों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये खुलेआम नहीं की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने सेंटर फार इन्क्वायरी इनटू हैल्थ एंड एलायड थिम्स तथा अन्य द्वारा भारत संघ तथा अन्य के खिलाफ दायर किए गए एक जनहित मुकदमे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करना, अल्ट्रासाउंड मशीनों का प्रयोग करने वाले सभी क्लिनिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम को पूरी शक्ति तथा उत्साह से कार्यान्वित करना ताकि उन पर यह नजर रखी जा सके कि वे गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग–निर्धारण न करें, ऐसी मशीनों के विनिर्माताओं, आयातकर्ताओं, आपूर्ति–कर्ताओं, डीलरों, उन लोगों जिनके पास उनके रखरखाव के अनुबंध हों तथा अन्यों से ऐसी मशीनों के प्रयोगकर्ताओं से संबंधित सूचना प्राप्त करना, उन लोगों की मशीनों को सील तथा जब्त करना जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीकरण नहीं कराया है, पंजीकृत क्लीनिकों तक ऐसी मशीनों की बिक्री को सीमित करना, उभरती प्रौद्योगिकियों और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन करना और ऐसे अन्य सभी उपाय करना जो इस अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हों, शामिल हैं।

(घ) इस अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन आता है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने और पूरी शक्ति तथा उत्साह से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी तथा सलाहकार समितियां नियुक्त की गई हैं। ये अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तरों पर और कुछ स्थानों पर उप–जिला स्तरों पर नियुक्त की गई हैं। वे आम लोगों तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों, सेवा प्रदायकों, चिकित्सा तथा परा–चिकित्सा कार्मिकों में इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में विज्ञापन पट्टों, भित्तिचित्रों, समाचार–पत्रों, आकाशवाणी, टेलीविजन और अन्य प्रचार माध्यम के द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में तिमाही विवरण केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपंजीकृत क्लिनिकों की मशीनों को सील एवं जब्त करने सहित ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनों के विनिर्माताओं, आयातकों, सप्लाईकर्ता, विक्रेताओं इत्यादि से खरीददारों की प्राप्त हुई सूचियों में उल्लिखित व्यक्तियों/निकायों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अब तक 92 मामले दायर किए हैं। केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया है।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को, अन्य बातों के साथ–साथ उन

प्रौद्योगिकियों, जो गिरते हुए लिंग अनुपात में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है, के प्रयोग को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की तकनीक को इस अधिनियम की परिधि में लाने, भ्रूण के लिंग का पता लगाने और उसे जाहिर करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों के प्रयोग को इस अधिनियम के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से लाने, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को और अधिक अधिकार देने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड शुरू करने, राज्यों में इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए एक बहुसदस्यीय राज्य उपयुक्त प्राधिकरण गठित करने, इस अधिनियम के उल्लंघन को न्यूनतम करने के लिए निवारक उपाय के रूप में कार्य करने हेतु अधिनियम के अधीन दंडों को और सख्त बनाने, परिसरों को सील करने तथा गवाही लेने के अधिकार सहित उल्लंघनकर्ता की मशीनों, उपस्करों तथा अभिलेखों को जब्त एवं सील करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को दीवानी न्यायालयों की शक्तियां प्रदान करने, अल्ट्रासाउंड मशीनों तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाने के अन्य सक्षम उपस्करों के प्रयोग तथा गर्भधारण पूर्व लिंग चयन करने वाली जांचों एवं प्रक्रियाओं के भी संबंध में उचित अभिलेखों के रखरखाव को अनिवार्य बनाने के लिए, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं इस अधिनियम के कार्यान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव है।

चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाला उपग्रह

*150. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह प्रक्षेपित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चन्द्रमा की सतह से लगभग 100 कि.मी. ऊपर ध्रुवीय कक्षा में स्थापना के योग्य चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए बेसलाइन एप्रोच पर गंभीरता से विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाले इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा गठित चन्द्र मिशन कार्य दल द्वारा चन्द्रमा पर वैज्ञानिक मिशन को प्रारंभ करने के लिए विविध संभावनाओं पर अपना अध्ययन पूरा करने के बाद ही चन्द्रमा की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के प्रमोचन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एसटीडी/आईएसडी दरों में कटौती

*151. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध करने वाली कंपनियों ने हाल ही में मोबाइल एसटीडी/आईएसडी दरों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भी आईएसडी/एसटीडी दरों में आनुपातिक कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध करने वाली निजी कंपनियों, बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की तुलनात्मक दरें क्या हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना वार्षिक घाटा होने की आशंका है और इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार स्थानीय कॉल नेटवर्क की परिधि को 200 कि.मी. से बढ़ाकर 500 कि.मी. करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एसटीडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (आईएसडी) कॉलों सहित दूरसंचार सेवाओं के बारे में टैरिफ का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। एसटीडी/आईएसडी सेवाएं क्रमशः राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालकों (एनएलडीओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों (आईएलडीओ) द्वारा प्रदान की जाती है और यह इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रचालकों को प्रदत्त लाइसेंस के अनुरूप नहीं है। दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीडीओ) 1999 के अनुसार सीएमटीएस प्रचालक राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए 'एंड–यूजर्स एअर टाइम' तथा लागू प्रभारों से टैरिफ वसूल कर सकते हैं। सीएमटीएस प्रचालकों द्वारा इस प्रकार की कॉलों के लिए लगाए गए प्रभार वे हैं जिन्हें एनएलडीओ/आईएलडीओ द्वारा इन सेवाओं के लिए लागू किया जाता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता के रूप में बीएसएनएल ने 14.1.2002 से एसटीडी की दरों में कमी कर दी है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार सेवा शुरू करने वाले निजी राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों की कॉल दरें और बीएसएनएल की कॉल दरें समान हैं।

निजी सीएमटीएस प्रचालकों, बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा संबंधी तुलनात्मक दरों के संबंध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है–

(i) दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 की अनुसूची–II में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सीएमटीएस के लिए टैरिफ निर्धारित किया गया है। इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं को मानक टैरिफ पैकेज हर समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कोई अन्य टैरिफ पैकेज उपलब्ध कराने की छूट इस शर्त पर दी जाती है कि ये टैरिफ पैकेज ट्राई द्वारा अनुमोदित हों।

मौजूदा मानक टैरिफ पैकेज में 500/– रु. (सर्किलों के लिए) और 475/– रु. (मैट्रो शहरों के लिए) का मासिक किराया, तथा 4.50 रु. प्रति मिनट (सर्किलों के लिए) और 4/– रु. प्रति मिनट (मैट्रो शहरों के लिए) का एयर टाइम प्रभार शामिल है।

(ii) प्रतिस्पर्द्धा के कारण बीएसएनएल/एमटीएनएल सहित सीएमटीएस प्रदाताओं का टैरिफ स्तर कम हो गया है। देश के विभिन्न भागों में सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न टैरिफ योजनाओं की पेशकश की गई है। सामान्यतः टैरिफ योजनाओं के लिए औसत एयर टाइम प्रभार लगभग 1.80 रु. प्रति मिनट है।

(ङ) बीएसएनएल द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि शुरू में यदि टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो 2001–2002 के दौरान बीएसएनएल के एसटीडी राजस्व में लगभग 650 करोड़ रुपये की गिरावट आ सकती है। तथापि, टैरिफ में कमी से, आने वाले समय में राजस्व में हानि की भरपाई करने के लिए परियात (कॉलों की संख्या तथा कॉल टाइम) बढ़ने की संभावना है। फरवरी 2002 में आयोजित एक नमूना अध्ययन के अनुसार 14–1–2002 में एसटीडी दरों में हुई लगभग 60 प्रतिशत की औसत कमी की तुलना में, लंबी दूरी की मीटरीकृत कॉल यूनिटों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी हुई थी, जबकि लंबी दूरी की वॉयस ट्रैफिक में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(च) से (ज) चूंकि हाल ही में, 14–1–2002 से 200 कि.मी. से अधिक दूरी की कॉलों के लिए एसटीडी प्रभारों में कमी की गई है, अतः इस समय बीएसएनएल द्वारा इसमें और रियायत दिए जाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग निगम द्वारा आपूर्ति किया गया सामान

*152. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग निगम द्वारा सरकारी कार्यालयों को आपूर्ति किए जा रहे सामान की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग निगम और इसके अधीनस्थ उद्योगों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान की सूची को संशोधित करने का है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि लघु उद्योग निगम के नाम से कोई निगम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) लघु उद्योग क्षेत्र से विशिष्ट खरीद हेतु आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा और पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखती है और पुनरीक्षण आवश्यकता आधारित पद्धति पर किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में ओ.आई.सी. का प्रस्ताव

***153. श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 फरवरी, 2002 के 'दि स्टेट्समेन' में प्रकाशित समचार के अनुसार आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कांफ्रेंस (ओ आई सी) ने एक विशाल सम्मेलन (कम्प्रीहेंसिव कनवेंशन) अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अनेक विकसित देशों ने ओ आई सी द्वारा प्रयुक्त शब्दावली पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) से (घ) भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किए गए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के प्रारूप पर अक्टूबर, 2000 से ही चर्चा की जा रही है। बातचीत के दौरान ओ आई सी, यूरोपीय संघ सहित अलग-अलग देशों द्वारा अनेक सुझाव और प्रस्ताव दिए गए। अब तक बातचीत के चार दौर हो चुके हैं और अनेक खंडों पर सहमति हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान अक्टूबर, 2002 में बातचीत जारी रहेगी। भारत का प्रयास यह है कि आगे की वार्ता के जरिए शीघ्र ही सर्वसम्मति बनाई जाए।

[हिन्दी]

सूचना तकनीक में परिवर्तन

***154. श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल में आई चुनौतियों को देखते हुए सूचना तकनीकों में कतिपय परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश के स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख कार्यक्रम पर्याप्त रूप से आरंभ नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा प्रदान करने की नई पद्धतियों के प्रचालन के कारण शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। नेटवर्किंग तथा इंटरनेट का प्रयोग विद्यार्थियों के अध्ययन के अवसरों में वृद्धि करने, शिक्षक वर्ग विकास, व्यवसायविद विकास, शिक्षा प्राप्त करने वाले समुदाय के सदस्यों की उत्पादकता में वृद्धि करने और विद्यालयों, जिला तथा राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता

में सुधार करने के लिए एक किफायती साधन के रूप में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नीतिगत रूप में यह मंत्रालय ऊपर बताए गए क्षेत्रों में केवल प्रयोगिक परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराता है। पूरे देश में इसका अनुकरण करने का दायित्व नोडल मंत्रालय अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएं प्रयोगिक आधार पर आरंभ की हैं :

1. ऑन–लाइन अधिगम
2. पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों को अर्नेट संपर्क
3. विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना
4. मीडिया लैब एशिया
5. विद्या वाहिनी कार्यक्रम
6. ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क टेलीफोन सुविधा

*155. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 65 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों सहित वरिष्ठ नागरिकों को 'निःशुल्क टेलीफोन' सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, 65 वर्ष एवं अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में नॉन ओ वाई टी विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत अपने नाम से एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग दर्ज कराने के हकदार हैं। इस विशिष्ट श्रेणी में दर्ज आवेदकों को सामान्य श्रेणी की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु अपनी मांग दर्ज कराने के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान से भी छूट प्राप्त है। पेंशनभोगी भी 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। टैरिफ के निर्धारण/विनियमन का कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस समय वरिष्ठ नागरिकों को रियायती या निःशुल्क टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की कोई सिफारिश नहीं है।

[हिन्दी]

सुरक्षा परिषद हेतु भारत की उम्मीदवारी

*156. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन देशों ने इस बारे में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) से (ग) भारत ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। तब से संयुक्त राष्ट्र में और अपने द्विपक्षीय क्रियाकलापों में हम अपनी सदस्यता के लिए प्रयास करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। अनेक विकासशील और विकसित देशों, जिनमें सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, ने या तो संयुक्त राष्ट्र में या द्विपक्षीय बैठकों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

[अनुवाद]

जच्चा-बच्चा कार्यक्रम

*157. **श्री सुबोध मोहिते :**
श्री वाई. वी. राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवजात शिशुओं को एचआईवी का खतरा कम करने के उद्देश्य से 'जच्चा–बच्चा कार्यक्रम' शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग की जा रही औषधि के नैदानिक परीक्षण कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्टें क्या हैं;

(ङ) क्या फैडरल ड्रग अथारिटी द्वारा प्रतिकूल अतिरिक्त प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, एचआईवी संक्रमित गर्भवती मां से उसके बच्चे में एचआईवी के संचरण के उभरते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए, देश में मां से बच्चे में होने वाले संचरण का निवारण कार्यक्रम आरंभ किया है। मार्च, 2001 में पांच उच्च एचआईवी व्याप्तता वाले राज्यों नामतः महाराष्ट्र (5), तमिलनाडु (3), आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (1), मणिपुर (1), में स्थित 11 संस्थाओं में मां से बच्चे में होने वाले संचरण के निवारण पर व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया। सितम्बर, 2001 में अध्ययन का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। अध्ययन के इस चरण में गर्भवती महिलाओं, जो गर्भावधि के 36 सप्ताहों से तथा प्रसव के दौरान उपर्युक्त संस्थाओं में प्रसवपूर्व क्लिनिकों में गईं, के लिए एजिडोथाइमिडाइन (ए जैड टी) अल्पावधि रेजिमन दिया गया। इन केन्द्रों पर व्यवहार्यता अध्ययन के दूसरे चरण में, मां से बच्चे में होने वाले संचरण के निवारण के लिए एचआईवी संक्रमित मां और बच्चे के युगल, दोनों को नेविरापाइन की एक खुराक दी जा रही है। यह औषधि एजिडोथाइमिडाइन की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ पहुंचाती है क्योंकि इसकी एकल खुराक दी जाती है इसके अलावा यह एजिडोथाइमिडाइन के अल्पावधि रेजिमन कोर्स की तुलना में लागत सार्थक भी है।

व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणामों से उत्साहित होकर सरकार ने मां से बच्चे में होने वाले संचरण के निवारण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण देश में चलाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में उच्च व्यापतता वाले छह राज्यों नामतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड के चिकित्सा कालेजों को और उसके बाद इन राज्यों में जिला अस्पतालों को कवर किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में अन्य राज्यों के चिकित्सा कालेजों को कवर किया जाएगा।

(ग) और (घ) एन्टिरीट्रोविरल औषधों एजिडोथइमिडाइन और नेविरापाइन दोनों के विश्वव्यापी व्यापक नैदानिक परीक्षण किए गए हैं। मां से बच्चे में होने वाले एचआईवी संक्रमण के संचरण के निवारण के उपयोग के लिए दोनों औषधियों को सुरक्षित पाया गया है। एजिडोथाइमिडाइन और नेविरापाइन को केवल मां से बच्चे में एचआईवी संक्रमण के संचरण के निवारण को निर्दिष्ट करने के लिए 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषधियों की माडल सूची में शामिल किया गया।

अक्टूबर, 2000 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी घोषणा में उपलब्ध सूचना की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि इन एन्टिरीट्रोविरल औषधियों के रोगनिरोधक से मां से बच्चे में होने वाले ह्रासमान संचरण के लाभों से औषधि प्रतिरोध विकसित होने संबंधी चिंता बहुत ही कम हो गई।

(ङ) और (च) केन्द्रीय औषध मानक संगठन, भारत सरकार, जो भारत में संघीय औषध प्राधिकरण है, ने इन औषधियों के किसी अनुषंगी प्रभाव की सूचना नहीं दी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता

*158. **श्री एन. टी. षणमुगम :**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कितना लाभप्रद होगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ई.एस.ए.) ने 1971 में शुरू हुए संबंधों का नवीकरण करते हुए जनवरी 9, 2002 को एक सहयोगी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक सामान्य प्रमुख करार है, जिसके अंतर्गत संचार सहित अंतरिक्ष विज्ञान और उपयोग, पर्यावरण के मानीटरन के लिए सुदूर संवेदन, मौसमविज्ञान, नौवहन और सूक्ष्मगुरुत्व स्थितियों के अंतर्गत जीवन तथा पदार्थ विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोगी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं।

(ग) इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए ऐसी संयुक्त परियोजनाएं आयोजित करने के अवसर प्राप्त होंगे, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अपने कार्यक्रमों के पूरक और सहायक होंगे।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट

***159. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी की गई वर्ष 2001 की मानव विकास रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में अमीर और गरीबों तथा शहरी और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में नब्बे के दशक के दौरान अंतर बढ़ा है और अगले दशक में भी यह बढ़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्ट, 2001 में भारत में अमीर और गरीब तथा शहरी और ग्रामीण की आर्थिक स्थिति में बढ़ते हुए अंतर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

वास्तव में, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि चीन और भारत, प्रति व्यक्ति कम परंतु तेजी से बढ़ रही आय और विशाल जनसंख्या वाले ऐसे दो देश हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चीन में, असमानता ने 'U' आकार का स्वरूप प्राप्त किया है, जिसमें अस्सी के दशक के मध्य तक असमानता में गिरावट आई थी और उसके बाद से उसमें वृद्धि हो रही है। भारत में स्थिति बेहतर है जहां असमानता में अब तक गिरावट हो रही थी और अब उसमें ठहराव आ गया है। गरीबी की जनसंख्या के प्रतिशत में निरंतर गिरावट आती रही है। आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में, अस्सी के दशक में लगभग 5.7 प्रतिशत के औसत की तुलना में आठवीं और नौवीं योजना अवधियों में लगभग 6.5 प्रतिशत का सुधार हुआ है जिससे भारत का स्थान तेजी से विकसित हो रहे दस देशों में आ गया है। वर्ष 2001 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट द्वारा किए गए श्रेणी निर्धारण के अनुसार भारत का स्थान मानव विकास सूची में 162 देशों और राज्यक्षेत्रों में से 13 स्तर ऊपर उठकर 115 पर आ गया है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है। तथापि, दसवीं योजना के दृष्टिकोण–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि समानता और सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दों को योजना में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

[अनुवाद]

आतंकवाद के विरुद्ध भारत-जापान सहयोग

***160. श्री पदमसेन चौधरी :**
डा. अशोक पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और जापान के बीच किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संधि के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दसवीं योजना के अंतर्गत एस.सी.पी. और टी.एस.पी. को दी गई धनराशि

1466. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने सहित एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत कितनी नई योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का स्वरूप/संभावना और लक्षित ग्रुप क्या हैं;

(ख) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए योजना से दसवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत कितना लाभ प्राप्त होगा और लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया जा सकेगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी) लि. द्वारा 'आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास' के लिए एक नई स्कीम शागल की गई है।

लघु उद्योग, मंत्रालय की स्कीमें और कार्यक्रम संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं और उनका आशय देश में लघु उद्योग के विकास को तेज करना है। ये स्कीमें अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के सदस्यों सहित सभी उद्यमियों के लिए समान रूप से लागू हैं। कुछेक स्कीमें/कार्यक्रम, जिनमें अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के सदस्यों के लिए आरक्षण/रियायतें/वरीयता दी गई है, वे निम्नानुसार हैं–

(1) **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.)**–नए उद्योग की शुरूआत हेतु विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता द्वारा युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास करना।

(2) **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.)**–उभरती प्रबंधन तकनीक/व्यवहार में स्टेट आफ आर्ट लर्निंग प्रदान करना जिससे लघु उद्यमियों को बेहतर लाभ प्राप्त करने तथा उन्हें घरेलू/विदेशी मार्किटों में पर्याप्त शेयर प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(3) **हायर परचेज स्कीम**–हायर परचेज आधार पर मशीनें प्रदान करना।

(4) **प्रशिक्षण**–परम्परागत प्रौद्योगिकी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) समग्र स्कीमों/कार्यक्रमों हेतु फण्ड्स की मांग की गई है तथा स्कीम के एस सी पी और टी एस पी कम्पोनेन्टस के लिए अलग से कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के लिए जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है, वे हैं–

(1) ई.डी.पी.–28125 व्यक्ति।

(2) एम.डी.पी.–6185 उद्यमी।

(3) राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार–05।

(4) आदिवासी उद्योग विकास–4000।

[हिन्दी]

गुजरात में लघु उद्योगों के विकास में 'सिडबी' की भूमिका

1467. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान करके राज्य में वर्ष-वार कितनी लघु उद्योग इकाइयां स्थापित की गईं/पुनः चालू की गईं;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का विचार राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई और मौजूदा परियोजनाओं के लिए तथा आधुनिकीकरण और विविधिकरण हेतु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्कीमों जो कि गुजरात राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन में हैं, के माध्यम से वित्तीय सहायता विस्तारित करता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा गुजरात को प्रदान की गई सहायता निम्नोक्त है–

वर्ष	यूनिटों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1998–99	2004	679.46	423.03
1999–2000	1726	698.21	417.36
2000–2001	741	473.09	369.45

(ग) सिडबी, लघु उद्योग क्षेत्र को एक स्वस्थ विकास सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से निरंतर नई रणनीतियां अपना रही है। सिडबी सतत रूप से लघु उद्योग सेक्टर के लिए नई पहल करती रहेगी तथा नए क्रियाकलापों में गुजरात सहित समस्त देश को शामिल किया जाएगा।

(घ) (ख) और (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपव्यय

1468. श्री अमर रायप्रधान : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में अपव्यय कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी विभागों में उन कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा अपव्यय है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय द्वारा पहचान की गई है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार इसमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा यदि कोई अपव्यय हुआ है तो उसे कम करने/बंद करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकारी व्यय में अपव्यय को नियंत्रण में रखने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सादगी अनुदेश जारी किए जाते हैं। सादगी उपायों में पदों के सृजन पर रोक लगाना, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करना, रिक्त पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध लगाना, कार्यालय व्यय में कमी करना, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाना, विदेश यात्रा और मनोरंजन/आतिथ्य व्ययों पर प्रतिबंध लगाना, विदेश यात्रा के लिए दैनिक भत्ते में कमी करना आदि शामिल हैं।

इन अनुदेशों का लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा भी पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग मंत्रालय के लिए इस संबंध में व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की प्रमुख सिफारिशों को भी कार्यान्वित किया गया है।

खजानों का कम्प्यूटरीकरण

1469. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अधिकांश भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी खजानों से पेंशन ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्य सरकारों ने सुदूर क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की सुविधा के लिए खजानों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए सरकार से निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुल कितने निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) सरकार ने नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों/डीपीडीओ (रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय/कोषागारों से पेंशन लेने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे 10वें/11वें वित्त आयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की सहयता के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। परंतु कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्यों की अनुमोदित कार्ययोजना के तहत कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को इसका लाभ मिल सके।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) राज्यों को उनके कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जापानी अध्ययन संस्थान की स्थापना

1470. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2001 में जापान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने बंगलौर से जापानी अध्ययन संस्थान की स्थापना का मुद्दा जापान सरकार के समक्ष उठाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर जापान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

झारखंड में डब्ल्यू.एल.एल.

1471. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के शहरों के निकटवर्ती गांवों में डब्ल्यू.एल.एल. तकनीक पर आधारित टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. वाली टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए टेलीफोन विभाग के संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) झारखंड के सभी क्षेत्रों के लिए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) तकनीक पर आधारित टेलीफोन सुविधा की योजना बनाई गई है। किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई है।

(ग) सर्किलों को तकनीकी व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन डब्ल्यू एल एल प्रणाली के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार सुविधा रहित सभी गांवों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

1472. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में टेलीफोन कनेक्शन हासिल करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए किए जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं–

(i) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

(ii) कई रिमोट उपभोक्ता यूनिट (आरएसयू)/रिमोट लाइन यूनिट (आरएलयू) खोले जा रहे हैं।

(iii) बाह्य संयंत्र में भूमिगत केबल बिछाए जा रहे हैं।

(iv) बाह्य संयंत्र में 10 पेयेर/20 पेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट भी लगाए जाते हैं।

(v) डिजीटल लूप कैरियर (डीएलसी) प्रणालियों की योजना बनाई गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
(क) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल		
1.	आगरा	356
2.	फिरोजाबाद	839
3.	अलीगढ़	210
4.	हाथरस	165
5.	बरेली	781
6.	बदायूं*	0
7.	बिजनौर*	0
8.	बुलंदशहर*	0
9.	एटा	300
10.	गाजियाबाद	1500
11.	मेरठ*	0
12.	बड़ौत	43
13.	मथुरा	417
14.	मुरादाबाद	363
15.	जे. पी. नगर	43
16.	मुजफ्फरनगर	100
17.	जी.बी. नगर*	0
18.	पीलीभीत*	0
19.	रामपुर*	0
20.	सहारनपुर	575
	उप योग	5692
(ख) उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल		
21.	लखनऊ	1523
22.	इलाहाबाद	2275
23.	आजमगढ़	1586
24.	कानपुर	1398
25.	वाराणसी	1863
26.	गोरखपुर	1462

1	2	3
27.	झांसी	560
28.	फैजाबाद	856
	उप योग	11523
	उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षा सूची का महायोग	17215

*टिप्पणी : उन शहरों में मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जा रहे हैं जहां प्रतीक्षा सूची नहीं है।

टेलीफोन अदालतें

1473. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक जिले में किस-किस तिथि को टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई थीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों में जिला-वार कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) जिला-वार कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है और टेलीफोन अदालतें आयोजित करने के मानदंड क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक दूरसंचार जिले में टेलीफोन अदालतें आयोजित करने की तारीखें निम्नानुसार हैं--

दूरसंचार जिले का नाम	टेलीफोन अदालत का दिनांक	टेलीफोन अदालत का स्तर
1	2	3
श्रीनगर	27.6.2000	दूरसंचार सर्किल स्तर
श्रीनगर	24.5.2001	दूरसंचार जिला स्तर
श्रीनगर	20.9.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर
श्रीनगर	15.10.2001	दूरसंचार जिला स्तर
श्रीनगर	29.12.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर
श्रीनगर	28.2.2002	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	22.6.2000	दूरसंचार सर्किल स्तर
जम्मू	31.8.2000	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	23.4.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर
जम्मू	16.5.2001	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	14.8.2001	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	18.9.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर
जम्मू	22.10.2001	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	21.12.2001	दूरसंचार जिला स्तर
जम्मू	27.12.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर
उधमपुर	16.11.2001	दूरसंचार जिला स्तर
राजौरी	शून्य	
लेह	18.3.2001	दूरसंचार सर्किल स्तर

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों में इन अदालतों में प्राप्त व निपटाये गए मामलों की संख्या जिला-वार निम्नानुसार है--

दूरसंचार जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
श्रीगनर	श्रीनगर	106	97
श्रीनगर	अनंतनाग	13	12
श्रीनगर	बारामूला	6	5
श्रीनगर	कुपवाड़ा	6	6
श्रीनगर	बडगाम	8	8
श्रीनगर	पुलवामा	2	2
जम्मू	जम्मू	227	132

1	2	3	4
जम्मू	कथुआ	5	4
उधमपुर	उधमपुर	4	2
उधमपुर	डोडा	7	5
राजौरी	राजौरी	1	1
राजौरी	पुंछ	2	2
लेह	लेह	12	12
लेह	कारगिल	0	0

(घ) उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है–

दूरसंचार जिले का नाम	रियायत दिए गए उपभोक्ताओं की संख्या	दी गई रियायत राशि (रुपयों में)
श्रीनगर	23	74,245
जम्मू	46	4,65,127
उधमपुर	2	13,950
राजौरी	2	4,574
लेह	4	7,212
कुल	77	5,65,108

टेलीफोन अदालत आयोजित करने का मानदंड दूरसंचार सर्किल स्तर पर तीन महीनों में एक बार तथा गौण स्विचन क्षेत्र (दूरसंचार मिला) स्तर पर दो महीनों में एक बार है।

उड़ीसा में एस.टी.डी. सुविधा

1474. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक उड़ीसा में एस.टी.डी. सुविधा वाले जिला–वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) उन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जहां अब तक यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) (क) 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में 1028 टेलीफोन एक्सचेंजों के पास एस.टी.डी. सुविधा है। ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार, 18 टेलीफोन एक्सचेंजों के पास एस टी डी सुविधा नहीं है। ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) सितंबर, 2002 तक विश्वसनीय माध्यम पर, शेष 18 टेलीफोन एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विवरण-I

उड़ीसा राज्य में एस टी डी सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	एसटीडी सुविधायुक्त एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंगुल	36
2.	बालासोर	54
3.	भदरक	30
4.	बारागढ़	41
5.	बोलंगीर	29
6.	बौथ	12
7.	कटक	55
8.	देओगढ़	8
9.	धेनकनाल	40
10.	गजपति	18

1	2	3
11.	गंजम	97
12.	जगसिंहपुर	34
13.	जजपुर	38
14.	झारसुगड़ा	17
15.	कालाहांडी	33
16.	केन्द्रपाड़ा	27
17.	केंओझर	35
18.	खुर्दा	65
19.	कोरापुट	38
20.	मलकानगिरी	12
21.	मयूरभंज	52
22.	नौरंगपुर	16
23.	नयागढ़	17
24.	नोवापाड़ा	16
25.	फुलबनी	26
26.	पुरी	36
27.	रायगढ़	27
28.	संबलपुर	36
29.	सोनेपुर	16
30.	सुंदरगढ़	67
	जोड़	1028

विवरण-II

उड़ीसा राज्य में एस टी डी सुविधा रहित टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	एस टी डी सुविधा रहित एक्सचेंजों की सं.	एक्सचेंजों का नाम
1	2	3	4
1.	बालासोर	1	श्रीरामपुर
2.	भदरक	1	चुनीदा
3.	बोलंगीर	1	खुदासिंह
4.	गजपति	1	गुहागुडी
5.	गजंम	1	भीकापाड़ा
6.	केंओझर	1	जंघीरा
7.	कोरापुट	5	बी. सिंहपुर, बलीपेटा रामगिरी, पुकाली, कुभांरीपूत
8.	मलकानगिरी	1	पदमागिरी
9.	नोवापाड़ा	1	भुलीआसिंकुआ
10.	फुलबनी	3	गोच्छापाडा, बालस–कुंपा, कुरतामगढ़
11.	रायगढ़	1	जगन्नाथपुर
12.	सोनेपुर	1	नागांव
	कुल	18	

भारतीय मूल के अफगानों की सुरक्षा

1475. श्री जे. एस. बराड़ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के वे अफगान और अनिवासी भारतीय जो तालिबानी शासन काल के दौरान और अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद भाग गए थे या भारत आ गए थे अब अफगानिस्तान लौटने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत आए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और अफगानिस्तान में नई सरकार गठित होने के बाद अफगानिस्तान अपने घरों में लौटे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अफगानिस्तान में इन लोगों का पुनः स्वागत हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उनके जान–माल की सुरक्षा के लिए अफगान सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के कारण अनेक अफगान नागरिक, जिनमें भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल हैं, भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे थे। अफगान अंतरिम प्रशासन की स्थापना के साथ ही सरकार भारतीय मूल के नागरिकों सहित अन्य अफगान नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगी। गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 18,500 अफगानियों का पंजीकरण हुआ है।

अफगान अंतरिम प्रशासन के साथ हमारे द्विपक्षीय क्रियाकलाप में अफगान नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों सहित सभी नागरिकों की रक्षा करने का वचन दिया है।

खाड़ी देशों से कोचीन तक यात्री पोत सेवा

1476. श्री टी. गोविन्दन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2001 में खाड़ी देशों से केरल के कोचीन तक यात्री पोत सेवा शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) खाड़ी (बहरीन) से कोचीन तक एक यात्री पोत सेवा 'अल सलाम तबा–I' नाम के जलयान द्वारा जून, 2001 में प्रारंभ हुई। कोचीन में यात्रियों के साथ जलयान की पहुंचने की तारीखें हैं : 11 जून 2001, 27 जुलाई 2001 और 21 अगस्त 2001।

(ख) इस समय खाड़ी और कोचीन के बीच कोई यात्री पोत सेवा नहीं है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

1477. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री मोइनुल हसन :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 1 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) दिनांक 1.8.2001 के लोक सभा अतारांतिक प्रश्न संख्या 1486 की कार्यान्वयन रिपोर्ट पहले ही 29.1.2002 को प्रस्तुत कर दी गई है और इसे 7.3.2002 को लोक सभा पटल पर रखा गया है।

एशियन बेल्ट का गठन

1478. श्री मोहन रावले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर ने ईंजन विकास के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शहरों की एक एशियन बेल्ट बनाने का विचार रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) यह अवधारणा अभी तक प्रारम्भिक अवस्था में है।

[हिन्दी]

सिकल सेल

1479. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.एम.आर. पिछले दस वर्षों से "सिकल सेल" रोग पर अनुसंधान कर रहा है;

(ख) क्या आई.सी.एम.आर. ने इस रोग से लोगों को बचाने के लिए उपाय अथवा वैकल्पिक प्रबंध करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार "सिकल सेल" के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस रोग से प्रभावित पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या से अवगत है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अनुसंधान संस्थानों नामतः प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान (इम्यू-नोहेमेटालाजी), संस्थान मुम्बई राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद और भुवनेश्वर, जबलपुर एवं डिब्रूगढ़ में स्थित क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के जरिए सिकिल सेल रोग पर एक दशक से अधिक समय से अनुसंधान करती रही है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पाया है कि सिकिल सेल रोग आदिवासी लोगों और कुछ अनुसूचित जातियों में प्रमुख रूप से व्याप्त है। रोगियों में सुधार के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने फालिक एसिड, बहु-विटामिन एवं कृमि को नष्ट करने वाली गोलियां खाने की अनुशंसा की। इन दवाओं का उपयोग कर रहे रोगी में हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार हुआ। युवा दम्पतियों को जीनीय परामर्श भी दिया गया और ग्रामों एवं स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(घ) से (च) देश के आदिवासी लोगों में सिकिल सेल रक्ताल्पता की व्याप्तता को देखते हुए भारत के कुछ आदिम आदिवासी लोगों में पोषणीय रक्ताल्पता एवं अन्य होमोग्लोबीन-विकृति के लिए उपचार कार्यक्रम नामक एक परियोजना 4 राज्यों नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में शुरू की गई है। एक प्रायोगिक अध्ययन इस समय किया जा रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष से समुचित उपचार प्रदान करने के लिए पोषणिक एवं रूधिरविज्ञानीय समस्याओं का मूल्यांकन हो सकेगा जिससे आदिम आदिवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। इससे उपचार कार्यक्रम शुरू करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए उनको एकीकृत करने में राज्य सरकार को सहायता मिल सकेगी।

मुम्बई पत्तन न्यास

1480. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य प्रमुख पत्तन न्यासों की तुलना में मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा क्या सुविधाएं और सेवाएं दी जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके द्वारा कितना यातायात निपटाया गया;

(ग) उक्त तीन वर्षों के दौरान मुम्बई पत्तन न्यास के वित्तीय परिणाम क्या रहे और क्या मुम्बई पत्तन न्यास की भविष्य में पत्तन के विकास की कोई योजना है;

(घ) वर्ष दर वर्ष सम्पूर्ण पट्टा किराया की उगाही करने हेतु मुम्बई पत्तन न्यास की असमर्थता के क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) मुम्बई पत्तन न्यास के स्वामित्व में कुल कितनी क्षेत्रफल भूमि है और पत्तन संबंधी उद्योगों के अलावा इसके लिए उपयोग हेतु कितनी भूमि रखी गई है;

(च) क्या मुम्बई पत्तन न्यास ने 1995 के मार्ग निर्देशों के अनुसार भूमि उपयोग की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसके लिए उपलब्ध कुल खाली पड़ी भूमि में से वाणिज्यिक रूप से उपयोग की जा रही भूमि का प्रतिशत क्या है; और

(ज) क्या भूमि का किफायती उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) मुंबई पत्तन अधिकांश अन्य महापत्तनों की तरह विभिन्न प्रकार के कार्गो हैंडल करने की सुविधाएं प्रदान करता है और नौकर्षण और संचालन के साथ जलयानों की बर्थिंग, पोत से तट पर कार्गो की हैंडलिंग, भंडारण और सुपुर्दगी आदि के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। मुंबई पत्तन सी एफ एस, जहाज मरम्मत आदि जैसी अनुषंगी सेवाएं भी प्रदान करता है जोकि अधिकांश अन्य पत्तनों में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई पत्तन द्वारा हैंडल किए गए यातायात की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	(मिलियन टन में)
1998–1999	30.97
1999–2000	30.41
2000–2001	27.06

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई महापत्तन के वित्तीय परिणाम इस प्रकार रहे हैं :

(करोड़ रु.)

मद	1998–99	1999–2000	2000–2001
प्रचालन आय	654.40	572.41	520.66
प्रचालन व्यय	499.05	487.86	589.45
वित्त और विविध आय	81.42	103.5	100.20
वित्त और विविध व्यय	166.87	153.29	505.67
निविल अधिशेष (+)/ घाटा(–)	69.90	34.76	(–)474.26

पत्तन का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, भविष्य में मुंबई पत्तन न्यास का विकास करने से संबंधित स्कीमों में जवाहर द्वीप में तेल हैंडलिंग सुविधाओं तथा जेट्टी–I, 2 और 3 का आधुनिकीकरण, मैरीन तेल टर्मिनल की सबमैरीन पाइपलाइनों तथा अपतटीय पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन, कोयला और अन्य ईंधन हैंडल करने के लिए पीरपाऊ में बर्थ, नई पीर पाऊ पीयर में दूसरी तरल रसायन बर्थ, विशेष श्रेणी पी ओ एल बर्थ तथा दो गहरे ड्राबाव वाली अपतटीय कंटेनर बर्थों का निर्माण शामिल है।

(घ) पट्टाधारियों/किराएदारों ने किराया संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी है और इस प्रकार मामला न्यायाधीन है।

(ङ) मुंबई पत्तन न्यास के स्वामित्व में 752.70 हेक्टेयर का कुल भू–क्षेत्र है जिसमें से 351.30 हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न, औद्योगिक और आवासीय कार्यों के लिए किराये पर दिया जाता है।

(च) जी, हां। मुंबई पत्तन न्यास द्वारा बनाई गई योजना नगर निगम की मुंबई शहर की विकास योजना पर आधारित है और इसमें निगम द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्रों के अनुसार भूमि के उपयोग का प्रावधान है जिसमें विकास योजना में सभी आरक्षण और पत्तन की आवश्यकता शामिल है।

(छ) और (ज) सारे शहर में फैले छोटे प्लाटों में खाली भूमि उपलब्ध है। विशाल खाली भूमि केवल टिटवाला में उपलब्ध है। पत्तन की, पत्तन उपयोग के लिए अनावश्यक खाली भूमि को तत्काल बिक्री द्वारा बेचने की मंशा है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त पत्र

1481. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कितने पत्र प्राप्त किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितनों को अभी जवाब दिया जाना बाकी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित पत्रों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को वर्ष, 1999, 2000 और 2001 के दौरान, संसद–सदस्यों से क्रमशः 66, 161 और 175 पत्र मिले। उपर्युक्त आयोग को सीधे संबोधित नहीं किए गए पत्रों के सिवाय, उपर्युक्त सभी पत्रों की पावती भेज दी गई।

उपर्युक्त आयोग, बुनियादी रूप से, एक सलाहकारी निकाय है जो अनुशासनिक कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर सलाह देता है। उपर्युक्त आयोग का अपना कोई अन्वेषण–अभिकरण नहीं है, लेकिन वह अन्वेषण–रिपोर्टें प्राप्त होने पर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सलाह देता है। संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई, अन्य

बातों के साथ–साथ, मामले के तथ्यों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के मद्देनजर की जानी अपेक्षित होती है। अतः उपर्युक्त आयोग, शिकायतकर्ताओं को, उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई सूचित नहीं करता।

[हिन्दी]

राजस्थान में स्वास्थ्य और परिवार कार्यक्रम

1482. श्री कैलाश मेघवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चयनित गैर–सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकार द्वारा चयनित गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं और कार्यक्रमों को कब से क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए वर्ष–वार, कार्यक्रम/योजना–वार और एजेंसी–वार कितनी राशि मंजूर की गई और तत्संबंधी कितनी राशि का उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

1483. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्पूर्ण विकास को प्राप्त करने के लिए वर्ष 1978 से एस.सी.पी. (स्पेशल काम्पोनेंट प्लान) और टी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं/कार्यक्रमों को बताएं जिन्हें एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत लागू किया गया है, इन्हें कब से शुरू किया गया है, इनके स्वरूप, संभावनाएं और लक्षित ग्रुप क्या हैं जिनका एस.सी.पी./टी.एस.पी. को शुरू करते समय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/संगठनों को लिखे गए पत्र संख्या 280–पी.एम. ओ. 80 दिनांक 12.03.1980 में उल्लेख किया गया है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि अपेक्षित है और कितनी धनराशि प्राप्त की गई; और

(घ) इस संबंध में कितने लाभ प्राप्त हुए हैं और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी संबंधित व्यक्तियों, खासकर गरीबों तथा अलाभान्वित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान सामान्य उद्देश्य के रूप में जारी रहता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने, स्वास्थ्य ढांचे का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने और चिकित्सा जनशक्ति को बढ़ाने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है।

दूर–दराज आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी वर्गों के लोगों के लिए जीवन का बुनियादी न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने हेतु रोकथाम वाली, उन्नायक उपचारात्मक और पुनर्वास संबंध सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आठ राज्यों के 100 प्रमुख आदिवासी जिलों को कवर करता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सब लोगों का मोतियाबिन्द का निःशुल्क आपरेशन किया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में मोतियाबिन्द आपरेशन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को निःशुल्क बहुऔषध उपचार सामग्री प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों को सेवा प्रदानगी की सुविधा

हेतु मानदण्डों में ढील दी गई है। भारत में एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रण करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम का इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो अनुसूचित जाति और आदिवासी जनसंख्या को भी कवर करता है।

(ग) पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरन प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों अर्थात् जो क्षयरोग, कुष्ठ, मलेरिया और दृष्टिहीनता से संबंधित थे, के लिए आवंटित योजनागत वित्त की राशि इस प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

योजना	चार रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए आवंटन
छठी	289.0
सातवीं	511.5
आठवीं	700.0
नौवीं	219.0

कार्यक्रम अधिकारियों को समय-समय पर निदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि एससीपी और टीएसपी के लिए आवंटित योजनागत वित्त जनगणना पर आधारित है। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 15.75 प्रतिशत और 7.76 प्रतिशत थी, इस प्रकार छठी और सातवीं योजनावधि के दौरान योजनागत आवंटन की इसके अनुरूप आवश्यकता थी और 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत थी जिसके लिए आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान योजनागत आवंटन की इसके अनुरूप आवश्यकता थी।

(घ) राज्यों के लिए लक्ष्य रखे जाते हैं और उनकी उपलब्धियां देखी जाती हैं जिसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति भी शामिल होती है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुष्ठ की व्याप्तता दर 1981 में 57/10,000 से घटकर मार्च, 2001 में 3.74/10,000 रह गई है, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत थूक में रोग के लक्षण पाए गए नए रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों को ठीक करने और 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से क्षयरोग रोगियों की कवरेज 1998 में 18 मिलियन से बढ़कर इस समय 445 मिलियन हो गई है। किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या 1990-91 में 12 लाख से बढ़कर 2000-01 में 37 लाख हो गई है। मलेरिया के रोगियों की संख्या को एक वर्ष में लगभग 2 मिलियन तक रोक दिया गया है जो 1976 में 6.47 मिलियन थी।

बीस सूत्री कार्यक्रम

1484. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 2001 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं मंजूर की गईं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना को क्रियान्वित करने हेतु महाराष्ट्र को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण विकास योजना

1485. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण विकास जैसी लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, कुआं खुदाई और सुदूर गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति और केन्द्रीय सहायता हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर अलग-अलग क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) योजना आयोग को कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार से ग्रामीण विकास जैसे लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, ट्यूबवैल खोदने और सुदूर गांवों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

1486. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जिला–वार कितनी पंचायतें टेलीफोन सुविधा से जोड़ी गईं;

(ख) क्या टेलीफोन सुविधा वाली सभी पंचायतों को एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एस.टी.डी. सुविधा के अभाव में ग्रामीण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी पंचायतों को एस. टी.डी. सुविधा के साथ टेलीफोन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में टेलीफोन सुविधा से जुड़ी पंचायतों की जिलावार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अभिरक्षकों से अनुरोध मिलने पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में एसटीडी सुविधा दी जाती है। अभि–रक्षकों को एसटीडी सुविधा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में दिए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

जिला	1998–99 के दौरान दिए गए वीपीटी	1999–00 के दौरान दिए गए वीपीटी	2000–01 के दौरान दिए गए वीपीटी
1	2	3	4
अहमदनगर	28	0	0
अकोला	75	0	0
वाशिम	50	0	0
अमरावती	184	2	0
औरंगाबाद	112	23	0
बीड	67	23	0
भंडारा	90	0	0
गोंदिया	50	0	0
बुलढाणा	100	37	0
चन्द्र पुर	137	0	0
धुले	28	0	0
नन्दुरबर	10	0	0
गडचिरौली	109	0	0
जलगांव	73	0	0
जालना	60	10	0
कल्यान	85	0	0
कोल्हापुर	57	2	0
लातूर	6	0	0
नागपुर	44	15	0
नांदेड	26	16	0
नासिक	70	0	0

1	2	3	4
उसमानाबाद	120	0	0
परबनी	60	14	0
हिंगोली	40	0	0
पुणे	36	1	0
रायगढ़	160	0	0
रत्नागिरी	60	9	0
सांगली	33	0	0
सतारा	165	0	0
सिन्धुदुर्ग	58	0	0
सोलापुर	31	0	0
वर्धा	137	0	0
यवतमाल	101	13	0
जोड़	2462	165	0

भारत संचार निगम लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

1487. श्री ए. ब्रह्ममैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड की पांच प्रतिशत इक्विटी की बिक्री से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इसके लिए कोई समय–सीमा तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड की केवल 5 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री के उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास अगले तीन वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड की और अधिक इक्विटी की बिक्री संबंधी योजना है; और

(च) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड की पांच प्रतिशत इक्विटी की बिक्री से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एड्स कंट्रोल में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

1488. श्री सुरेश कुरुप : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एड्स कंट्रोल के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान उनमें से प्रत्येक को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सूचना विवरण–I में दी गई है।

(ख) गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करने का कार्य संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से कर दिया गया है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे अनुदान केवल कम व्याप्तता वाले रज्यों में सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे गैर सरकारी संगठनों को मंजूर की गई धन राशि विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार	3

1	2	3
2.	अहमदाबाद	7
3.	आंध्र प्रदेश	56
	डीएफआईडी द्वारा वित्त पोषित	47
4.	अरुणाचल प्रदेश	2
5.	असम	9
6.	बिहार	1
7.	चंडीगढ़	6
8.	चेन्नई	7
9.	दादरा व नगर हवेली	0
10.	दीव व दमण	0
11.	दिल्ली	10
12.	गोवा	6
13.	गुजरात (डीएफआईडी) द्वारा वित्त पोषित	63
14.	हरियाणा	9
15.	हिमाचल प्रदेश	4
16.	जम्मू व कश्मीर	1
17.	कर्नाटक	18
18.	केरल	0
	डीएफआईडी द्वारा वित्त पोषित	35
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	10
21.	महाराष्ट्र	30
22.	मुंबई (नगरपालिका)	16
23.	मणिपुर	17
24.	मेघालय	3
25.	मिजोरम	8
26.	नागालैंड	15
27.	उड़ीसा	8
28.	पांडिचेरी	1
29.	पंजाब	6
30.	राजस्थान	12
31.	सिक्किम	3
32.	तमिलनाडु	65
	यूसेड द्वारा वित्त पोषित	31
33.	त्रिपुरा	8
34.	उत्तर प्रदेश	16
35.	पश्चिम बंगाल	18
	डीएफआईडी द्वारा वित्त पोषित	19
	कुल	570

विवरण-II

नाको द्वारा 2000–01 में सीधे ही नाको द्वारा वित्त परियोजनाओं की स्थिति के बारे में सूचना

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन/संगठन का नाम	परियोजना	रिलीज की गई कुल धनराशि
1	2	3	4
	दिल्ली		
1.	दृष्टिकोण	माडल प्रजनन स्वास्थ्य केन्द्र	5,31,000/–

1	2	3	4
2.	नाज फाउंडेशन	माडल एचआईवी/एड्स परामर्श केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल	3,18,000/–
3.	टार्च	दूर–परामर्श केन्द्र	7,90,600/–
4.	एनआईसीडी–टार्च	स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र	5,24,000/–
5.	सहारा, दिल्ली	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परिचर्या	7,59,500/–
6.	प्रयास, नई दिल्ली		2,57,099/–
	कर्नाटक		
7.	फ्रीडम फाउंडेशन, बंगलौर	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	15,19,000/–
8.	स्नेहसदन	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	6,63,520/–
9.	फ्रीडम फाउंडेशन, बेल्लारी, कर्नाटक	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	11,89,240/–
	मणिपुर		
10.	शालोम	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	7,58,760/–
11.	लेप्रोसी पेशंट्स वेलफेयर सोसाइटी, इम्फाल, मणिपुर	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	7,59,500/–
	असम		
12.	आई एल ए ट्रस्ट	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	11,89,240/–
	महाराष्ट्र		
13.	ब्लेयर हास्पिटल, महाराष्ट्र	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	14,21,900/–
	आंध्र प्रदेश		
14.	फ्रीडम फाउंडेशन, हैदराबाद	सामुदायिक परिचर्या एवं सहायता परियोजना	11,89,240/–
	बिहार		
15.	ओ एस ई आर डी, पटना	दूरभाष पर परामर्श	3,50,000/–
		कुल	1,22,21,099/–

नाको द्वारा 2001–02 में सीधे नाको वित्त पोषित परियोजना की स्थिति के बारे में सूचना

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन/ संगठन का नाम	परियोजना	रिलीज की गई कुल धनराशि
1.	एस ए एच ए आर ए	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र एवं सहायता	7,59,500/– रुपये (पहली किस्त) 7,59,500/– रुपये (दूसरी किस्त)
2.	सी एच ई एल एस ई ए	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र एवं सहायता	11,89,240/– रुपये (पहली किस्त) 6,34,500/– रुपये (दूसरी किस्त)
3.	एस एफ डी आर टी, पाण्डिचेरी	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र एवं सहायता	11,89,240/– रुपये (पहली किस्त)

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में माइक्रोवेव टावर

1489. श्री विष्णुदेव साय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसपुर नगर (छत्तीसगढ़) में माइक्रोवेव टावर की स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) उक्त टावर के माध्यम से कार्य करने वाले सिस्टमों की संख्या कितनी है और वे किस तारीख से कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन सिस्टमों की क्षमता सहित उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उनके माध्यम से संचार सेवा शुरू न किए जाने के कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 5–12–2001 को जसपुर नगर (छत्तीसगढ़) में माइक्रोवेव टावर लगाया गया था।

(ख) 26–1–2002 से जसपुर नगर स्थित टावर से एक वायरलैस इन लोकल लूप आधारित पारेषण केन्द्र कार्यरत है।

(ग) 500 लाइनों की क्षमता सहित वायरलैस इन लोकल लूप प्रणाली।

(घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कैडर परिवर्तन

1490. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** 09.03.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2299 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1980 से दिसंबर 1995 की अवधि में लोक हित के आधार पर कैडर परिबर्तन की अनुमति दी गई थी;

(ख) इस संबंध में क्या मानक अपनाए गए थे;

(ग) क्या 2001 के ओ.ए. नं. 1108 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैदराबाद में दायर किए गए हलफनामों में सरकार ने कहा है कि कुछ अधिकारियों से संबंधित वांछित अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण उनके कैडर परिवर्तन के आधार पर टिप्पणी करना संभव नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैदराबाद के निदेश के अनुसार उन अधिकारियों से संबंधित फाइलों/रिकार्डों को खोजने/पुनः बनाने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) इस विभाग

में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1980 से 1994 तक की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को लोक–हित में संवर्ग बदलने दिया गया। अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण की मौजूदा नीति, 1995 में लागू की गई तब से कोई भी अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण लोक–हित में अनुमोदित नहीं किया गया है।

भारतीय पुलिस–सेवा के अधिकारियों के संबंध में, इस सेवा के संवर्ग–नियंत्रक–प्राधिकारी, गृह–मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वर्ष, 1980 से वर्ष, 1995 तक, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, अखिल भारतीय सेवा के दो अलग–अलग संवर्गों के अधिकारियों का विवाह हो जाने के आधार पर, चिकित्सा/स्वास्थ्य के आधार पर, अत्यधिक कठिनाई/अनुकम्पा के आधार पर तथा सुरक्षा के आधार पर संवर्ग बदलने दिया गया है। फिर भी, भारतीय पुलिस–सेवा के किसी भी अधिकारी को लोक–हित के ही आधार पर संवर्ग नहीं बदलने दिया गया है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ के समक्ष 2001 की ओ.ए. सं. 1108 के अपने उत्तर में भारत–संघ, गृह–मंत्रालय ने यह बताया है कि कुछ कर्मचारियों के संगत रिकार्ड सुलभ नहीं होने के कारण, उनका संवर्ग बदले जाने के आधार के बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं था। फिर भी, बाद में, जनवरी, 2002 में पंजाब–सरकार ने इस विभाग को अगस्त, 1986 में जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि सुलभ करवा दी है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंधित अधिकारी को लोक–हित में संवर्ग बदलने दिया गया था। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ही हैदराबाद न्यायपीठ को इस स्थिति से अवगत करवा देने के लिए गृह–मंत्रालय को पहले ही लिख दिया गया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद न्यायपीठ से, इस बारे में फाइल दोबारा तैयार किए जाने का कोई भी निदेश नहीं मिला है। यह सूचना मसला, इस समय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद न्यायपीठ के समझा न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

इन्टरनेट सेवा

1491. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में कृषि, वस्त्र और कृषि आधारित उद्योगों को शीघ्र इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की वरीयता दी है;

(ख) क्या इंटरनेट को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तरराष्ट्रीय गेटवे को भी अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई सलाहकार समिति भी गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) नीति के अंतर्गत 31–10–2003 तक लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है और तदनन्तर केवल 1/– रु. प्रति वर्ष का नाममात्र लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।

(ii) भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई है।

(iii) 31–12–2001 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा देश के 5,518 ब्लाक मुख्यालयों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) को इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है।

(iv) शिलांग, इम्फाल, कोहिमा, अल्मोड़ा, सोलन इत्यादि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट नोड स्थापित किए गए हैं।

(v) फ्रैंचाइजियों के माध्यम से स्थापित इंटरनेट ढाबा स्कीम के जरिए बीएसएनएल ने 31–12–2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी ब्लाक मुख्यालयों में 2976 इंटरनेट ढाबों को इंटरनेट डायल–अप कनेक्शन प्रदान किए हैं।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल ग्रामीण ब्लाक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों की मुफ्त अभिगम्यता की पेशकश कर रहा है।

(vii) इंटरनेट ढाबा फ्रैंचाइजी कमीशन के रूप में पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) अभिगम्यता प्रभारों के 25 प्रतिशत के भी पात्र हैं।

(ख) जी, हां। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्त करने के बाद उपग्रह माध्यम और सबमैरीन केबल माध्यम का प्रयोग करते हुए, इन्टरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग को परामर्श देने हेतु आई टी तथा दूरसंचार उद्योग की विख्यात हस्तियों वाली एक बैंड विड्थ सलाहकार समिति गठित की गई है, जो मांग पर बैंडविड्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने संबंधी उपाय बताएगी। समिति में दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, साफ्टवेयर और सेवा कंपनियों (एन ए एस एस सी ओ एम) का राष्ट्रसंघ, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आई एस पी ए आई), भारतीय स्टाक एक्सचेंज बोर्ड आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[अनुवाद]

फिजियोथैरेपिस्टों के पद

1492. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 22 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4436 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजियोथैरेपिस्टों के उच्च ग्रेड वाले पद सृजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भौतिक चिकित्सक के उच्चतर ग्रेड के पद पर सृजित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच सरकार द्वारा की गई।

वित्त मंत्रालय ने नए पदों के सृजन पर पूरी रोक लगा दी है इसलिए इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भौतिक चिकित्सकों के लिए उच्चतर ग्रेड के पद सृजित करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आवंटन

1493. श्री बीर सिंह महतो : क्या संचार और सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया क्षेत्र के लिए सार्वजनिक टेलीफोन बूथ आवंटन समिति की बैठक आहूत नहीं किए जाने के कारण सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आवंटन में अकारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) आज तक सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और अपन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ आवंटित नहीं किए गए हैं और ये आवेदन कब से लंबित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आज की तारीख तक 943 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 199 को पीसीओ आवंटित किए गए हैं और शेष लंबित हैं। ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(i) 1 वर्ष से कम अवधि तक लंबित आवेदन : 533

(ii) 1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि तक लंबित आवेदन : 211

(iii) सबसे पुराने लंबित आवेदन–पत्र की तारीख : 11.4.2000

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए राजस्थान का प्रस्ताव

1494. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में कितने

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को मंजूरी दे दी गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : वार्षिक योजना 2001–02 के अंतर्गत राजस्थान सरकार से 71 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 47 प्रस्तावों को धनराशि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में विभिन्न प्रकार के वाहन

1495. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में चंडीगढ़ में कितने वाहन पंजीकृत हैं और चल रहे हैं;

(ख) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़क कर के कारण कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या उसका कुछ भाग नगर निगम को अन्तरित किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) मोटर वाहनों का पंजीकरण और सड़क कर की वसूली, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। इसके ब्यौरे मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति

1496. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग खराब स्थिति में हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निदेश/आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इन राजमार्गों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने के लिए विशेष निधि जारी करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और गुजरात में राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(छ) यह मरम्मत का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख–रखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) वर्ष 1999–2000 और 2000–01 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए आवंटन क्रमशः 2318.17 लाख रु. और 2145.00 लाख रु. थे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत निरंतर यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

भारत अमरीका अनुसंधान केन्द्र

1497. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से उस भारत–अमरीका कैंसर अनुसंधान केन्द्र को वित्तीय सहायता

दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो केन्द्र सरकार के पास लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लंबित होने के कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रीमती एन.बी.टी. रामाराव स्मारक कैंसर फाउंडेशन एवं अमरीकी तेलगू महिला संगठन द्वारा प्रोत्साहित भारत–अमरीका कैंसर संस्थान एवं केन्द्र ने सिम्पूलेटर मशीन खरीदने के लिए सहायता–अनुदान का अनुरोध किया है। कोबाल्ट उपचार एकक स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत श्रीमती एन. बी.टी. रामाराव स्मारक कैंसर अस्पताल, हैदराबाद को 1999 में एक करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। क्योंकि यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है, अतः संगठन के अतिरिक्त सहायता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था तथा उन्हें तद्नुसार अवगत करा दिया गया था।

भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाना

1498. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उच्चायुक्त को इस्लामाबाद से किन परिस्थितियों में वापस बुलाना पड़ा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हमारी अन्योन्यक्रियाओं में यह स्पष्ट से बता दिया गया कि इस हमले की सभी शाखाओं के बारे में भारत की गंभीर चिन्ताओं को पूरी तरह से नहीं समझा गया है। पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार प्रायोजन को हमारे देश के सभी वर्गों द्वारा पूरी तरह से रद्द करने का विचार तथा राज्य नीति के एक औजार के रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देने की भारत की चिन्ता की गम्भीरता को भी पूरी तरह से नहीं माना है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अभी तक यह सुझाव दिया कि पाकिस्तान को बदनाम करने के उद्देश्य से भारत की आसूचना सेवा ने हमला किया।

पाकिस्तान के नकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए भारत के पास इस्लामाबाद से भारत के हाई कमिश्नर को वापस बुलाने जिसकी घोषणा 21 दिसम्बर, 2001 को की गई, सहित एक के बाद एक राजनयिक उपाय करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया।

ग्वाटेमाला गोडाउन में कैद भारतीय

1499. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जनवरी, 2002 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के अनुसार कई भारतीय ग्वाटेमाला गोडाउन में कैद हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनकी मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रिक होने का दावा कर रहे 25 व्यक्तियों को उपयुक्त यात्रा दस्तावेज नहीं होने के कारणवश जनवरी, 2002 में ग्वाटेमाला प्राधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार इन्हें मुक्त कर दिया गया है।

अनुदान और ऋण का फार्मूला

1500. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने ज्यादा अनुदान हेतु राज्यों की मांग के संबंध में अनुदान और ऋण के 50 : 50 के फार्मूले का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विशेष श्रेणी राज्यों और गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए योजना सहायता अनुदान : ऋण के रूप में क्रमशः 90 : 10 और 30 : 70 के अनुपात में जारी की जाती है। वर्तमान अनुपात में परिवर्तन से केन्द्रीय राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में उलझनें आएंगी इससे राज्यों को दी जाने वाली सहायता प्रभावित होगी। अतः वर्तमान अनुदान : ऋण अनुपात में परिवर्तन करने का कोई निर्णय केन्द्र की समग्र संसाधन स्थिति और इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के निर्णय पर आधारित होगा।

डाकघर बचत स्कीमें

1501. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दर्तमान में देश के डाकघरों में कौन–कौन सी लघु बचत स्कीमें उपलब्ध हैं;

(ख) प्रत्येक स्कीम पर कितना ब्याज मिलता है;

(ग) निवेशकों के लिए स्कीम–वार न्यूनतम/अधिकतम निवेश की सीमा सहित औपचारिकताएं अर्हताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में और अधिक लघु बचत योजनाएं लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) डाकघरों के एजेंसी कार्य के रूप में चलाई जा रही वर्तमान लघु बचत योजनाओं, ब्याज की दरों/परिपक्वता मूल्य से संबंधित विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) कोई नई लघु बचत योजना शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्याज की दर प्रतिशत/परिपक्वता मूल्य आदि		वर्तमान एकल खाता
1	2	3	4	5
1.	@ डाकघर बचत खाता	3.50	साधारण (वैयक्तिक खाता)	20.00 रु./– 1,00,000.00 रु. (सभी खातों को एक साथ मिलाकर)
2.	*डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्ष) (10 रु. मूल्यवर्ग के खातों का परिपक्वता मूल्य) (रुपयों में)	748.49	तिमाही चक्रवृद्धि	10.00 रु./– कोई सीमा नहीं
3.	*डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्ष)	9.00	प्रति महीने देय जमा 6 वर्ष के अंत में जमा पर 10 प्रतिशत बोनस	1,000.00 रु./– 3,00,000.00 (सभी खातों को एक साथ मिलाकर)
4.	*डाकघर सावधि जमा		तिमाही चक्रवृद्धि और वार्षिक रूप से देय	
	(क) 1 वर्षीय योजना	7.25		50.00 रु./कोई अधिकतम सीमा नहीं
	(ख) 2 वर्षीय योजना	7.50		–वही–

1	2	3	4	5
	(ग) 3 वर्षीय योजना	8.25		–वही–
	(घ) 5 वर्षीय योजना	8.50		–वही–
5.	**एन.एन.सी. VIII वा निर्गम (6 वर्ष) (100 रु. मूल्य वर्ग के बचत पत्र के लिए परिपक्वता मूल्य)	169.59	छमाही चक्रवृद्धि	100.00 रु./कोई अधिकतम सीमा नहीं
6.	**राष्ट्रीय बचत योजना 1992 (4 वर्ष)	8.50	वार्षिक रूप से देय	100.00 रु./कोई अधिकतम सीमा नहीं
7.	किसान विकास पत्र	7.2/3 वर्षों में राशि दुगनी		100.00 रु./कोई अधिकतम सीमा नहीं
8.	●लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्ष)	9.00	वर्ष के अंत में मासिक बकाया पर परिकलित	एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10 रु. से अधिकतम 60,000 रु.

विशेषताएं :

*आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अधीन लाभ सुलभ

**आयकर अधिनियम की धारा 88 तथा 80 एल के अधीन लाभ सुलभ

●ब्याज पूर्णयता कर मुक्त

पी पी एफ के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन लाभ सुलभ हैं।

पात्रता :

लघु बचत योजनाएं छोटे शहरी और ग्रामीण निवेशकों के लिए बनाई गई हैं।

खाद्य परिरक्षकों के ग्रेड

1502. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य सामग्री के प्रयोग के लिए खाद्य परिरक्षकों एजेंटों आदि के ग्रेड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य उद्योगों द्वारा इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित/आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के निरीक्षणों के क्या–क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) परिरक्षकों के निर्माण और बिक्री भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना के अधीन है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन उत्पादों के विनिर्देशन निर्धारित किए हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचित किया है कि वे नेमी रूप से निर्माण परिसरों का निरीक्षण करते हैं और इस बात को जांच करने के लिए आकस्मिक दौरे करते हैं कि निर्माता परीक्षण और निरीक्षण की योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और परीक्षण तथा निरीक्षण की योजना कार्यान्वित कर रहे हैं और भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार इस उत्पादन का परीक्षण करा रहे हैं।

इन परिरक्षकों और लेवलिंग एजेंटों का उपयोग करने वाले खाद्य उत्पादों के निर्माताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए दौरों की संख्या, लिए गए नमूनों और ठीक नहीं पाए गए नमूनों की संख्या के बारे में आंकड़ों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण है।

विवरण

दौरों, लिए गए नमूनों और ठीक नहीं पाए गए नमूनों की संख्या के बारे में आंकड़े

संयोजी के नाम सहित आईएस संख्या	लाइसेंसों की संख्या	दौरों की संख्या	लिए गए नमूने	सही नहीं पाए गए नमूने
4447–सोडियम बेजोएट	1	6	10	2*
4448–बेन्जोइक एसीड	1	6	मई 1998 में से कोई उत्पादन नहीं	शून्य
4751–पोटासियम मेटाबी सल्फाइट	1	8	7 (एक परीक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा है)	शून्य
4752–मेटाबी सल्फाइट	3#	16	20 (तीन परीक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा है)	1#
5191–सोडियम एल्जीनेट		6	6 (2 परीक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा है)	शून्य
4753–पोटासियम निट्रेट	शून्य	–		
4818–सोर्विक एसिड	शून्य	–		
5057–पोटासियम निट्रेट	शून्य	–	–	–
6030–सोडियम प्रोपियोनेट	शून्य	–		
6031 कैल्सियम प्रोपियोनेट	4	25	38	2@

*फर्म को भारतीय मानक संस्थान का चिह्न का उपयोग बन्द करने और विसंगतियों को ठीक करने के लिए उपचारी कार्रवाई करने की सलाह दी गई उपचारी कार्रवाई की जांच के पश्चात् फर्म को चिह्न लगाना शुरू करने की अनुमति दी गई।

#फर्म ने उपचारी कार्रवाई की थी। एक लाइसेंसधारी ने चिह्न लगाना शुरू नहीं किया था।

@मानकों पर सही न उतरे नमूनों की जांच करने और उपचारी कार्रवाई शुरू करने के लिए फर्म को इनके फेलोर होने की सूचना दे दी गई है। उपचारी कार्रवाई की जांच की जानी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद किया जाना

1503. श्री विकास चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द घोषित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मालिक ने इस संबंध में सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया था;

(ग) कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार की अनुमति से बन्द किए जाने की मंजूरी मिली है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति इस प्रकार है :

– जीवनक्षमता की संभावना वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना एवं उनको पुनर्जीवित करना;

– पुनर्जीवित न किए जा सकने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना;

– सभी गैर–कुशल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक

अथवा यदि आवश्यक हो तो, इससे भी कम करना; और

— कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण देना।

2. इस नीति के अनुसार, जीवनक्षमता की संभावना वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता के आधार पर बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है।

3. दिनांक 31.12.2001 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.), टैनरी एंड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी.ए.एफ.सी.ओ), माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एम.एन.पी.एम.), भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.), वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.), रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (आर.आई.सी.), नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन.बी.सी.आई.एल.), माईनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.) और साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) के संस्थानों को बंद कर दिया गया है। टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) की तांगड़ा यूनिट, एच.एम.टी. की चार यूनिटों और घाटे में चलने वाली सात रिफ्रैक्टरी यूनिटों (एल.आर.यू./बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) के फैब्रीकेशन यार्ड को भी बन्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इंडिया रोड कंस्ट्रक्सन कार्पोरेशन (आई.आर.सी.सी.) तथा ई.टी. एंड टी. को बंद करने के संबंध में भी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (टी.टी.सी.आई.) ने परिसमापन के लिए एक आवेदन– पत्र दायर किया है।

कोचीन शिपयार्ड रिपेयर प्रोजेक्ट

1504. श्री के. करूणाकरन :
श्री जार्ज ईडन :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन शिपयार्ड रिपेयर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोल्लाम–कोवालम और कोट्टापुरम–कासरागोड़ के बीच वेस्ट कोस्ट कैनाल क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग तीन के विस्तार के रूप में घोषित करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना में आवश्यक सुविधाओं सहित 120 मीटर शिप लिफ्ट सिस्टम शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 98.38 करोड़ रु. है जिसका वित्त पोषण आंशिक रूप से कोचीन शिपयार्ड के आंतरिक संसाधनों से और शेष धनराशि का वित्तपोषण वित्तीय संस्थानों से किया जाना है;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के उत्तर में कोट्टापुरम से कासरागोड़ तक और दक्षिण में कोल्लाम से कोवालम तक विस्तार करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन खंडों का विकास कार्यक्षम है। इनकी घोषणा और बाद में विकास संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरांचल योजना

1505. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना के कब तक बनाए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में

राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) उत्तरांचल को वित्त वर्ष 2001–02 से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्य के विकास के लिए वर्ष 2001–02 के लिए, 1050 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया है।

[हिन्दी]

अधिकारियों के खिलाफ शिकायत

1506. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में टी.डी.एम.जी.एम. और सी.जी.एम. पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार नीति

1507. श्री रघुनाथ झा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार नीति, 1994 के अंतर्गत मांग के आधार पर टेलीफोन प्रदान करने और 1997 तक देश के प्रत्येक गांव में कम से कम ग्रामीण सरकारी टेलीफोन प्रदान करने का विचार था;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने की तारीख 2000 तक और पुनः 2002 तक बढ़ा दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उपर्युक्त के मद्देनजर 1999 में कोई नई दूरसंचार नीति की घोषणा करनी पड़ी;

(ङ) यदि हां, तो दूरसंचार नीति के लागू न होने के क्या कारण हैं; और

(च) नीति को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने और देश के सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा सुलभ कराने का लक्ष्य "नई दूरसंचार नीति–1999" में रखा गया था।

(ग) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया कराने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। इस कार्य के लिए इस्तेमाल की गई मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम ए आर आर) प्रौद्योगिकी अनुपयुक्त पाई गई। पारम्परिक भूमिगत केवल के अलावा, दुर्गम क्षेत्रों के लिए अब, मूल्यांकन पर आधारित, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल), सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस/पॉइंट टू मल्टी पॉइंट (सी–डॉट टी डी एम ए/पी एम पी) और सैटेलाइट टर्मिनल जैसी नई प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है तथा तत्संबंधी कार्य प्रगति पर है। नई दूरसंचार नीति–94 के अनुसार निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्राप्त योगदान भी निर्धारित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था के कारण अल्पतम था जो निजी क्षेत्र द्वारा अव्यावहारिक पाई गई। इसे नई दूरसंचार नीति–99 में राजस्व भागीदारी में बदल दिया गया और निजी प्रचालकों द्वारा सेवा के रोल आउट ने अब गति पकड़ी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) नई दूरसंचार नीति–99 में निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया करवाने संबंधी कार्य प्रगति पर है। देश के 607491 गांवों में से 31 जनवरी, 2002 तक 429515 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। 58,772 गांवों में यह सुविधा निजी बुनियादी प्रचालक द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष गांवों में यह सुविधा वर्ष 2002 के अंत तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

1508. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी हालत में हैं और परिवहन योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य राजमार्गों का रख–रखाव करने के लिए भी अनुदान प्रदान करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। वर्ष 2001–02 के दौरान 25.48 करोड़ रु. का आवधिक नवीकरण कार्य और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत/विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 12.53 करोड़ रु. के अलावा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 85.34 करोड़ रु. के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वार्षिक योजना 2002–03 में इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 156.00 करोड़ रु. की योजनागत लागत के विकास कार्यों का प्रावधान है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए भी कुछ धनराशि प्रदान करती है। तथापि, राज्यीय राजमार्गों के रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।

छह लेनों वाला मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस-वे

1509. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह लेनों वाले मुम्बई–पुणे एक्सप्रेस वे में इसके शुरू होने के छह माह के भीतर ही कई प्रकार के बड़े–बड़े गड्ढे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक्सप्रेस वे को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) मुम्बई–पुणे एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसका रखरखाव महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

पारपत्र कार्यालयों में दलाल

1510. श्रीमती मिनाती सेन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत एजेंट पारपत्र कार्यालय के कार्मिकों के साथ सांठ–गांठ से अपने लोगों के लिए पारपत्र हासिल करने के लिए देश भर में पारपत्र कार्यालयों में और आस–पास सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) ऐसे अपराध के लिए अब तक कितने दलाल गिरफ्तार किए गए; और

(घ) पारपत्र कार्यालयों के परिसर में और उसके आस–पास ऐसी गतिविधियों से इस प्रकार के एजेंटों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि अप्राधिकृत एजेन्ट देश के पासपोर्ट कार्यालयों के आसपास सक्रिय हैं। तथापि, अभी तक की गई छानबीन से इन अप्राधिकृत एजेन्टों और पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार के प्रत्यक्ष सांठ–गांठ का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पासपोर्ट अधिकारी और अन्य अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय के परिसर में जाकर दलालों और अप्राधिकृत एजेन्टों

की उपस्थिति की जांच करते हैं। अप्राधिकृत एजेन्टों और दलालों के खतरों को समाप्त करने के लिए मान्यताप्राप्त ट्रैवल एजेन्टों को पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाओं के लिए आवेदन जमा कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में सुविधा काउन्टर खोले गए हैं जहां पूर्व सैनिक संघ को पासपोर्ट आवेदनों को भरने में आवेदकों को सहायता देने की अनुमति दी गई है। पुलिस प्राधिकारियों से भी ऐसे दलालों/अप्राधिकृत एजेन्टों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु संपर्क किया गया है।

मानसिक आरोग्यशालाओं का सर्वेक्षण

1511. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु :**
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री ए. कृष्णास्वामी :
श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा आरोग्यशालाओं का सर्वेक्षण करने का निदेश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया है कि उनमें किसी रोगी को बांधकर न रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में समयबद्ध रूप से केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कम से कम एक मानसिक रोगी अस्पताल स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5.2.2002 के आदेश में सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को सभी मानसिक आरोग्यशालाओं का जिला–वार सर्वेक्षण चलाने और उस आशय की कि मानसिक रूप से बीमार कहे जाने वाले किसी व्यक्ति (मेंटेलि चेलेन्जड परसन) को राज्य के किसी भाग में नहीं बांधा गया है, की एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें कार्रवाई कर रही हैं।

(ग) सरकार की वर्तमान नीति इस अवस्था में नए बुनियादी ढांचे के सृजित करने के बजाय मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए मौजूदा मानसिक अस्पताल/संस्थाओं में बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं और सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

कुपोषण और शिशु मृत्यु की उच्च दर

1512. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री अनन्त नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार शिशु मृत्यु दर जन्म के एक वर्ष के भीतर, प्रति हजार जन्म का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य–वार ऐसे जिलों की पहचान की गई है जहां पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में बाल मृत्यु दर/कुपोषण गंभीर रूप से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस खतरे को रोकने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार शिशु मृत्यु दर (राज्यवार) से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नमूना पंजीकरण प्रणाली केवल राज्य स्तर पर शिशु मृत्यु दर के अनुमान प्रकाशित करता है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया भारत पोषण प्रोफाइल 1998 से 18 राज्यों/संघ क्षेत्रों में 187 जिलों की जिलावार कुपोषण स्थिति का पता चलता है। वर्ष 1998–99 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों (3 वर्ष से कम) और गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता से संबंधित सूचना संलग्न विवरण–II में है।

(घ) शिशुओं, बच्चों की मृत्यु कम करने और गर्भवती

महिलाओं की परिचर्या के लिए परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वर्ष 1997 में शुरू किया गया प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हाल में की गई पहल है। इसमें बाल जीवन रक्षा के सभी घटक शामिल हैं जिसमें मातृ परिचर्या एवं पोषण पर अधिक जोर दिया जाता है। यह 10वीं योजना में भी जारी रहेगा।

महिला और बाल विकास विभाग बच्चों एवं गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की समग्र पोषणिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना और खाद्य एवं पोषण बोर्ड के पोषणिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करते रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, आई यू डी का उपयोग कर रही महिलाओं और 1 से 5 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों जैसे उच्च जोखिम वाले वर्ग के लोगों को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती हैं। ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और खाद्य मंत्रालय के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं।

कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए एक राष्ट्रीय पोषण मिशन भी सरकार के विचाराधीन है जिसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण-I

शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	1999
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	असम	76
3.	बिहार	63
4.	गुजरात	63
5.	हरियाणा	68
6.	कर्नाटक	58
7.	केरल	14
8.	मध्य प्रदेश	90
9.	महाराष्ट्र	48
10.	उड़ीसा	97
11.	पंजाब	53
12.	राजस्थान	81
13.	तमिलनाडु	52
14.	उत्तर प्रदेश	84
15.	प. बंगाल	52
16.	अरुणाचल प्रदेश	43
17.	छत्तीसगढ़	78
18.	दिल्ली	31
19.	गोवा	21
20.	हिमाचल प्रदेश	62
21.	जम्मू एवं कश्मीर	अनुपलब्ध
22.	झारखंड	71
23.	मणिपुर	25
24.	मेघालय	56
25.	मिजोरम	19
26.	नागालैंड	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	49
28.	त्रिपुरा	42
29.	उत्तरांचल	52
30.	अं. एवं. नि. द्वीप समूह	25
31.	चंड़ीगढ़	28
32.	दा. एवं. न. हवेली	56
33.	दमन एवं दीव	35

1	2	3
34.	लक्षद्वीप	32
35.	पांडीचेरी	22
	अखिल भारत	70

स्रोत : एस आर एस, आर. जी. भारत

विवरण-II

प्रमुख राज्यों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/ भारत	रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	रक्ताल्पता वाले बच्चों की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	41.8	72.3
2.	असम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	बिहार	49.8	81.3
4.	गुजरात	47.4	74.5
5.	हरियाणा	55.5	83.9
6.	कर्नाटक	48.6	70.6
7.	केरल	20.3	43.9
8.	मध्य प्रदेश	53.8	75.0
9.	महाराष्ट्र	52.6	76.0
10.	उड़ीसा	60.5	72.3
11.	पंजाब	37.1	80.0
12.	राजस्थान	51.4	82.3
13.	तमिलनाडु	57.1	69.0
14.	उत्तर प्रदेश	46.0	73.9
15.	प. बंगाल	56.9	78.3
	अखिल भारत	49.7	74.3

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II (1998–99)

[हिन्दी]

मलेरिया उन्मूलन

1513. श्री ब्रज मोहन राम :
श्री विक्रम केशरी देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर झारखंड, बिहार और उड़ीसा में मलेरिया के कारण कितने लोग मारे गए;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने मलेरिया उन्मूलन के बारे में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उपर्युक्त राज्यों को इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान और झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा में सूचित की गई मलेरिया से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	देश में सूचित मौतों की संख्या	झारखंड* में मौतों की संख्या	बिहार में मौतों की संख्या	उड़ीसा में मौतों की संख्या
1999	1084	लागू नहीं	131**	399
2000	931	16	2	467
2001 अनन्तिम	928	21	0	281

*यह राज्य केवल वर्ष 2000 में ही अस्तित्व में आया।

**अविभाजित बिहार से संबंधित है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों में लागत भागीदारी के आधार पर एक श्रेणी–II केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता सामग्रीगत अनुदानों के रूप में है। चालू वर्ष के लिए प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	झारखंड	बिहार	उड़ीसा
2001–02 (बजट अनुमान)	561.28	357.37	557.34

1997–98 से 2001–02 तक विश्व बैंक की सहायता से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा राज्यों को भी शामिल किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए उड़ीसा के 21 जिलों को लगभग 21.74 करोड़ रुपये की और झारखंड के 10 जिलों को 5.43 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता सामग्रीगत और नकद अनुदानों के रूप में प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान

1514. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्धा स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण और औद्योगीकरण संस्थान के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार संस्थान को संशोधित धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो आवंटन कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1515. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में राजकोट–सोमनाथ, जेतपुर–जूनागढ़–सोमनाथ और सोमनाथ–कोडिनार–भावनगर मार्गों के विकास हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं. रा.रा. सं. और खंड	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		टिप्पणी
	सं.	राशि (लाख रु.)	सं.	राशि (लाख रु.)	
1 2	3	4	5	6	7
1. जैतपुर–जूनागढ़–सोमनाथ (रा.रा. 8 डी)	10	3461.511	10	3308.351	
2. सोमनाथ–कोडीनार–भावनगर (रा.रा. 8 ई)	9	2189.483	9	2045.079	फरवरी, 2002 में प्राप्त 187.03 लाख रु. के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
3. राजकोट–जैतपुर (रा.रा. 8 बी)					राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व–पश्चिम महामार्ग के तहत 17 कि.मी. में 4

1	2	3	4	5	6	7
						लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, 17 कि.मी. में यह कार्य चल रहा है और शेष लंबाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पत्तनों का प्रशासनिक सुधार

1516. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पत्तनों का प्रशासनिक सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) महापत्तनों में प्रशासनिक सुधार प्रबंध प्रथाओं, प्रचालन दक्षता, लागत में बचत और सेवा की गुणता में सुधार करने के लिए चालू प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए पत्तन क्षेत्र के कार्यदल ने अन्य बातों के साथ–साथ उपकरण उत्पादकता में सुधार, उपकरण रख–रखाव, फालतू उपकरण के निपटान, श्रमिक उत्पादकता, कार्य बल के इष्टतम रतर, प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग पर लक्षित उपायों की सिफारिश की है।

टेलीफोन किराया

1517. श्री जी. जे. जावीया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरणों का किराया बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपकरणों की गुणवत्ता सुधारने की कोई योजना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) टेलीफोन उपकरण के लिए विशेष रूप से कोई किराया वसूल नहीं किया जाता है। टेलीफोन उपकरणों का गुणवत्ता सुधार, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के अधिदेश (मैंडेट) का हिस्सा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

दमा हेतु औषधि

1518. कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ने विश्व में पहली बार दमा के लिए गौण प्रभावहीन दवा विकसित करने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में इस बीमारी से कितने लोग पीड़ित हैं;

(घ) क्या प्रदूषण इस बीमारी का मुख्य कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान के अनुसार हाल ही के वर्षों में भारत में किसी संगठन ने किसी वैज्ञानिक पत्रिका में दमे के लिए किसी नई औषध का कोई नियंत्रित अध्ययन को प्रकाशित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) भारत के विभिन्न भागों के लिए अध्ययनों ने सूचित किया है कि 2 से 15 प्रतिशत जनसंख्या दमे से पीड़ित है। वायु प्रदूषण को दमे–उत्तेजनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होने की बात को लेखबद्ध किया गया है। देश–भर में भी दमे के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न सरकारी और अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए निवारक उपायों में यानीय और ईंधन प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को लाना, सड़क परिवहन और यातायात नियंत्रण, निवारक यानीय जांचें, पुराने वाणिज्यिक

वाहनों को समाप्त करना, साफ ईंधनों को शुरू करना तथा धुएं रहित चूल्हों को लाना शामिल है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों हेतु सहायता

1519. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों की सहायता करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अपने राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार को राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों/ सूचना प्रौद्योगिकी सिटी की अवसंरचनात्मक स्थापना पर खर्च को पूरा करने में उनकी सहायता करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) राज्यों में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य में किसी नए भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एसटीपीआई, नामक स्वायत्त संस्था ने उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और राउरकेला में पहले ही केन्द्र स्थापित कर दिए हैं।

केन्द्रीय भंडार द्वारा आमंत्रित निविदाएं

1520. श्री अरुण कुमार :
श्री रामजी मांझी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने ट्यूब लाइटों और बल्बों की खरीद के लिए सर्वाधिक प्रतियोगी मूल्य प्राप्त करने हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की थीं लेकिन उसे गैर पंजीकृत फर्मों के लिए भी खोल दिया गया था वह भी समाचार पत्रों में सूचित किए बिना;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निविदा अंतिम रूप से 32.75 रु. की न्यूनतम बोली लगाने वाले के पक्ष में दी गई थी लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता से खरीद लिखित रूप में बिना कोई कारण बताए ही बाद में बंद कर दी गई और कुछ अन्य ट्यूब लाइट को ऊंची दर पर खरीदना शुरू कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निविदा में कोई शर्त रखी गई थी जिससे आपूर्ति बंद हो सकती है और क्या न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) क्रय-नीति के प्रावधानों के अनुसार, बल्बों और ट्यूबलाइटों की आपूर्ति हेतु मौजूदा पंजीकृत और अन्य प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदा आमंत्रित की गई चूंकि जारी की गई निविदा, सीमित निविदा थी, अतः उपर्युक्त निविदा की सूचना, समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 32.75 रुपये की न्यूनतम दर, मैसर्ज़ तायल एजेंसी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली ई.सी.ई. ब्रैंड के संबंध में ही अनुमोदित नहीं की गई, बल्कि फिलिप्स, विप्रो और क्रॉम्पटन ग्रीव्स आदि के संबंध में भी अनुमोदित की गई, क्योंकि केन्द्रीय भंडार, सामान्यतः, एक से अधिक ब्रैन्ड की वस्तुएं स्टॉक में रखता है और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद की ब्रैन्ड की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। यदि उपभोक्ता किसी ब्रैन्ड विशेष को वरीयता नहीं दे तो न्यूनतम दर वाली ब्रैन्ड की आपूर्ति की जाती है।

मैसर्ज तायल एजेंसी से बल्बों और ट्यूबलाइटों की आपूर्ति निलंबित कर दी गई है, क्योंकि इस फर्म के विरुद्ध बहुत सी शिकायतों की छान-बीन की जा रही है, जिनमें झूठा पता देने और मिल्टन जगों की आपूर्ति के संबंध में अधिकतम खुदरा मूल्य (एम. आर. पी) से अधिक मूल्य का स्टिकर लगाकर केन्द्रीय भंडार को धोखा देने का प्रयास किया जाना भी शामिल है। मैसर्ज़ तायल एजेंसीज का केन्द्रीय भंडार में पंजीकरण भी आस्थगित कर दिया गया है। फिर भी, उपभोक्ताओं को ई. सी.ई. ब्रैन्ड की ट्यूबलाइट और बल्ब उपलब्ध करवाने हेतु ई. सी.ई. ब्रैन्ड की ट्यूबलाइटों और बल्बों के निर्माता से सीधी आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया है। इस बारे में उपर्युक्त निर्माता से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) मैसर्ज तायल एजेंसीज़ के माध्यम से की जाने वाली आपूर्ति, उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित कारणों से समाप्त कर दी गई। ऐसी कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, निविदा की शर्तों में कोई प्रावधान विशेष किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

वल्लारपदम इंटरनेशनल कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल

1521. **श्री जॉर्ज ईडन :**
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से वल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल को अविलम्ब मंजूरी देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी नहीं। तथापि, कोचीन पत्तन न्यास ने वल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर और सिक्किम में वायरलैस इन लोकल लूप सेवाएं

1522. **श्री पी. आर. किन्डिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की डब्ल्यू.एल.एल. सेवा को अभी बनाए हुए है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर और सिक्किम में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें डब्ल्यू.एल.एल. सेवाओं द्वारा कवर किया जाएगा और ये सेवाएं राज्य-वार किस तारीख से शुरू हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी हां। रक्षा मंत्रालय ने, तकनीकी और सुरक्षा जटिलताओं के कारण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली डब्ल्यू एलएल सेवाओं को मंजूरी प्रदान करने में अपनी कठिनाईयां बताई हैं। क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सेवा शुरू करना रक्षा मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर करता है, जबकि सिक्किम में यह अगस्त, 2002 तक शुरू किए जाने की आशा है।

विवरण

राज्य	क्षेत्र
1	2
सिक्किम	गंगटोक
सिक्किम	नामीची
असम	बारपेटा रोड
असम	बीजनी
असम	बिलासीपारा
असम	बोनाईगीन

1	2
असम	धूबरी
असम	गोलपारा
असम	कोकराझार
असम	नलबारी
असम	घपखोवा
असम	डिब्रूगढ़
असम	डूमडूमा
असम	मारघेरीटा
असम	मोरान
असम	नामरूप
असम	तिनसुकिया
असम	जोरहाट
असम	मरियानी
असम	सिबसागर
असम	सोनारी
असम	बोकाजान
असम	डीपहू
असम	गोलाघाट
असम	हामरेन
असम	हावराघाट
असम	होजाई
असम	मोरीगांव
असम	नागौन
असम	समीलान्गो
असम	सारूपत्थर
असम	बेहुपुरिया

1	2
असम	धकुआखाना
असम	गोगामुख
असम	खारूपेतिया
असम	नापाम
असम	शिल्लापाथर
असम	तांगला
असम	अभयपुरी
असम	बार्पेटा टाउन
असम	बिजयनगर
असम	बोको
असम	बोरझार
असम	हाजो
असम	रांगिया
असम	सोनापुर
असम	दुल्लावचेर्रा
असम	हैलाकांडी
असम	हॉफलांग
असम	करीमगंज
असम	लाला बाजार
असम	पथारकांडी
असम	सिल्वर
असम	उमरांगशू
असम	बी. चाराली
असम	धेकियाजूली
असम	धेमाजी
असम	गोहपुर

1	2
असम	जोनाई
असम	मांगलडोई
असम	नार्थ लखीमपुर
असम	उडालगुडी
असम	पान बाजार
त्रिपुरा	अगरतला
त्रिपुरा	अमबास्सा
त्रिपुरा	धरम नगर
त्रिपुरा	काजलाशाहार
त्रिपुरा	खोवाई
त्रिपुरा	मनुबास्सार
त्रिपुरा	आर.के.पुर
त्रिपुरा	संतीर बाजार
त्रिपुरा	श्रमन तिल्ला
त्रिपुरा	तेलियामुरा
मिजोरम	एजावल
मिजोरम	डेमागिरि
मिजोरम	हनथलाल
मिजोरम	कोलासिब
मिजोरम	लुंगलई
मिजोरम	ममिट
मिजोरम	सांगाऊ
मिजोरम	सेराचिप
मिजोरम	थिंगसुलथीआ
मेघालय	अमलारेम
मेघालय	चेरापूंजी

1	2
मेघालय	जोवाई
मेघालय	खलीहरिआत
मेघालय	मावकीरवाट
मेघालय	नांगपोहहिल्स
मेघालय	नॉग्सटोइयन हिल्स
मेघालय	शिलांग (मॉफ्ट)
मेघालय	तुला हिल्स
मेघालय	विलियम नगर
मेघालय	बागमारा
मेघालय	मैरांग
मेघालय	मेंडीपाथर
मेघालय	फुलबारी
मेघालय	ऐटकोर
मणिपुर	बिशेनपुर
मणिपुर	चुराचादपुर
मणिपुर	इम्फाल
मणिपुर	काकचिंग
मणिपुर	मोरेह
मणिपुर	थोऊबा
मणिपुर	उखरूल
मणिपुर	वेटुमकुल्लेन
अरुणाचल प्रदेश	बोमडीला
अरुणाचल प्रदेश	डोईमुख
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
अरुणाचल प्रदेश	खोंसा
अरुणाचल प्रदेश	मिआओ

1	2
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
अरुणाचल प्रदेश	पास्सीघाट
अरुणाचल प्रदेश	रोइंग
अरुणाचल प्रदेश	तेजू
नागालैंड	दीमापुर
नागालैंड	इम्पुर
नागालैंड	कोहिमा
नागालैंड	मेतझिथेमा
नागालैंड	मोकोचुंग
नागालैंड	मोन
नागालैंड	फेक
नागालैंड	टूएनसांग
नागालैंड	वोखा
नागालैंड	जनहेबोटा

पारपत्र जारी करने की क्रियाविधि में परिवर्तन

1523. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र जारी करने हेतु क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया है और कोलकाता में अमेरिकी सूचना केन्द्र पर हमले के बाद सरकार ने कुछ नियंत्रण लगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) पासपोर्ट जारी करने से संबंधित क्रियाविधियों में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों से कहा गया है कि वे पासपोर्ट आवेदनों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच में अधिक सावधानी बरतें। सरकार ने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए पुलिस साक्ष्याकंन को सुदृढ़ किया है ताकि पासपोर्ट अवांछनीय तत्वों को जारी न हों।

नौवहन नीति

1524. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन नीति के घटक सहित इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) नव–नौवहन नीति के बारे में 'पिन्टो समिति' द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) देश में कितने बंदरगाह हैं और उनमें से प्रत्येक बंदरगाह का वास्तविक और वित्तीय आकार क्या है; और

(घ) प्रत्येक बंदरगाह में सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारत की नौवहन नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) देश के विदेशी व्यापार के वहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नौवहन को प्रोत्साहन देना (ii) निर्यात–आयात व्यापार में विभिन्न पणधारियों के हित की रक्षा करना।

(ख) पिन्टो समिति ने जुलाई, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कुल 31 सिफारिशें की थी। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिन्टो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सूची

1. नौवहन उद्योग को निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए।
2. नौवहन उद्योग को निर्यात उद्योग को उपलब्ध सभी राजकोषीय और वित्तीय लाभ दिए जाएं।
3. धारा 33 ए सी को इसके मूल रूप में पुनः लागू करना।

4. नौवहन उद्योग के लिए मूल्यह्रास दर बढ़ाना और इसे परिवहन के अन्य साधनों के बराबर लाना।

5. भारतीय ध्वज वाले जलयानों पर भारतीय नाविकों को कर लाभ।

6. पोत पर सेवा के लिए पारिश्रमिक को विदेशों में पोद्भूत और अर्जित विदेशी स्रोत से होने वाली आय माना जाना चाहिए।

7. ई सी बी की परिपक्वता अवधि में छूट और ई सी बी प्रक्रिया को सरल करना तथा पोत अधिग्रहण के लिए इसकी शीघ्रता से स्वीकृति देना।

8. बल्क कार्गों का सभी आयात केवल एफ ओ बी आधार पर किया जाए।

9. सरकार द्वारा कार्गों सहायता 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कंपनियों द्वारा प्रचालित बी बी सी डी चार्टर किए गए जलयानों को नहीं दी जानी चाहिए।

10. उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन समयबद्ध रूप से किए जाएं।

11. तटीय नौवहन को सुकर बनाने के लिए अफजलपुरकर समिति की सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

12. तटीय नौवहन के स्वतंत्र विकास और समर्पित तटीय पोतों के लिए नई कम की गई आवश्यकता को सुकर बनाने के लिए तटीय नौवहन अधिनियम प्रख्यापित किया जाए।

13. तटीय नौवहन को अवसंरचना उद्योग घोषित किया जाए।

14. तटीय पोतों के लिए घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि की जाए और पोत इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आई डी एफ सी) से आसान ऋण लेने के लिए पात्र हों।

15. एच एस सी उम्मीदवारों को मैरीन इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित करने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। सरकार को चार वर्ष की वर्तमान प्रशिक्षण अवधि के भीतर ही विचार करना चाहिए।

16. अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए गैर–सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए।

17. कर्मीदल के चयन, उनके प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया में संशोधन किया जाए तथा कर्मीदल की सेवानिवृत्ति आयु सशस्त्र बलों की तरह 48 की जाए।

18. कंपनियां कर्मीदल का अपना रोस्टर रखें और सामान्य रोस्टर प्रणाली हटा दी जाए।

19. एक निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्मिकों की तैनाती कम की जाए।

20. नाविक रोजगार कार्यालय हटा दिए जाएं और इसकी जगह पर उन्हें केवल नाविकों की तैनाती का कार्य सुगम करना चाहिए।

21. एल एन जी और एल पी जी वहन का कार्य भारतीय ध्वज वाले जलयानों के लिए आरक्षित होना चाहिए और इसमें छूट तभी संभव हो जब राष्ट्रीय टनभार उपलब्ध न हो।

22. जब भारतीय पोतों का उपयोग किया जाता है तब कर योग्य आय से अदा किए गए मालभाड़े में कमी करना।

23. सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को सब्सिडी लाइनर और तटीय जलयानों के निर्माण तक सीमित कर दी जानी चाहिए और ऐसी सब्सिडी सभी शिपयार्डों को दी जानी चाहिए।

24. बहुविध परिवहन सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन सुविधा मंच स्थापित किया जाए जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हों।

25. भारतीय पत्तनों को ऐसे उपयुक्त सुरक्षा और गुणता प्रबंधन प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना चाहिए जो विश्व स्तरीय मानकों को पूरा कर सकें।

26. सुरक्षा और गुणता मानकों का अनुपालन करने के लिए और नौवाहन उद्योग की आवश्यकताओं के साथ

अनुरूपता बनाए रखने के लिए इन मुद्दों पर पत्तन प्रशासन और मैरीटाइम प्रशासन के बीच पारस्परिक वार्ताओं में वृद्धि की जाए।

27. पत्तनों को जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए प्रावधान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

28. राज्य सरकारों को जहाज मरम्मत में भाग लेने के लिए उद्योग हेतु उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

29. बदलते हुए नौवहन परिवेश की मांगों के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए मैरीटाइम प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए और ऐसी पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति को स्टाफ के रूप में तैनात किया जाए जो सुरक्षा, गुणता और प्रशिक्षण से संबंधित सब सामयिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हों।

30. अनुभवी जनशक्ति को आकर्षित करने के लिए राज्य के मैरीटाइम प्रशासन को उद्योग से कार्मिक लेने चाहिए और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अधिक पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए।

31. भारतीय नौवहन के विकास के लिए न तो खुला रजिस्टर और न ही दूसरा रजिस्टर किसी संभावित लाभ का प्रदर्शन करता है। वास्तव में दोनों ही मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज वाले कैरियरों के हित को हानि पहुंचा सकते हैं।

नेत्रदान

1525. श्री आर. एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नेत्र बैंकों को नेत्रदान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान करने के लिए उत्साह बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है ताकि दृष्टिहीन लोग भी देख सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी नहीं। कोर्निया की वार्षिक आवश्यकता लगभग एक लाख है जबकि हमने अर्थात् नेत्र बैंकों ने 1998 में केवल 15,194, 1999 में 12,174 और 2000 में 19,069 कोर्नियों को एकत्र किया है जो प्रत्याशित संग्रहण से काफी कम हैं। तीन वर्ष से अधिक के नेत्र संग्रहण का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। देश में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:

I. हर वर्ष 25 अगस्त से 7 सितम्बर तक नेत्रदान के बारे में राष्ट्रीय पखवाड़े का आयोजन करना।

II. दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस पर संदेशों और मुद्रित सामग्री के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना।

III. नेत्र दान के लिए स्थाई रूप से बीमार रोगियों के रिश्तेदारों को प्रेरित करने के लिए संताप (ग्रीफ) परामर्श के बारे में अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

IV. सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

V. कोर्निया की दृष्टि से दृष्टिविहीन व्यक्तियों की दृष्टि पुनःस्थापित करने के लिए कोर्निया के प्रत्यारोपण में नेत्र शल्य–चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।

VI. देश के सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में बड़े अस्पतालों, चिकित्सा कालेजों, सशस्त्र सेना, कर्मचारी राज्य बीमा, रेलवे अस्पतालों की सहायता से अस्पताल कोर्निया पुनःप्राप्ति कार्यक्रम (हास्पिटल कोर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम) शुरू करना।

VII. केन्द्र बिन्दु को "नेत्रों की प्रतिज्ञा" से नेत्रों के वास्तविक संग्रहण में बदलना।

विवरण

भारतीय नेत्र बैंक संघ के सदस्य नेत्र बैंकों द्वारा कोर्निया संग्रहण के राज्य–वार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	1998 में संग्रहित नेत्र	1999 में संग्रहित नेत्र	2000 में संग्रहित नेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	1040	917	1306
2.	असम	सूचना नहीं दी	सूचना नहीं दी	0
3.	बिहार	28	68	17
4.	छत्तीसगढ़	200	225	246
5.	दिल्ली	846	997	973
6.	गुजरात	5133	588	6078
7.	हरियाणा	10	सूचना नहीं दी	168
8.	कर्नाटक	723	776	842
9.	केरल	238	206	264
10.	महाराष्ट्र	2700	1477	4189
11.	मध्य प्रदेश	310	456	408
12.	उड़ीसा	सूचना नहीं दी	सूचना नहीं दी	0
13.	पंजाब	752	100	199
14.	राजस्थान	47	143	218
15.	तमिलनाडु	2534	1201	3359
16.	उत्तर प्रदेश	319	224	214
17.	पश्चिम बंगाल	214	296	531
18.	पांडिचेरी			67
		15,194	12,174	19,089

नेताओं की यात्रा

1526. श्री आर. एल. भाटिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और अमेरिकी नेताओं ने व्यापक स्तर पर एक–दूसरे के देश की यात्राएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी यात्राओं के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। भारत और अमरीका ने प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के साझे उद्देश्यों, जिनकी पुनःपुष्टि भारत–अमरीका संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 9 मार्च, 2002 को वांशिगटन में हुई बैठक में की गई, के अनुसरण में राजनैतिक और सरकारी स्तर पर अपना उच्च–स्तरीय क्रियाकलाप जारी रखा है।

(ख) इन आदान–प्रदानों से आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मसलों, जिनमें राजनैतिक और सुरक्षा मामले, रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध और अफगानिस्तान का राजनैतिक तथा आर्थिक भविष्य शामिल हैं, के प्रति आपसी समझबूझ बढ़ी है और सहयोग संवर्द्धित हुआ है।

एक ही दिन में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

1527. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 में कर्नाटक राज्य में जिले–वार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ख) राज्य में किन–किन स्थानों पर आवेदन करने के दिन ही ये कनेक्शन प्रदान किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2001 में कर्नाटक राज्य में दूरसंचार जिलावार दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन बुकिंग के 24 घंटों के भीतर दिए जाते हैं।

1. बंगलौर शहर (अंशतः)
2. हसन शहर
3. मैसूर शहर
4. बेल्लारी शहर
5. मुलुबगल
6. बेलगाम शहर
7. हुबली शहर
8. गुलबर्गा शहर
9. मांड्या शहर

विवरण

वर्ष 2001 में कर्नाटक राज्य में दूरसंचार जिला–वार दिए गए टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	जनवरी, 01 से दिसंबर, 01 तक दिए गए कनेक्शन
1	2	3
1.	बंगलौर	142441
2.	बेलगाम	21399
3.	बेल्लारी	5749
4.	बिदर	8897
5.	बीजापुर	18350
6.	चिकमंगलूर	9055
7.	दक्षिण कन्नड़	41348
8.	चित्र दुर्ग	12938
9.	गुलबर्गा	14047
10.	हसन	16305
11.	हुबली	17903
12.	कोडगु	7962
13.	कोलार	18385
14.	मांड्या	10206
15.	मैसूर	22825
16.	रायचुर	12844
17.	शिमोगा	17851
18.	तुमकुर	17278
19.	उत्तर कन्नड़	14681
	जोड़	430464

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का चौड़ीकरण/ विस्तार

1528. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कायम कुलांस खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग–47 पर चौड़ीकरण और विस्तार कार्य बहुत धीमा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) केरल में रा.रा.–47 के हरिपाद–कायमकुलंश–कृष्णापुरम खंड को इकहरी लेन से दोहरी लेन का बनाने का कार्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, सिवाय कुछ छोटे विविध कार्यों के जो शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1529. श्री पद्मसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

श्री आर. एस. पाटिल :

श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री पी. आर. किन्डिया :

श्री अनन्त नायक :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री जे. एस. बराड़ :

श्री भीम दाहाल :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब से प्रभावी होगी;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में श्रेणीवार अब तक अतिरिक्त पाए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष, 2002–2003 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत लाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इसके लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ङ) क्या यह योजना रेलवे और रक्षा कर्मियों पर भी लागू होगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के परिणामतः नौकरशाही की कम संख्या को ध्यान में रखकर क्या सरकार का अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी घटाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक फरवरी 28, 2002 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 25013/6/2001 स्था.(क) द्वारा, केन्द्र सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एक नई योजना, शुरू की गई है। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में है। उपर्युक्त योजना तत्काल प्रभाव से लागू है।

(ग) और (घ) व्यय–सुधार–आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 42,200 कर्मचारी, अधिशेष निश्चित किए थे। उपर्युक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभी तक 12,200 पद समाप्त किए जाने हेतु अधिशेष निश्चित किए गए हैं। चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नई योजना वैकल्पिक है, अतः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना का लाभ लेने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या दर्शा पाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) यह योजना, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों द्वारा नियंत्रित और किसी भी मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित, केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संख्या-25013/6/2001-स्थापना(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 28, 2002

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के अधिशेष कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना।

भारत सरकार द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग ने अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना का सुझाव दिया है। "सरकारी कर्मचारियों की संख्या इष्टतम बनाए जाने संबंधी कतिपय सामान्य मुद्दे"

पर आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई इस सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित एक अथवा एकाधिक कारणों के परिणामस्वरूप किसी मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित किए गए स्थायी कर्मचारियों हेतु पैरा 2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना लागू किए जाने का निर्णय किया है :

(i) मंत्रालयों/विभागों की पुनर्संरचना किए जाने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णयों का कार्यान्वयन;

(ii) व्यय सुधार–आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(iii) किसी मंत्रालय/विभाग के, अन्य बातों के साथ–साथ, अपने किसी संगठन की पुनर्संरचना किए जाने, अपना कोई कार्य–कलाप किसी राज्य–सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य स्वायत्त संगठन को अंतरित कर दिए जाने, अपना कोई मौजूदा कार्य–कलाप समाप्त कर दिए जाने और प्रौद्योगिकी में बदलाव लाए जाने के निर्णय सहित अपने कार्मिकों की संख्या घटाए जाने/उपयुक्त किए जाने के निर्णय का कार्यान्वयन; अथवा

(iv) वित्त–मंत्रालय के कर्मचारी–निरीक्षण–एकक या केन्द्रीय सरकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा किए गए कार्य–अध्ययन रिपोर्टों का कार्यान्वयन।

2. अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(क) अधिशेष घोषित किए गए सभी स्थायी कर्मचारी अपनी आयु और अर्हक सेवा को मद्देनजर न रखते हुए इस योजना हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं।

(ख) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना का विकल्प देने वाला कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन और शेष रही सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते के बराबर अनुग्रह–धनराशि पाने का हकदार होगा। अनुग्रह–धनराशि हेतु वर्ष में किसी भी समय दिनों की संख्या प्रति वर्ष 365 के आधार पर गिनी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुग्रह–धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :

(i) अनुग्रह–धनराशि के भुगतान की दृष्टि से गणना किए जाने वाले वर्षों की कुल संख्या 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ii) अनुग्रह–धनराशि की गणना के प्रयोजन से अतिरिक्त सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा;

(iii) अनुग्रह–धनराशि की न्यूनतम सीमा 25,000/– रुपये अथवा 250 दिन की परिलब्धियों में से, जो भी अधिक हो, रहेगी;

(iv) अनुग्रह–धनराशि, अधिवर्षिता की आयु से पूर्व शेष रही सेवा की अवधि के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने पद और वेतनमान के मौजूदा स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते के जोड़ से अधिक नहीं होगी;

(v) अनुग्रह–धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा;

(vi) 5.00 लाख रुपये तक की अनुग्रह–धनराशि आयकर से मुक्त रखी जाएगी।

(ग) ऐसे स्थायी अधिशेष किए गए कर्मचारियों को जिन्होंने अधिशेष घोषित किए जाने की तारीख तथा न्यूनतम 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा में 5 वर्ष का लाभ दिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 29 में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपर्युक्त सेवा लाभ जोड़े जाने के बाद अर्हक सेवा की अवधि उस सेवावधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो उसने अपनी अधिवर्षिता की तारीख पर सेवानिवृत्त होने पर की होती;

(घ) सेवा मुक्त, होने की तारीख को संचित अर्जित अवकाश का केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार नकदीकरण;

(ङ) केन्द्रीय सरकार–कर्मचारी–समूह–बीमा–योजना में

बचत अंश का, नियमों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा;

(च) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को अपने परिवार सहित भारत में कहीं भी बसने देने हेतु यात्रा भत्ता नियमावली के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा;

(छ) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना का लाभ लेने का विकल्प चुनने वाले समूह 'क' कार्मिकों को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 10 के लागूकरण से छूट दी जाएगी जिसमें कर्मचारियों द्वारा वाणिज्यिक नियोजन की पेशकश स्वीकार किए जाने से पूर्व सरकार का पूर्वानुमोदन लेना निर्धारित किया गया है।

3. इस योजना के तहत अधिशेष घोषित किए गए तथा तीन मास की निर्धारित अवधि के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह–धनराशि का भुगतान, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत सामान्य सेवानिवृत्ति हकदारियों के अतिरिक्त किया जाएगा।

4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले के आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए कि सेवानिवृत्त होने वाले पद धारक द्वारा धारित अधिशेष पद, उस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से समाप्त हो जाएगा।

5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना के प्रयोजन से अधिशेष कर्मचारियों की पहचान, केन्द्रीय सरकार के विभागों/कार्यालयों में स्थापनाओं की कटौती के कारण अधिशेष घोषित किए गए कार्मिकों को निबटाने की संशोधित योजना के अंतर्गत "अधिशेष कर्मचारियों की पहचान हेतु उपाय" नामक शीर्षक से अनुबंध–I के मद संख्या 3 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। (देखें कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग का अप्रैल 01, 1998 का परिपत्र संख्या 1/18/88–के.से.–III)

6. किसी भी मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित किए गए स्थायी कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना हेतु अपना विकल्प देना होगा। इस कार्यालय–ज्ञापन के जारी होने की तारीख को कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ (पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन प्रभाग के रूप में पुनः पदनामित) की पंजिका पर इस समय दर्ज अधिशेष कर्मचारी भी इस तारीख से तीन माह के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना का लाभ लेने का विकल्प दे सकते हैं।

7. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ द्वारा यथा निर्धारित तिमाही विवरणियां इस विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करें।

8. वित्त–मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय–ज्ञापन की विषयवस्तु का, अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों में व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

ह/–

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)

निदेशक (ई-II)

दूरभाष : 3013180

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

[अनुवाद]

पूर्वी राज्यों में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1530. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री राजैया मल्याला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के बीच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा जागरूकता का स्तर बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों में अब भी एड्स के प्रति जानकारी कम है; और

(घ) यदि हां, तो लोगों में विशेषतः पूर्वी राज्यों के

लोगों में जागरूकता कार्यक्रम को सघन रूप से चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने अपने जागरूकता अभियानों के जरिए भारत में जागरूकता स्तरों में काफी वृद्धि की है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998–99) के परिणामों से पता चला कि भारत में एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता स्तर 40.30 प्रतिशत था। राष्ट्रीय बेसलाइन आचरण संबंधी सर्वेक्षण (2001) के अनुसार जागरूकता स्तर बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया है।

(ग) पूर्वी राज्यों नामतः प. बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में पिछले 3 वर्षों में जागरूकता स्तरों में काफी वृद्धि हुई है। जागरूकता स्तरों में परिवर्तन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) स्थानीय प्राथमिकताओं एवं सम्प्रेषण पर ध्यान देने के लिए राज्य स्तर पर गहन एवं संकेन्द्रित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा स्थानीय भाषाओं में किए जाते हैं।

विवरण

एच.आई.वी/एड्स का जागरूकता स्तर

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998–99) एच.आई.वी./एड्स की जानकारी वाले 15–49 आयु वर्ग वाली विवाहित महिलाओं का प्रतिशत	राष्ट्रीय बेसलाइन आचरण संबंधी सर्वेक्षण (2001) आम लोगों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता
1.	बिहार	11.70	40.30
2.	उड़ीसा	39.00	67.10
3.	प. बंगाल	26.40	58.20

राज्यों को सहायता

1531. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के लिए केन्द्रीय सहायता देने के सम्बन्ध में एकरूप राहत नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) विशेष श्रेणी राज्यों और गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए योजना सहायता अनुदान : ऋण के रूप में क्रमशः 90 : 10 और 30 : 70 के अनुपात में जारी की जाती है। वर्तमान अनुपात में परिवर्तन से केन्द्रीय राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में उलझने आती हैं तथा इससे राज्यों को दी जाने वाली सहायता प्रभावित होती है। अतः वर्तमान अनुदान ऋण अनुपात में परिवर्तन करने का कोई निर्णय केन्द्र की समग्र संसाधन स्थिति और इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के निर्णय पर आधारित होगा।

(ग) और (घ) चूंकि, राज्यों ने राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले में संशोधन की मांग की है, इसलिए योजना आयोग ने उनके विचार मांगे हैं तथा विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, इस संबंध में राज्यों के बीच काफी मत–भिन्नता है। सामान्य तौर पर, उन्नत राज्यों ने निष्पादन पर उच्च वेटेज देने की मांग की है, जबकि कम उन्नत राज्यों ने पिछड़ेपन पर उच्च वेटेज देने की मांग की है। इसलिए, पूर्ण योजना आयोग ने दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, गाडगिल फार्मूले में संशोधन के मुद्दे पर और राज्य सरकारों के बीच विचारों की मत–भिन्नता पर तथा इस मामले की संवेदनशीलता पर विचार–विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस पर आगे और भी

विचार–विमर्श करना आवश्यक होगा तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विकल्पों पर विचार किए जाने से पूर्व सर्वसम्मति बनाई जानी होगी।

अफगानिस्तान के लिए गेहूं की आपूर्ति

1532. **डा. डी. वी. जी. शंकर राव :**
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री जी गंगा रेड्डी :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति के लिए पारगमन सुविधा देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अफगानिस्तान सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्राधिकारियों और अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या गेहूं भेजे जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग पर निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम स्वरूप कितना अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) अफगान लोगों की दशा सुधारने की वचनबद्धता के रूप में, सरकार घर तथा देश में विस्थापित अफगानों तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए एक मिलियन टन गेहूं दे रही है। सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों के साथ सम्पर्क कर रही है और अफगानी लोगों के पास जहां तक संभव हो सके शीघ्रता के साथ मानवीय सहायता पहुंचाने के तरीकों का पता लगा रही है। अफगानिस्तान के लिए भारतीय संयुक्त राष्ट्र सहायता के रूप में सरकार ने पारगमन सुविधा के लिए पाकिस्तान से सम्पर्क नहीं किया है।

ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान कथित कीट बाधा तथा बीमारी का आरोप लगाकर इस मानवीय सहायता को पारगमन सुविधा देने का इच्छुक नहीं है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं।

(ग) और (घ) सरकार भारत से गेहूं भेजने के मामले पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ विचार–विमर्श कर रही है। हमने विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिए गए वक्तव्य देखे हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार गेहूं का भंडार देने के लिए सहमत हुई है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुरूप होगा।

(ङ) और (च) सरकार अफगानिस्तान को भारतीय गेहूं अतिशीघ्र भेजने के सभी वैकल्पिक तरीकों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले टेलीफोन केन्द्र

1533. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश में ऑप्टिकल

फाइबर केबेल में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्तावित टेलीफोन केन्द्रों का नाम क्या है; और

(ख) इन केन्द्रों को कब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल में बदले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश के लिए सूची क्रमशः विवरण I, II व III में संलग्न हैं।

(ख) इन एक्सचेंजों को वर्ष 2003 तक उत्तरोत्तर रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़े जाने की योजना है बशर्ते कि निधि व सामग्री उपलब्ध हो।

विवरण-I

झारखंड के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम जिन्हें ओएफसी मीडिया में बदलने की योजना है

क्र.सं.	एक्सचेंज	क्र.सं.	एक्सचेंज
1	2	1	2
1.	नवादीह	15.	महेषमुंडा
2.	जोरी	16.	गंगटी
3.	बगमारा	17.	कोरका
4.	राजगंज	18.	बरकथा
5.	नारायणपुर	19.	बदन
6.	सराईयाहाट	20.	केरेदरी
7.	जामा	21.	दीमोतंद
8.	फतेहपुर	22.	कर्मातर
9.	गोइलकेरा	23.	चांदवारा
10.	अटका	24.	गोदाखर
11.	औरा	25.	मरकाछो
12.	द्ववारपहाड़ी	26	छिपादोहर
13.	छपुआडीह	27.	बिशनपुर
14.	गंदेय	28.	किस्को
29.	पांकी	32.	बाकुदीह
30.	कोटल पखर	33.	तिनपाहर
31.	भगैया	34.	सोनुआ

विवरण-II

बिहार के ऐसे एक्सचेंज जिन्हें ओ एफ सी मीडिया सुविधा देने की योजना है

क्र.सं.	एक्सचेंज	क्र.सं.	एक्सचेंज
1	2	1	2
1.	अखगांव	19.	तरारी
2.	अजीमाबाद	20.	भारको
3.	नारायणपुर	21.	धाराईया
4.	सहर	22.	कुमारपुर
5.	संदेश	23.	शादपुर
6.	सराइया	24.	शंभुगंज
7.	चोउसा	25.	विजयघाट
8.	धनसोई	26.	कालाजोर
9.	इटारही	27.	दरिआपुर
10.	राजपुर	28.	फतेहपुर
11.	सिकथी	29.	जाम्सी
12.	उन्वास	30.	खिरीबन
13.	दुमरी	31.	पीथाना
14.	नवानगर	32.	रघुचाक
15.	सिमरी	33.	साजोर
16.	बीहिआ	34.	शाजादपुर
17.	जगदीशपुर	35.	बोरोहिया
18.	खुटाहा बाजार	36.	इशीपुर

1	2	1	2
37.	मदरगंज	63.	जैइदिओपट्टी
38.	सानोखर	64.	किरथपुर इसीयारी
39.	सोनाउल्हा	65.	कुशेशवरास्थान
40.	चंदन	66.	अंदामा
41.	दीघी	67.	बहेरी
42.	भैरोगंज	68.	बिथाउली
43.	वाल्मिकीनगर	69.	हाथोरी
44.	मैइनाटंड	70.	कान्सी
45.	सिक्ता	71.	खिरहर
46.	माकेर	72.	कुसोथार
47.	एन. जलालपुर	73.	लाहटा
48.	बथुआ बाजार	74.	पखरी
49.	पांचदिओरी	75.	सकथपुर
50.	गोरिआकोठी	76.	सोन्की
51.	मैइरवा	77.	उघारा
52.	गुथानी	78.	उज्जैन
53.	तराइया	79.	बसोपट्टी
54.	डी. दुबोउली	80.	लडानिया
55.	दरोउली	81.	हाररी
56.	माधवापुर	82.	कुथिआ
57.	मूलीचाक	83.	माधेपुर
58.	सहारघाट	84.	बाबूबरही
59.	बसैथा	85.	भाटसिमरा
60.	बेनीपुर	86.	भिलाई
61.	बिराउल	87.	घंघौर
62.	घनश्यामपुर	88.	राजनगर

1	2	1	2
89.	लाउकाही	115.	कसीचाक
90.	जाले	116.	कावाकोल
91.	के. चकोउटी	117.	वरशालीगंज
92.	कजरापट्टी	118.	गुरूपा
93.	कमतोउल	119.	फेसर
94.	किओटी	120.	मेसकोउल
95.	लडारी	121.	बांके बाजार
96.	माजरा	122.	भडेया
97.	पिनडारूच	123.	गुरागु
98.	राइयाम	124.	गुरूआ
99.	सराइया	125.	मोहनपुर
100.	टेकटार	126.	अत्री
101.	निर्माली	127.	बथानी
102.	सिबीपट्टी	128.	फतेहपुर
103.	कनोउली बाजार	129.	मोहरा
104.	कारपी	130.	तनकुप्पा
105.	सोनभद्रा सूरजपुर	131.	तरमा
106.	दिओ	132.	कस्मा
107.	पोइवान	133.	नानीवान
108.	रजोई	134.	सकुराबाद
109.	शिवागंज	135.	माव
110.	सिमरा बाजार	136.	साहदिओ खाप
111.	पराइया	137.	नरहट
112.	दुमारिआ	138.	बराछिती
113.	बोकनारीकला	139.	तेलेबीघा
114.	अप्सर	140.	चैनपुर

1	2	1	2
141.	कालिआगंज	167.	बनजारिआ
142.	कुरसकांटा	168.	फेनहारा
143.	चम्पानगर	169.	हरनाथा
144.	काथा	170.	नारहा पानापुर
145.	आजमनगर	171.	पाकरी
146.	बरसोई	172.	असरगज
147.	सोनाली	173.	एच. खडगपुर
148.	बरहाराकोठी	174.	माझगांव
149.	मिरदोउल	175.	संग्रामपुर
150.	परवाहा	176.	तीतीआबंबार
151.	धान खोरा	177.	अधा
152.	दिलीनीवानगंज	178.	अलीगंज
153.	हसनगंज	179.	कलानारायणपुर
154.	मनीहारी	180.	एम, सीमरीआ
155.	समाइली	181.	सिकन्द्रा
156.	गौरीपुर	182.	सिमुलताला
157.	सैइदपुर	183.	बराहिआ
158.	रोउटा	184.	घोसाइथ
159.	भरगामा	185.	कजरा
160.	बभनगामा	186.	गिधोउर
161.	तिलरथ	187.	धाहारा
162.	बेलदोउर	188.	पाटमा
163.	दुमारिआ खुड	189.	अरिआरी
164.	कजराइथा	190.	छेवारा
165.	जी. सम्भाघाट	191.	घाटकुसम्बा
166.	घोरासहान	192.	शेखोपुरसराई

1	2	1	2
193.	मानिकपुर	219.	मोउलानादीह
194.	करनोउल	220.	राहुई
195.	पानापुरकरिअट	221.	सरमेरा
196.	औउराई	222.	पीपलावन
197.	गइघाट	223.	दयालचक
198.	नारमा	224.	गंजपार
199.	बेरीबेटा	225.	इस्लामपुर
200.	कऊरान्थ	226.	कालियाचक
201.	सुरसांद	227.	करियापार सुर्रइ
202.	दुमरीकटसारी	228.	पनहार
203.	पुरनाहिआ	229.	परवालपुर
204.	तरीयानी	230.	सलालपुर
205.	बैइरगानिआ	231.	ठरलराई
206.	परिहार	232.	योगीपुर
207.	घोस्वारी	233.	दनियावन
208.	गोउसे शेखपुरा	234.	खुशरूपुर
209.	मोरे	235.	पुनपुन
210.	रामपुर दुमरिआ	236.	सिमरा
211.	अस्थावान	237.	सम्पथचक
212.	बेन	238.	बाल्मी
213.	देवीसराई	239.	बीरपुर
214.	दीपनगर	240.	जे. राधोपुर
215.	दुमरावान	241.	रतनपुरा
216.	घोसरामा	242.	घल्लार
217.	गोबालाबाद	243.	कुमारखंड
218.	कटरीसराई	244.	बीरथपुर

1	2	1	2
245.	हरिपुर	271.	आलमनगर
246.	कासनगर	272.	गौसा
247.	मनगौर	273.	ग्वालपुरा
248.	एस. बख्तियारपुर	274.	फलौत
249.	सलखुआ	275.	रजनीबाभानगाम
250.	सोनबरसाराज	276.	उदकिशनगंज
251.	तेलियाहाट	277.	खरबुधाम
252.	बलुहा	278.	रामनगर
253.	भागौली	279.	सहजादपुर
254.	धाबौली	280.	आलमनगर
255.	गोल्मा	281.	सी. मथुरापुर
256.	कापिसया	282.	खालिसपुर
257.	मैनाराजहंसपुर	283.	एम. नगर
258.	मेहसी	284.	पटवारी
259.	मुराजपुर	285.	रसूसलपुर
260.	नौहट्टा	286.	बिठान
261.	बिनाबाभानगाम	287.	दासवठ
262.	गरबरोबड़ी	288.	हसनपुर
263.	हरिहरपुर	289.	हंसा
264.	पिपरा	290.	कर्पुरीग्राम
265.	सरायगढ़	291.	कठिआ
266.	बलुआबाजार	292.	किशनपुर
267.	छटापुर	293.	कुभाऊग्राम
268.	गिरधरपट्टी	294.	मोरवा
269.	त्रिबेनीगंज	295.	पूसा
270.	जदिया	296.	एस. कल्याणपुर
297.	शादीपुर सीमराह	309.	कुरदा
298.	श्रीपुरगाहार	310.	पसौली
299.	बानी	311.	रामगढ़
300.	चमेहसी	312.	साईसार
301.	महरौल	313.	रोहतास
302.	आर. गंगेश्वर नगर	314.	केनारी
303.	अधौराह	315.	कल्याणपुर
304.	सोनहान	316.	कोचास
305.	कछवा	317.	रायपुरघोर
306.	राजपुर	318.	शिवसागर
307.	अहिनौरा	319.	तिलौठ
308.	देवहलिया		

विवरण-III

हिमाचल प्रदेश में ओएफसी माध्यम वाले एक्सचेंज लगाने की योजना

क्र.सं.	एक्सचेंज	क्र.सं.	एक्सचेंज
1	2	1	2
1.	बाघीपुई	11.	सुमेर कोट
2.	खोलीघाट	12.	नीन
3.	लाम्बाजुब्बर	13.	पोआबो
4.	केदी	14.	बाघी
5.	कियारनू	15.	धारकुन्दरु
6.	नारायन	16.	करियाली
7.	रकछम	17.	मोहरी
8.	कुंगलबाल्टी	18.	बांरग
9.	तियाली	19.	करछम
10.	डांडसा	20.	कुक्कडु

1	2	1	2
21.	धाबास	47.	होबार
22.	देहा	48.	सुन्दला
23.	देवह	49.	बालेरा
24.	मनधारढ़	50.	बादलबोर
25.	पुजारली	51.	बारी
26.	नेरवा	52.	अहरी
27.	मरहांग	53.	लागरू
28.	चंडी कसलोग	54.	चारी
29.	मांझा	55.	बधुखर
30.	सेहरोल	56.	जखाबर
31.	कुफ्तु	57.	आलमपुर
32.	गोईला	58.	दरोह
33.	कांडा	59.	गदियारा
34.	ददाहू	60.	गोपालपुर
35.	सुन्दरघाट	61.	कोटलू
36.	हरिपुरधर	62.	लाहरू
37.	छियाची	63.	थुराल
38.	कांदो	64.	भाली
39.	जामुन की सेर	65.	संधानी
40.	मरहीघाट	66.	जन्दरू
41.	धारोई	67.	बारी फरनोल
42.	जोहरजी	68.	कश्मीर
43.	सारू	69.	चौरी
44.	राजल	70.	सुजानपुर
45.	सेउल	71.	गलोर
46.	कलोहा	72.	नाल्टी

1	2	1	2
73.	रइलीजाझरी	99.	महुनाग
74.	अम्बेरा	100.	मंझवार
75.	सोहरीताकली	101.	मकरेरी
76.	तालमेरा	102.	पंडोल
77.	कोडरा	103.	पतरीघाट
78.	पिरनीगह	104.	रोपारी
79.	ज्वार	105.	सइनज्जागरा
80.	नखलेरा	106.	संघोल
81.	भाखड़ा	107.	सरधवार
82.	कल्तर	108.	सेरीबांगलू
83.	स्वाहन	109.	सिकाबारी सोजा
84.	हरनोरा	110.	तलेली
85.	बधु	111.	थोना
86.	दानेरदी	112.	करसई
87.	बेरी	113.	बागान
88.	बारो खरी	114.	बालूपधार
89.	चोलथारा	115.	बंदरोन
90.	धलारा	116.	भूट्टी
91.	दरूब्बल	117.	भरैन
92.	दुर्गापुर	118.	हलन
93.	गददीधार	119.	पंगन
94.	हनोगी	120.	शिआ
95.	जयदेवी	121.	जीभी
96.	जस्सल	122.	शनांग
97.	करकोह	123.	पीज
98.	कुफरी	124.	थल्टीबीड

[अनुवाद]

पेंशन भोगियों के लिए निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं

1534. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंशन भोगियों को दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर अग्रिम भुगतान किए बिना निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेंशन भोगियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजधानी में निजी अस्पतालों का नाम और बीमारियों इत्यादि का नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए ली जाने वाली राशि का भी निर्धारण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य जांच के लिए निजी अस्पतालों में ऋण सुविधाएं देने की अनुमति दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या दिशा निर्देश दिए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पतालों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में विशेषज्ञता उपचार/नैदानिक जांच का लाभ उठाने और सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित कार्यालय से और पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों के नाम और विभिन्न प्रक्रियाओं/जांचों/परीक्षणों के लिए अधिकतम दरों से संबंधित ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग के 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित है जिसे पहले ही भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 में दिए गए हैं जो विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

फा.सं : आरईसी–24/2001/जेडी(एम)/सीजीएचएस/दिल्ली/सीजीएचएस(पी)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 7 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य हेतु उपचार और नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए मान्यता देना तथा पैकेज/उच्चतम दर नियत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों को नए सिरे से मान्यता देने तथा पैकेज/उच्चतम दर नियत करने का मुद्दा कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध–क और ख पर संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न विशिष्टताओं हेतु अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी जाए।

2. (क) पैकेज दर को भर्ती रोगियों के उपचार अथवा नैदानिक प्रक्रिया जिसके लिए किसी रोगी को सक्षम प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना से अस्पताल अथवा नैदानिक केन्द्र में रैफर किया गया हो, की एकमुश्त लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें प्रवेश शुल्कों, निवास शुल्कों, आईसीयू/आईसीसीयू शुल्कों, मानिटरिंग शुल्कों, आरेशन शुल्कों, संवेदनाहरण शुल्कों, आपरेशन थिएटर शुल्कों, प्रक्रिया संबंधी शुल्कों/सर्जन की फीस, डिस्पोजेबल की लागत, सर्जरी के शुल्कों और अस्पताल में भर्ती के दौरान प्रयोग में आई दवाओं की लागत, संबंधित नेमी जांचों, फिजियोथिरेपी शुल्कों आदि सहित किसी खास उपचार/प्रक्रिया में लाने वाले सभी शुल्क शामिल हैं।

(ख) पैकेज दर में भोजन, टेलिफोन शुल्क, टी. वी. शुल्क और मास मीडिया में विज्ञापित कॉस्मेटिक, प्रसाधन सामग्री (ट्वायलेट्री) टॉनिक तथा दवाइयों की लागत शामिल नहीं हैं। इनकी लागत, यदि ये रोगी के अनुरोध पर उसे दी गई हों, उसी रोगी से ली जाएंगी और ये पैकेज दरों में शामिल नहीं की जाएंगी।

(ग) मान्यताप्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र लाभार्थियों से पैकेज दर से अधिक शुल्क नहीं लेंगे।

3. पैकेज दरें अंतरंग उपचार की अवधि के निम्न प्रकार से वर्णित हैं :

- विशिष्टता वाली प्रक्रिया के लिए 12 दिन
- अन्य प्रक्रियाओं के लिए 7–8 दिन
- लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 3 दिन
- दैनिक परिचर्या/छोटी प्रक्रियाओं (बहिरंग रोगी विभाग) के लिए 1 दिन

4. तथापि, यदि लाभार्थी को अस्पताल में पैकेज दर में कवर की गई अवधि से अधिक समय तक अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु रुकना है, तो और रुकने हेतु अतिरिक्त प्रतिपूर्ति केवल पात्रतानुसार कमरे का शुल्क, नुस्खा लिखी दवाइयों और जांचों, डाक्टर की विजिट (प्रतिदिन दो बार से अधिक नहीं) तक ही सीमित रहेगी।

5. (क) अंतरंग उपचार हेतु पात्रता निम्न प्रकार से होगी :

(i) 7500/– रुपये तक मूल वेतन – सामान्य वार्ड

(ii) 7501 से 10500/– रुपये मूल वेतन – अर्ध निजी वार्ड

(iii) 10501/– रुपये और अधिक मूल वेतन – निजी वार्ड

(ख) और (ग) आगे वह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से पूर्व अनुमति लेकर ऊपर उल्लिखित अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी अनुबंध–ख पर दी गई पैकेज दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। संलग्न उपाबंध में उल्लिखित अंतरंग उपचार हेतु दरें अर्ध निजी वर्ग के लिए हैं। निजी वार्ड के लिए 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी और सामान्य वार्ड के लिए 10 प्रतिशत की कमी होगी।

(घ) इंप्लाट की प्रतिपूर्ति, उन मदों को छोड़कर जहां अधिकतम सीमा परिभाषित है, वास्तविक लागत के अनुसार की जाएगी।

6. कोई निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र जिनकी दरें किसी प्रक्रिया/जांच सुविधा हेतु अनुमोदित दरों से कम हैं, लाभार्थियों से वास्तविक शुल्क लेगा।

7. (क) उन जांचों और उपचार प्रक्रियाओं के लिए जिनके लिए भर्ती होना अपेक्षित नहीं हैं, दरें वर्गों हेतु समान होंगी।

(ख) विभिन्न वर्गों के लिए कमरे का अधिकतम किराया इस प्रकार होगा :

सामान्य	500/– रुपये प्रतिदिन
अर्ध निजी	1000/– रुपये प्रतिदिन
निजी	1500/– रुपये प्रतिदिन
दैनिक परिचर्या	(6–8 घन्टे की भर्ती हेतु) 500/– रुपये प्रतिदिन (सभी वर्गों के लिए एक समान)

8. लाभार्थी के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

औषधालय के प्रभारी/मुख्य–चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रक्रिया/जांच की संस्तुति करने के बाद उनकी पसंद के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में विशिष्टता वाले उपचार लेने/नैदानिक जांचें करवाने का विकल्प होगा।

9. गैर–आपाती मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति के आधार पर इस के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में उपचार लेने हेतु चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

10. वैध अनुमति प्रस्तुत करने पर मान्यता प्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र निम्नलिखित को क्रेडिट सुविधा प्रदान करेंगे।

- स्वतंत्रता सैनानी, अथवा
- पूर्व संसद सदस्य अथवा
- पूर्व राज्यपाल/भारत के पूर्व राष्ट्रपति/पूर्व प्रधान मंत्री अथवा
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी
- वैध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारी सिविल आकलन से पेंशन लेने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनर (और अन्य आश्रित) मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र ऊपर उल्लिखित।

लाभार्थियों से संबंधित बिलों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंधित अपर निदेशक के कार्यालय को महीने में एक बार सीधे ही प्रस्तुत करेंगे जो बिल की प्रस्तुति के 60 दिनों के भीतर दावों का निपटान करेंगे।

11. आपात स्थिति में मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में भर्ती हेतु मना नहीं करेंगे अथवा लाभार्थी से अग्रिम की मांग नहीं करेंगे और वैध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्रस्तुत करने पर संबंधित रोगी को क्रेडिट सुविधा प्रदान करेंगे। मान्यता प्राप्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल/नैदानिक केन्द्र संबंधित विभाग/अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अनुमोदित दर की उच्चतम सीमा तक होने पर प्रतिपूर्ति हेतु बिल प्रस्तुत करेंगे जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय द्वारा भुगतान किया जाता है।

12. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कवर कार्यरत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों और संसद सदस्यों के मामले में प्रतिपूर्ति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा की जाएगी।

13. मान्यता प्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र मानक स्तर की दवाइयां और उपभोज्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के माध्यम से नहीं खरीदवाएंगे।

14. यदि एक या अधिक छोटी प्रक्रियाएं बड़ी उपचार प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती हैं तो पैकेज शुल्क बड़ी प्रक्रियाओं के लिए जाएंगे। छोटी प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित शुल्कों का केवल आधा ही प्रथम बड़ी प्रक्रिया के पैकेज शुल्कों में जोड़ा जाएगा।

15. ऐसी सेवाओं से संबंधित किसी भी कानूनी दायित्व पर अस्पताल/नैदानिक केन्द्र द्वारा कार्रवाई की जाएगी और केवल वही जिम्मेदार होगा।

16. यह संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) डायरी संख्या 4232, दिनांक 2.7.2001 द्वारा वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

17. यह अस्पतालों/नैदानिकों केन्द्रों को मान्यता देने और दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा के ,केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों के लिए विशिष्टता वाले और सामान्य उपचार/नैदानिक जांचों हेतु दरों से संबंधित पूर्व के सभी आदेशों को अधिक्रान्त करेगा।

18. मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के दावों को निपटाते समय संबंधित प्राधिकारी मान्यता देने और दरों के बारे में निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ इनके द्वारा किए गए करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि का पता करेंगे।

हस्ता./–

(बी.बी.भट्टाचार्जी)

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-क

1. माता चानना देवी हास्पिटल सी–1, जनकपुरी, नई दिल्ली

   सामान्य प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन और डायलिसिज, नान इन्वेसिव कार्डियक क्रियाविधि, नैदानिक कार्डियक सर्जरी को छोड़कर

2. महाराजा अग्रसेन हास्पिटल रोड नं.–35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–26

   सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन, डायलिसिज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉन इन्वेसिव कार्डियक क्रियाविधि आदि (नैदानिक कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)

3. राजीव गांधी कैंसर और रिसर्च सेन्टर सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली

   विशिष्ट प्रयोजन–कैंसर और कैंसर कैयोथिरेपी रेडियोथिरेपी

4. तीर्थ राम शाह हास्पिटल नियर तीस हजारी, बैटरी लेन, दिल्ली

   सामान्य प्रयोजन और नैदानिक।

5. संत परमानन्द हास्पिटल 18, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

   सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन, नैदानिक कार्डियक सर्जरी को छोड़कर

6. जीवन माला हास्पिटल 67/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–5

   सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन, नैदानिक कार्डियक सर्जरी को छोड़कर

7. मोहन आई इंस्टीट्यूट 11–बी, गंगा राम हास्पिटल मार्ग, नई दिल्ली

   विशिष्ट प्रयोजन–नेत्र चिकित्सा

8. केसर हास्पिटल एएच–11, शालीमार बाग, दिल्ली

   विशिष्ट प्रयोजन न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी (लैप्रोसकोपिक)

9. इंडियन स्पाइनल इंजरी सेन्टर 50–सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली

   विशिष्ट और नैदानिक (स्पाइनल चोटें, स्पाइन से संबद्ध रोग और फिजियोथिरेपी)

10. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, नई दिल्ली–17

    जिगर, रीनल और पाचक रोगों के लिए विशिष्ट प्रयोजन

11. आर.जी.स्टोन यूरोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एफ–7, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली

    लिथोट्रिप्सी

12. मलहोत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर 14, रिंग रोड, लाजपत नगर–IV, नई दिल्ली

    विशिष्ट प्रयोजन–कार्डियोलाजी, कार्डियक और वास्कुलर सर्जरी और संबद्ध नैदानिक

13. नार्थ प्वाइंट हास्पिटल (पी) लिमि. एस–357, पंचशील पार्क, नई दिल्ली

    लिथोट्रिप्सी

14. श्री राम सिंह हास्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट बी–25–26–26–ए, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली

    केवल सामान्य प्रयोजन

15. कल्याणी हास्पिटल (पी) लिमि., 354/2, महरौली रोड, गुड़गांव

    सामान्य प्रयोजन और नैदानिक

16. डा. तनेजा हास्पिटल एंड हार्ट सेन्टर, 113–ए, नई कालोनी, गुड़गांव

    सामान्य प्रयोजन और नैदानिक

17. नरेन्द्र मोहन हास्पिटल, मोहन नगर, गाजियाबाद

    नॉन इन्वेसिव कार्डियक क्रियाविधि और नैदानिक सहित सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)

18. संतोष मेडिकल एंड डेंटल कालेज हास्पिटल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद

    सामान्य प्रयोजन और नैदानिक

19. यशोदा हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, III–एम; नेहरू नगर, गाजियाबाद

    सामान्य प्रयोजन और नैदानिक

20. मेट्रो हास्पिटल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट, X–1, सेक्टर–12, सी–94, सेक्टर–11, नोएडा

    सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन–कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक क्रियाविधियां

21. कैलाश हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एच–33, सेक्टर–27, नोएडा

    सामान्य प्रयोजन और नैदानिक नान इन्वेसिव कार्डियक क्रियाविधि

22. नोएडा मेडीकेयर सेन्टर, 16–सी, ब्लाक–ई, सेक्टर–30, नोएडा

    सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इन्वेसिव कार्डियक क्रियाविधि

23. सत्या मेडिकल सेंटर, ए–98/ए, सेक्टर 34, नोएडा

    केवल सामान्य प्रयोजन

24. फरीदाबाद सी टी स्कैन सेंटर, नीलम चौक, फरीदाबाद

    सी टी

अनुबंध-ख

1. नेशनल सी टी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेन्टर 17, एन डब्ल्यू ए, क्लब रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

    कन्वेंशनल रेडियोलाजी, सी टी एंड लैब

2. सरल एडवान्सड डायग्नोस्टिक (पी) लिमिटेड ई–1073, सरस्वती विहार, प्रीतम पुरा एंड 2, शक्ति विहार, प्रीतमपुरा, दिल्ली

    कन्वेंशनल रेडियोलाजी, यू एस जी, सी टी, एम आर आई एंड लैब

3. जनता एक्सरे क्लिनिक, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली–18

    कन्वेंशनल रेडियोलाजी, सी टी, एम आर आई, माम्मोग्राफी, यू एस जी एंड कलर डोप्लर एंड लैब

4. सी टी एक्सरे एंड स्कैन सेंटर, 4बी/7, तिलक नगर, नई दिल्ली

    कन्वेंशनल रेडियोलाजी, सी टी, माम्मोग्राफी, यू एस जी एंड कलर डोप्लर एंड लैब

5. नई दिल्ली स्कैन इंस्टीट्यूट (सर गंगाराम अस्पताल), राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

    सी टी

6. नार्थ एम आर स्कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट (सर गंगाराम अस्पताल), राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

    एम आर आई

7. महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेंनसिटामट्री सेन्टर (सर गंगाराम अस्पताल), राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

    न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेंनासिटामट्री

8. सी डी डायग्नोस्टिक (सुन्दर लाल जैन अस्पताल), अशोक विहार फेस–III, दिल्ली

    सी टी

9. मैट्रो हैल्थ केयर सेन्टर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के पास, बैट्री लेन, नई दिल्ली

    सी टी

10. सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक सेन्टर, सिद्धार्थ कैट स्कैन स्पेशलिटी, 2169, शादी खाम पुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली

    यू एस जी, सी टी एंड लैब

11. शालीमार डायग्नोस्टिक सेन्टर, ए डी–130 ए शालीमार बाग, दिल्ली

कन्वेंशनल रेडियोलाजी एंड लैब

12. डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रासाउंड सेन्टर, 23 बी पूसा रोड, नई दिल्ली

कन्वेंशनल रेडियोलाजी, माम्मोग्राफी एंड यू एस जी।

13. जी एम आर इंस्टीट्यूट आफ इमेजिंग एंड रिसर्च सेन्टर, 35 बी पूसा रोड, नई दिल्ली

सी टी एंड एम आर आई

14. नार्थ दिल्ली पाथ क्लिनिक, कमला नगर, 56 ए कमला नगर, दिल्ली

लैब

15. डा. लाल पाथ लैब, प्रा. लिमि. एसकी होम, 54 हनुमान रोड, नई दिल्ली

लैब

16. दीवानचन्द सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेन्टर, 10 बी कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

आल रेडियोलाजीकल इनवेस्टीगेशन एंड न्यूक्लियर मेडिसन

17. मिलेनीयम बोन डेंनसिटामेट्री एंड ओस्टी ओप्रोरोसिस रिसर्च सेन्टर 47, पूसा रोड, नई दिल्ली

बोन डेंसिटामेट्री

18. स्पेशलिटी रैनबेक्सी लिमि. मार्फत इंडियन स्पाइनल इंजूरीस सेन्टर, सेक्टर–सी, वसन्त कुंज, नई दिल्ली

लैब

19. मैक मेडिकल सेन्टर 110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली–17

कन्वेंशनल रेडियोलाजी, सी टी, एम आर आई मैम्मोग्राफी, यू एस जी, इको होल्टर, पी एफ टी, आडियोमेट्री एंड स्पीच थिरेपी

20. जी.एम.आर. इंस्टिट्यूट एंड एम आर आई स्कैन सेंटर, ए–13 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली

एम आर आई

21. आरगेन एमेजिंग रिसर्च सेंटर, ए–22 ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली

सी टी एंड एम आर आई

22. डा. पी. भसीन पाथ लैब, एस–13 ग्रैटर कैलाश, पार्ट–I, नई दिल्ली

लैब

23. एन एम सी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर (विमहान्स कैम्पस) 1 इंस्टिट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली

सी टी, एम आर आई, कनवेंशनल रेडियोलाजी, यू एस जी, लैब

24. कोलपंथ इमेजिंग सेंटर ए–22 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली

यू एस जी और मैम्मोग्राफी

25. दिल्ली एम आर एंड सी टी स्कैन सेंटर (असलोक अस्पताल), 25 ए/ए बी एस जे एन्क्लेव, नई दिल्ली

एम आर आई, सी टी एंड यू एस जी

26. वसन्त विजन एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, एफ 9/4 वसन्त विहार, नई दिल्ली

कनवेंशनल रेडियोलाजी एंड यू एस जी

27. मजीदिया अस्पताल, जामिया हमदर्द नगर, नई दिल्ली

डायग्नोस्टिक, कनवेंशनल रेडियोलाजी एंड लैब

28. डा. सविता जैन अरुण इमेजिंग सेंटर डी–29, विवेक विहार, दिल्ली

कनवेंशनल रेडियोलाजी, यू एस जी एंड मैम्मोग्राफी

29. डा. आनन्द इमेजिंग एंड न्यूरोलाजीकल सेंटर, एफ–24, प्रीत विहार, दिल्ली

कनवेंशनल रेडियोलाजी, सी टी और एम आर आई

30. मार्डन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, 363/4, जवाहर नगर, नई रेलवे रोड, गुड़गांव

कनवेंशनल रेडियोलाजी, सी टी एंड लैब

31. नोएडा डायग्नोस्टिक सेंटर, डी–4, सेक्टर–20 नोएडा

कनवेंशनल रेडियोलाजी एंड लैब

अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा में महानगर टेलीफोन निगम लि. के प्रवेश पर रोक

1535. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा में प्रवेश पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के कदम का इन दो निगमों के मूल्यन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि विदेश संचार निगम लि. (वीएसएनएल) का प्रबंध नियंत्रण महत्वपूर्ण हिस्सेदार को अंतरित होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) "सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त ग्राहक" के तौर पर अपनी–अपनी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) कॉलों को वीएसएनएल के माध्यम से भेजेंगे जिसके लिए बाजार दरें लागू होंगी। यह व्यवस्था, आई एल डी पर वीएसएनएल के एकाधिकार को दो वर्ष पहले समाप्त करने के लिए किसी भी किस्म के दावे के अंतिम और पूर्ण समाधान के रूप में की गई थी। तथापि, बीएसएनएल/एमटीएनएल अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय आईएलडी क्षेत्र में प्रवेश हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग

1536. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीदर–रंगपट्टन, जेवार्गी–संकेश्वर और कलाला–रायचूर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार का अनुरोध गत तीन वर्षों से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विधिवत् विचार किया गया था किंतु यातायात की आवश्यकता, ऐसे सभी प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

धोदार अली रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

1537. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के धोदार अली रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार–विमर्श के अगले दौर में विचार किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी निवेश

1538. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता

1539. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता राशि कितनी है और इन संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिनके विकास पर यह राशि खर्च की जाएगी; और

(घ) 31 जनवरी, 2002 तक विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ली गई सहायता/ऋण राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए समय–समय पर विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता लेती है। इस समय सरकार ने पश्चिम बंगाल में रा. रा. 34 पर पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 210 गिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण के लिए समझौता वार्ता की है। उत्तर प्रदेश में रा.रा. 2 पर इलाहाबाद बाइपास के निर्माण के लिए विश्व बैंक के साथ लगभग 170 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए भी समझौता वार्ता करने का प्रस्ताव है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन)	ऋण अवधि	सम्मिलित राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (2534–इंड)	विश्व बैंक	200.00 अमरीकी डालर	1986–1993	गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिल–नाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (2365–इन/3470–इन)	विश्व बैंक	306.00 अमरीकी डालर	1992–2001	पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र
3.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ऋण सं. 4559–इन	विश्व बैंक	516.00 अमरीकी डालर	2000–2006	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड

1	2	3	4	5	6
4.	ग्रांट ट्रंक सुधार परियोजना ऋण सं. 4622–इन	विश्व बैंक	589.00 अमरीकी डालर	2001–2006	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
5.	प्रथम सड़क सुधार परियोजना ऋण सं. 918–इंड	एशियाई विकास बैंक	172.86 अमरीकी डालर	1988–1998	हरियाणा, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश
6.	द्वितीय सड़क परियोजना ऋण सं. 1041–इंड	एशियाई विकास बैंक	250.00 अमरीकी डालर	1991–1999	कर्नाटक, केरल व राजस्थान
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ऋण सं. 1274–इंड	एशियाई विकास बैंक	245.00 अमरीकी डालर	1995–2002	हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश
8.	सूरत–मनौर टालवे परियोजना ऋण सं. 1747–इंड	एशियाई विकास बैंक	180.00 अमरीकी डालर	2000–2003	गुजरात व महाराष्ट्र
9	पश्चिमी परिवहन महामार्ग परियोजना ऋण सं. 1839–इंड	एशियाई विकास बैंक	240.00 अमरीकी डालर	2001–2005	कर्नाटक
10.	आई डी पी–81 रा.रा.–2 मथुरा आगरा	जेबीआईसी	3957.76 जापानी येन	1992–2000	उत्तर प्रदेश
11.	आई डी पी–91 नैनी पुल	जेबीआईसी	10037.00 जापानी येन	1994–2001	उत्तर प्रदेश
12.	आई डी पी–92 आंध्र प्रदेश में रा.रा.–5 सुधार परियोजना	जेबीआईसी	11360.00 जापानी येन	1994–2001	आंध्र प्रदेश
13.	आई डी पी–100 उड़ीसा में रा.रा.–5 सुधार परियोजना	जेबीआईसी	5836.00 जापानी येन	1995–2002	उड़ीसा
14.	आई डी पी–101 उत्तर प्रदेश में रा.रा.–24 सुधार परियोजना	जेबीआईसी	4827.00 जापानी येन	1995–2002	उत्तर प्रदेश

जेबीआईसी – जापान बैंक और इंटरनेशनल कोऑपरेशन

दक्षेस क्षेत्र और मध्य एशिया में अमरीकी सैनिक अड्डे

1540. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका मध्य एशिया और दक्षेस क्षेत्र में स्थायी सैनिक अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस परिदृश्य में राष्ट्रीय हित में कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) संयुक्त राज्य ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जारी 'आपरेशन एन्डयोरिंग फ्रीडम' के प्रचालन के लिए सैन्य बल नियुक्त किया है जिसे अफगानिस्तान में तालिबान शासन और अल–कायदा आतंकवादी तंत्र के विरुद्ध अक्तूबर, 2001 में आरम्भ किया गया था। संयुक्त राज्य ने सार्वजनिक रूप

से कहा है कि वह इन क्षेत्रों में स्थायी सैन्य उपस्थिति नहीं रखना चाहता है।

(ख) और (ग) सरकार भारत के विस्तारित पड़ोस में होने वाले सभी सैन्य घटनाक्रमों के प्रति पूर्णतः सतर्क है और अपनी नीतियों व कार्य पद्धति का निर्धारण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर इन घटनाक्रमों के प्रभाव को ध्यान में रखकर करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम की गतिविधियों का विविधिकरण

1541. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में, भारतीय नौवहन निगम किस राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने पोत–परिवहन व्यवसाय का संचालन कर रहा है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम का अपनी गतिविधियों के विविधिकरण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) इस समय बल्क कैरियर/टैंकर/लाइनर/विशिष्ट जलयानों/अपतटीय सेवाओं और पोत प्रबंधन सेवाओं का प्रचालन करता है।

राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भा.नौ.नि. मुख्य भूमि और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के बीच यात्री एवं कार्गो सेवा तथा साथ ही साथ इन क्षेत्रों में अंतरद्वीपीय सेवाओं का भी प्रचालन कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। भा.नौ.नि. एल पी जी कैरियर, अपतटीय आपूर्ति जलयान, रसायन कैरियर आदि जैसे नए क्षेत्रों में विविधीकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भा.नौ.नि. ने सैंडहैड में एक फ्लोटिंग स्टोरेज तथा ऑफलोडिंग यूनिट की संस्थापना और प्रचालन करने के लिए भारतीय तेल निगम की निविदा हेतु एक विदेशी सहभागी के साथ संयुक्त रूप से बोली लगाई है तथा भा.नौ.नि. की एल एन जी कैरियरों का अधिग्रहण और प्रचालन करने के लिए और अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भी योजना है।

[हिन्दी]

शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता

1542. कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी सदस्यता के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस संगठन में सदस्य देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संगठन के उद्देश्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) चीन, रूस, कज़ाकस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकस्तान और उजबेकिस्तान।

(घ) एस सी ओ के उद्देश्य हैं :

राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के अतिरिक्त क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थायित्व, आतंकवाद का सामना और आतंकवाद, विरोधी एक क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना करना।

[अनुवाद]

प्रयोगशालाओं की स्थिति

1543. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जीवाणु आदि का परीक्षण करने हेतु स्थापित अनेक प्रयोगशालाएं देश में सरकारी अस्पतालों में त्वरित और समुचित विश्लेषण करने हेतु उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौर क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की प्रयोगशालाएं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से नीचे स्तर पर कार्य कर रही हैं और ये सही और शीघ्र परिणाम देने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दसवीं योजना के तहत विशेष घटक योजना और आदिवासी उप योजना हेतु धनराशि

1544. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वरूप/क्षेत्र और लक्षित समूह का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चल रही योजनाओं के अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष घटक योजना और आदिवासी उप योजना के तहत कौन सी नई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं;

(ख) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग से दसवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि की मांग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्या लाभ और लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव तथा मोटरयान अधिनियम/केंद्रीय मोटरयान नियमावली तैयार करने के लिए ही जिम्मेदार है। इस तरह विशेष घटक योजना और आदिवासी उप योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक लाभ के लिए कोई स्कीम/कार्यक्रम इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

[हिन्दी]

सहायकों की पदोन्नति

1545. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय–सेवा–नियमावली के नियम 13 (7) के अंतर्गत दीर्घ अवधि वाली नियुक्ति को अनुमोदित लगातार सेवा मानकर सहायकों को सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी–पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सहायकों के नाम पर वरीयता कोटे के माध्यम से अनुभाग अधिकारी–पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार, नियम 13 (7) के अंतर्गत सहायकों को लगातार सेवा की तिथि से चयन–सूची में डालने का प्रस्ताव रखती है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सहायकों के संवर्ग में दीर्घकालिक सेवा की अवधारणा, सरकार ने वर्ष, 1988 में समाप्त कर दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में प्राप्त लक्ष्य

1546. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई कार्यनीति थी–राजकोषीय प्रोत्साहन, क्रेडिट का सरल प्रवाह, विपणन सहायता, 25 लाख रु. तक के संपार्श्विकता मुक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण और सुधरी हुई आधारभूत संरचना प्रदान करने के उपायों के पैकेज के माध्यम से लघु उद्योगों का सुदृढ़ीकरण और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू एवं विश्वव्यापी दोनों तौर पर बढ़ाना।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र ने सतत वृद्धि दर्शायी है। लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 1996–97 में 28.03 लाख से 2001–02 में 35.13 लाख तक बढ़ने की आशा है। इनके उत्पादन का मूल्य 1996–97 में 3,29,935 करोड से 2001–02 में 4,86,486 करोड़ तक बढ़ने की आशा है। नौवीं योजना हेतु 184 लाख वैयक्तिकों का रोज़गार लक्ष्य 2000–01 में स्वयं ही बढ़ गया था।

विटामिन ए की कमी

1547. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्र विकारों से ग्रसित लोगों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार चीनी को विटामिन ए से युक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद ने नेत्र विकार से ग्रस्त लोगों के भोजन को संतुलित करने के लिए चीनी को विटामिन "ए" युक्त करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बच्चों, विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उक्त प्रकार की चीनी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में लक्षित जनसंख्या पर विटामिन ए युक्त चीनी के प्रभावों पर प्रायोगिक अध्ययन की प्रगति को देखने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

उक्त दल को सिफारिशों के अनुसरण में विटामिन ए युक्त चीनी के उत्पादन के लिए शक्कर विकास निधि की वित्तीय सहायता से शिरपुर, महाराष्ट्र में विटामिन ए युक्त चीनी के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है।

इस संयंत्र ने 2000–2001 में विटामिन ए युक्त 5 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। इस चीनी की प्रभावकारिता का अभी परीक्षण नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने विटामिन ए युक्त चीनी की राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सिफारिश नहीं की है।

स्वास्थ्य परिचर्या योजना

1548. श्री मंजय लाल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में लागू हो रही केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजना की जानकारी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजना की जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई और वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राज्य की क्या उपलब्धि रही?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, एड्स और कुष्ठ रोग जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित कर रही है।

(ख) से (घ) इन कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के भाग के रूप में गहन जन जागरूकता कार्यकलाप, नियमित रूप से किए जा रहे हैं जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, ग्रामीण लोक संगीत मीडिया के जरिए लोक मीडिया और परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों आदि का उपयोग किया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों एवं वर्ष 2001-2002 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-I एवं II पर है।

विवरण-I

13.3.2002 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1548 के उत्तर में उल्लिखित विवरण
2001-02 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त प्लान निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रा.म.रो.का.	रा.दृ.नि.का.	रा.ए.नि.का.	रा.क्ष.नि.का.	रा.कु.उ.का.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	249.00	776.25	850.00	714.95	223.83	2814.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	486.93	28.65	124.50	24.14	62.09	726.31
3.	असम	1983.27	57.50	415.15	314.19	153.85	2923.96
4.	बिहार	357.37	12.00	809.50	524.77	663.94	2367.58
5.	छत्तीसगढ़	570.71	108.25	129.50	45.92	378.34	1232.72
6.	झारखंड	561.28	17.65	156.00	40.71	356.23	1131.87
7.	गोवा	6.08	8.35	99.00	1.34	11.52	126.29
8.	गुजरात	92.70	77.00	508.30	1403.19	61.97	2143.16
9.	हरियाणा	18.43	89.50	266.00	202.70	61.94	638.57
10.	हिमाचल प्रदेश	2.20	17.00	308.50	176.56	49.69	553.95
11.	जम्मू एवं कश्मीर	22.96	49.25	244.50	14.65	100.55	431.91
12.	कर्नाटक	291.34	229.20	785.15	667.75	196.05	2169.49
13.	केरल	39.24	86.75	368.00	968.93	74.61	1537.53
14.	मध्य प्रदेश	788.25	438.75	780.50	244.42	395.32	2647.24
15.	महाराष्ट्र	468.50	682.25	1135.65	1433.45	426.99	4146.84

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	358.91	36.15	356.50	242.49	71.02	1065.07
17.	मेघालय	381.41	14.00	65.50	4.99	46.94	512.84
18.	मिजोरम	433.94	25.30	210.50	1.91	60.51	732.16
19.	नागालैंड	346.91	47.15	464.50	3.50	87.72	949.78
20.	उड़ीसा	557.34	267.50	200.00	358.13	540.77	1923.74
21.	पंजाब	49.38	33.60	171.50	88.42	32.30	375.20
22.	राजस्थान	397.56	769.50	317.50	1574.78	123.07	3182.41
23.	सिक्किम	0.11	5.60	79.50	1.12	34.87	121.20
24.	तमिलनाडु	99.77	1199.75	1455.95	1888.73	413.04	5057.24
25.	त्रिपुरा	542.45	53.65	79.50	7.65	46.47	729.72
26.	उत्तरांचल	23.64	81.25	98.00	24.67	129.01	356.57
27.	उत्तर प्रदेश	540.44	600.50	1465.65	836.10	1282.90	4725.59
28.	प. बंगाल	464.88	94.90	967.00	1449.12	574.26	3550.16
29.	पांडिचेरी	13.43	5.75	54.00	26.46	2.00	101.64
30.	दिल्ली	97.57	8.00	334.00	310.85	47.56	797.98
31.	अंडमान व निकोबार	226.84	8.10	95.50	0.47	19.30	350.21
32.	चण्डीगढ़	41.06	8.00	152.65	1.34	6.00	209.05
33.	दादरा व नगर हवेली	40.67	5.80	26.00	0.33	7.00	79.80
34.	लक्षद्वीप	6.35	4.60	29.50	1.00	7.00	48.45
35.	दमन व दीव	16.08	4.50	31.00	0.27	27.90	79.75
	कुल	10577.00*	5951.95	13634.50	13600.00	6776.56	50540.01

रा.म.रो.का. – राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

रा.क्ष.नि.का. – राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

रा.दृ.नि.का. – राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

रा.कु.उ.का. – राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

रा.ए.नि.का. – राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

100.00 करोड़ रुपये के ईएसी घटक को छोड़कर

विवरण-II

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001	
	मलेरिया के लिए जांची गई जनसंख्या	पता लगाए गए तथा उपचार किए गए रोगी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	8033400	54356
अरुणाचल प्रदेश	296157	50331
असम	2295944	93336
बिहार	312232	3427
छत्तीसगढ़	3644181	251850
गोवा	277311	12331
गुजरात	7027000	84131
हरियाणा	2279998	1200
हिमाचल प्रदेश	523862	340
जम्मू एवं कश्मीर	334539	912
झारखंड	842628	122982
कर्नाटक	9217396	194250
केरल	1644543	2331
मध्य प्रदेश	8599687	180314
महाराष्ट्र	14001006	55784
मणिपुर	104378	943
मेघालय	222014	16066
मिजोरम	204492	9929
नागालैंड	52404	4602
उड़ीसा	3965378	427769
पंजाब	2750169	604
राजस्थान	6745197	129233
सिक्किम	10665	31
तमिलनाडु	6414264	28840
त्रिपुरा	280715	17761
उत्तरांचल	128485	1441
उत्तर प्रदेश	2810000	94045
प. बंगाल	2951458	128701
अंडमान व निकोबार	245632	925
चण्डीगढ़	78418	298
दादरा व नगर हवेली	35224	848
दमन व दीव	22709	87
दिल्ली	1073073	1484
लक्षद्वीप	1905	0
पांडिचेरी	308963	106
अखिल भारत	87735433	1971588

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 2001–2002 के दौरान लक्ष्य और किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशन (सर्जरी)

राज्य	(2001–2002)*	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3
विश्व बैंक परि. राज्य		
आन्ध्र प्रदेश	350000	297330
मध्य प्रदेश	240000	106601
छत्तीसगढ़	80000	24038
महाराष्ट्र	420000	388071
उड़ीसा	130000	60334

1	2	3
राजस्थान	220000	141224
तमिलनाडु	400000	257797
उत्तर प्रदेश	450000	251146
उत्तरांचल	100000	20257
उप योग	2390000	1546798
अन्य राज्य		
अरुणाचल प्रदेश	1000	265
असम	45000	12155
बिहार	140000	21476
झारखंड	70000	7699
दिल्ली	80000	16700
गोवा	7000	3611
गुजरात	400000	329278
हरियाणा	110000	58861
हिमाचल प्रदेश	16000	11455
जम्मू व कश्मीर	13000	8112
कर्नाटक	220000	127407
केरल	90000	43074
मणिपुर	2000	886
मेघालय	2000	421
मिजोरम	800	514
नागालैंड	500	250
पंजाब	160000	92055
सिक्किम	1000	286
त्रिपुरा	8000	6804
प. बंगाल	220000	187901
अण्डमान व निकोबार	500	372
चण्डीगढ़	5500	2409
दादरा व नगर हवेली	330	161
दमन व दीव	350	311
लक्षद्वीप	20	2
पांडिचेरी	7000	5827
अन्य	10000	3163
उप योग	1610000	941455
महा योग	4000000	2488253

2001–2002 की उपलब्धियां दिसम्बर, 2001 तक

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

2001–02 के दौरान पता लगाए रोगियों, उपचारित रोगियों और डिस्चार्ज रोगियों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	2001–2002					
		पता लगाए गए रोगी		उपचारित रोगी		डिस्चार्ज किए गए रोगी	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	15000	39411	15000	39411	43000	38235

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	80	79	80	79	200	111
3.	असम	800	1398	800	1398	3000	1677
4.	बिहार	18000	100262	18000	100262	75000	66090
5.	गोवा	50	239	50	239	470	336
6.	गुजरात	3000	8629	3000	8629	11000	8681
7.	हरियाणा	50	557	50	557	800	650
8.	हिमाचल प्रदेश	50	211	50	211	340	209
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50	544	50	544	1000	557
10.	कर्नाटक	8000	13425	8000	13425	14000	11770
11.	केरल	2500	1647	2500	1647	3500	1944
12.	मध्य प्रदेश	10000	14697	10000	14697	18000	13659
13.	महाराष्ट्र	16000	36076	16000	36076	35000	30318
14.	मणिपुर	80	114	80	114	250	163
15.	मेघालय	30	18	30	18	70	32
16.	मिजोरम	20	19	20	19	60	44
17.	नागालैंड	15	61	15	61	50	45
18.	उड़ीसा	18000	36889	18000	36889	36000	28162
19.	पंजाब	100	1088	100	1088	1450	955
20.	राजस्थान	1200	1485	1200	1485	5000	1296
21.	सिक्किम	20	47	20	47	50	41
22.	तमिलनाडु	15000	15728	15000	15728	43000	19376
23.	त्रिपुरा	20	70	20	70	160	78
24.	उत्तर प्रदेश	29000	87333	29000	87333	86500	57628
25.	प. बंगाल	18000	39073	18000	39073	30800	25551
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	20	53	20	53	100	56

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चंडीगढ़	20	213	20	213	300	175
28.	दादरा एवं नगर हवेली	20	183	20	183	160	136
29.	दमन व दीव	10	43	10	43	40	29
30.	दिल्ली	100	2614	100	2580	6600	2175
31.	लक्षद्वीप	10	13	10	13	15	15
32.	पांडिचेरी	100	398	100	398	600	405
33.	झारखंड	12000	38049	12000	38049	25000	24967
34.	छत्तीसगढ़	15000	23430	15000	23430	12000	14875
35.	उत्तरांचल	1000	2069	1000	2069	1500	1480
	योग	183345	466165	183345	466131	455015	351922

20–सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एन.टी.सी.पी. के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2001–02					
		थूक जांच			स्पूटम पाजिटिव के नए रोगियों का पता लगाना		
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	
			सं.	प्रतिशत		सं.	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	378,500	198,927	52.56	37,850	20,708	54.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	5,450	4,282	78.57	545	312	57.25
3.	असम	133,000	2,875	2.16	13,300	238	1.79
4.	बिहार	414,500	–	0.00	41,450	–	0.00
5.	छत्तीसगढ़	104,000	13,550	13.03	10,400	1,075	10.34
6.	गोवा	6,500	5,369	82.60	650	395	60.77
7.	गुजरात	253,000	145,481	57.50	25,300	26,074	103.06
8.	हरियाणा	105,500	73,187	69.37	10,550	7,619	72.22
9.	हिमाचल प्रदेश	30,400	35,727	117.52	3,040	0	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	50,500	70,592	139.79	5,050	2,978	58.97

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	134,500	4,527	3.37	13,450	655	4.87
12.	कर्नाटक	264,000	191,942	72.71	26,400	23,055	87.33
13.	केरल	159,000	16,949	10.66	15,900	1,142	7.18
14.	मध्य प्रदेश	302,000	216,149	71.57	30,200	21,157	70.06
15.	महाराष्ट्र	484,000	520,912	107.63	48,400	44,774	92.51
16.	मणिपुर	11,950	6,950	58.16	1,195	1,055	88.28
17.	मेघालय	11,500	2,953	25.68	1,150	479	41.65
18.	मिजोरम	4,450	1,871	42.04	445	232	52.13
19.	नागालैंड	9,950	871	8.75	995	237	23.82
20.	उड़ीसा	183,500	26,019	13.63	18,350	2,625	14.31
21.	पंजाब	121,000	96,133	79.45	12,100	7,114	58.79
22.	राजस्थान	282,500	52,120	18.45	28,250	9,572	33.88
23.	सिक्किम	2,750	6,087	221.35	275	455	165.45
24.	तमिलनाडु	310,500	164,428	52.96	31,050	10,601	34.14
25.	त्रिपुरा	15,950	9,682	60.70	1,595	676	42.38
26.	उत्तरांचल	42,350	44,037	103.98	4,235	3,023	71 38
27.	उत्तर प्रदेश	830,500	578,363	69.64	83,050	59,764	71.96
28.	प. बंगाल	401,000	24,202	6.04	40,100	2,395	5.97
29.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	1,800	3,169	176.06	180	182	101.11
30.	चण्डीगढ़	4,500	1,894	42.09	450	0	0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	1,100	595	54.09	110	60	54.55
32.	दमन व दीव	800	934	116.75	80	56	70.00
33.	दिल्ली	69,000	55,718	80.75	6,900	11,434	165.71
34.	लक्षद्वीप	300	169	56.33	30	1	3.33
35.	पांडिचेरी	4,850	12,937	266.74	485	1,143	235.67
	योग	5,135,100	2,588,601	50.41	513,510	261,286	50.88

अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2001 के नौ महीनों के लिए वर्ष 2001–02 की उपलब्धियां हैं।

एन.टी.सी.पी. : राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 2001–2002 में राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	एसटीडी क्लिनिकों की संख्या	टीआई परि. की संख्या	वीसीटीसी की संख्या	प्रमुख रक्त बैंकों की संख्या	जिला रक्त बैंकों की संख्या	जेडबीटीसी की संख्या	प्रहरी स्थलों की संख्या	सा.सा. के. की संख्या	एकत्र किए गए रक्त यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अण्डमान एवं निकोबार	3	3	3	1	1	1	4	0	2550
2.	आंध्र प्रदेश	28	103	30	21	40	12	13	1	158743
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	4	1	4	1	3	0	970
4.	असम	7	10	9	3	15	3	5	2	26639
5.	बिहार झारखंड सहित	21	1	15	9	42	9	12	0	57457
6.	चण्डीगढ़	3	6	3	2	1	1	3	0	48237
7.	दादरा व नगर हवेली	0	0	1	1	0	1	0		अनुपलब्ध
8.	दीव एवं दमन	0	0	1	1	0	0	2	0	अनुपलब्ध
9.	दिल्ली	11	10	7	2	14	5	9	2	137085
10.	गोवा	4	6	2	2	1	2	5	0	7760
11.	गुजरात	31	70	20	13	42	6	15	0	275020
12.	हरियाणा	11	9	6	4	14	4	7	0	81232
13.	हिमाचल प्रदेश	20	4	5	3	6	2	12	0	14539
14.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1	8	7	6	2	5	0	अलुपलब्ध
15.	कर्नाटक	34	18	33	13	39	9	18	4	249687
16.	केरल	24	35	14	14	21	5	6	0	129934
17.	लक्षद्वीप	1	0	1	0	1	3	0	0	अनुपलब्ध
18.	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित	50	10	20	9	39	10	24	0	57125
19.	महाराष्ट्र	34	46	33	30	41	7	34	1	326797
20.	मणिपुर	9	17	10	2		1	13	2	14762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	मेघालय	6	3	3	1	2	1	5	0	1729
22.	मिजोरम	8	8	5	4	1	0	6	0	8630
23.	नागालैंड	8	15	9	1	8	3	7	0	1126
24.	उड़ीसा	19	8	5	7	39	4	11	0	107005
25.	पांडिचेरी	5	1	1	2	1	1	4	1	5093
26.	पंजाब	7	6	6	12	25	3	7	0	88930
27.	राजस्थान	24	12	8	8	11	6	12	0	115124
28.	सिक्किम	2	3	2	1	1	1	3	0	999
29.	तमिलनाडु सीएच सहित	53	103	38	28	67	19	17	0	304097
30.	त्रिपुरा	3	8	2	6	1	0	3	0	10638
31.	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल सहित	44	16	20	22	47	13	27	0	156643
32.	पश्चिम बंगाल	30	37	10	15	61	9	15	0	73569

[हिन्दी]

रूस के उप प्रधान मंत्री की यात्रा

1549. श्री रामपाल सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2002 में रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी हां। रूसी परिसंघ की सरकार के तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री श्री इल्या क्लेबानोव व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के आठवें सत्र एवं सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के दूसरे सत्र के सिलसिले में 5 से 8 फरवरी, 2002 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए।

(ख) से (घ) इस यात्रा के दौरान श्री क्लेबानोव और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 7 फरवरी, 2002 को व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता की। श्री क्लेबानोव और रक्षामंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता की। इन दोनों बैठकों के बाद प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किए।

श्री क्लोबानोव ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी भेंट की। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री बृजेश मिश्र से भी मुलाकात की।

[अनुवाद]

लीबियाई दूत की यात्रा

1550. श्री ई. अहमद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबियाई नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के विशेष दूत ने जनवरी, 2002 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नल म्यूअय्यर गद्दाफी के विशेष दूत के रूप में श्री सालेम इब्राहिम सालेम जनवरी, 2002 में भारत की यात्रा पर आए। भारतीय नेताओं के साथ उनकी अन्योन्यक्रियाओं के दौरान उन्होंने 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुए हमलों की लिबिया द्वारा कड़ी निन्दा करने के बारे में अवगत कराया तथा कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति में कमी लाने के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध हैं।

केरल को विशेष सहायता

1551. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वर्तमान वित्तीय संकट को हल करने के लिए केरल की सरकार से विशेष सहायता की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2001–02 को अंतिम रूप देने से पहले निवेश हेतु 300 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके अतिरिक्त, राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2001–02 हेतु 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त एसएसआर आधारित मार्केट ऋण की मांग की थी। बाद में केरल सरकार ने राष्ट्रीय स्लम विकास स्कीम के निधिकरण के पैटर्न में 70 : 30 ऋण और अनुदान अनुपात के वर्तमान पैटर्न से 100 प्रतिशत अनुदान स्कीम के रूप में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया।

(ग) 3015 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना 2001–02 को अंतिम रूप देते समय पूंजी निवेश हेतु 300 करोड़ रुपये के अनुरोध पर भी विचार किया गया था। 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त एसएलआर आधारित मार्केट ऋण की मांग के संबंध में राज्य सरकार की मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के आधार पर केरल सरकार को वर्ष 2001–02 के लिए 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय स्लम विकास स्कीम के मामले में निधिकरण के पैटर्न में राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए नीति निर्णय के बाद ही परिवर्तन किया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1552. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत "अनुभाग अधिकारियों" के संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके क्रमशः 15 फीसदी, 7.5 फीसदी और 27 फीसदी के आरक्षण के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत "अनुभाग अधिकारियों" के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी थी;

(घ) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था.(आर.) के पैरा 5 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार यथास्थापित 2 जुलाई, 1997 को ऐसे पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्गों के कार्यरत लोगों की संख्या कितनी थी और ऐसे कुल पदों की तुलना में क्रमशः उनकी प्रतिशतता क्या थी; और

(ङ) वर्ष, 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां हुईं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्गों के लोगों से वर्ष–वार ऐसी कितनी रिक्तियां/पद भरे गए?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा का अनुभाग अधिकारी–ग्रेड, 33 संवर्ग–प्राधिकारियों में विकेन्द्रीकृत है तथा ऐसी कोई जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती/उपलब्ध नहीं है। फिर भी, संवर्ग–प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार, इस ग्रेड में 01.01.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 2362 है।

(ङ) वर्ष, 1999 की कुल रिक्तियां 47 थीं जिनमें से 35 रिक्तियां ही अनुसूचित जातियों के 02, अनुसूचित जनजातियों के 06, अन्य पिछड़े वर्गों के 05 और सामान्य श्रेणियों के 22 उम्मीदवारों की नियुक्ति करके भरी गईं। वर्ष, 2000 के दौरान 112 रिक्तियां थीं और उम्मीदवारों के नामांकन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वर्ष, 2001 की रिक्तियां अभी निश्चित की जानी हैं।

[हिन्दी]

पोलियो की तरह क्षयरोग का उन्मूलन

1553. श्री शिवाजी माने : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश से पोलियो की तरह क्षयरोग के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) क्षयरोग एक व्यापक रूप से फैली हुई बीमारी है। इस समय इसका उन्मूलन करना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। वर्तमान में क्षयरोग नियंत्रण के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की कार्यनीति कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत पहले 10 में से 4 रोगियों के मुकाबले अब 10 में से 8 रोगियों को रोगमुक्त किया जा रहा है अथवा उनका उपचार पूरा किया जा रहा है। आज की तारीख में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 450 मिलियन जनसंख्या को कवर करता है। सन् 2004 तक 800 मिलियन जनसंख्या को तथा 2005 तक सम्पूर्ण देश की जनसंख्या को कवर करना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा का सीमानिर्धारण

1554. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने सिक्किम सेक्टर से लगी सीमा पर स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के सर्वेक्षण कार्य के प्रथम चरण को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम में सीमा निर्धारित करने वाले उचित स्तम्भ के अभाव में दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण की आवश्यकता महसूस की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत–नेपाल सीमा के निर्धारण की संयुक्त तकनीकी समिति की 24वीं बैठक सितम्बर, 2001 को काठमाण्डू में हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो उस बैठक में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(च) क्या उस बैठक में उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सटी भारत–नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हुई थी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिक्किम क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा की सुपरिभाषित भौगोलिक विशेषता है अर्थात सिंगलीला रेंज की ओर का जल विभाजक। सीमा खम्भे उन्हीं स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां जल–विभाजक का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (ज) सीमा संरेखण की पहचान, सीमा आवरण रहित नक्शे बनाने तथा पूर्व से पश्चिम की दिशा में अनुवर्ती तरीके से सीमा खम्भों के पुनर्अंकन से जुड़े कार्यों को पूरा करने जैसे विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई और 2001–2002 के दौरान किए जाने वाले विभिन्न भारत–नेपाल सीमा कार्यों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल क्षेत्रों में भारत–नेपाल सीमा पर चल रही कार्य प्रगति पर है।

राजाबगाम डॉकयार्ड का पुनरुद्धार

1555. श्री समीक लाहिड़ी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सी आई डब्ल्यू टी सी के राजाबगाम डाकयार्ड का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी नहीं। सरकार ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) लि., कोलकात्ता के लिए एक पुनरुद्धार योजना को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें जनशक्ति सहित राजाबगाम डाकयार्ड (आर बी डी) को बन्द करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लिए गए निर्णय में निगम के कार्यकलापों को नदी सेवा प्रभाग पर केन्द्रित करने की परिकल्पना की गई है जोकि निगम को एक अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालक बनाने संबंधी मूल अधिदेश के अनुरूप है और यह कार्यकलापों के समग्र मूल्यांकन तथा इस कार्य के लिए लगाए गए परामर्शदाता की रिपोर्ट पर आधारित था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डब्ल्यू एल एल कनेक्शन

1556. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा वायरलेस इन लूप लाइन (डब्ल्यू एल एल) के अब तक कितने उपक्रम मुहैया कराए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र (छत्तीसगढ़ सहित) के ग्रामीण क्षेत्रों को दिसम्बर 2002 तक दूरभाष सेवाएं प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(ख) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि वर्तमान वर्ष में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएलएल उपकरण की क्रमशः 18,500 और 34,000 लाइनें प्रदान की जा चुकी हैं।

भारत का सेल्युलर बाजार

1557. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेल्युलर बाजार संतोषजनक रूप से विकसित नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में वायरलैस फोन के विस्तार के लिए बीएसएनएल द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीएसएनएल की वायरलैस इन लूप लाइन (डब्ल्यूएलएल) सेवा, सेलुलर सेवा मुहैया करने वाली कंपनियों को हतोत्साहित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी–99) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएम टीएस) प्रचालकों का एनटीपी–99 की राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में माइग्रेट होने के बाद, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा में व्यापक वृद्धि हुई है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने महत्वपूर्ण शहरों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों सहित समूचे देश में (मुंबई और दिल्ली को छोड़कर) दो चरणों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उन सभी जिला मुख्यालयों में प्रदान करने की योजना बनाई है जहां सरकार द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) के माध्यम से वायरलेस फोन प्रदान करने की योजना बनाई है। अब तक देश के शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) प्रणाली की 64,500 लाइनें तथा डब्ल्यूएलएल कोर–डक्ट प्रणाली की 16,750 लाइनें चालू की जा चुकी हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बीएसएनएल नेटवर्क में वायरलेस टेलीफोनों की 16.6 लाख लाइनें प्रदान करने की भी योजना है।

(घ) जी, नहीं। सीएमटीएस की वृद्धि काफी संतोषजनक है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

1558. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) इन दुर्घटनाओं के लिए सड़कों एवं वाहनों की खराब हालत कहां तक जिम्मेदार है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं एवं मृत्युओं को कम करने के लिए डा. पी. एस. पसरीचा समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1999	80206 (अनंतिम)	371850 (अनंतिम)
2000	76070 (अनंतिम)	393288 (अनंतिम)

(ख) मंत्रालय के आकलन के अनुसार, वर्ष 1998 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या के लगभग 1.1 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के लिए क्रमशः खराब सड़कें और वाहनों में यांत्रिक दोष जिम्मेदार थे।

(ग) इन दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए डा पी.एस. पसरीचा समिति द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :

(i) यातायात गंतव्य बोर्ड, यातायात पद्धति और सड़क ले–आउट का मानकीकरण।

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन/परिवर्तन।

(iii) यातायात शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना।

(iv) गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन और सड़क सुरक्षा प्रक्रिया के साथ उन्हें जोड़ना।

(v) प्रत्येक जिले/जिला क्षेत्र में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना।

(vi) ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था में सुधार।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक 50 कि.मी. ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना।

(viii) "अखिल भारतीय सड़क सुरक्षा अनुसंधान केंद्र" की स्थापना।

(ix) यातायात अपराध के लिए जुर्माने में वृद्धि।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाना।

(xi) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रत्येक 50 कि.मी. पर और राज्यीय राजमार्गों के किनारे प्रत्येक 100 कि.मी. पर यातायात सहायता चौकियों की स्थापना।

(xii) सड़कों से अतिक्रमण हटाना।

(xiii) ग्रामीण वाहनों पर परावर्तक लगाना।

(xiv) राजमार्ग सुविधाओं की व्यवस्था।

दूरभाष निर्देशिका

1559. डा. बलिराम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री 28 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 1621 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब एमटीएनएल दिल्ली के लिए नई दूरभाष निर्देशिका प्रकाशित करने जा रही है, तो अब तक वितरित न की गई उन निर्देशिकाओं के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिनके प्रकाशन पर पांच करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है;

(ख) क्या इस नुकसान से बचने के लिए पहले से प्रकाशित उन निर्देशिकाओं को खरीदने में उपभोक्ताओं की अभिरुचि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नवंबर 2001 के संसद प्रश्न सं. 1621 के उत्तर में यह बताया गया था कि 193334 मुख्य डायरेक्टरियां और 141329 अनुपूरक डायरेक्टरियां स्टॉक में थीं। अब 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार मुख्य डायरेक्टरियां घटकर 126390 और अनुपूरक डायरेक्टरियां घटकर 135505 रह गई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रति माह औसतन 22315 मुख्य डायरेक्टरियां और 1831 अनुपूरक डायरेक्टरियां जारी की जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं। उपभोक्ता को यह डायरेक्टरी निःशुल्क जारी की जाती है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय मछुआरे

1560. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी नौसैनिकों ने जखुआ, कच्छ जिलों के निकट हाल ही में मछली पकड़ने वाली आठ भारतीय नावों और 45 मछुआरों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी भारतीय नावें और मछुआरे पकड़े गए और पाकिस्तानी जेलों में कितने मछुआरे बंद हैं; और

(घ) नावों और मछुआरों को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) गुजरात राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 100 भारतीय मछुआरों और 17 नावों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके पश्चात 4 और 5 मार्च, 2002 को पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा अन्य 94 मछुआरों और 16 नावों को अपनी अभिरक्षा में लेने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्षों अर्थात 2000 और 2001 के दौरान 320 भारतीय मछुआरो और 53 नावों को अपनी गिरफ्त में लिया। इन सभी मछुआरों को उनकी नावों सहित भारत में नवम्बर–दिसम्बर, 2001 में मुक्त और प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

(घ) सरकार ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ हाल ही में पकड़े गए भारतीय

मछुआरों/नावों की मुक्ति और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को उठाया है।

टेलीफोनों की सघनता

1561. श्री रूपचन्द पाल :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश के प्रति एक लाख आबादी पर टेलीफोन की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार और पश्चिम बंगाल में हालात सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि देश के इन राज्यों में यह सबसे कम है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में टेलीफोन की संख्या का आंकड़ा 11.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे मूल आवश्यकता पूरी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो टेलीफोन संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में टेली–घनत्व का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल में टेली–घनत्व राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, किंतु दोनों ही राज्यों में टेली–घनत्व में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि टेली–घनत्व राज्यों में टेलीफोन की मांग पर निर्भर करता है और विभिन्न राज्यों में टेलीफोन की मांग निम्नलिखित कारणों से भिन्न–भिन्न है :

– राज्यों की आर्थिक स्थिति, अर्थात् प्रति व्यक्ति आय

– साक्षरता दर

– व्यापारिक और वाणिज्यिक हित

(ग) और (घ) टेलीफोन (स्थिर और मोबाइल दोनों) की मौजूदा 22 प्रतिशत वृद्धि दर से आगामी पांच वर्षों में टेली–घनत्व 11.5 प्रतिशत हो जाने की आशा है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की संभावना है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

प्रति एक लाख व्यक्तियों की दर से राज्य–वार टेलीफोन का घनत्व (टेलीफोनों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मार्च, 1998	मार्च, 1999	मार्च, 2000	मार्च, 2001
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	2290	4220	6340	8442
2.	आंध्र प्रदेश	1580	2110	2950	4056.5
3.	असम	630	820	1040	1330
4.	बिहार	410	510	630	865.6
5.	गुजरात	2740	3230	3960	5166.27
6.	हरियाणा	2230	2680	3240	4046.4
7.	हिमाचल प्रदेश	2860	3440	4250	5919.6
8.	जम्मू एवं कश्मीर	950	1110	1310	1723
9.	कर्नाटक	2420	2850	3510	4676.7
10.	केरल	3410	4230	5270	7636.3
11.	मध्य प्रदेश	1040	1200	1370	2011.33
12.	महाराष्ट्र	4240	3738	4900	7239.24
13.	पूर्वोत्तर	990	1250	1560	2078.78
14.	उड़ीसा	760	940	1108	1494.78
15.	पंजाब	3740	4490	5290	6771.3

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	1460	1760	2070	2471
17.	तमिलनाडु	3510	2710	4280	5904.58
18.	उत्तर प्रदेश	1010	820	1230	1653.58
19.	पश्चिम बंगाल	1610	1970	2330	2660.48
20.	दिल्ली	12070	12230	13020	17395
	कुल (औसत)	1840	2200	2660	3560

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादरा, दीव, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य में गोवा और मुम्बई शामिल हैं।

पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्य शामिल है।

पंजाब राज्य में चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता और सिक्किम राज्य शामिल हैं।

बिहार राज्य में झारखण्ड राज्य (मार्च, 2001 में गठित) शामिल है।

मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य (मार्च, 2001 में गठित) शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल (मार्च, 2001 में गठित) शामिल है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना

1562. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान किन-किन जिला मुख्यालयों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान किसी जिला मुख्यालय में कोई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय नहीं खोला गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को विकेन्द्रित करने और इन्हें जनता के निकट पहुंचाने का निश्चय किया है। इस योजना के अन्तर्गत, पासपोर्ट आवेदक अपने भरे हुए पासपोर्ट आवेदनों को देश भर के प्रत्येक राज्य में जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। उन जिलों में, जहां आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक संख्या में आते हैं वहां जिला पासपोर्ट सैल (डी पी सी) हैं। फार्मों, दस्तावेजों की जांच जिला पासपोर्ट कार्यालय द्वारा की जाएगी और तब उसे पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जो पासपोर्ट जारी करेगा।

यह योजना पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम और नागालैंड में प्रारम्भ हो गई है। इसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा हरियाणा में 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ किया जाएगा।

पासपोर्ट जारी करने संबंधी लंबित आवेदन

1563. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कितने पासपोर्ट आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पासपोर्ट आवेदन को लंबित माना जाता है यदि वह सभी प्रकार से पूरा हो और स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट हो गई हो। यथा दिनांक 6.3.2002 को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

पासपोर्ट कार्यालय	लंबित आवेदन
लखनऊ	659
बरेली	1552
गाजियाबाद	2040
दिल्ली	2532

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

पासपोर्ट कार्यालय	2000 (यथा दिनांक 31.12.2000 को)	2001 (यथा दिनांक 31.12.2001 को)
लखनऊ	3838	1339
बरेली	464	419
गाजियाबाद	00	1724
दिल्ली	3659	7735

(ग) पासपोर्ट को जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करना और उसे सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : संसाधन प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण, स्पीड पोस्ट द्वारा पासपोर्ट के प्रेषण का प्रावधान, पासपोर्ट लेखी मशीनों का प्रचालन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ उनसे संबंधित क्षेत्रों में पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा नियमित परामर्श करने के माध्यम से पुलिस सत्यापन रिपोर्टों को शीघ्र निपटाना। प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में लंबित आवेदनों की स्थिति का जायजा प्रति सप्ताह लिया जाता है।

पत्तनों का विकास

1564. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पत्तनों के विकास का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) इस योजनावधि के दौरान पत्तन-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रत्येक पत्तन पर वास्तविक रूप से कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) पारादीप पत्तन के विकास या विस्तार के लिए विशेष रूप से क्या कार्यक्रम लागू किए गए?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) समुद्री व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए देश में पत्तनों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। महापत्तनों के विकास के लिए पत्तनवार आवंटित निधियां और 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002 तक 9वीं योजना अवधि के दौरान हुए वास्तविक खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 9वीं योजना अवधि के दौरान पारादीप पत्तन में निम्नलिखित बड़े विकास/विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे जिनमें 30.25 मि.ट. की क्षमता की वृद्धि शामिल है।

(i) 20.00 एमटी कोयला हैंडल करने के लिए यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं।

(ii) 1.25 एमटी उर्वरक हैंडल करने के लिए आबद्ध उर्वरक हैंडलिंग सुविधाएं।

(iii) पश्चिमी क्वे में 2.00 एम टी की क्षमता वाली बहुउद्देशीय बर्थ।

(iv) 6.00 एमटीपीओएल हैंडल करने के लिए तेल बर्थ का निर्माण।

(v) 1.00 एमटी हैंडल करने के लिए दूसरी बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	9वीं योजना के दौरान आवंटित निधियां	9वीं योजना के दौरान वास्तविक खर्च
1	2	3	4
1.	कोलकाता	476.54	242.20
2.	मुंबई	799.44	523.34
3.	जवाहर लाल नेहरू	398.36	231.35
4.	चेन्नई	1153.14	980.43
5.	कोचिन	133.45	77.36
6.	विशाखापत्तनम	400.70	364.00
7.	कांडला	433.29	253.72
8.	मुरगांव	169.79	122.94
9.	पारादीप	1055.86	743.69
10.	नव मंगलूर	269.44	205.34
11.	तूतीकोरिन	401.13	306.81
12.	इन्नौर पत्तन लिमिटेड	2.00	0.00
	जोड़	5693.14	4051.18

टिप्पणी : उपर्युक्त कालम 4 में दिनांक 1.3.1997 से 31.3.2001 तक का वास्तविक खर्च और दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 तक का अनुमानित खर्च शामिल है।

अल्ट्रासाउण्ड उपकरण

1565. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक वर्ष पूर्व गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग का पता लगाने पर रोक लगाने के लिए अपंजीकृत क्लिनिकों की पहचान हेतु उन क्लिनिकों के नाम और उनके स्थान का पता लगाने की बात कही थी जिनके पास अल्ट्रासाउण्ड जैसे उपकरण थे; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.12.2001 के आदेश में निदेश दिया था कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के खरीददारों से संबंधित सूचना ऐसी मशीनों के विनिर्माताओं, आयातकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि से प्राप्त की जाए।

(ख) अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के 11,000 से अधिक खरीददारों की सूची विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदायकों से पहले ही प्राप्त हो चुकी है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है ताकि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत इस मशीन का उपयोग कर रहे क्लिनिकों का पंजीकरण सुनिश्चित हो राके और भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए इन मशीनों का दुरुपयोग करते पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जा सके।

[हिन्दी]

मेरठ-कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग

1566. डा. चरणदास महंत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को जोड़ने वाले मेरठ–कोटद्वार मुख्य राजमार्ग को चौड़ा करने और उसे पक्का करने का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) क्या इस राजमार्ग की खराब स्थिति और उस पर बने गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस राजमार्ग को मरम्मत और चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को जोड़ने वाला मेरठ–कोटद्वार राजमार्ग एक राज्यीय राजमार्ग है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग। इस राजमार्ग की 132 कि.मी. की कुल लंबाई में से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

ने विश्व बैंक ऋण सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के चरण–I के तहत मेरठ से नजीबाबाद तक के 118 कि.मी. खंड में पुनरुद्धार कार्य स्वीकृत कर दिए हैं। शेष 14 कि.मी. लंबाई को 2 लेन के स्तर तक चौड़ा बनाने और सुदृढ़ करने के कार्य के लिए अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) इस सड़क की खराब स्थिति और गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विश्व बैंक सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के चरण–I के तहन पुनरुद्धार कार्यों के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इस कार्य को अप्रैल, 2002 में शुरू किए जाने की संभावना है। इस कार्य को शुरू होने की तारीख से दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

मलेरिया-कालाजार-डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम

1567. श्री बृजलाल खाबरी :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया, कालाजार और डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या मलेरिया, कालाजार और डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि उस योजनावधि के लिए पर्याप्त नहीं थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ धनराशि बढ़ाने का कोई प्रावधान रखा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया–रोधी कार्यक्रम, कालाजार, फाइलेरिया, जापानी एन्सेफेलयाइटिस, डेंगू और विश्व बैंक सहायता वाली संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के लिए 1030 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था।

(ख) आवंटन कार्यक्रम की तकनीकी अपेक्षाओं, प्रचालनात्मक व्यवहार्यता और अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) कीमतों में वृद्धि मूल्य (मूल्य स्फीति) और राज्यों में कार्यक्रमों के विस्तार को देखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ी हुई निधियों का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात के तटीय क्षेत्र से सटे राजमार्ग का उन्नयन

1568. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि में गुजरात के तटवर्ती इलाकों से गुजरने वाले राजमार्ग का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग का नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इनका कब तक उन्नयन किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुजरात के तटवर्ती इलाकों से गुजरने वाली सड़कों के कुछ खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों

के साथ विचार–विमर्श के अगले दौर में विचार किया जाएगा।

डाल्फिन मोबाइल सेवा

1569. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई एमटीएनएल में डाल्फिन–सेवा के ग्राहकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एमटीएनएल एक सुनियोजित वाणिज्यिक नीति के तहत अपने मूल्य का लाभ उठा रहा है;

(ग) यदि हां, तो एमटीएनएल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी डाल्फिन–सेवा के मुख्य लाभ से मुंबई में उसके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो, अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) एमटीएनएल की डाल्फिन–योजना में सेवा–स्तर न गिरे, यह सुनिश्चित करने की किस प्रकार की योजना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 8.3.2002 की स्थिति के अनुसार, डाल्फिन–सेवा के "पोस्टपेड" उपभोक्ताओं की संख्या 76363 तथा "प्री–पेड" उपभोक्ताओं की संख्या 10155 है।

(ख) जी, हां।

(ग) एमटीएनएल, मुंबई सेल्यूलर मोबाइल–सेवा ने मुंबई में डाल्फिन सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बस–स्टापों, बिल बोर्डों, बसों के पीछे इत्यादि जैसे आसानी से नजर आने वाले स्थानों पर "डिस्पले बोर्ड", लगाकर एक व्यवस्थित विज्ञापन योजना अपनाई है।

(घ) और (ङ) डाल्फिन–स्कीम में सेवा के स्तर में गिरावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) एमटीएनएल "कल्याण" तथा "डोम्बीवली" क्षेत्रों में 26 बेस ट्रांसमीटर स्टेशन (बीटीएस) और शुरू कर रहा है।

(ii) उपभोक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, एमटीएनएल काल सैन्टर शुरू कर रहा है, जिनका प्रबंधन व्यावसायिकों के हाथ में होगा।

चोट का उपचार करने वाले क्लिनिक

1570. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के दौरान चोट का शीघ्र उपचार करने हेतु सफदरजंग अस्पताल में स्थित क्लिनिक के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता है और धन, कर्मचारियों तथा उपकरणों के अभाव में वहां का आर्थोपैडिक विभाग खस्ता हाल में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या के अनुरूप है और पर्याप्त मात्रा में धनराशि मुहैया करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल स्थित स्पोर्ट्स इंजूरी क्लिनिक अपेक्षित स्टाफ और बुनियादी उपकरणों के साथ कार्य कर रहा है। मांग के आधार पर स्टाफ और उपकरणों के लिए जरूरतों को पूरा करना एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक बजट का संबंध है, यह अस्पताल को स्पोर्ट्स इंजूरी क्लिनिक सहित अस्पताल के समग्र प्रबंध के लिए आवंटित किया जाता है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं/लाभ

1571. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आल इंडिया रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज एसोसिएशन' ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कुछ और भी सुविधाएं व लाभ प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें एक नया पैकेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) विभिन्न पेंशनभोगी–संघों इत्यादि से, प्रसुविधाओं और नई सुविधाओं के बारे में समय–समय पर अभिवेदन प्राप्त होते हैं और उनकी जांच–पड़ताल करके उनके संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने की दृष्टि से अपेक्षित प्रक्रिया पूरी की जाती है। फिर भी, इस समय, केन्द्रीय सरकार के विद्यमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई नया पैकेज दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

विदेश से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र

1572. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से ऐसे छात्र भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) में पंजीयन हेतु आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने विदेश स्थित गैर–मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों से एम.बी.बी.एस. की डिग्री ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सकों के पंजीयन के लिए भारतीय परिषद को कतिपय नियम बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टैस्ट) विनियम, 2002 बनाए हैं जिनके द्वारा भारत से बाहर की किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदत्त प्रारंभिक चिकित्सीय अर्हता रखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा किसी राज्य चिकित्सा परिषद में 15.3.2002 को अथवा उसके बाद अंतिम अथवा स्थायी पंजीकरण करवाने का इच्छुक हो, को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आयोजित जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। प्रारंभिक चिकित्सीय अर्हता उस देश में जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाली संस्था विद्यमान है, चिकित्सा व्यवसायी के रूप में दर्ज करने के लिए अवश्य एक मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए और यह भारत में एम.बी.बी.एस. के समतुल्य हो।

केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार

1573. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, धोखाधड़ी, कुप्रबंधन, गलत कारनामे आदि के मामले में संसद–सदस्यों और केन्द्रीय भंडार के अधिकारियों द्वारा कई पत्र लिखे जा चुके हैं, किन्तु इन पत्रों का जवाब महीनों और साल भर में भी नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने पत्र लंबित पड़े हुए हैं और ये कब से लंबित हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ख) 01.04.2001 से 08.03.2002 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग में केन्द्रीय भंडार से जुड़े मुद्दों के बारे में संसद–सदस्यों से 185 पत्र मिले हैं। उपर्युक्त पत्रों में से 132 पत्रों के उत्तर भेज दिए गए हैं और 53 पत्रों के उत्तर भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है।

फिर भी, लंबित चल रहे पत्रों में उठाए गए बहुत से मुद्दे, कुछ पत्रों के पहले भेजे जा चुके उत्तरों, संसद को भेजे गए तथ्यों और संसदीय प्रश्नों के उत्तरों में स्पष्ट कर दिए गए हैं।

संसद–सदस्यों से प्राप्त पत्रों को सबसे अधिक प्राथमिकता देकर, उनके उत्तर शीघ्रातिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं।

भारतीय मिशनों में विद्यालयों की स्थापना

1574. श्री राजैया मल्याला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय मिशनों में नए विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) जी, हां। मस्कट, ओमान में नया भारतीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव अभी चल रहा है।

कॉयर उद्योग का विकास

1575. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कॉयर/रेशा उद्योगों का संवर्धन और विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई नई योजना/परियोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित व वितरित की गई तथा इसमें से कितनी राशि का उपयोग हुआ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) देश में कॉयर/रेशा उद्योगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, घरेलू बाजार विकास, निर्यात संवर्धन तथा व्यापार सूचना सेवा, कल्याण सम्बन्धी उपाय, गुणवत्ता सुधार, भूरा रेशा क्षेत्र विकास तथा सहकारिता शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कॉयर बोर्ड ने निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं :

(1) भूरा रेशा क्षेत्र में कॉयर इकाइयों को वित्तीय सहायता के विस्तार के लिए संशोधित स्कीम;

(2) बाजार विकास सहायता स्कीम;

(3) बाह्य मार्किट विकास सहायता स्कीम।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आवंटित कुल फण्ड्स संवितरण और उनका किया गया उपयोग निम्नोक्त है।

(राशि लाख रु. में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
केरल	68.65	130.51	100.61
तमिलनाडु	205.18	106.77	141.82
कर्नाटक	60.84	118.70	74.36
आंध्र प्रदेश	21.59	101.97	26.71
उड़ीसा	35.61	69.85	77.89
असम	शून्य	शून्य	3.94
पश्चिमी बंगाल	शून्य	शून्य	2.52
पांडिचेरी और लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	2.00
अन्य किसी राज्य को भी आवंटित नहीं	496.16	722.84	954.13
कुल	888.01	1250.64	1383.98

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में वार्षिक वित्तावरण

1576. श्री अम्बरीश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वार्षिक वित्तावरण (एनुअल फाइनेंशियल एन्वेलप) उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के निष्कर्षों का अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्यों ने वर्ष 2002–2003 के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र में एक वित्तीय एन्वेलप स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यक्रम के अधीन कार्यकलापों की पहचान करने और उन्हें कार्यान्वित करने में ढील दी गई है। आज तक राज्यों को विमुक्त की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) से (छ) समय–समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से प्राप्त रिपोर्टें, चौबीसों घंटे महिला स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्य करना और प्राथमिक केन्द्रों पर अतिरिक्त सहायता नर्स धात्रियों की नियुक्ति, डाक्टरों की संविधा आधार पर नियुक्ति और प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहभागिता जैसे कार्यकलापों के कार्यान्वयन में प्रगति दर्शाती हैं। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन वित्तीय इन्वेलप स्कीम एक सतत् स्कीम है। आवंटित निधियों के उपयोग और भावी प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर 2002–2003 के दौरान निधियां विमुक्त की जाएंगी।

विवरण

वित्तीय इन्वेलप स्कीम के अधीन राज्यों को विमुक्त की गई निधियां (प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम)

(रुपये लाख में)

राज्य	1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	84.43	253.30	शून्य	337.73
केरल	17.48	52.42	शून्य	69.90
तमिलनाडु	67.50	202.50	शून्य	270.00
कर्नाटक	शून्य	209.00	शून्य	209.00
पंजाब	शून्य	50.00	50.00	100.00
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	272.70	272.70

सेल्यूलर सेवाओं के लाइसेंस

1577. श्री एम. ओ. एच. फारूक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने ऐसे लाइसेंसधारी सेल्यूलर सेवा प्रदाता हैं जिन्होंने कार्यनिष्पादन–गारन्टी तो दी है, किन्तु इसकी अनिवार्यताओं का समय पर परिपालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सेवा प्रदाताओं के नाम क्या हैं;

(ग) जनहित में सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है;

(घ) क्या सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं के संबंध में वित्तीय बैंक–प्रतिभूति को समाप्त करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी वित्तीय गारंटी के अभाव में सरकार क्या सुरक्षोपाय करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) प्राइवेट सेल्यूलर प्रचालकों ने, लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसर, अपेक्षित निष्पादन बैंक गारन्टी (पीबीजी) प्रस्तुत कर दी है। उन सेवा प्रदाताओं से परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार वसूल कर लिए गए हैं, जिन्होंने लाइसेंस करार के अनुसार सेवा क्षेत्र कवरेज के दायित्व का समय पर पालन नहीं किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मौजूदा लाइसेंसों के प्रति निष्पादन बैंक गारंटी तथा वसूली गई परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों के संबंध में निजी सेल्यूलर प्रचालकों का ब्यौरा

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	सेवा क्षेत्र	प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी	कवरेज संबंधी मानदण्ड पूरा न करने के कारण वसूले गए परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों की राशि
1	2	3	4	5
1.	भारती सेल्यूलर लि.	दिल्ली	हां	50 लाख
2.	स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.	दिल्ली	हां	50 लाख
3.	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	मुंबई	हां	20 लाख
4.	हचीसन्स मैक्स टेलीकाम लि.	मुंबई	हां	50 लाख
5.	भारती मोबीटेल लि.	कोलकाता	हां	50 लाख
6.	उषा मार्टिन टेलीकाम लि.	कोलकाता	हां	50 लाख
7.	आरपीजी सेल्यूलर सर्विस लि.	चेन्नई	हां	50 लाख*
8.	भारती मोबिनेट लि.	चेन्नई	हां	50 लाख
9.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	हरियाणा	हां	100 लाख
10.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	राजस्थान	हां	100 लाख
11.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	हां	100 लाख
12.	फेस्सेल लि.	गुजरात	हां	100 लाख
13.	हेक्साकाम इंडिया लि.	राजस्थान	नहीं	100 लाख
14.	हेक्साकाम इंडिया लि.	उत्तर पूर्व	नहीं***	शून्य**
15.	भारती मोबाइल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	हां	100 लाख
16.	भारती मोबाइल लिमिटेड	पंजाब	हां	100 लाख
17.	भारती मोबाइल लिमिटेड	कर्नाटक	हां	100 लाख
18.	कोशिका टेलीकाम प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	हां●	100 लाख●
19.	बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	आंध्र प्रदेश	हां	100 लाख
20.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	हां	45 लाख

1	2	3	4	5
21.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	हरियाणा	हां	शून्य
22.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	केरल	हां	शून्य
23.	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	तमिलनाडु	हां	100 लाख
24.	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	केरल	हां	25 लाख
25.	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	महाराष्ट्र	हां	100 लाख
26.	भारती टेलीनेट लि.	हिमाचल प्रदेश	हां	100 लाख
27.	आरपीजी सेलकॉम लि.	मध्य प्रदेश	हां	100 लाख
28.	बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	गुजरात	हां	100 लाख
29.	बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	महाराष्ट्र	हां	100 लाख
30.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	असम	हां	शून्य**
31.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	मध्य प्रदेश	हां	100 लाख
32.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	उत्तर पूर्व	हां	शून्य**
33.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	पश्चिम बंगाल	हां	100 लाख
34.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	बिहार	हां	100 लाख
35.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	हिमाचल प्रदेश	हां	100 लाख
36.	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	उड़ीसा	हां	100 लाख
37.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	कर्नाटक	हां	100 लाख
38.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	पंजाब	हां	100 लाख
39.	एयरलेस लि.	तमिलनाडु	हां	
40.	बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि.	दिल्ली	हां	लागू नहीं होता
41.	भारती सेल्यूलर लि.	मुंबई	हां	लागू नहीं होता
42.	रिलायबल इंटरनेट सर्विस लि.	कोलकाता	हां	लागू नहीं होता
43.	बाराखंबा सेल्स एंड सर्विसेस लि.	चेन्नई	हां	लागू नहीं होता
44.	बाराखंबा सेल्स एंड सर्विसेस लि.	आंध्र प्रदेश	हां	लागू नहीं होता
45.	बाराखंबा सेल्स एंड सर्विसेस लि.	कर्नाटक	हां	लागू नहीं होता
46.	भारती सेल्यूलर लि.	गुजरात	हां	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
47.	भारती सेल्यूलर लि.	हरियाणा	हां	लागू नहीं होता
48.	भारती सेल्यूलर लि.	केरल	हां	लागू नहीं होता
49.	भारती सेल्यूलर लि.	मध्य प्रदेश	हां	लागू नहीं होता
50.	भारती सेल्यूलर लि.	महाराष्ट्र	हां	लागू नहीं होता
51.	भारती सेल्यूलर लि.	तमिलनाडु	हां	लागू नहीं होता
52.	भारती सेल्यूलर लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	हां	लागू नहीं होता
53.	एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशंस लि.	हिमाचल प्रदेश	हां	लागू नहीं होता
54.	एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशंस लि.	पंजाब	हां	लागू नहीं होता
55.	एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशंस लि.	राजस्थान	हां	लागू नहीं होता
56.	एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशंस लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	हां	लागू नहीं होता

संक्षिप्तियां :

*उद्ग्रहीत परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों की वसूली नहीं की गई हैं क्योंकि लाइसेंस धारक कम्पनी से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जाणी है।

**इन मामलों में, परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि सरकार ने प्रचालकों को सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में सेवा का विस्तार करने अथवा नए सिरे से सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है।

***इस मामले में, निष्पादन बैंक गारन्टी की शर्त हटा ली गई है, क्योंकि प्रचालक को सुरक्षा की दृष्टि से सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।

●प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी भुना ली गई है क्योंकि आपरेटर ने देय लाइसेंस शुल्क के और परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों का भुगतान नहीं किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सेल्यूलर सेवाएं

1578. श्री के. ए. सांगतम :
श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल गुवाहाटी और शिलांग में ही सेल्यूलर फोन सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में भी सेल्यूलर फोन सेवा को विस्तारित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय–सारिणी बनाई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) फिलहाल, उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित उत्तर–पूर्व और असम दूरसंचार सर्किलों में सुरक्षा कारणों से निजी आपरेटरों एवं भारत संचार निगम लिमिटेड को सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का विस्तार करने या नए सिरे से शुरू करने की अनुमति नहीं है।

चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग

1579. श्री ए. के. मूर्ति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि तमिलनाडु में चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर खस्ताहाल सड़क की वजह से प्रतिदिन बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) इस सड़क की खराब स्थिति के कारण इस पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वाहनों के आवागमन में सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के लिए तमिलनाडु में रा.रा.–45 के चेंगलपट्टू–विल्लुपुरम खंड को विभाजित मार्ग की सुविधा के साथ चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। चेंगलपट्टू–टिंडिवनम उपखंड को चार लेन का बनाने का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

1580. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कितने पुलों का निर्माण किया जा चुका है और कितने निर्माणाधीन हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) 504।

(ख) अब तक निर्मित पुलों की संख्या : 398

निर्माणाधीन पुलों की संख्या : 106

[अनुवाद]

आतंकवादी संगठनों की सूची

1581. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान से उन आतंकवादी संगठनों की विस्तृत सूची मांगी है जिन्होंने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी विदेश मंत्री के हाल ही के दौरे के समय भारत की मांग के बारे में पाकिस्तान को बताया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान को इस बात से अवगत कराया है कि वह सीमा–पार से आतंकवाद तथा राज्य नीति के एक औजार के रूप में आतंकवाद का प्रयोग करना बंद करे।

[हिन्दी]

अयुद्ध संधि

1582. डा. अशोक पटेल :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से भारत के साथ अयुद्ध संधि करने तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र को परमाणु अस्त्र–विहीन क्षेत्र बनाने के आशय का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई परिवहन नीति

1583. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिए नई परिवहन नीति तैयार करने की मांग हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) सरकार को नई परिवहन नीति के लिए किसी मांग की जानकारी नहीं है। बदलती हुई आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी और अवसरों के अनुरूप परिवहन नीति का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

1584. श्री रमेश चेन्नितला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार, कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, केरल टेलीफोन सर्किल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(घ) इनके निपटान में विलंब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) केरल राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.4.2001 से 31.1.2002 तक 39 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा चुके हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.1.2002 तक दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 264694 है।

(ग) 31.1.2002 तक की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 775783 है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) लगभग 75 प्रतिशत आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जहां केबलों, लाइन सामग्री और जनशक्ति की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों में कनेक्शनों की तुलना में बहुत अधिक है। मार्च 2003 तक प्रतीक्षा सूची को निपटाये जाने की योजना है बशर्ते निधि व सामग्री उपलब्ध हो।

विवरण

31.1.2002 की स्थिति के अनुसार केरल में आवेदनों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	लम्बित आवेदनों की संख्या
1	2
त्रिवेन्द्रम	40428
क्विलोन	80674
पतनमथिट्टा	16815
अलेप्पी	71794
कोट्टायम	36308
इदुकी	30716
एर्नाकुलम्	47879
त्रिचूर	70376
पालघाट	46740
मल्लपुरम्	106098
कालीकट	75615
वायनाड	25257

1	2
कन्नानोर	78969
कसरागड	45537
लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	84
पाण्डिचेरी (माहे) (संघ शासित क्षेत्र)	2493
योग	775783

मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित उद्योग

1585. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्रामों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितने ग्रामोद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) उक्त उद्योगों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) पंजीकृत ग्रामोद्योग/संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे उद्योगों और घाटे में चलने वाले उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या घाटे में चलने वाले उद्योगों को सहायता करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 15,709 परियोजनाओं को मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है जिससे 1.44 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

(ग) ग्रामोद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के साथ पंजीकृत संस्थाओं की सूची विवरण I तथा II पर संलग्न है।

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) इस प्रकार के ग्रामोद्योगों की स्थापना करने हेतु मार्जन मनी के रूप में एकबारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रत्येक इकाई के लाभ/हानि के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण उद्योग

क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	2
I.	**खनिज आधारित उद्योग**
1.	काटेज पोटरी
2.	लाइम मेन्यूफेक्चरिंग
II.	**वन आधारित उद्योग**
1.	काटेज मैच
2.	अगरबत्ती
3.	हैंडमेड पेपर
4.	शैलेक
5.	बेम्बू एंड केन
6.	कत्था
7.	गम्स एंड रेसिन
III.	**कृषि आधारित तथा खांद्य उद्योग**
1.	बी–कीपिंग
2.	घानी आयल
3.	केनगुर एंड खांडसारी
4.	पामगुर
5.	प्रोसेसिंग आफ सीरीलज एंड पलसिस
6.	मेडीसिनल प्लांटस

1	2
	7. फ्रूट प्रोसेंसिंग एवं प्रिजरवेशन
	8. फाईबर
IV.	**पोलिमर और रसायन आधारित उद्योग**
	1. काटेज शाप
	2. काटेज लैदर
	3. पोलिमर
V.	**इंजिनियरिंग और गैर-परम्परागत ऊर्जा**
	1. बायो गैस रूरल इंजिनियरिंग
	2. एल्म्यूनियम बर्तन
	3. इलैक्ट्रानिक्स
	4. ब्रास कॉपर एंड बैल मैटल
	5. कपड़ा उद्योग
	6. पोली वस्त्र
	7. अन्य कपड़े
VI.	**सेवा संबंधी क्रियाकलाप**

विवरण-II

मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य के.वी.आई.बोर्ड/के.वी.आई.सी. के साथ पंजीकृत संस्थान

क्र.सं.	संस्थान
1	2
1.	क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, दमोह।
2.	मध्य भारत संघ, ग्वालियर।
3.	एम.पी. खादी संस्था संघ, भोपाल।
4.	विनोबा ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, रीवा।
5.	बंधवागढ़ खादी ग्रामोद्योग संघ, रीवा।
6.	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, भोपाल।
7.	खादी उद्योग सहकारी समिति, लोदीखेड़ा, छिंदवाड़ा।
8.	खादी ग्रामोद्योग समिति, लोधीखेड़ा, तहसील सोसर, छिंदवाड़ा।
9.	विसर्जन आश्रम, नौलखा, इन्दौर।
10.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, मुरैना।
11.	समग्र विकास परिषद, धार।
12.	मुरैना जिला खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति, सयोपुरकला, मुरैना।
13.	मुरैना जिला खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति, सयोपुरकला, मुरैना।
14.	खादी आश्रम, टिकमगढ़।
15.	मालवा भील सेवक संघ, इन्दौर।
16.	वनवासी सेवा मंडल, मांडला।
17.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, तेलीवाड़ा, उज्जैन।
18.	एम पी ग्रामीण विकास मंडल, खुरमुंडी, बालघाट।
19.	ग्रामोद्योग मंडल, छोटा तालाब, छिंदवाड़ा।
20.	इंदौर खादी संघ, इन्दौर।
21.	उद्योग मंडल, गोहरा, बालघाट।
22.	आदर्श सेवा संघ, पोहरी, लि शिवपुरी।
23.	सर्वोदय मिशन, इन्दौर।
24.	बुन्देलखंड खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल राजाखेड़ी, सागर।
25.	ललिता शास्त्री खादी ग्रामोद्योग संस्था, ग्वालियर।
26.	ग्रामीण विकास मंडल, कुरमा, जिला मंडिया।

1	2
27.	लोक कल्याण ग्राम प्रतिष्ठान, 172 सी सैक्टर इन्द्रापुरी, भोपाल।
28.	सिद्धार्थ ग्रामीण सेवा संस्था, साकेत नगर, भोपाल।
29.	न्यू लाईफ सैन्टर, रतलाम।
30.	ग्रामोद्योग संस्थान, महाराजपुर, मुडिया।
31.	समग्र विकास परिषद, अलीराजपुर, जिला झाबुआ।
32.	ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, भोपाल।
33.	भगवती ग्रामोद्योग संस्थान, अरेश कालोनी, भोपाल।
34.	सोना खादी ग्रामोद्योग संस्था, ई–4/399, अरेरा कालोनी, भोपाल।
35.	साईं बाबा खादी ग्रामोद्योग संस्थान, भोपाल।
36.	जय अम्बे ग्रामोद्योग संस्थान, झांसी।
37.	गायत्री महिला कामगार सहकारी संस्थान लि., निसारपुर, खैतिया बदवानी।

अलेप्पी उपमार्ग चरण-2

1586. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलेप्पी उपमार्ग चरण–2 परियोजना के निर्माण कार्य में हो रहे असाधारण विलंब की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) अलेप्पी बाइपास फेस–2 के कार्य को वार्षिक योजना 2002–03 में सम्मिलित किया गया है। केरल राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत तथा विकास कार्य

1587. श्री मानसिंह पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरूच और वापी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के खस्ताहाल होने के कारण यह यातायात के योग्य नहीं है और इसकी मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अहमदाबाद और मुंबई के बीच राजमार्ग पर किए गए सुधार का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) भड़ौच और वापी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अहमदाबाद और मुंबई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–8 पर सुधार कार्य निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
(i)	भड़ौच के पास नर्मदा नदी पर अतिरिक्त दो लेन वाले पुल का निर्माण	पूरा हो गया
(ii)	मनोर–बेसिन क्रीक खंड को 4 लेन का बनाना	पूरा हो गया
(iii)	अहमदाबाद–बड़ोदरा एक्सप्रेस–वे (नया संरेखण) का निर्माण	प्रगति पर है
(iv)	सूरत–मनोर खंड की मरम्मत और उन्नयन	प्रगति पर है

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन

1588. श्री के. मुरलीधरन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेलीफोन कनेक्शन चाहने वाले व्यक्तियों को मांग–पर–टेलीफोन संस्वीकृत किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने हेतु आधार संरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) केरल में लगभग 7.75 लाख आवेदकों की प्रतीक्षा सूची है। अतः केरल राज्य में 793 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में से केवल 29 ग्रामीण एक्सचेंजों में आवेदकों को मांग पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2001–02 के दौरान 563700 लाइनों की निवल स्विचन क्षमता सृजित करने की योजना है। टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में शेष वृद्धि 2002–2003 के दौरान सृजित करने की योजना है जो निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-12(क) की घोषणा

1589. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला स्थित पौंडी से विलासपुर तक के राज्यीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 (क) के अंतर्गत आता है, को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने विषयक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जयपुर (राजस्थान) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाली इस 100 कि.मी. लंबी मार्ग पट्टिका को उपर्युक्त दर्जा देने की घोषणा करने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार–विमर्श के अगले दौर में विचार किया गया/जाएगा।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा

1590. श्री नागमणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चलाए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम की हाल ही में समीक्षा की;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार क्या परिणाम रहा; और

(ग) देश में इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या भावी योजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) विभिन्न सर्वेक्षणों के जरिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। प्रत्येक छह वर्षों पर किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से बहुत से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संकेतकों की सूचना मिलती है।

जनांकिकीय एवं स्वास्थ्य डाटा प्रदान करने के लिए 24 राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की जनसंख्या को कवर करते हुए 1992–93 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–I किया गया। कुल 88562 परिवारों को इस सर्वेक्षण में कवर किया गया। 15–49 वर्षों के बीच की आयु वाली अभी तक विवाहित 90,000 महिलाओं को कवर करते हुए 1998–99 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II किया गया। इसमें 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (त्रिपुरा राज्य को छोड़कर) को कवर किया गया।

अखिल भारतीय स्तर पर दोनों सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

विषय	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–I	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II
नवजात मृत्यु दर	78.5	67.6
किसी तरीके का प्रयोग करने वाली वर्तमान विवाहित महिलाएं	40.6	48.2
कराए गए स्वास्थ्य व्यावसायिकों द्वारा जन्मों का प्रतिशत	34.2	42.5
पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत	35.4	42.0

कुछ राज्यों के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–I और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II के कुछ संकेतकों का तुलनात्मक चित्र दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अंगीकार की है जिसमें देश में जनसंख्या स्थिरीकरण लाने के लिए एक अन्तर–क्षेत्रीय कार्यसूची का प्रावधान है। इस नीति में स्वैच्छिक एवं सोची–समझी पसन्द और प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते हुए नागरिकों की सहमति और परिवार नियोजन सेवाएं देने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को जारी रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को अभिपुष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में 2010 तक हासिल किए जाने वाले कुछ सामाजिक–जनांकिकीय लक्ष्यों का उल्लेख है जिससे 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। नीति में सूचीबद्ध कार्यनीतिगत विषयों को कार्यान्वित करने के लिए इस नीति में एक कार्ययोजना भी निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधन, स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्मिकों की अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना और बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए समेकित सेवा प्रदायगी व्यवस्था करना है। इसका मध्यकालिक उद्देश्य अन्तर क्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों के जोरदार कार्यान्वयन के जरिए कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य संपोषणीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरणिक संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुकूल स्तर पर 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य हासिल करना है।

विवरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–एक तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	संकेतक/राज्य	भारत		आंध्र प्रदेश		असम		बिहार		दिल्ली		गुजरात		गोवा	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	नवजात मृत्यु दर	48.6	43.4	45.3	43.5	50.9	44.6	54.8	46.5	34.9	30.8	46.3	39.1	20.6	31.2
2.	शिशु मृत्यु दर	78.5	67.6	70.4	65.8	88.7	69.5	89.2	73.0	65.4	47.9	73.5	62.2	31.9	36.7
3.	बाल मृत्यु दर	33.4	29.3	22.4	21.0	58.7	21.4	42.0	34.6	19.0	9.3	32.7	24.0	7.2	10.5
4.	कुल प्रजनन दर	3.40	2.85	2.59	2.25	3.53	2.31	3.98	3.47	3.02	2.42	2.97	2.70	1.89	1.77
	(क) अशोधित जन्म दर	28.7	24.8	24.2	21.4	30.4	21.8	32.1	28.1	26.6	21.3	27.2	24.30	17.2	16.6
	(ख) जन्म क्रम>=3	48.6	45.2	42.1	31.5	58.2	43.8	56.6	54.6	44.3	39.3	42.0	41.1	32.2	24.9
5.	एएनसी प्राप्त मातजाओं का प्रतिशत	44.0	65.38	86.8	92.7	48.9	59.8	36.3	36.0	81.8	82.0	75.4	86.3	95	99.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	इस समय किसी तरीके का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत	40.6	48.2	47.0	59.6	42.8	43.3	23.1	24.5	60.3	63.8	49.3	59.0	47.8	47.5
7.	पूरी तरह से टीका प्राप्त बच्चों का प्रतिशत	30.8	36.0	44.7	57.0	14.6	16.7	17.7	20.2	23.2	28.6	41.0	45.3	30.5	28.2
	(क) बी.सी.जी.	5.5	6.8	1.8	1.8	5.4	10.0	3.2	2.2	31.2	27.7	5.8	8.1	7.3	7.7
	(ख) डी.पी.टी. 3	35.4	42.0	45.0	52.0	19.4	17.0	10.7	10.6	57.8	69.8	49.8	48.3	74.9	82.6
	(ग) पोलियो 3	62.2	72.0	74.0	90.2	48.2	53.5	33.9	37.7	92.0	90.1	77.1	84.7	93.5	99.2
	(घ) खसरा	51.7	55.0	66.1	75.9	31.0	37.5	29.1	24.2	71.6	79.9	63.8	64.1	86.7	93.4
8.	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)	53.4	63.0	68.0	73.9	32.7	37.9	31.6	40.3	75.6	80.7	62.9	62.7	87.8	94.9
9.	सुरक्षित प्रसव (प्रतिशत)	42.2	51.0	53.8	64.7	25.8	24.6	14.6	16.6	69.6	77.5	55.9	63.6	77.8	84.3
10.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	26.0	33.6	33.0	50.0	11.1	17.6	12.1	14.7	44.3	59.5	35.6	46.4	86.8	91.5
11.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	34.2	42.3	1.93	65.0	17.8	21.5	18.9	23.5	53.0	66.7	42.7	53.5	88.4	91.1
		*	74.3	*	68.0	*	62.4	*	79.1	*	69.7	*	70.0	*	51.6
		*	51.8	*	50.0	*	69.0	*	63.6	*	40.5	*	46.0	*	36.4

क्र.सं.	संकेतक/राज्य	अरुणाचल प्रदेश		मेघालय		नागालैंड		मणिपुर		मिजोरम		त्रिपुरा	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	नवजात मृत्यु दर	17.5	41.8	37.8	50.7	10.0	20.1	25.1	18.6	8.3	18.8	43.6	28.6
2.	शिशु मृत्यु दर	40.0	63.1	64.2	89.0	17.2	42.1	42.4	37	14.6	37	75.8	44.2
3.	बाल मृत्यु दर	33.3	37.4	24.3	36.2	30.6	22.7	20.2	19.9	14.9	18.4	31.2	7.4
4.	कुल प्रजनन दर	2.44	2.52	3.73	4.57	3.26	3.77	2.76	3.04	2.3	2.89	2.67	1.87
	(क) अशोधित जन्म दर	34.6	22.6	31.9	35.7	31.3	30.4	24.4	25.8	20.8	25.7	23.1	
	(ख) जन्म क्रम>=3	54.6	46.0	53.5	60.1	48.1	59.6	52.0	47.1	45.0	46.0	45.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	एएनसी प्राप्त मातजाओं का प्रतिशत	48.9	60.9	51.1	53.1	38.5	59.4	63.5	80.1	86.3	90.3	64.4	70.9
6.	इस समय किसी तरीके का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत	23.6	35.4	20.7	20.2	13.0	30.3	34.9	38.7	53.8	57.7	56.4	55.5
7.	पूरी तरह से टीका प्राप्त बच्चों का प्रतिशत	10.7	20.7	10.0	10.7	6.4	12.3	13.8	15.5	44.6	45.3	19.3	26.7
	(क) बी.सी.जी.	8.5	12.2	5.1	9.1	6.2	12	10.3	10.3	8.3	11.7	9.5	16.8
	(ख) डी.पी.टी. 3	22.5	20.5	54.9	42.3	3.8	14.1	29.1	42.3	56.9	59.6	14.3	40.7
	(ग) पोलियो 3	46.3	54.2	43.8	46.1	19.4	46.1	63.8	71	77.1	88.2	33.4	73.5
	(घ) खसरा	45.6	41.8	22.9	25.4	12.5	29.6	43.3	59.1	71.6	69.5	27.6	51.7
8.	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)	38.8	43.3	23.6	27.6	16.3	41.8	39.4	62.5	69.7	71.9	27.6	57.9
9.	सुरक्षित प्रसव (प्रतिशत)	27.5	33.6	13.2	17.7	10.0	19.6	37	45.8	65.1	71	20.8	44.6
10.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	19.9	30.9	29.6	17.5	6.0	12.1	22.9	34.5	48.8	57.9	30.6	45.2
11.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	21.3	32.0	37.0	20.7	12.2	32.7	50.5	53.9	61.5	60.9	33.4	47.8
		*	54.4	*	67.7	*	44.8	*	43.5	*	55.6	*	63.6
		*	62.5	*	63.8	*	38.9	*	28.9	*	48.2	*	59.4

क्र.सं.	संकेतक/राज्य	उड़ीसा		पंजाब		राजस्थान		सिक्किम*	तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
		I	II	I	II	I	II	II	I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	नवजात मृत्यु दर	64.7	48.6	31.2	34.3	42.1	49.5	26.3	46.2	35.0	59.9	53.6	55.1	31.9
2.	शिशु मृत्यु दर	112.1	81.0	53.7	57.1	76.3	80.4	44.0	67.7	48.2	99.9	86.7	81.0	48.7
3.	बाल मृत्यु दर	21.3	25.5	15.0	15.9	33.8	37.6	28.3	20.1	15.9	46.0	39.2	28.6	19.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	कुल प्रजनन दर	2.92	2.45	2.91	2.21	3.58	3.73	2.70	2.48	2.18	4.75	3.96	2.89	2.27
	(क) अशोधित जन्म दर	26.5	22.1	25.0	19.1	27.0	29.9	24.5	23.5	21.4	35.9	31.1	25.5	20.8
	(ख) जन्म क्रम>=3	48.0	42.9	42.7	39.6	50.7	52.9	42.1	32.3	23.2	57.5	58.1	46.2	36.5
5.	एएनसी प्राप्त मातजाओं का प्रतिशत	61.0	79.2	87.6	74.1	32.8	47.2	70.0	94.2	98.6	44.4	34.6	75.4	89.5
6.	इस समय किसी तरीके का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत	36.3	46.8	58.7	66.7	31.8	40.3	53.8	49.8	52.1	19.8	28.1	57.4	66.6
7.	पूरी तरह से टीका प्राप्त बच्चों का प्रतिशत	31.6	35.6	34.0	30.9	26.2	31.8	24.8	39.6	46.0	13.1	15.6	30.6	33.8
	(क) बी.सी.जी.	10.0	4.7	17.4	23.0	3.3	5.8	16.6	5.8	4.3	5.3	6.4	7.0	13.5
	(ख) डी.पी.टी. 3	36.1	43.7	61.9	72.1	21.1	16.0	44.0	65.1	78.2	19.8	21.2	34.2	43.6
	(ग) पोलियो 3	63.3	84.7	77.4	88.7	45.7	53.9	76.5	91.7	98.6	48.9	57.5	63.1	76.5
	(घ) खसरा	56.3	61.9	73.6	82.0	29.7	26.1	62.5	86.5	96.7	34.1	33.9	51.9	58.3
8.	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)	56.7	68.4	73.4	83.6	32.8	43.2	60.1	86.0	86.5	37.3	42.2	56.0	61.5
9.	सुरक्षित प्रसव (प्रतिशत)	40.2	54.0	64.8	76.5	31.2	27.1	58.9	71.5	90.2	26.4	34.6	42.5	52.4
10.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	14.1	22.9	24.8	37.5	11.6	21.7	36.4	63.5	79.8	11.2	15.7	31.5	40.4
11.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	20.5	33.7	48.4	62.7	22.0	36.2	35.1	71.2	84.1	17.2	23.0	44.4	44.5
		*	71.3	*	74.7	*	76.4	77.0	*	66.1	*	70.8	*	75.8
		*	63.1	*	41.5	*	48.7	62.0	*	56.5	*	48.7	*	62.9

क्र.सं.	संकेतक/राज्य	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश		जम्मू और कश्मीर		कर्नाटक		केरल		मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	नवजात मृत्यु दर	38.4	34.9	34.2	22.1	31.9	40.3	45.3	37.1	15.5	13.8	53.2	54.9	36.4	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	शिशु मृत्यु दर	73.3	56.8	55.8	34.4	45.4	64.4	65.4	51.5	23.8	16.3	85.2	86.1	50.5	43
3.	बाल मृत्यु दर	27.4	21.2	14.1	8.3	14.3	15.6	23.5	18.9	8.4	2.6	49.3	56.4	20.9	15
4.	कुल प्रजनन दर	3.98	2.84	2.97	2.14	3.13	2.70	2.83	2.13	2.00	1.96	3.85	3.27	2.86	2.52
	(क) अशोधित जन्म दर	32.9	23.1	28.2	19.9	27.9	23.1	25.9	20.4	19.6	18.8	31.6	26.7	26.3	23.0
	(ख) जन्म क्रम>=3	47.5	41.6	42.7	33.3	44.1	50.3	42.4	33.6	26.0	21.1	49.8	52.8	42.8	39.2
5.	एएनसी प्राप्त मातजाओं का प्रतिशत	72.2	58.1	75.4	86.8	78.6	83.2	83.4	86.3	97.3	98.9	52.3	61.1	82.3	90
6.	इस समय किसी तरीके का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत	49.7	62.4	58.4	67.7	49.4	49.1	49.1	58.3	63.3	69.7	36.5	44.3	53.7	60.4
7.	पूरी तरह से टीका प्राप्त बच्चों का प्रतिशत	34.8	40.8	45.8	52.4	29.7	30.7	42.7	52.2	48.3	51.0	31.7	37.9	46.5	52.2
	(क) बी.सी.जी.	9.6	12.5	8.5	8.4	10.0	11.1	4.8	4.4	6.1	5.1	4.0	4.7	6.4	7.6
	(ख) डी.पी.टी. 3	53.5	62.7	63.5	83.4	54.2	56.7	52.2	60.0	54.4	79.2	22.9	22.4	64.3	78.2
	(ग) पोलियो 3	77.4	86.8	84.8	94.6	79.3	85.6	81.7	84.8	86.1	96.2	56.8	64.9	86.9	93.7
	(घ) खसरा	66.8	71.1	78.5	88.8	74.6	72.3	70.7	75.2	73.7	88.0	43.7	37.0	83.1	89.4
8.	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)	67.7	74.3	78.4	89.8	74	74.3	71.4	78.3	75.2	87.9	46.9	56.7	81.8	90.5
9.	सुरक्षित प्रसव (प्रतिशत)	60.9	72.2	71.8	89.1	58.3	68.9	54.9	67.3	60.5	84.6	40.7	35.5	70.2	84.3
10.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	16.7	23.2	16.0	29.0	21.9	35.9	37.5	51.1	87.8	93.9	15.9	20.4	43.9	52.8
11.	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत	30.3	42.0	25.6	40.4	31.2	43.1	50.9	59.2	89.7	94.9	30.0	30.1	53.1	59.7
		*	78.0	*	67.3	*	68.7	*	65.8	*	44.2	*	71.5	*	72.2
		*	47.2	*	40.5	*	58.7	*	42.4	*	22.6	*	54.4	*	48.6

सिक्किम को एनएफएच II में ही कवर किया गया।

*उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में रिक्तियों को भरना

1591. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सही है कि मार्गदर्शी सिद्धांतों में तय की गई समय-सीमा से अधिक समय से उनमें से कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की चुनिंदा भर्तियां करके उनमें आमूल सुधार लाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 31.12.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के 104 पद रिक्त थे। उपर्युक्त पद भरने में देर, मुख्य रूप से, सतर्कता-अनापत्ति देर से मिलने अथवा संस्तुत उम्मीदवारों द्वारा पदों का कार्य-भार ग्रहण नहीं किए जाने अथवा रिक्ति के अप्रत्याशित रूप से होने के कारण हुई।

(घ) और (ङ) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक-मंडल में जब कभी पद रिक्त होते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड और लोक-उद्यम-विभाग द्वारा ऐसे रिक्त पद भरने की कार्रवाई की जाती है।

प्रधान डाकघर

1592. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले प्रधान डाकघरों की राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, संख्या क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में महेन्द्रगढ़ जोकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, प्रधान डाकघर का भवन निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस भवन के कब तक निर्मित कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश में नए जनरल पोस्ट आफिस खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) छत्तीसगढ़ में महेन्द्रगढ़ में जनरल पोस्ट आफिस के लिए भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है

भारत-रूस संबंध

1593. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूस के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किन क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग स्थापित हो गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) भारत रूस संबंधों की विशेषता सतत, विश्वास और आपसी समझबूझ की है और आपसी हित के समान बोध पर आधारित है। अक्तूबर, 2000 में भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा संपन्न होने पर इनकी सामरिक भागीदारी मजबूत हो गई। यह दस्तावेज 21वीं सदी में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक रूपरेखा को निर्धारित करता है।

रूसी परिसंघ के साथ भारत के संबंध बहु आयामी हैं

और इनमें राजनीति, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अलगाववाद एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध युद्ध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सम्मिलित हैं। भारत और रूसी परिसंघ व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत रूसी अन्तर सरकारी आयोग और सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत रूसी अन्तर सरकारी आयोग के अन्तर्गत निकट सहयोग के संबंध बनाए हुए है।

निर्यात में लघु उद्योगों की भागीदारी

1594. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में लघु उद्योगों की भागीदारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लघु उद्योगो द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान देश के कुल निर्यातों में लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) का अनुमानित शेयर निरन्तर 35 प्रतिशत रहा है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के सम्वर्धन के लिए 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। नीति पैकेज क्रेडिट के लिए सुगम पहुंच व्यवस्था, बिना सम्पार्श्विकता के 25 लाख रु. तक का ऋण प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता, विपणन सहायता तथा सुधरी हुई बुनियादी संरचना से युक्त है।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान यह अनुमानित किया गया है कि लघु उद्योगों ने 14 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी में इजरायल के साथ समझौता ज्ञापन

1595. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ सहयोग के लिए इजरायल के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को इससे किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सहयोग के क्षेत्रों में इजरायल और भारत के पारस्परिक लाभार्थ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के जरिए इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराना तथा संभावित भागीदारों का चयन करना शामिल है।

(ग) इजरायल उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का विकास करने की कुशलता और भारत साफ्टवेयर विकास में कुशलता के लिए जाने जाते हैं। दोनों देशों की एक दूसरे की पूरक कुशलता का लाभ उनके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को मिलेगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

1596. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में उड़ीसा के बोलनगीर क्षेत्र के प्रत्येक एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बोलनगीर क्षेत्र की प्रतीक्षा में 270 व्यक्ति दर्ज हैं। इस क्षेत्र में 47 एक्सचेंज हैं। 29 एक्सचेंजों के पास प्रतीक्षा सूची नहीं है। केवल 18 एक्सचेंजों के पास प्रतीक्षा सूची है। एक्सचेंज–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) इन आवेदकों को 31 मार्च, 2002 तक लैंडलाइन या वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) प्रौद्योगिकी के माध्यम से कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

बोलनगीर क्षेत्र में एक्सचेंज–वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बी.एम. पुर	105
2.	बेलगांव	25
3.	चनामैल	5
4.	चातमखाना	3
5.	चुड़ापाली	8
6.	देवगांव	2
7.	चदांभाटी	3
8.	खामेश्वरीपाली	1
9.	कुदासींगा	18
10.	महादेपल्ली	2
11.	तुरेईकेला	5
12.	उल्लुंडा	6
13.	बेहरनाल	6
14.	बगांगुध	25
15.	बेलपारा	15
16.	सैनताल	25
17.	सलवाता	8
18.	सिनधेई काला	8
	जोड़	270

[अनुवाद]

हज कोटा

1597. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश से हज तीर्थ यात्रियों का कोटा कितना था;

(ख) क्या यह कोटा राज्य की मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के अनुसार था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य के हज तीर्थयात्रियों का कोटा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश का कोटा निम्न अनुसार है :

वर्ष	आंध्र प्रदेश का कोटा
1998	3037
1999	3571
2000	3571
2001	3906
2002	3906

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अपव्यय

1598. श्री अमर राय प्रधान : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम-से-कम करने के लिए कदम उठाए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों में कतिपय ऐसे क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली है जिनमें अपव्यय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उनके मंत्रालय/उनके अधीन ऐसे विभागों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान उस मंत्रालय ने की है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिनांक 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार इनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(ग) ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए मंत्रालय ने अब तक क्या कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि

1599. श्री के. पी. सिंह देव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान साफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या अनुमानित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 2001 की अवधि के दौरान साफ्टवेयर का निर्यात 25500 करोड़ रुपए था जो गत वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-दिसम्बर, 2000), में 19500 करोड़ रुपए था और इस प्रकार लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के साफ्टवेयर निर्यात के लक्ष्य को हासिल कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योगों का विकास

1600. श्री राजो सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर बिहार के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। तथापि, बिहार सरकार ने, वर्ष 2001-2002 के लिए बिहार के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित बिहार में लघु उद्योग/लतिलघु/शिल्प क्षेत्र में 7000 इकाइयां पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी तुलना में 31.1.2002 तक अति लघु और शिल्प क्षेत्र की इकाइयों सहित 4072 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। उद्योग निदेशालय, बिहार सरकार 31.3.2002 अपना लक्ष्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन

1601. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उद्योगों, को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन कार्यक्रमों का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए पूरे देश में ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) पहले से ही कार्यान्वित कर रही है। आर.ई.जी. पी. को 10वीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् 31.3.2007 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 10वीं योजना में 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। के.वी.आई.सी., 10वीं योजना अवधि के दौरान के.वी.आई. सेक्टर के लिए आर.ई.जी.पी. के अतिरिक्त अपने अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप जारी रखे हुए है।

इसके अतिरिक्त, खादी सेक्टर के विकास एवं संवर्धन के लिए भारत ने 14.05.2001 को एक पैकेज की भी घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य बातों में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प तथा बाजार विकास सहायता (एम.डी. ए.) खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादनों के सुधार पर बल दिया जाना, पैकेजिंग एवं डिजाइनिंग सुविधाओं का सृजन करना, विपणन, ब्राण्ड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि शामिल हैं।

कर्नाटक में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

1602. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितनी पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ा गया;

(ख) क्या कर्नाटक में सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गांवों को कब तक टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कर्नाटक में गत दो वर्षों में 271 पंचायतों को दूरभाष सुविधा प्रदान की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कर्नाटक में कुल 27066 राजस्व गांवों में से, 27056 गांवों को पहले ही दूरभाष सुविधा प्रदान की जा चुकी है। बाकी 10 गांवों को दिसम्बर, 2002 तक यह सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि निधी और उपकरण उपलब्ध हों।

संवर्ग परिवर्तन

1603. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब और जम्मू–कश्मीर राज्य सरकारों से कुछ आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों के संवर्ग बदलकर उनके गृह राज्य करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, क्या है;

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार ने सार्वजनिक हित में आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों के संवर्ग बदलकर उनके गृह राज्य की अनुमति दी है, इस संबंध में किन मानदंडों का पालन किया गया है;

(घ) क्या सार्वजनिक/वैयक्तिक कारणों के आधार पर संवर्ग परिवर्तन की अनुमति दिए जाने हेतु राज्य के लोगों और बाहर से आए अधिकारियों के अनुपात पर विचार किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संवर्ग परिवर्तन की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में

राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कुछ समय पहले, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर की राज्य–सरकारों से भारतीय प्रशानिक सेवा के 08 अधिकारियों और भारतीय पुलिस–सेवा के एक अधिकारी का संवर्ग बदले जाने के अनुरोध मिले हैं।

(ग) अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण की मौजूदा नीति, वर्ष, 1995 से लागू है। तब से, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस–सेवा के किसी भी अधिकारी का लोक–हित में अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण की मौजूदा नीति के अनुसार, अन्तर संवर्ग–स्थानान्तरण के अनुरोधों पर विचार, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों और सभी तथ्यों पर विचार करके किया जाता है।

एच.आई.वी./एड्स

1604. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान देश में एच.आई.वी./एड्स ने बढ़ रहे मामलों पर चर्चा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से आयोजित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सम्मेलनों में कुछ सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त सुझावों को लागू करने हेतु कौन से कदम उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान देश में एच.आई.वी./एड्स के बढ़ रहे मामलों पर विचार–विमर्श करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य एजेंसियों की सहायता से कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेडियो पेजिंग सेवा

1605. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेजिंग सेवाओं हेतु उपभोक्ता आधार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेजिंग पुरानी सेवा हो गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 और चालू वर्ष के दौरान पेजिंग सेवाओं से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग की पेजिंग सेवाओं के किराये में कमी करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2001–2002 के दौरान कितना लाभ या घाटा हुआ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के टैरिफ में कमी से "रेडियो पेजिंग–सेवा" की लोकप्रियता में कमी आई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राय) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रेडियो पेजिंग–प्रचालक प्रभार वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दंत चिकित्सा महाविद्यालय

1606. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 2001 की तिथि के अनुसार देश में दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्यवार कितने महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दी गई है;

(ग) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कौन से और कितने महाविद्यालयों के आवेदन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के पास मान्यता के लिए लंबित हैं;

(घ) क्या हरियाणा में बाबा मस्तनाथ दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक के विद्यार्थी अपने कालेज के मान्यता दिलाने हेतु न्यायालय में गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके पास बी डी एस डिग्री को मान्यता देने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से कोई आवेदन लंबित नहीं पड़ा हुआ है।

(घ) और (ङ) जी, हां। बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज, अस्थल बोहर, रोहतक ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 6540/2001 दायर की है जिसमें उनके कालेज के संबंध में एम.डी. विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा प्रदान की जाने वाली बी डी एस डिग्री को मान्यता प्रदान करने अथवा विकल्पता उन्हें सरकारी डेंटल कालेज, रोहतक अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था को रिलोकेट करने की प्रार्थना की गई है। भारतीय दन्त चिकित्सा और सरकार ने न्यायालय में अपना हलफनामा दायर कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1.7.2001 की स्थिति के अनुसार डेंटल कालेजों की स्थिति	उन कालेजों की संख्या जिन्हें भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता नहीं दी गई है
1.	आंध्र प्रदेश	5	3
2.	असम	1	शून्य
3.	बिहार	7	3
4.	दिल्ली	1	शून्य
5.	गोवा	1	शून्य
6.	गुजरात	4	2
7.	हरियाणा	5	2
8.	हिमाचल प्रदेश	4	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1	शून्य
10.	कर्नाटक	40	13
11.	केरल	2	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	3	2
13.	महाराष्ट्र	16	3
14.	उड़ीसा	2	1
15.	पांडिचेरी	1	शून्य
16	पंजाब	10	6
17.	राजस्थान	4	3
18.	तमिलनाडु	14	4
19.	उत्तर प्रदेश	15	13
20.	पश्चिम बंगाल	2	शून्य

[हिन्दी]

नया डाकघर खोला जाना

1607. श्री बीर सिंह महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री शिवाजी माने :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और महाराष्ट्र में राज्य–वार कुल कितने डाकघर खोले गए;

(ख) केन्द्र सरकार के पास इन राज्यों में नए डाकघर खोलने के कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इन राज्यों में कब तक इन डाकघरों को खोले जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उपरोक्त राज्यों में कितने डाकघरों का उन्नयन किया गया और अगले तीन वर्षों में कितने डाकघरों का उन्नयन किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देशभर में पिछले तीन वर्षों में खोले गए डाकघरों का राज्यवार ब्यौरा (पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर और महाराष्ट्र सहित) विवरण–I में दिया गया है।

(ख) राज्यों में नए डाकघर खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव संघ सरकार के पास लंबित नहीं है। नए डाकघर खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर और महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनकी संख्या विवरण–II में दी गई है। डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने पर निर्भर करता है। इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि अगले तीन वर्षों के दौरान कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह डाकघर के कार्यभार की मात्रा और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	1998–1999		1999–2000		2000–2001	
		बीओ	डीएसओ	बीओ	डीएसओ	बीओ	डीएसओ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	4	3	6	2
2.	असम	54	5	24	7	30	3
3.	बिहार	72	2	51	0	70	1
4.	छत्तीसगढ़					25	1
5.	दिल्ली	4	2	4	2	4	2
6.	गुजरात	31	2	28	2	8	4
7.	हरियाणा	13	3	12	1	2	1
8.	हिमाचल	7	1	2	1	2	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	23	1	14	1	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखंड					0	1
11.	कर्नाटक	12	4	21	3	21	2
12.	केरल	12	3	4	2	4	1
13.	मध्य प्रदेश	50	5	40	4	15	3
14.	महाराष्ट्र	69	3	50	3	60	7
15.	पूर्वोत्तर	54	3	19	3	3	3
16.	उड़ीसा	10	2	14	2	10	2
17.	पंजाब	12	2	9	1	12	2
18.	राजस्थान	30	1	24	1	20	2
19.	तमिलनाडु	10	2	15	2	15	2
20.	उत्तर प्रदेश	82	3	10	2	45	0
21.	उत्तरांचल					6	1
22.	पश्चिम बंगाल	43	4	41	9	0	10
	कुल	598	50	386	49	363	52

डीएसओ : विभागीय उप डाकघर बीओ : अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	पश्चिम बंगाल	4	9	11
2.	जम्मू व कश्मीर	1	1	1
3.	महाराष्ट्र	0	0	1

जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8

1608. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के. जयपुर–अजमेर खंड पर भारी यातायात के कारण इस सड़क पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस सड़क को छह लेनों वाली सड़क में परिवर्तित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सड़क के निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इसे कब तक यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) इस सड़क पर भारी यातायात के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड पर दुर्घटनाओं के मामलों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) रा.रा.–8 के जयपुर–अजमेर खंड के जयपुर के किशनगढ़ उप–खंड (273.500 से 363.805 कि.मी.) के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से 6 लेन वाले विभाजित मार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को वित्तीय समाप्ति के 30 महीनों के अंदर रियायत प्राप्त निजी क्षेत्र द्वारा पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

राजस्थान में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

1609. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने अधिकारियों के विरुद्ध संसद सदस्यों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) राजस्थान में दूरसंचार विभाग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राजस्थान के 22 अधिकारियों के खिलाफ संसद सदस्यों द्वारा शिकायतें की गई हैं।

(ख) जी, हां। पर्याप्त जांच के बाद तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई है। सात अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है तथा चार अधिकारियों को उचित चेतावनी दी गई है।

(ग) राजस्थान में भारत संचार निगम लिमिटेड के 64 अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में एस.टी.डी./आई.एस.डी/ पी.सी.ओ केन्द्र के लिए लंबित पड़े आवेदन

1610. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के दूरसंचार सर्किल में एस.टी.डी./आई. एस.डी./पी.सी.ओ. केन्द्र के लिए कितने आवेदन मंजूरी हेतु गत दो वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. के लिए लंबित आवेदन–पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	सरकारी सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	पिछले दो वर्षों के दौरान लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	भारत संचार निगम लि.	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल	13,884
2.	महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल)	मुंबई मेट्रो जिला	167

(ख) एमटीएनएल, मुंबई में लंबित कुल 167 मामलों में से 81 मामले उपभोक्ता–कारणों से लंबित हैं। शेष 86 मामले हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

बीएसएनएल भी इन मामलों की नियमित निगरानी करता है और भूमिगत केबल बिछाकर तथा एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध करा कर क्षेत्रों को व्यवहार्य बना रहा है।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्यूलर सेवाएं

1611. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की मांग का लाभ उठाने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण मांग को पूरा करने हेतु कितने निवेश का प्रस्ताव है; और

(ग) बी.एस.एन.एल. द्वारा वर्ष 2002–2003 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने हेतु राज्यवार कितने सेल्यूलर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्यूलर नेटवर्क योजना सभी जिला मुख्यालयों, महत्त्वपूर्ण स्टेशनों और राजमार्गों को सुविधा उपलब्ध कराने की है। कुछ निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों या मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। एकमात्र ग्रामीण मांग के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थिर टर्मिनलों सहित वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू. एल.एल.) की भी योजना बनाई गई है। इस डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली में सीमित मोबिलिटी चालू करने की क्षमता है।

राष्ट्रीय नर-वानर प्रजनन और अनुसंधान केन्द्र

1612. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में राष्ट्रीय नर–वानर प्रजनन और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव/अनुरोध को मान लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार आंध्र प्रदेश ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में हैदराबाद में एक नर–वानर (प्राइमेट) प्रजनन और अनुसंधान सुविधा स्थापित करने में अपनी रुचि व्यक्त की है। तथापि, इस समय इस मंत्रालय का हैदराबाद में एक नर–वानर (प्राइमेट) प्रजनन और अनुसंधान सुविधा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीब रोगियों के लिए विवेकाधीन अनुदान

1613. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 2001 से आज तक स्वास्थ्य मंत्री राहत कोष के अधीन उपचार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है और कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहायता प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया के कारण रोगियों को सही समय पर धनराशि नहीं मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जून, 2001 से 8.3.2002 तक स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के अधीन 1628 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 690 को अनुमोदित कर दिया गया था और 175 को निरस्त कर दिया गया था।

(ग) स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में अधूरे आवेदनों/चिकित्सीय रिपोर्टों, आवेदकों द्वारा आय प्रमाण पत्र न भेजे जाने के कारण कुछ मामलों में कार्रवाई करने में अधिक समय लगता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की प्रोन्नति

1614. श्री एम. टी. पलनुगम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड आशुलिपिक (श्रेणी घ) सचिवालय–सेवा (आर.वी.एस.एस.एस.) के संवर्ग अनुपात के पुनर्गठन और पुनर्निवारण के दृष्टिगत रेल–मंत्रालय से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें वर्ष, 2001 से तीन वर्षों तक आशुलिपिक श्रेणी 'ग' में सीधी भर्ती रोकने, तत्काल प्रभाव से श्रेणी 'ग' के न भरे गए सीधी भर्ती कोटा के पदों को वरिष्ठता कोटा में परिवर्तित करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों, जिनकी सेवा 5 से 14 वर्ष की हो चुकी है लेकिन प्रोन्नति के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, के पक्ष में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) रेल–बोर्ड–सचिवालय की आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' में प्रगतिरोध समाप्त करने तथा रेल–बोर्ड–सचिवालय की आशु–लिपिक सेवा के आशुलिपिकों की स्वस्थाने पदोन्नति करने की दृष्टि से रेल–बोर्ड–सचिवालय की आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में, वर्ष, 2001 से तीन वर्ष के लिए सीधी भर्ती करनी बंद किए जाने के उपर्युक्त प्रस्ताव, इस विभाग में क्रमशः दिनांक 25.06.2001 तथा दिनांक 26.06.2001 के कार्यालय–ज्ञापनों द्वारा मिले। उपर्युक्त प्रस्तावों की जांच–पड़ताल करने के बाद, दिनांक 24.01.2002 को रेल–बोर्ड को उपर्युक्त प्रस्तावों के बारे में उत्तर भेज दिया गया। रेल–बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञापनों में, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के सीधी भर्ती के कोटे को वरिष्ठता–कोटे में बदले जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं था।

पाकिस्तान दूतावास को बंद किया जाना

1615. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास को बंद करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान दूतावास में पदस्थापित कर्मचारियों के संबंध आई.एस.आई. के एजेंटों से हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) दो पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों द्वारा 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के उपरांत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक के बाद एक राजनयिक उपायों की घोषणा की जिनमें दोनों देशों के हाई कमीशनों में अपनी–अपनी संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी लाना शामिल है। इस उपाय की 27 दिसम्बर, 2001 को घोषणा की गई।

(ग) और (घ) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक स्तर से भिन्न गतिविधियों में लिप्त होने, जिनमें गैर–कानूनी व्यापार तथा जासूसी शामिल हैं, के कई उदाहरण ध्यान में आए हैं।

हुगली के मुहाने के डुबाव में सुधार

1616. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हुगली के मुहाने के डुबाव में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के हुगली मुहाने में डुबाव सुधारने के लिए 350.84 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर नदी नियामक उपायों के निष्पादन से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस स्कीम में कार्य की निम्नलिखित मदों की परिकल्पना की गई है :

(i) जिगरखाली फ्लैट पर कैपिटल निकर्षण जिसमें बांध का निर्माण करना भी शामिल है।

(ii) नयाचारा द्वीप के पश्चिम की ओर ट्रिमिंग करना।

(iii) नयाचारा द्वीप के दक्षिणी छोर पर गाइड–वॉल।

(iv) संडिया कॉलम और हल्दी नदी के बीच तट संरक्षण कार्य।

(ग) वर्ष 2003 के मध्य तक।

फालतू कर्मचारियों के कौशल का विकास

1617. डा. संजय पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर.एस.) के अधीन फालतू घोषित किए गए उन कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कौशल के बढ़ाए जाने के बाद ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से खपाए जाने हेतु कोई प्रावधान करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं; और

(घ) फालतू श्रम–शक्ति के लिए नीतियों का ब्यौरा क्या है और उनके कौशल को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कर्मचारियों का अधिशेष घोषित किया जाना, मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी–अपनी आवश्यकता के आधार पर तय किया जाता है। अधिशेष कर्मचारियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, कुछ अतिरिक्त कौशलों से संपन्न करवाने के उद्देश्य से उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों में नामित किए जाने के अनुदेश, केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों का पुनर्नियोजन) नियमावली, 1990 में पहले से ही हैं।

(ख) उपर्युक्त अनुदेशों में यह प्रावधान है कि उस मामले में किसी अधिशेष कर्मचारी को पुनः तैनात किए जाने की कार्रवाई, उस तारीख को पूरी कर ली गई समझी जाएगी जिस तारीख को वह किसी अन्य पद का कार्य–भार ग्रहण करने के लिए कार्य–मुक्त कर दिया जाए, जिसमें कर्मचारी ने त्याग–पत्र देने अथवा समय–पूर्व सेवा–निवृत्त होने देने अथवा स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्त होने देने का अनुरोध नहीं किया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अधिशेष कर्मचारियों के पुनः तैनात किए जाने के बारे में नीति, केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों का पुनर्नियोजन) नियमावली, 1990 में निर्धारित की गई है। सरकार ने अधिशेष कर्मचारियों के पुनः तैनात किए जाने, उनके कौशल का उन्नयन किए जाने सहित, उन्हें पुनः प्रशिक्षित किए जाने से संबंधित कार्य की प्रगति मानीटर करने हेतु एक दल गठित किया है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) के समक्ष आतंकवाद से संबंधित लम्बित मामले

1618. श्री रामशकल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को उठाया है और ये मुद्दे विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में सरकार विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) पर दबाव डाल रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) जी, हां। कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहने वाले देश के रूप में भारत ने संवर्द्धित सहयोग के जरिए आतंकवाद के साथ लड़ाई को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता की और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद एक वैश्विक त्रासदी है जिसकी विनाशक पहुंच और घातक क्षमता मादक द्रव्यों के गैर–कानूनी व्यापार, धन के गैर–कानूनी लेन–देन और

हथियारों की तस्करी के वैश्विक नेटवर्क के कारण और बढ़ गई है। 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका में 1 अक्टूबर, 2001 को जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर और 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद में हुए भयंकर आतंकवादी हमलों से आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध एक व्यापक, समन्वित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता का पता चलता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने आतंकवाद पर विद्यमान 12 क्षेत्रीय संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों के बचाव के रास्तों और अन्तरों को समाप्त करने के लिए आतंकवाद से सम्बद्ध एक व्यापक अभिसमय परिचालित करने की पहल की है। इस अभिसमय पर अब तक संयुक्त राष्ट्र में चर्चाओं के चार दौर हो चुके हैं। अभिसमय के अधिकतर पहलुओं पर पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु कुछ मसलों पर अभी भी मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र में 14–18 अक्टूबर, 2002 तक पुनः बातचीत होगी। 28 सितम्बर, 2001 को पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प में आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध व्यापक उपायों की व्यवस्था है जो कि सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। भारत ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि प्रभावी होने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई व्यापक और स्थाई होनी चाहिए तथा यह लड़ाई न सिर्फ आतंकवादी कृत्य करने वालों को बल्कि उन्हें समर्थन देने और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने वालों के विरुद्ध भी की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन

1619. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई प्रौद्योगिकी को कब तक लाया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। एम.ए.आर.आर. आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के स्थान पर नई प्रौद्योगिकी डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस इन लोकन लूप) तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वायरलाइन लगाने की योजना है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

(ख) और (ग) नई प्रौद्योगिकी (डब्ल्यू.एल.एल.) शुरू की जा चुकी है। 500–500 लाइनों की क्षमता वाले 1200 बेस स्टेशनों से युक्त डब्ल्यू एलएल उपस्कर की छह लाख लाइनों का प्रापण किया जा रहा है। इनका आवंटन वीपीटी तथा डी. ई.एल. (सीधी एक्सचेंज लाइनें) उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सर्किलों को किया गया है। उपर्युक्त उपस्करों के कार्य क्षेत्र में आने वाले दोषयुक्त एम.ए.आर.आर. पर आधारित वीपीटी को वायरलाइन अथवा डब्ल्यू.एल.एल. द्वारा बदलने की योजना है। अधिकांश उपस्करों की डिलीवरी हो चुकी है और ये संस्थापना के विभिन्न चरणों पर है। अगस्त, 2002 तक इनके चालू होने की संभावना है।

नये पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्र

1620. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्रों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय में भारी भीड़ देखते हुए कर्नाटक में एक नए पासपोर्ट कार्यालय को खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को विकेन्द्रित करने और इन्हें जनता के निकट पहुंचाने का निश्चय किया है। इस योजना के अन्तर्गत, पासपोर्ट आवेदक अपने भरे हुए पासपोर्ट आवेदनों को देश भर में प्रत्येक राज्य में जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। उन जिलों में जहां आवेदन पत्र प्रति वर्ष 10,000 से अधिक संख्या में आते हैं वहां जिला पासपोर्ट सैल हैं। फार्मों और दस्तावेजों की जांच जिला पासपोर्ट कार्यालय द्वारा की जाएगी और तब उसे पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जो पासपोर्ट जारी करेगा। यह योजना पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम और नागालैंड में प्रारंभ हो गई है।

(ग) कर्नाटक में कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सेवा

1621. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आगामी वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल) सेवा से जोड़ने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के माध्यम से कितने गांवों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ कब तक मिलना शुरू हो जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) बी.एस.एन.एल. ने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) और ग्रामीण टेलीफोन प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वायरलैस लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) उपस्कर की 6 लाख लाइनें प्राप्त की हैं। इन प्रणालियों का प्रयोग करके, 1,09,828 गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। अधिकांश उपस्कर वितरित कर दिए गए हैं तथा ये संस्थापना/चालू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रणालियों को अगस्त, 2002 तक चालू करने की योजना बनाई गई है।

श्रीलंका के प्रधान मंत्री का दौरा

1622. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका को मानवीय सहायता बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने दिसंबर, 2001 में भारत का दौरा किया था और प्रधान मंत्री के साथ वार्ता की थी;

(घ) यदि हां, तो इस वार्ता के निष्कर्ष क्या निकाले;

(ङ) क्या भारत श्रीलंका को गेहूं सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) श्रीलंका ने जातीय समस्या को सुलझाने में भारत की सहायता की पेशकश को किस सीमा तक स्वीकार किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (छ) श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे 22 से 24 दिसम्बर, 2001 तक भारत की यात्रा पर आए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न मसलों पर व्यापक चर्चा हुई जिनमें दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होते हैं। हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ सारगर्भित चर्चा हुई।

श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया गया और शांति प्रक्रिया एवं श्रीलंका के आर्थिक विकास और प्रगति की दिशा में पूरी तरह से सहयोग करने की पुनः पुष्टि की गई।

दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए तथा श्रीलंका की सरकार के अनुरोध के बाद भारत श्रीलंका को दोनों पक्षों को सहमत 300,000 टन गेहूं देगा। श्रीलंका का एक शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आया और उसने 27 फरवरी,

2002 को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से सारगर्भित बातचीत की।

दोनों पक्ष कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग करने पर सहमत हुए जिनमें कृषि, विद्युत तथा सूचना प्रौद्योगिकी को तत्काल प्राथमिकता देना शामिल है।

दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच भूमि पुल के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने के कार्य के संबंध में भी सहमत हुए।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोग

1623. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश को सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 50वें दौर (जुलाई, 1993–जून, 1994) के घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की कुल संख्या वर्ष 1993–94 में बिहार में 493.35 लाख और उत्तर प्रदेश में 604.46 लाख होने का अनुमान लगाया है।

(ख) जी, नहीं। 55वें दौर (जुलाई, 1999–जून, 2000) के घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी एनएसएस के आंकड़ों से लगाए गए अनुमान के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की कुल संख्या वर्ष 1999–2000 में बिहार में 425.64 लाख और उत्तर प्रदेश में 529.89 लाख है।

(ग) विगत तीन वर्षों, अर्थात् 1998–99 से 2000–01 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अन्तर्गत कुल आवंटन (केन्द्र+राज्य) और कुल व्यय के संबंध में वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों, अर्थात् 1998–99 से 2000–01 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु.)

बिहार

कार्यक्रम	1998–99		1999–2000		2000–01 (अनंतिम)	
	कुल आवंटन	व्यय	कुल आवंटन	व्यय	कुल आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
आईआरडीपी/एसजीएसवाई	253.37	142.22	271.66	100.68	168.22	99.85

1	2	3	4	5	6	7
जेआरवाई/जेजीएसवाई	479.26	418.51	407.06	353.24	219.68	170.06
ईएएस	232.45	284.69	449.39	324.67	175.80	184.44
आईएवाई	342.76	271.91	514.64	358.52	397.77	267.10

उत्तर प्रदेश

कार्यक्रम	1998–99		1999–2000		2000–01 (अनंतिम)	
	कुल आवंटन	व्यय	कुल आवंटन	व्यय	कुल आवंटन	व्यय
आईआरडीपी/एसजीएसवाई	278.83	248.86	298.97	66.28	242.18	199.68
जेआरवाई/जेजीएसवाई	527.43	555.07	447.98	358.05	393.37	432.38
ईएएस	439.42	588.17	494.55	408.46	296.79	333.12
आईएवाई	377.21	371.51	314.20	279.58	284.64	279.26

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

आईआरडीपी : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
एसजीएसवाई : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
जेआरवाई : जवाहर रोजगार योजना
ईएएस : रोजगार आश्वासन स्कीम
जेजीएसवाई : जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
आईएवाई : इंदिरा आवास योजना

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों को ऋण

1624. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी बोर्डों के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध करा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान इस हेतु राज्यवार कितनी धनराशि वितरित की गई और कितने व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचा?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की वित्तीय संस्थान के रूप में कल्पना नहीं की गई है। संस्थानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योग की सालाना विकास दर

1625. डा. सुशील कुमार इंदौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नब्बे के दशक के दौरान लघु उद्योगों की वार्षिक विकास दर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश की वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर में उक्त विकास दर का क्या योगदान है;

(घ) क्या लघु उद्योग की वार्षिक विकास दर इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य से कम रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्योगों की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर तथा नब्बे के दशक के दौरान कुल औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में विवरण संलग्न है। इस अवधि के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का योगदान 39 प्रतिशत अनुमानित है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

लघु उद्योग क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	लघु उद्योग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1990–91	8.61	8.2
1991–92	3.1	0.6
1992–93	5.6	2.3
1993–94	7.1	6.0
1994–95	10.1	9.4
1995–96	11.4	12.1
1996–97	11.3	7.1
1997–98	8.43	6.7
1998–99	7.7	4.1
1999–2000	8.16	6.5

वलसाड जिले के गांवों में टेलीफोन सुविधा

1626. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के वलसाड जिले में अब तक कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है और कितने गांवों में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार वलसाड जिले के शेष गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) उक्त सुविधा शेष गांवों में कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) यह सूचित किया गया है कि अब तक गुजरात के वलसाड जिले के 607 गांवों में टेलीफोन–सुविधा दी जा चुकी है तथा 623 गांवों में उक्त सुविधा अभी दी जानी है।

(ख) और (ग) शेष गांवों में दिसम्बर, 2002 तक यह सुविधा दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1627. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में टेलीफान कनेक्शन आवेदन की तिथि के छह महीनों के अंदर प्रदान कर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली में ऐसे आवेदनों की जोनवार संख्या कितनी है जिनके आवेदन गत छह महीनों और एक वर्ष से अधिक समय से ऐसे कनेक्शनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा धनराशि के जमा किए जाने के बाद भी लंबित हैं; और

(घ) ऐसे विलंब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) एमटीएनएल, दिल्ली द्वारा नए टेलीफोन कनैक्शन आम तौर पर 15 दिन के भीतर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। भूमिगत केबल–पेयर अथवा एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध न होने के कारण केवल कुछ मामलों में टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने में विलंब होता है।

(ग) लंबित मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) यह विलंब भूमिगत केबल–पेयर उपलब्ध न होने के कारण है।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र के नाम	28.2.2002 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	
		6 माह से अधिक	एक वर्ष से अधिक
1.	मध्य	शून्य	–
2.	पूर्व	15	–
3.	यमुना पार	600	–
4.	उत्तर–I	501	–
5.	उत्तर–II	578	–
6.	दक्षिण–I	132	–
7	दक्षिण–II	710	–
8.	पश्चिम–I	1868	645
9.	पश्चिम–II	58	–

[हिन्दी]

झारखंड से प्रस्ताव

1628. श्री ब्रजमोहन राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य से प्रत्येक क्षेत्र में विकास के संबंध में कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो योजना आयोग के विचाराधीन हैं;

(ख) मंजूरी प्रदान किए गए प्रस्तावों और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोग

1629. श्री जी. जे. जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं; और

(ग) प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों के विकास हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना को क्या मार्गनिर्देशित प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगभग पांच वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। ऐसे दो नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1993–94

(एनएसएस 50वां दौर) और वर्ष 1999–2000 (एनएसएस 55वां दौर) में कराए गए थे। वर्ष 1993–94 और 1999–2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य–वार प्रतिशतता और संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) वर्ष 1993–94 में असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 40 से अधिक है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993–94		1999–2000	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	153.97	22.19	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.73	39.35	3.98	33.47
3.	असम	96.36	40.86	94.55	36.09
4.	बिहार	493.35	54.96	425.64	42.60
5.	गोवा	1.91	14.92	0.70	4.40
6.	गुजरात	105.19	24.21	67.89	14.07
7.	हरियाणा	43.88	25.05	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	15.86	28.44	5.12	7.63
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20.92	25.17	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	156.46	33.16	104.40	20.04
11.	केरल	76.41	25.43	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	298.52	42.52	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	305.22	36.86	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.80	33.78	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.38	37.92	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.94	25.66	1.85	19.47
17.	नागालैंड	5.05	37.92	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	160.60	48.56	169.09	47.15
19.	पंजाब	25.11	11.77	14.49	6.16
20.	राजस्थान	128.50	27.41	81.83	15.28
21.	सिक्किम	1.84	41.43	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	202.10	35.03	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	11.79	39.01	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	604.66	40.85	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	254.56	35.66	213.49	27.02
26.	अंड. व निको. द्वीप समूह	1.06	34.47	0.82	20.99
27.	चण्डीगढ़	0.80	11.35	0.51	5.75
28.	दादरा व नगर हवेली	0.77	50.84	0.33	17.14
29.	दमन एवं दीव	0.18	15.80	0.06	4.44
30.	दिल्ली	15.51	14.69	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.14	25.04	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	3.31	37.40	2.41	21.67
	अखिल भारत	3203.68	35.97	2602.50	26.10

[हिन्दी]

आतंकवादियों को वित्तीय सहायता

1630. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूह–7 के देशों के विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को वित्तीय सहायता की आवक को रोकेन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी बैंकों में आतंकवादियों की अवैध धनराशि के हस्तांतरण को रोकने हेतु किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) ऐसी किसी कार्य योजना के विषय में ग्रुप–7 देशों द्वारा सरकार को सूचित नहीं किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

1631. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों के अभाव और केन्द्रीय सहायता की कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों पर कम ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम की संपूर्ण लागत को केन्द्रीय योजना की परियोजना के रूप में वहन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (दिसम्बर 2001–के अन्त तक) के दौरान इस संबंध में उनकी उपलब्धियों की प्रतिशतता के आधार पर उनकी स्थिति के अनुसार राज्यों की सूची क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में जारी है। इस कार्यक्रम के लिए निधियों के आवंटन में पिछले पांच वर्षों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तदनुसार, राज्यों को की जाने वाली विमुक्तियों में भी वृद्धि हो रही है। दसवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात 2002–2003 से देश के सभी उप केन्द्रों (137311) को, राज्यों को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के हस्तान्तरण के बदले में परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। इससे परिवार कल्याण कार्यकलापों में सुधार करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। वर्षवार आवंटन इस प्रकार है :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1997–98	1829.35	1829.35
1998–99	2489.35	2253.00
1999–2000	2920.00	3120.00
2000–01	3520.00	3200.00
2001–02	4210.00	3700.00
2002–03	4930.00	

(घ) जनसंख्या वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और दंपती सुरक्षा दर आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं के राज्यवार जनांकिकीय सूचकों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जनसांख्यिकीय संकेतक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (हजार में) 2001	वार्षिक घातांकी वृद्धि दर प्रतिशत 1991-2001	साक्षरता दर प्रतिशत महिला (7 वर्ष और उससे ऊपर) 2001	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं) 2001	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) 1999	अशोधित मृत्यु दर दर (सीबीआर) 1999	प्राकृतिक वृद्धि (सीबीआर सीडीआर) 1999	शिशु मृत्यु दर 1999	टीएफआर 1998	विवाह के समय औसत आयु (महिलाएं) 1998	सीपीआर (प्रतिशत में) 31.3.2000 सभी विधियों द्वारा	सीपीआर (प्रतिशत में) 31.3.2000 अनंतिम बंधाकरण द्वारा
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	भारत	**1,027,015**	**1.93**	**54.16**	**933**	**26.1**	**8.7**	**17.4**	**70**	**3.2**	**19.5**	**48.2**	**29.0**
	I. बड़े राज्य												
1.	आंध्र प्रदेश	75,728	1.30	51.71	978	21.7	8.2	13.5	66	2.4	16.7	52.8	44.5
2	असम	26,638	1.73	56.03	932	27.0	9.7	17.3	76	3.2	20.3	15.2	12.3
3.	बिहार	82,879	2.50	33.57	921	31.5	8.9	22.6	63	4.3	18.8	21.2	16.7
4.	गुजरात	50,597	2.03	58.60	921	25.4	7.9	17.5	63	3.0	20.2	52.8	35.4
5.	हरियाणा	21,083	2.47	56.31	861	26.8	7.7	19.1	68	3.3	19.1	49.4	32.3
6.	कर्नाटक	52,734	1.59	57.45	964	22.3	7.7	14.6	58	2.4	19.5	56.3	44.8
7.	केरल	31,839	0.90	87.86	1058	18.0	6.4	11.6	14	1.8	23.6	39.6	34.5
8.	मध्य प्रदेश	60,358	2.18	50.28	920	31.1	10.4	20.7	90	3.9	18.8	45.9	28.0
9.	महाराष्ट्र	96,752	2.04	67.51	922	21.1	7.5	13.6	48	2.7	19.2	49.3	40.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. उड़ीसा	36,707	1.48	50.97	972	24.1	10.7	13.4	97	2.9	19.8	37.6	26.5
11. पंजाब	24,289	1.80	63.55	874	21.5	7.4	14.1	53	2.6	21.0	65.5	35.2
12. राजस्थान	56,473	2.49	44.34	922	31.1	8.4	22.7	81	4.1	19.0	36.1	22.9
13. तमिलनाडु	62,111	1.06	64.55	986	19.3	8.0	11.3	52	2.0	20.9	50.4	39.3
14. उत्तर प्रदेश	166,053	2.30	42.98	898	32.8	10.5	22.3	84	4.6	19.8	38.0	17.3
15. पश्चिम बंगाल	80,221	1.64	60.22	934	20.7	7.1	13.6	52	2.4	19.6	32.2	27.2
II. छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	1,091	2.33	44.24	901	22.3	6.0	16.3	43	2.8	अनुपलब्ध	14.0	9.7
2. छत्तीसगढ़	20,796	1.66	52.40	990	26.9	9.6	17.3	78				
3. दिल्ली	13,783	3.81	75.00	821	20.3	4.8	15.5	31	1.6	अनुपलब्ध	27.0	17.0
4. गोवा	1,344	1.39	75.51	960	14.3	7.2	7.1	21	1.0	अनुपलब्ध	23.9	21.1
5. हिमाचल प्रदेश	6,077	1.62	68.08	970	23.8	7.3	16.5	62	2.4	20.8	46.9	34.8
6. जम्मू व कश्मीर	10,070	2.55	41.82	900	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	14.4	12.1
7. झारखंड	26,909	2.09	39.38	941	26.3	8.9	17.4	71				
8. मणिपुर	2,389	2.63	59.70	978	18.6	5.4	13.2	25	2.4	अनुपलब्ध	17.8	11.3
9. मेघालय	2,306	2.62	60.41	975	28.7	9.1	19.6	56	4.0	अनुपलब्ध	4.7	2.8
10. मिजोरम	891	2.56	86.13	938	17.0	5.5	11.5	19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	34.3	28.9
11. नागालैंड	1,989	4.97	61.92	909	11.8	2.3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1.5	अनुपलब्ध	8.2	6.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12. सिक्किम	540	2.85	61.46	875	21.6	5.8	15.8	49	2.5	अनुपलब्ध	21.5	14.8
13. त्रिपुरा	3,191	1.46	65.41	950	17.0	5.7	11.3	42	3.9	अनुपलब्ध	23.4	17.0
14. उत्तरांचल	8,480	1.76	60.26	964	19.6	6.5	13.1	52				
III. संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	356	2.39	75.29	846	18.1	5.5	12.6	25	1.9	अनुपलब्ध	38.4	32.2
2. चंडीगढ़	901	3.39	76.65	773	17.9	3.9	14.0	28	2.1	अनुपलब्ध	33.5	23.3
3. दादरा व नगर हवेली	220	4.65	42.99	811	34.2	6.6	27.6	56	3.5	अनुपलब्ध	27.5	25.8
4. दमन व दीव	158	4.42	70.37	709	26.9	7.1	19.8	35	2.5	अनुपलब्ध	29.3	23.0
5. लक्षद्वीप	61	1.59	81.56	947	25.1	4.7	20.4	32	2.8	अनुपलब्ध	7.2	3.3
6. पांडिचेरी	974	1.87	74.13	1001	17.7	6.9	10.8	22	1.8	अनुपलब्ध	58.4	51.2

स्रोत : 1. कालम 2 = जनसंख्या 2001 2. कालम 6-11 = एस आर एस अनुमान कालम 12 = परिवार कल्याण अनुभाग

कालम 3, 4, 5 = 2001

#जम्मू व कश्मीर और नागालैंड को छोड़कर

नोट : 1. छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए टी.एफ.आर. तीन वर्षीय अस्थिर औसत 1995–97

2. छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिशु मृत्यु दर 1997–99 की अवधि के लिए है।

केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार द्वारा एम.आर.टी.पी. अधिनियम का उल्लंघन

1632. श्री अरूण कुमार :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री रामजी मांझी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों को केवल केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. से ही लेखन–सामग्री व अन्य वस्तुएं इत्यादि खरीदने के कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 1999 की अपनी रिपोर्ट सं. 8 में इनकी कटु आलोचना की है और इन अनुदेशों की समीक्षा करने को कहा है;

(घ) क्या अब तक इन अनुदेशों की समीक्षा नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कीमतों की जांच करने तथा इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के दिनांक 14.07.1981 के समय–समय पर यथा संशोधित कार्यालय–ज्ञापन संख्या 14/14/80–कल्याण के अनुसार, केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित केन्द्रीय सरकार–कार्यालयों आदि को लेखन–सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमोदित अभिकरण हैं। दिल्ली से बाहर अवस्थित सरकारी कार्यालयों के संबंध में स्थानीय केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियां तथा केन्द्रीय भंडार/राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की, ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित शाखाएं ऐसी आपूर्ति करने के लिए अनुमोदित अभिकरण हैं।

उपर्युक्त अनुदेश, भारत–सरकार की सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की तत्कालीन नीति ध्यान में रखते हुए, जारी किए गए। दिनांक 14.07.1981 के यथासंशोधित कार्यालय–ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भारत–सरकार (रक्षा सेवाएं–वायु सेना तथा नौ सेना) के संबंध में वर्ष, 1999 की अपनी रिपोर्ट संख्या 8 में, अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी की है कि सरकार इस विषय में जारी मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करे तथा ऐसी वस्तुएं विनिर्दिष्ट करे जिन्हें निविदा के बिना सहकारी समिति से खरीदा जा सके। चूंकि उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन व्यापक प्रभावों से युक्त हैं, अतः वित्त–मंत्रालय सहित सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके इसकी समीक्षा की जा रही है। इस बारे में कुछ ही समय में कोई अंतिम निर्णय ले लिए जाने की उम्मीद है।

(छ) सामान्यतः इन सहकारी समितियों में अधिकांश वस्तुओं की कीमतें, बाजार में चल रही कीमतों से कम पाई जाती हैं। उपभोक्ताओं को सामान सर्वोत्तम संभव दरों पर सुलभ करवाने की दृष्टि से, केन्द्रीय भंडार, निर्माताओं/प्राधिकृत वितरकों को दर पर आधारित संविदा–निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

विवरण

संख्या 14/14/80–वेलफेयर
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
(गृह मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली से स्टेशनरी एवं अन्य सामान की स्थानीय खरीद।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 20.06.80 के का.ज्ञा.सं. 14/14/80–वेलफेयर का हवाला देने का निदेश

हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी आवश्यकता की स्टेशनरी, सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल और अन्य मदों की सारी स्थानीय खरीद निवेदित भाव/या दर सूची मंगाने की व्यापक प्रक्रिया का पालन किए बिना केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, लि., नई दिल्ली से की जाए। तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 16.5.81 के समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि 250/– रुपए तक की खरीद निविदा के बिना ही सहकारी सोसायटी से की जा सकती है और इससे ज्यादा की खरीद पर सामान्य वित्तीय नियम के उपबंध लागू होंगे और इसके लिए सामान्य वित्तीय नियम, 1963 के अध्याय 8 में निर्धारित किए गए अनुसार निविदा आमंत्रित की जानी होगी।

2. अब मामले की संवीक्षा की गई है उपभोक्ताओं को सर्वाधिक कम और प्रतियोगी मूल्यों पर सामान और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना सहकारी आन्दोलन का स्पष्ट लक्ष्य है। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सहकारी विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 1968 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किए थे कि अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते समय सरकारी कार्यालयों को उपभोक्ता सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारी विभागों ने मार्च 1972 में सभी राज्य सरकारों आदि को लिखे एक अन्य परिपत्र में इसे दोहराया था। उक्त पत्र में कहा गया है कि सहकारी उपभोक्ता सोसायटी विशेषकर वे विभागीय भंडार जिन्होंने सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त की है और जो रजिस्ट्रार, को–आपरेटिव सोसायटीज और राज्य सरकारों के सांविधिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं, वे उचित एवं उपयुक्त मूल्य पर उपभोक्ता सामानों की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एजेन्सियां हैं और कि जब वे ईमानदारी पूर्ण एवं कुशल सेवा प्रदान करती हैं तो उनकी डीटिंग उस बेइमानी से मुक्त होती है जो निजी व्यापारी करते हैं जैसे कि मुनाफाखोरी, मिलावट, नकली एवं कम स्तरीय सामान की बिक्री, कम तोलना और कम अपवंचन। अतः इस विभाग ने महसूस किया कि कोई कारण नहीं है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जारी दिशानिर्देशों को केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा की गई खरीद के मामले में उन पर लागू न किया जाए।

3. सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर उनकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के ठोस उपाय के रूप में 1963 में स्थापित केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लि. नई दिल्ली कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। सोसायटी की शेयर पूंजी में पर्याप्त निवेश करने के अलावा सरकार इन्हें सब्सिडी, ऋण, उधार के मुद्दे सेलाठेरेल गारन्टी आदि देकर समय–समय पर इनकी वित्तीय मदद भी करती रही है। सोसायटी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का एक संयुक्त सचिव होता है जो इसकी गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से नियंत्रित करता है।

4. उपरोक्त पैरा 2 एवं 3 में उल्लिखित पृष्ठभूमि को देखते हुए निर्माण एवं आवास मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग, जिनसे परामर्श किया गया था, इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सरकार द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपनी जरूरत की स्टेशनरी और अन्य सामान की सारी स्थानीय खरीद केवल केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी, लि., नई दिल्ली से ही करें। यदि सोसायटी किसी सामान विशेष की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो केवल तभी उन्हें स्थानीय खरीद की जगह अन्य स्रोतों से खरीद की अनुमति दी जाए।

5. इस सोसायटी द्वारा बेचे जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमत कुल मिलाकर बाजार की कीमत से कम होती है। इस बात के मद्देनजर वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, लि., की जाने वाली खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने संबंधी सामान्य वित्तीय नियम के अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया से छूट देने पर सहमत हो गया है। तथापि गुणदत्ता और उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने के सुरक्षापाय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सामान्यतः सरकारी विभागों द्वारा इंडेन्ट किए जाने वाले सामानों का एक समिति द्वारा निर्धारण किया जाएगा जिसमें पूर्ति विभाग, निर्माण एवं आवास विभाग तथा केन्द्र सरकार कर्मचारी, उपभोक्ता सहकारी समिति प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल होगा और उनके द्वारा निर्धारित मूल्य 3 महीने तक लागू रहेंगे। सोसायटी का महाप्रबंधक इंडेंटिंग संगठनों को समय–समय पर सोसायअी के पास उपलब्ध वस्तुओं की विस्तृत सूची भेजेगा।

6. अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए और सरकारी विभागों आदि के द्वारा की जाने वाली स्थानीय खरीद के संबंध में उनका

अनुपालन किया जाए। मंत्रालय/विभागों से भी अनुरोध है कि वे अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों को निदेश दें कि वे सोसायटी से अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी और अन्य मदों को खरीदने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें।

7. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 14.7.81 के यू.ओ. सं. 4747/जे.एस. के तहत उनके द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किया जाता है।

ह./–

(टी. रामास्वामी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

संख्या 14/6/87–वेलफेयर

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

(गृह मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 19.8.87

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली से स्टेशनरी एवं अन्य सामान की स्थानीय खरीद।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14.07.81 के का.ज्ञा.सं. 14/14/80–वेलफेयर का हवाला देने का निदेश हुआ है कि जिनमें यह कहा गया था कि सरकारी आवश्यकता की वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लि. नई दिल्ली के माध्यम से की जाए।

2. मामले की संवीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 14.7.81 के उपर्युक्त का.ज्ञा. में निहित अनुदेशों का पालन जारी रहेगा और केन्द्र सरकार के सभी विभाग, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और उनके द्वारा वित्त पोषित और/या सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित है, 1.1.88 से अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी एवं अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भंडार या सुपर बाजार, दिल्ली से करेंगे। यदि सोसायटी या सुपर बाजार किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति करने में अक्षम है तो केवल तभी ऐसी वस्तुएं अन्य स्रोतों से खरीदी जा सकती है वह भी नियमानुसार उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें और इन्हीं अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि, जो उनके नियंत्रणाधीन है एवं दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित है, के ध्यान में लावे।

ह./–

(हर्ष वर्धन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

सं. 14/6/87–वेलफेयर

दिनांक 19.8.87

संख्या 14/1/88–वेलफेयर (खण्ड–II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

लोकनायक भवन,

नई दिल्ली, दिनांक 11.4.94

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद संबंधी अनुदेश।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 4.2.88 के का.ज्ञा.सं. 14/3/88–वेलफेयर और दिनांक 28.2.89 के का. ज्ञा.सं. 14/2/89–वेलफेयर का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार के विभाग, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, उनके द्वारा वित्तपोषित और/या

सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में या दिल्ली से बाहर स्थित हैं, अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी या अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार दिल्ली से करें तथा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालय ऐसी स्थानीय खरीद स्थानीय केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी सोसायटीज, उनमें स्थित केन्द्रीय भंडार से करें। यदि वे किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो केवल तभी वह वस्तु नियमानुसार उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अन्य स्रोतों से खरीदी जा सकती है।

2. उसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली में/दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय आदि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उसकी यूनिटों में फाइल कवर अथवा सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार से केवीआईसी के उत्पादों की खरीद कर सकते हैं।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी की स्थानीय खरीद के प्रयोजनार्थ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ को शामिल करने संबंधी मामला कुछ समय से इस विभाग के विचाराधीन था। अब यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों की जरूरत की स्टेशनरी एवं अन्य मदों की आपूर्ति के लिए एनसीसीएफ को एक एजेन्सी के रूप में शामिल कर लिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के सभी विभाग, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और उनके द्वारा वित्तपोषित/या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित हैं, 1.4.94 से अपनी जरूरत एवं अन्य सामानों की स्थानिय खरीद एनसीसीएफ से भी कर सकते हैं।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें इन्हें अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि, जो उनके नियंत्रणाधीन हैं एवं दिल्ली/नई दिल्ली में या दिल्ली से बाहर स्थित हैं, के ध्यान में लाएं और इनका सख्त अनुपालन कराएं।

ह./–

(एस. के. दास गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

संख्या 14/3/88–कल्याण

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, फरवरी 04, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली से बाहर अवस्थित सरकारी कार्यालयों द्वारा लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक अगस्त 19, 1987 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 14/6/87–कल्याण का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित केन्द्रीय सरकार के सभी विभाग, उनके सम्बद्ध और अधिनस्थ कार्यालय और सरकार द्वारा वित्त–पोषित और/अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संगठन, 01.01.1988 से अपने द्वारा अपेक्षित लेखन–सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की सम्पूर्ण स्थानीय खरीद, केन्द्रीय भंडार अथवा सुपर बाजार, दिल्ली से करें।

2. उपर्युक्त मसले की आगे और समीक्षा की गई है। यह तय किया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर अवस्थित केन्द्रीय सरकार के सभी विभाग और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त–पोषित और/अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अन्य संगठन, 01.01.1988 से, अपने द्वारा अपेक्षित–सामग्री और अन्य वस्तुओं की सम्पूर्ण स्थानीय खरीद, वहां अवस्थित केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समिति, केन्द्रीय भंडार (केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) यदि कोई हो, से करें। उपर्युक्त समिति द्वारा किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति नहीं कर पाने की स्थिति में ही, उनसे 'अनापत्ति–प्रमाण–पत्र' हासिल करने के बाद, नियमों के अनुसार ऐसी वस्तुओं की खरीद, अन्य स्रोतों से की जाए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर अवस्थित अपने–अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा अपने–अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि

द्वारा कड़ाई से पालन करवाने हेतु इन अनुदेशों को उनके भी ध्यान में लाने का अनुरोध है।

ह./–

(हर्ष वर्धन)

भारत सरकार के अवर सचिव

सांख्यवाहिनी परियोजना

1633. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में एक तीव्र गति वाले डाटा नेटवर्क (हाई स्पीड डाटा नेटवर्क) को स्थापित करने के लिए शुरू की गई "सांख्यवाहिनी परियोजना" को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत की तुलना में अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके स्थान पर किसी वैकल्पिक परियोजना पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) "सांख्यवाहिनी इंडिया लिमिटेड" आई यू नेट के साथ एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम था जो कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी (सीएमयू), यू.एस.ए. के पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है। सी एम यू ने परियोजना को शुरू करने में हुए विलंब और दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित वाद के कारणों का हवाला देते हुए उक्त संयुक्त उद्यम से अलग होने का निर्णय लिया है।

(ग) परियोजना प्रारंभ ही नहीं हुई। इसलिए परियोजना पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार संचार सागर परियोजनाओं के माध्यम से बैंडविड्थ उपलब्ध कराने संबंधी अपनी मूल योजना को जारी रखेगी। संचार सागर परियोजना के चरण–I और चरण–II के बाद उच्च बैंडविड्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेंसवेव डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम (डी.डब्ल्यू. डी.एम.) की शुरूआत होगी। संचार सागर चरण–I 33 शहरों को कवर करते हुए पूरा कर लिया गया है तथा चरण–II 150 अतिरिक्त शहरों को कवर करेगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की कम्पनियां तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी देश में बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के लिए आप्टीकल फाइबर लिंक्स स्थापित कर रहे हैं।

डरबन में भारतीयों पर हमला

1634. डा. राजेश्वरम्मा चुक्कला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीयों पर हमले किए जाने के कतिपय मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औषधालयों में घटिया दवाएं/ दवाओं की अनुपलब्धता

1635. श्री नरेश पुगलिया :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण और घटिया किस्म की दवाओं की अनुपलब्धता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का औचक निरीक्षण किए जाने हेतु कृतक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वे औषधालय कौन से हैं जिनका कृतक बल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है;

(च) क्या कृतक बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो कृतक बल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) पांच सदस्यों का एक कृतक बल गठित किया गया है जिसमें एक एस.ए.जी. स्तर का अधिकारी, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) के स्तर का अधिकारी, दो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर के अधिकारी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक उप सचिव शामिल है।

(ङ) अब तक निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का निरीक्षण किया गया है :

1. सरोजिनी नगर मार्किट
2. चाणक्यपुरी
3. लोधी रोड संख्या 10
4. पंडारा रोड
5. डा. जैन एच. रोड

(च) जी, हां।

(छ) कृतकबल द्वारा की गई सिफारिश पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	किस प्रकार की शिकायत की गई	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, सेक्टर 12, आर.के. पुरम, (आयुर्वेद)	अनुपयुक्त कार्यकरण	प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को औषधालय के उपयुक्त कार्यकरण के लिए पहले ही आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं।
2.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, कालकाजी का स्टोरकीपर	घटिया किस्म की औषधों की आपूर्ति	शिकायतें बेबुनियाद हैं।
3.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, कालकाजी	–तदैव–	आरोप बेबुनियादी हैं।
4.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, आर.के. पुरम–VI	–तदैव–	यह सूचित किया गया था कि उसे जेनरिक नाम से सप्लाई की गई औषधें मानक किस्म की थीं जिनमें वही साल्ट और वही रासायनिक संघटन है।
5.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, मुनिरका	–तदैव–	लाभार्थी को सरकार की नीति के बारे में सूचित कर दिया गया था।

1	2	3	4
6.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, पुष्प विहार	घटिया किस्म की औषधों की आपूर्ति	यह सूचित किया गया था कि उसे जेनरिक नाम से सप्लाई की गई औषधें मानक किस्म की हैं जिसमें वही साल्ट और वही रासायनिक संघटन है।
7.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, आर.के. पुरम–I	–तदैव–	शिकायत कर्ता को पहले ही उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया है।
8.	चिकित्सा अधीक्षक/सी.जी.एच.एस. औषधालय, कालकाजी	अनुपयुक्त कार्यकरण	कार्रवाई की जा रही है।
9.	प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सी.जी.एच.एस. औषधालय, हौज खास	–तदैव–	शिकायत कर्ता ने अपना पता अथवा अपना सी.जी.एच. एस. कार्ड नं. नहीं बताया है और इसलिए पहचान नहीं की जा सकी और इसलिए शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।
10.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, लक्ष्मीबाई नगर	अनुपयुक्त कार्यकरण	कार्रवाई की जा रही है।
11.	सी.जी.एच.एस. औषधालय, कालका जी	–तदैव–	–तदैव–
12.	जनकपुरी (आयुर्वेदिक) सी.जी.एच.एस., औषधालय	कुप्रबन्ध	ए डी (एन जैड), सीजीएचएस द्वारा आकस्मिक दौरा किया गया और सब कुछ ठीक–ठाक पाया गया। शिकायतकर्ता को तद्नुसार उत्तर भेज दिया गया।
13.	अशोक विहार, सी.जी.एच.एस. औषधालय	विभिन्न समस्याएं	प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लाभार्थियों के साथ बैठक की। वे संतुष्ट थे और उन्होंने धन्यवाद दिया।
14.	रोहिणी, सी.जी.एच.एस. औषधालय	समय–पाबंदी	परिपत्र जारी किया गया और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपयुक्त ढंग से सलाह दी गई।
15.	सब्जी मंडी, सी.जी.एच.एस. औषधालय	समय–पाबंदी	समय–पाबंदी के बारे में परिपत्र जारी कर दिया गया है और उसका जोनल निदेशक द्वारा समय–पाबंदी सुनिश्चित करने हेतु अनुपालन भी किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14

1636. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 से जोड़ने के बारे में सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) वर्ष 2000 में गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विधिवत विचार

किया गया किंतु यातायात की आवश्यकता, ऐसे प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

[अनुवाद]

साइबर पार्कों की स्थापना

1637. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार वे स्थान कौन–कौन से हैं जहां आज की स्थिति के अनुसार साइबर पार्क स्थापित किए गए है;

(ख) प्रत्येक पार्क में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और प्रत्येक सुविधाओं के लिए क्या प्रभार तय किया गया है;

(ग) उक्त साइबर पार्कों को स्थापित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में किन–किन स्थानों पर इन पार्कों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सांफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था ने देश भर में 35 केन्द्र स्थापित किए हैं। एसटीपीआई केन्द्रों की राज्यवार सूची विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) प्रत्येक पार्क में उपलब्ध सुविधा और प्रत्येक सुविधा के लिए अधिरोपित टैरिफ विवरण–II में दिया गया है।

(ग) एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संभावित स्थल का चयन करना, 3 एकड़ भूमि और 3000 वर्ग फुट निर्मित स्थल उपलब्ध कराना, परियोजना की सम्पूर्ण लागत की आंशिक भरपाई के लिए 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान देना अपेक्षित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन केन्द्रों में द्रुत गति डेटा संचार सुविधा की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है।

(घ) अगले वित्तीय वर्ष में जिन स्थानों पर एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना की जाने की संभावना है उनकी महाराष्ट्र सहित सूची विवरण–III दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	बंगलौर	कर्नाटक
2.	मणिपाल	कर्नाटक
3.	मैसूर	कर्नाटक
4.	मंगलौर	कर्नाटक
5.	हुबली	कर्नाटक
6.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
7.	राउरकेला*	उड़ीसा
8.	पुणे	महाराष्ट्र
9.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
10.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
13.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
14.	विजयवाड़ा*	आंध्र प्रदेश
15.	वारंगल*	आंध्र प्रदेश
16.	तिरुपति*	आंध्र प्रदेश
17.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20.	देहरादून*	उत्तरांचल

1	2	3
21.	गांधी नगर	गुजरात
22.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
23.	चेन्नै	तमिलनाडु
24.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
25.	त्रिची*	तमिलनाडु
26.	मदुरै*	तमिलनाडु
27.	मोहाली	पंजाब
28.	जयपुर	राजस्थान
29.	गुवाहाटी	असम
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
31.	इंदौर	मध्य प्रदेश
32.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
34.	भिलाई	छत्तीसगढ़ी
35.	पांडिचेरी*	पांडिचेरी

*ये केन्द्र हाल ही में पूरे हुए हैं और प्रचालन के लिए तैयार हैं।

विवरण-II

सांविधिक सेवाएं

साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना :

साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी), संचार सम्पर्कों अथवा वास्तविक मीडिया का प्रयोग करते हुए व्यवसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए एक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है। यह योजना अपने-आप में अद्वितीय है क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्र अर्थात कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर केन्द्रित है। इस योजना में भारत सरकार की शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) और निर्यात संसाधन जोन (ईपीजेड) संकल्पना तथा विश्व में अन्य स्थानों पर कार्यरत वैज्ञानिक पार्क/प्रौद्योगिकी पार्क संकल्पना को एकीकृत किया गया है।

एसटीपी योजना की प्रमुख विशेषताएं :

- एक ही स्थान पर अनुमति की कार्यप्रणाली के तहत अनुमोदन
- 100 प्रतिशत विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति
- एसटीपी इकाइयों में आयात पूर्णतः शुल्क मुक्त है
- पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है
- घरेलू खरीद के मामले में स्थानीय करों से छूट
- निर्यात के 50 प्रतिशत तक घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति
- मार्च 2010 तक निगमित आयकर से छूट।

द्रुत गति डेटा संचार सेवाएं :

साफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र में एसटीपीआई का सबसे बड़ा योगदान द्रुत गति डेटा संचार (एचएसडीसी) सेवाएं उपलब्ध कराना है। एसटीपीआई ने 'साफ्टनेट' नामक अद्यतन तकनीकी जानकारी के एचएसडीसी नेटवर्क का डिजाइन तथा विकास किया है, जो साफ्टवेयर निर्यातकर्ताओं को उपलब्ध है।

एक स्थान से दूसरे स्थान और एक स्थान से बहुस्थान तक सूक्ष्म रेडियो तरंगों के जरिए स्थानिय क्षेत्रों से एसटीपीआई के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे अभिगम्यता की समस्या का प्रत्येक स्थान पर निराकरण कर लिया गया है और इससे एसटीपीआई लगभग 99.9 प्रतिशत समय की बचत करने में सक्षम हुई है। जहां कहीं संभव है वहां स्थलीय केवलों (फाइबर/ताम्र) का प्रयोग किया जा रहा है। ये संचार सुविधाएं, आफशोर साफ्टवेयर कार्यकलापों के विकास की सफलताओं की आधारशिलाएं हैं।

एसटीपीआई इस नेटवर्क के जरिए निम्नलिखित एचएसडीसी सेवाएं उपलब्ध करा रही है :

साफ्टप्वाइंट : (अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल निजी पट्टाकृत लाइनें) यह भारत में स्थित किसी ग्राहक को विश्व के किसी

भी देश से जोड़ने को उपलब्ध कराया गया है। वैश्विक उद्यमिता नेटवर्किंग और आभासी संगठनों को बनाने वाले व्यावसायिक अनुप्रयोगों में साफ्टप्वाइंट सेवाएं जीवनशक्ति के रूप में कार्य करती हैं।

साफ्टलिंक : साफ्टलिंक एक टीसीपी/आईपी आधारित इंटरनेट सेवा है जिसे विशेष रूप से उद्यमियों और व्यवसाय के आईएसपी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और यहां तक कि इन्हें सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है।

एसटीपीआई की वर्तमान टैरिफ दरें संलग्न हैं।

भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

टैरिफ

1.0 अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत परिपथों के लिए टैरिफ

क्र.सं.	गति	एककालीन प्रभार			आवर्ती प्रभार			
		पंजीकरण प्रभार	प्रतिष्ठापन प्रभार		स्थानीय लूप प्रभार			अर्द्ध–सर्किट
			विकल्प I रेडियो सम्पर्क	विकल्प II बीएसएनएल	विकल्प I रेडियो सम्पर्क	विकल्प II बीएसएनएल	विकल्प III एसटीपीआई N/w*	प्रभार (वार्षिक)
		(रुपए)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)
1.	64 K	10,000	2.0	2.0	1.0		1.0	6.80
2.	128 K	10,000	2.0	4.0	1.8		1.8	12.30
3.	192 K	10,000	2.0	4.0	2.5		2.5	17.00
4.	256 K	10,000	2.0	4.0	2.5	वास्तविक के	2.5	21.10
5.	384 K	10,000	2.0	4.0	3.0	अनुसार	3.0	27.30
6.	512 K	10,000	4.0	4.0	4.0		4.0	32.70
7.	768 K	10,000	4.0	4.0	5.0		5.0	43.60
8.	1 Mb	10,000	4.0	4.0	5.0		5.0	54.50
9.	2 Mb	10,000	4.0	4.0	6.0		6.0	75.00
10.	8 Mb	10,000						285.00
11.	34 Mb	10,000	लागू नहीं	अनुरोध पर उपलब्धता	लागू नहीं		अनुरोध पर उपलब्धता	1120.00
12.	45 Mb	10,000						1425.00

उपर्युक्त टैरिफ मुम्बई, कोचीन तथा पुणे को छोड़कर सभी स्थानों के लिए लागू है।

*तंतु तथा ताम्र पर एसटीपीआई नेटवर्क

2.0 इंटरनेट टैरिफ

क्र.सं.	गति	एककालीन प्रभार			आवर्ती प्रभार				
		पंजीकरण प्रभार	प्रतिष्ठापन प्रभार		स्थानीय लूप प्रभार			इंटरनेट अभिगम प्रभार 1 : 3	इंटरनेट अभिगम प्रभार 1 : 4
			विकल्प I रेडियो सम्पर्क	विकल्प II बीएसएनएल	विकल्प I रेडियो सम्पर्क	विकल्प II बीएसएनएल	विकल्प III एसटीपीआई N/w		
		(रुपए)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	(लाख)	
1.	64 K	20,000	2.0	2.0	1.0		1.0	3.4	2.4
2.	128 K	20,000	2.0	4.0	1.8		1.8	5.2	3.7
3.	256 K	40,000	2.0	4.0	2.5	वास्तविक के	2.5	7.2	5.2
4.	512 K	40,000	4.0	4.0	4.0	अनुसार	4.0	10.4	6.85
5.	1 Mb	40,000	4.0	4.0	5.0		5.0	17.2	10.10
6.	2 Mb	50,000	4.0	4.0	6.0		6.0	28.4	21.30

उपर्युक्त टैरिफ मुम्बई, कोचीन तथा पुणे को छोड़कर सभी स्थानों के लिए लागू है।

*तंतु तथा ताम्र पर एसटीपीआई नेटवर्क

आईएसडीएन पट्टाकृत सेवा प्रभार

(64 & 128 Kbps)

बैण्डविड्थ	प्रतिष्ठान प्रभार (रुपए में)	स्थिर आईपी प्रभार (रुपए प्रतिवर्ष)	इंटरनेट अधिगम प्रभार (लाख रुपए में)
64 Kbps	20,000	20,000	1.6
128 Kbps	20,000	20,000	2.9

सह-स्थानीय सेवाएं

डेटा अंतरण	वार्षिक टैरिफ (लाख रुपए प्रतिवर्ष)	वृद्धिमान डेटा अंतरण प्रभार (रुपए/GB/माह)
10 GB	2.00	2000
25 GB	2.75	1500
50 GB	3.50	1000
75 GB	4.75	750
100 GB	6.00	500

एसटीपीआई-मुम्बई/कोचीन की टैरिफ दरें

आईपीएलसी टैरिफ : (राशि रुपए में)

डेटा दर	पंजीकरण प्रभार	प्रतिष्ठापन प्रभार		वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (रेडियो)	वार्षिक प्रभार (भारतीय अर्ध–सर्किट)
		रेडियो	एमटीएनएल		
1	2	3	4	5	6
64 केबीपीएस	10,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000	3,60,000

1	2	3	4	5	6
128 केबीपीएस	10,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000	6,50,000
256 केबीपीएस	10,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000	11,30,000
512 केबीपीएस	10,000	4,00,000	1,00,000	1,00,000	अनुरोध पर
1024 केबीपीएस	10,000	4,00,000	1,00,000	1,00,000	अनुरोध पर
2048 केबीपीएस	10,000	4,00,000	1,00,000	1,00,000	अनुरोध पर

5% सेवा कर अतिरिक्त

इंटरनेट टैरिफ : (राशि रुपए में)

डेटा दर	पंजीकरण प्रभार	प्रतिष्ठापन प्रभार		पोर्ट प्रभार	वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (रेडियो)
		रेडियो	एमटीएनएल		
64 केबीपीएस	20,000	2,00,000	1,00,000	2,00,000	1,00,000
128 केबीपीएस	20,000	2,00,000	1,00,000	3,00,000	1,00,000
256 केबीपीएस	40,000	2,00,000	1,00,000	4,00,000	1,00,000
512 केबीपीएस	40,000	4,00,000	1,00,000	5,00,000	1,00,000
1024 केबीपीएस	40,000	4,00,000	1,00,000	7,01,000	1,00,000
2048 केबीपीएस	50,000	4,00,000	1,00,000	12,50,000	1,00,000

5% सेवा कर अतिरिक्त

पुणे की टैरिफ दरें : (वार्षिक)

1. पट्टाकृत इंटरनेट

(लाख रुपए में)

बैण्डविड्थ	टैरिफ
64 केबीपीएस	2.50
128 केबीपीएस	4.00
256 केबीपीएस	5.60
512 केबीपीएस	7.40
1 एमबी	11.00
2 एमबी	20.00

2. आईपीएलसी अर्ध-सर्किट

(लाख रुपए में)

बैण्डविड्थ	टैरिफ
64 केबीपीएस	4.00
128 केबीपीएस	7.40
256 केबीपीएस	12.80
512 केबीपीएस	20.00
1 एमबी	34.00
2 एमबी	50.00

विवरण-III

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1.	नासिक	महाराष्ट्र
2.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
4.	आगरा	उत्तर प्रदेश
5.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
6.	मेरठ	उत्तर प्रदेश
7.	देहरादून	उत्तरांचल
8.	रांची	झारखंड
9.	जमशेदपुर	झारखंड
10.	पटना	बिहार
11.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
12.	खड़कपुर	पश्चिम बंगाल
13.	जालन्धर	पंजाब
14.	शिलोंग	मेघालय
15.	सलेम	तमिलनाडु
16.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु

चार लेन वाला बंगलौर-मैसूर राजमार्ग

1638. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अति विलंबित चार लेन वाले बंगलौर–मैसूर एक्सप्रेस वे पर कार्य शुरू करने हेतु नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कारीडोर एंटरप्राइजेज के लिए समयसीमा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चार लेन वाले, बंगलौर–मैसूर एक्सप्रेस वे पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं तो कार्य शुरू होने में हो रहे अति विलंब के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि एन.आई.सी.ई. को यू.टी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. और अन्य वित्तीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ङ) बंगलौर–मैसूर एक्सप्रेस मार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना नहीं है। यह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

टेलीफोन लाइनों का ओएफसी प्रणाली में परिवर्तित किया जाना

1639. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, विशेष रूप से कर्नाटक में उन मौजूदा टेलीफोन लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनको आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली में परिवर्तित किया गया है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) शेष टेलीफोन लाइनों को परिवर्तित करने में कुल कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) सभी टेलीफोन लाइनों को आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली में कब तक परिवर्तित कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) आप्टिकल फाइबर का प्रयोग टेलीफोन लाइनों को आप्टिकल लाइनों को आप्टिकल फाइबर प्रणाली में बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है। तथापि, आप्टिकल फाइबर का प्रयोग विभिन्न नगरों को लंबी दूरी के पारेषण के लिए आपस में जोड़ने और एक ही शहर अथवा जिले में विभिन्न एक्सचेंजों को आपस में जोड़ने के वास्ते भी किया जा रहा है। कर्नाटक सर्किल में, 28.2.2002 की स्थिति

के अनुसार कुल 2573 एक्सचेंजों में से 2149 एक्सचेंज आप्टिकल फाइबर पर जुड़े हुए हैं।

कंडोम की उपलब्धता

1640. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अभी भी ग्रामीण लोग देश में जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करने में गर्भनिरोधक के प्रयोग से अनभिज्ञ हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए गर्भनिरोधकों (कंडोम) की उपलब्धता को आसान बनाये जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) (क) गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी/ज्ञान की कमी उनके इस्तेमाल में एक बड़ी अड़चन हो सकती है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण चरण–II के अनुसार ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच जन्म में अंतराल रखने की विधियों के संबंध में ज्ञान के स्तर में एक बड़ा अंतर है। 75 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी है जबकि 92 प्रतिशत शहरी महिलाओं को उनके बारे में जानकारी है। आई यू डी और कंडोमों के मामले में 88 प्रतिशत शहरी महिलाओं और केवल 65 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को जानकारी है। जहां तक पुरुष बंध्यीकरण का संबंध है केवल 88 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं और 94 प्रतिशत शहरी महिलाओं को उसकी जानकारी है।

(ख) (I) कंडोमों का केंद्रीय आधार पर प्रापण करने और उनकी राज्य सरकारों को मुफ्त आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत करने की एक पद्धति है। देश भर में कंडोमों की आपूर्ति करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें उनकी आपूर्ति स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे नामतः उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिये करती है।

(II) परिवार कल्याण विभाग भी सामाजिक विपणन संगठनों के जरिये अत्यधिक रियायती मूल्यों पर कंडोम उपलब्ध कराता है।

(III) जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों में कंडोमों की 100 प्रतिशत आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक समुदाय आधारित संवितरण पद्धति का सृजन किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आप्टिकल फाइबर केबल

1641. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलभूत दूरभाष सेवा में सुधार लाने हेतु दिल्ली में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से संबंधित कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ख) इससे आम उपभोक्ता को मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एमटीएनएल, दिल्ली में आज की तारीख में सभी जंक्शन (इंटर एक्सचेंज) नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर केबल पर हैं। उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवा में सुधार करने के लिए एमटीएनएल ने एक्सेस नेटवर्क में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है। अधिकांश स्थानों में ओएफसी बिछाया जा चुका है। फिर भी, उपभोक्ताओं को अधिकाधिक और बेहतर सेवाएं देने के लिए लगातार नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। इसके लिए हमेशा ओएफसी बिछाना अपेक्षित होता है।

इस वर्ष 60 करोड़ रु. और आगामी वर्ष 120 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना है।

(ख) 1. उपभोक्ता बेहतर सेवा प्राप्त कर रहे हैं।

2. काल पूर्णता दर बढ़ गई है।

3. उपभोक्ताओं को मांग पर हाई बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है।

क्रेडिट कार्डों की बिक्री

1642. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्डों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से डाक विभाग द्वारा कितना लाभ अर्जित किये जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) (क) डाक विभाग और स्टैंडर्ड बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसका उद्देश्य निम्नलिखित सेवाओं की शुरूआत और इनका विकास कर एक–दूसरे को फायदा पहुंचाना है :

(i) अखिल भारतीय स्तर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप द्वारा स्पीड पोस्ट का प्रयोग करना।

(ii) डाकघरों के नेटवर्क द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कार्डों और अन्य उत्पादों का विपणन।

(iii) डाकघरों में क्रेडिट कार्ड से संबंधित चेकों का संग्रहण।

(ख) और (ग) इस समझौता ज्ञापन पर आधारित विस्तृत परिचालन समझौते को सेवा की निश्चित प्रकृति, लेखांकन तथा कीमतों से संबंधित मामलों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

[अनुवाद]

लेखन-सामग्री की बिक्री

1643. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अरूण कुमार :
श्री रामजी मांझी :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय भंडार आदि द्वारा 14 जुलाई, 1981 के डीओपी एंड एआर के आधार पर लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर एकाधिकार के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त ओएम के जारी किये जाने से पहले इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या खरीद में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए उक्त ओएम को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसको पूरी तरह कब तक वापस लिये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 14.7.1981 को एक कार्यालय–ज्ञापन जारी किया, जिसमें केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों को लेखन–सामग्री और अन्य वस्तुएं, उपभोक्ता सहकारी समितियों अर्थात केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. से खरीदने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये, जो सहकारी समितियों के पंजीयक के सांविधिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं। यह महसूस किया गया कि उपभोक्ता–सामान आदि की उचित और युक्तियुक्त कीमतों पर आपूर्ति के लिए ये सहकारी समितियां सर्वाधिक उपयुक्त अभिकरण हैं। इन सहकारी समितियों में से किसी भी सहकारी समिति का कोई एकाधिकार नहीं है, क्योंकि सरकारी विभाग/कार्यालय, अपनी पसंद के अनुसार, इन तीन उपभोक्ता सहकारी स्टोर से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं।

इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किये जाने से पूर्व, सरकारी विभाग/कार्यालय, सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन कर रहे थे।

(ग) और (घ) दिनांक 14.7.1981 के यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा की जा रही है और इस बारे में कुछ ही समय में अंतिम निर्णय ले लिये जाने की उम्मीद है।

दूरभाष सुविधा

1644. श्री वाई. वी. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004

तक 100 मिलियन दूरभाष कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या रणनीति बनाई जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार ने परिप्रेक्ष्य योजना 2000–2010 के अनुसार वर्ष 2004 तक निजी क्षेत्र के योगदान सहित लगभग 651 लाख टेलीफोन (स्थिर और मोबाइल दोनों) मुहैया कराने की योजना बनाई है।

(ख) जैसाकि नई दूरसंचार नीति–99 में प्रतिपादित किया गया है, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है तथा "बुनियादी सेवाओं" और "सेल्यूलर सेवाओं" के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं।

कंपनियों को लाइसेंस देना

1645. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने राज्यों की स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों द्वारा दी जा रही विभिन्न संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु दूरसंचार विभाग के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या राज्यों की स्वामित्व वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी करने में विलंब होता रहा है;

(ग) यदि हां, तो विलंब में कमी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) वर्तमान में विभिन्न प्रकार की दूरभाष सेवायें उपलब्ध कराने वाली सरकारी क्षेत्र की एवं निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने राज्यों के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों के द्वारा दी जा रही विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अलग से कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। इन कंपनियों को सेवा–क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से समझौता न करते हुए निवल–मूल्य, प्रदत्त इक्विटी, रॉल आउट शर्तों इत्यादि जैसे विभिन्न पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करना होता है।

(ख) नीतिगत ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के स्वामित्व वाली पात्रता–प्राप्त कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने में विलम्ब किये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों को दिये गये लाइसेंस का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

विभिन्न दूरसंचार सेवाओं हेतु प्रदान किये गये लाइसेंस का ब्यौरा

सेवा का प्रकार	विभिन्न सार्वजनिक और निजी कंपनियों को प्रदान किये गये लाइसेंसों की संख्या
बुनियादी टेलीफोन सेवा	33
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा	80
राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा	4
अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा	2
रोडियो पेजिंग सेवा	137
सार्वजनिक मोबाइल ट्रंक रेडियो सेवा	279
इंटरनेट सेवा	509
वी–सैट सेवा प्रदाता	10

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी बजटीय धनराशि

1646. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री गुनीपाटी रामैया :

श्री बी. के. पार्थसारथी :

श्रीमती मिनाती सेन :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का कुल बजट का केवल एक प्रतिशत खर्च कर रही है;

(ख) क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट का दसवां हिस्सा व्यय करने के संबंध में सरकार से मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर कुल बजट का करीब 1.3 प्रतिशत व्यय करती रही है।

(ख) से (ङ) ऐसी कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है। तथापि, स्वास्थ्य परिचर्या सहित सभी सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की सर्वदा एक सार्वजनिक मांग रही है। समस्त बजटीय संसाधनों एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर बजटीय आवंटन का निर्णय लिया जाता है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में देश में स्वास्थ्य व्यय 1997 के आस–पास लगभग 5.2 प्रतिशत रहा है। केंद्र सरकार जनस्वास्थ्य व्यय में अपने अंशदान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.24 प्रतिशत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र योजना परिव्यय नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण योजना परिव्यय का 4.01 प्रतिशत रहा है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनेक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के संसाधनों में भी वृद्धि की जा रही है। कुछ राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य अवसंरचना का भी उन्नयन किया गया है।

प्रारूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय में केंद्र तथा राज्य सरकारों के अंशदान को मौजूदा 15 प्रतिशत एवं 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2010 तक क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत करने का उल्लेख है।

[अनुवाद]

आतंकवाद विषय पर राष्ट्रमंडल देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

1647. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आतंकवाद विरोधी मंच पर अपने कूटनीतिक कार्यों को तेज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल में राष्ट्रमंडलीय देशों के विशेष एक दिवसीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु ब्रिटेन का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय विदेश मंत्री ने लंदन में 29 जनवरी, 2002 को संपन्न आतंकवाद से संबद्ध राष्ट्रमंडल समिति की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

(ग) 25 अक्तूबर, 2001 को जारी आतंकवाद से संबद्ध राष्ट्रमंडल वक्तव्य को क्रियान्वित करने के लिए आतंकवाद से संबद्ध समिति ने राष्ट्रमंडल कार्य योजना का अनुसमर्थन किया है। इसमें सहमति हुई कि कोई भी सदस्य राज्य जिसने आतंकवादियों को मदद दी है, उनको समर्थन दिया है, उनको धन दिया है, उनको उकसाया है अथवा उनको शरण दी है अथवा अपने प्रदेश में ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी है, उन्होंने राष्ट्रमंडल के मौलिक मूल्यों का उल्लंघन किया है और उनका इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रमंडल का तुलनात्मक लाभ है, का अनुपालन करने के लिए सदस्य राज्यों को मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

भारतीय विदेश सेवा में अधिकारियों की संख्या

1648. डा मन्दा जगन्नाथ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए क्रमशः आरक्षित 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय विदेश सेवा से संबंधित संस्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है और उसमें भारतीय विदेश सेवा के उन पदों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके मंत्रालय में कतिपय संवर्गों में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को प्रदान किया जाता है;

(घ) डी.ओ.पी.टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अंतर्गत अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार 2 जुलाई, 1997 को पता लगाए गए इन पदों पर (i) अनुसूचित जातियों (ii) अनुसूचित जन जातियों और (iii) अन्य पिछड़े वर्गों (iv) सामान्य वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत थे और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या था; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या कितनी रही है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों एवं सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा भरी गई रिक्तियों/पदों की वर्षवार संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) इस समय भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15.95 प्रतिशत, 7.64 प्रतिशत और 4.58 प्रतिशत है।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 1993 में आरंभ किया गया था और अन्य पिछड़े अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा, 1994 से आरंभ की गई। अतः अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अभी तक निर्धारित 27 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है।

(ग) भारतीय विदेश सेवा के संबंध में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 617 है।

(घ) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं : (कुल 582)

(i)	अनुसूचित जाति	89 (15.29 प्रतिशत)
(ii)	अनुसूचित जनजाति	38 (6.52 प्रतिशत)
(iii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	8 (1.37 प्रतिशत)
(iv)	सामान्य	447 (76.80 प्रतिशत)

(ङ) आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पन्न नई रिक्तियां				भरे गए पद			
	अनु.जा.	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य	अनु.जा.	अनु.जन. जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य
1997	3	1	3	7	3	1	3	6*
1998	3	1	4	8	3	1	4	8
1999	1	1	3	5	1	1	2*	5
2000		1	3	4		1	3	4
2001	...	2	7	9		2	7	9

*1997 और 1998 में चुने गए एक–एक उम्मीदवारों ने अंततः सेवा में कार्यभार नहीं संभाला।

अस्पतालों में रोगियों की उपेक्षा

1649. श्री मंजय लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली जैसे प्रमुख अस्पतालों में निर्धन रोगियों को भर्ती करने एवं उनका उपचार करने में उपेक्षा बरती जा रही है;

(ख) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निर्धन रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धन रोगियों को सहायता पहुंचाने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा इसके समुचित ढंग से कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, अस्पताल द्वारा सभी जीवन रक्षक आपातकालीन औषधियों और सर्जिकल वस्तुओं का प्रापण करके स्टाक रखा जाता है तथा ये अस्पताल के अंतरंग रोगी विभागों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि से गरीब और दीनहीन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गरीबों और दीनहीन रोगियों को चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी और नैदानिक संकाय द्वारा बहिरंग रोगी विभाग में लिखी गई विशिष्ट औषधियों को दिलाने में भी सहायता की जाती है। क्षय रोग, कुष्ठ जैसी बीमारियों तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए औषधियां, अस्पताल में ऐसी औषधियों की उपलब्धता के अनुसार, मुफ्त दी जाती हैं। राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 27.1.98 से 30.9.2001 तक 1,31,47,200 रुपयों की वित्तीय सहायता प्राप्त की है जिसमें से अब तक 1,26,50,031/– रुपयों की राशि को 362 रोगियों को वितरित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में गुरुद्वारों का रूपांतरण

1650. श्री रामपाल सिंह :
डा. अशोक अर्गल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान ने अपने यहां स्थित गुरुद्वारों को मदरसों एवं मुस्लिम परिवारों के लिए आवासीय परिसरों में रूपांतरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) सरकार को इन खबरों की जानकारी है कि पाकिस्तान में सिक्खों के धार्मिक स्थानों का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा है और उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सितंबर, 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न धार्मिक स्थान की यात्राओं से संबद्ध नयाचार के अंतर्गत संबद्ध देश का यह दायित्व है कि सहमत सूची में दिए गए धार्मिक स्थलों की उचित देखरेख और पवित्रता का सुनिश्चय करें। पाकिस्तान की सरकार को इन धार्मिक स्थलों के उचित रख रखाव और उनकी पवित्रता को बनाये रखने से संबद्ध समय–समय पर प्राप्त शिकायतों से अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा धनपोषित जन-स्वास्थ्य परियोजनाएं

1651. श्री एन. एम. कृष्णदास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता से आने वाले वर्षों में जन–स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरंभ की जाने वाली वृहत् परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में इन परियोजनाओं में से किसी को आरंभ किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं और उसके बाद सहायता के लिए उनको भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भेजा जाता है। जहां तक प्रमुख परियोजनाओं का संबंध है, राजस्थान, तमिलनाडु और असम की राज्य सरकारों ने राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और कुछ और प्रस्तावों के प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने केरल में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव मूल्यांकन एजेंसियों को परिचालित किया गया था और इन एजेंसियों की टिप्पणियों के आधार पर केरल सरकार भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के माध्यम से इस प्रस्ताव का पुनः प्रारूप बनवा रही है।

मैरिटाईम बोर्ड का गठन

1652. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में मैरिटाईम बोर्डों का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत-चीन सीमा वार्ता

1653. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री मोहन रावले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने हेतु अब तक सीमा विवाद संबंधी मुद्दे पर आयोजित भारत–चीन संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन बैठकों से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) हल किए जाने वाले शेष मुद्दे कौन–कौन से हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सीमा के प्रश्न पर भारत–चीन संयुक्त कार्य दल की बैठक 13 बार हुई है।

(ख) से (ग) भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्शों के माध्यम से सीमा के प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान करने के इच्छुक हैं। हमने 1993 में भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ शांति बनाए रखने और 1996 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास कायम करने के उपायों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों समझौते सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। मध्य क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के मानचित्रों का आदान प्रदान हुआ है। दोनों पक्ष मौजूदा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

विभिन्न देशों में संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का दौरा

1654. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रामशकल :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री सुनील खां :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद पर नई दिल्ली की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के शिष्टमंडलों को विभिन्न देशों में भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं वे देश कौन से हैं जिनका दौरा किया गया;

(ग) संसद सदस्यों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या थे; और

(घ) इन शिष्टमंडलों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता प्राप्त हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) सात उच्च-स्तरीय शिष्टमंडलों, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और पूर्व राजनयिक शामिल थे, ने यूरोप, पश्चिम एशिया, खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के चुनिंदा देशों का दौरा किया। एक शिष्टमंडल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। यात्रा के देशों में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, कुवैत, जोर्डन, कतर, ट्यूनीशिया, ओमान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल थे।

यात्रा पर गये शिष्टमंडलों ने समुचित और प्रभावी तरीके से इस तथ्य को उजागर किया कि आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत में सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखा है और यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण यही है। शिष्टमंडलों ने प्रभावी रूप से यह भी बताया कि भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर को किए गए हमले से एक बार फिर यह तथ्य उजागर हुआ है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद का केंद्र बिंदु है और यह कि आतंकवाद प्रायोजित करने की नीति का गंभीर प्रभाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर पड़ता है। शिष्टमंडलों ने पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध बनाने की भारत की इच्छा संप्रेषित की और इस बात पर बल दिया कि भारत के संबंध में एक नीति के रूप में पाकिस्तान को आतंकवाद का उपयोग बंद करना होगा ताकि वार्ता बहाल करने के लिए समुचित वातावरण बनाया जा सके।

शिष्टमंडल जिन-जिन देशों में गए वहां उनका भरपूर स्वागत हुआ और उन्होंने उन देशों में उच्च स्तरीय राजकीय बैठकें कीं।

[हिन्दी]

एड्स का उन्मूलन

1655. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर, गत दो वर्षों के दौरान कितने गैर-सरकारी संगठन सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे थे;

(ख) क्या सरकार ने एड्स को रोकने के लिए एक एलोपैथिक औषधि विकसित की है;

(ग) क्या कुछ आयुर्वेदिक संगठनों तथा कुछ विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों ने भी एड्स के लिए आयुर्वेदिक औषधि का पता लगाने का दावा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एड्स को रोकने हेतु चालू वर्ष में कितनी निधियां आवंटित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) एच आई वी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की संख्या इस प्रकार है :

2000-2001 - 475 गैर सरकारी संगठन

2001-2002 - 570 गैर सरकारी संगठन

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-II के लिए संशोधित अनुमान 2001-2002 के अधीन 229.70 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

कुडंकुलम परमाणु विद्युत परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण

1656. श्री टी. टी. वी. दिनाकरण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कुडंकुलम परमाणु विद्युत परियोजना हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई/अधिग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भूमि से बेदखल किए गए लोगों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संयंत्र और उसके अपवर्जन क्षेत्र के लिए लगभग 1053 हेक्टेयर (हेक), टाऊनशिप के लिए 167 हेक्टेयर और पहुंचमार्ग की सड़कों के लिए 5.5 हेक्टेयर भूमि, वर्ष 1989 में, पहले ही अधिग्रहीत की जा चुकी है, इससे कोई भी लोग विस्थापित नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) यह भूमि तमिलनाडु सरकार ने अधिग्रहीत की थी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु सरकार को भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई थी।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं।

मुम्बई तथा मांडोवी के बीच होवरक्राफ्ट सेवा

1657. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई–कच्छ–मांडोवी–मुम्बई क्षेत्र में होवरक्राफ्ट सेवा प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी नहीं, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए निधियां

1658. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में वित्तीय आवंटन, निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रतिमान परिवर्तन हुआ है जिसके अधीन लक्ष्यों को नियत करना छोड़ दिया गया है। इसके बजाय पहली अप्रैल, 1996 से पूरे भारत में 'लक्ष्य रहित एप्रोच' अपनाई गई थी और उसके स्थान पर विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना पद्धति लाई गई है। लक्ष्य रहित एप्रोच का नाम बदल कर 1997 से समुदाय आवश्यकता मूल्यांकन एप्रोच रखा गया है। नई एप्रोच अर्थात् समुदाय आवश्यकता मूल्यांकन एप्रोच के अधीन बुनियादी और आवश्यक परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में गुणवत्ता वाली परिचर्या प्रदान करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इससे परिवार नियोजन की स्वीकार्यता की उपलब्धि में मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक लक्ष्यों से बल को हटाकर एकीकृत सेवा प्रदानगी के गुणात्मक पहलुओं पर लगाने का उद्देश्य पूरा होता है। नई एप्रोच का अन्य महत्वपूर्ण पहलू निचले स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अक्तूबर, 1997 से भारत सरकार (परिवार कल्याण विभाग) ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नई एप्रोच अर्थात विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अधीन वार्षिक कार्य योजना को निचले स्तर से अभिमुख किया जाता है जिसमें किसी विधि को इस्तेमाल करने हेतु स्वयं की पसंद के अनुसार गर्भनिरोधक विधि की स्वीकार्यता सहित गर्भवती महिलाओं, नवजातों और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए 2.1 की कुल प्रजनन दर (प्रति दम्पत्ति बच्चों की औसत संख्या) की अपेक्षा 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और मिजोरम में पहले ही प्राप्त कर ली गई है।

12 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिनकी कुल प्रजनन दर 2.1 से अधिक लेकिन 3.0 से कम है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमण व दीव और सिक्किम हैं। इनमें से बहुत से राज्यों ने प्रजननता नियंत्रण के संबंध में अपने संकेतकों में सुधार करने के लिए कड़े प्रयास किए हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं।

11 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी कुल प्रजनन दर 3 से अधिक है। वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू व कश्मीर, दादरा व नगर हवेली हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें सेवाओं के बढ़े हुए पैकेज के साथ बेहतर कवरेज और आऊटरीच के लिए कड़े प्रयास कर रही हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन बकाया सहायता अनुदान (नगद और वस्तुगत)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1998–99			1999–2000			2000–2001		
		नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70	17363.99	3458.96	20822.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	144.06	75.75	219.81	231.20	103.35	334.55	256.18	130.72	386.90
3.	असम	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91	6466.42	1817.62	8284.04
4.	बिहार	8792.62	4025.28	12817.90	28435.89	4868.39	33304.28	13087.72	5957.71	19045.43
5.	गोवा	174.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94	269.68	125.61	395.29
6.	गुजरात	10503.85	2108.13	12611.98	14612.87	2600.21	17213.08	7201.05	3335.35	10536.40
7.	हरियाणा	2746.01	906.66	3652.67	3388.16	1019.59	4407.75	3878.80	1420.10	5298.90
8.	हिमाचल प्रदेश	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	388.33	2407.34	2778.77	470.20	3248.97
9.	जम्मू व कश्मीर	1600.73	455.77	2056.50	1803.64	458.21	2261.85	1913.98	539.43	2453.41
10.	कर्नाटक	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19086.05	13002.34	2640.17	15642.51
11.	केरल	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6864.11	5478.14	1575.88	7054.02
12.	मध्य प्रदेश	8566.08	4587.46	13153.54	11373.95	4988.02	16361.97	10820.86	5477.07	16297.93
13.	महाराष्ट्र	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.09	13758.03	4423.30	18181.33
14.	मणिपुर	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35	978.87	118.94	1097.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71	641.79	139.93	781.72
16.	मिजोरम	239.11	68.77	307.88	368.47	75.80	444.27	456.13	70.32	526.45
17.	नागालैंड	247.96	90.31	338.27	402.78	97.73	500.51	457.72	90.13	557.85
18.	उड़ीसा	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7819.21	6742.34	1630.78	8373.12
19.	पंजाब	2558.65	1125.51	3684.16	2941.14	1246.95	4188.09	3122.93	1284.46	4407.39
20.	राजस्थान	8492.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57	14506.55	4039.05	18545.60
21.	सिक्किम	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06	653.55	38.73	692.28
22.	तमिलनाडु	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19	21195.98	1708.95	22904.93
23.	त्रिपुरा	1781.61	193.98	1975.59	823.48	177.00	1000.48	1683.73	211.06	1894.79
24.	उत्तर प्रदेश	42482.52	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35	22669.33	11338.42	34007.75
25.	पश्चिम बंगाल	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24	10813.82	3140.17	13953.89
	कुल राज्य	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.65	180198.70	55182.96	235381.66

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में परमाणु संयंत्र स्थपित करना

1659. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्यिम बंगाल में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं।

पासपोर्ट आवेदकों का उत्पीड़न

1660. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वास्तविक रूप से जरूरतमंद आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा उत्पीड़न के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए जिससे कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद आवेदकों को बिना अवरोध तथा परेशानी के पासपोर्ट जारी हो सकें; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों

की संख्या और शीघ्र पासपोर्ट जारी करने से संबंधित आवेदनों/अनुरोधों की संख्या निम्नलिखित है :

1999	498
2000	1047
2001	1350

(ख) और (ग) सरकार ने केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के मुख्यालय में एक लोक शिकायत सैल स्थापित किया है। आवेदकों से प्राप्त अधिकतर शिकायतें या तो पासपोर्ट जारी किये जाने में विलम्ब से संबंधित होती हैं अथवा तात्कालिक आधार पर पासपोर्ट जारी करने से संबंधित अनुरोध होते हैं। सामान्यतः आवेदनों में कतिपय कमियों अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण ही विलम्ब होता है। आवेदनों में कोई कमी अथवा आवेदकों द्वारा कतिपय अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आवेदकों से संपर्क करके आवश्यक कार्य करने और सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कहा जाता है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क किया जाता है ताकि वे पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजने में शीघ्रता करें।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र-1 की सुरक्षा

1661. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड (एटोमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड) ने राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र–1 (आर ए पी एस–1) के सुरक्षा स्तर की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाही की गई है;

(ग) क्या संयंत्र संचालन संबंधी सुरक्षा समीक्षा समिति ने देश के किसी अन्य परमाणु ऊर्जा केंद्र की सुरक्षा स्थिति संबंधी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर ए पी एस) के यूनिट–1 ने दिसम्बर, 1973 में वाणिज्यिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में किसी यूनिट को प्रचालित करने के लिए लाइसेंस [परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) द्वारा जारी] 7 प्रभावी पूर्ण विद्युत वर्षों (इ एफ पी वाईज) के लिए दिया जाता है जिसमें से इस यूनिट ने पहले ही 6.8 ई एफ पी वाईज पूरे कर लिए हैं। प्रचालन के वर्तमान स्तर पर, प्रचालन संबंधी इस लाइसेंस के अप्रैल, 2002 में किसी समय खत्म हो जाने की आशा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की प्रचालनरत संयंत्रों संबंधी सुरक्षा पुनरीक्षा समिति ने भी यह निर्णय लिया है कि पूर्णरूप से एहतियात बरतने के उपाय स्वरूप राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट–1 को इसकी वर्तमान स्थिति में केवल 30.04.2002 तक ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस संयंत्र को बंद करने का कारण इसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होना और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से लाइसेंस को नवीनीकृत कराये जाने हेतु आवेदन करने से पहले अपग्रेडेशन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की प्रचालनरत संयंत्रों संबंधी सुरक्षा पुनरीक्षा समिति सभी परमाणु बिजलीघरों सहित परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी प्रचालनरत यूनिटों की सुरक्षा संबंधी स्थिति को सतत आधार पर मानीटर करती है। यह समिति बोर्ड को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करती है। इन रिपोर्टों पर बोर्ड की प्रत्येक बैठक में चर्चा की जाती है और किसी नियामक संबंधी निर्णय पर पंहुचने के वास्ते से बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट की भूमिका अदा करती हैं।

तारापुर परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (जोकि 32 वर्ष पुराना संयंत्र है) के संबंध में वर्तमान में प्रचालन संबंधी लाइसेंस 31.5.2002 तक वैध है। प्रचालनरत संयंत्रों संबंधी सुरक्षा पुनरीक्षा समिति इस समय तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 को मई, 2002 के बाद भी सतत रूप से चलाने के लिए इसकी सुरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा कर रही है।

विदेशों से भारत विरोधी गतिविधियां

1662. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आतंकवादी विदेशी, विशेषकर बंगलादेश, भूटान, मलेशिया और फिलीपीन्स से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आतंकवादियों तथा उनके परिवारों को भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए इन देशों में शरण लेने तथा उनका आतिथ्य उपभोग करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) भारत सरकार को ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ पूर्वोत्तर आतंकवादी विदेशों से गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, इनमें बंगलादेश भूटान, मलेशिया और फिलीपींस शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच एक संस्थागत तंत्र है जो अन्य कार्यों के साथ सीमापार आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए है। बंगलादेश और भूटान की सरकारों ने यह आश्वासन दिया है कि वे हमारे हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिये अवांछित तत्वों को अपने क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। यद्यपि, फिलीपींस और मलेशिया के साथ इस प्रकार कोई तंत्र अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, हम उन देशों की सरकारों से जब कभी आवश्यकता हुई है, समय-समय पर सहायता लेते रहे हैं।

गरुड़ सेल्यूलर योजना

1663. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि गरुड़ सेवा दूरसंचार क्षेत्र में अपनी मूल्य प्रतिस्पर्धा को बनाये रखे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी दूरसचांर सेवाओं की संचालन लागत में कमी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एमटीएनएल की योजना, कीमतों को विनियामक ढांचे के भीतर प्रतिस्पर्द्धात्मक रखने की है।

(ख) और (ग) जैसे-जैसे प्रणाली में विकास होता है, प्रति लाइन प्रचालन-लागत कम आने की संभावना होती है। एमटीएनएल की दिल्ली तथा मुंबई, दोनों शहरों में 50,000 लाइनों को बढ़ाकर प्रत्येक शहर में 150,000 लाइनों की योजना है।

इलैक्ट्रानिक धन अंतरण प्रणाली प्रारंभ करना

1664. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में व्यवसायियों तथा व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु इलैक्ट्रानिक धन अंतरण प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने भारतीय डाक सेवा द्वारा धन के तीन और सुरक्षित अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ड) सरकार ने सभी वर्गों के लोगों के लिए धन के तेजी से और सुरक्षित अंतरण के लिए इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर प्रणाली शुरू की है। इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर प्रणाली से देश के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में धनराशि अंतरित की जा सकती है। क्योंकि यह प्रणाली वी-सेट नेटवर्क के जरिये काम करती है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस संबंध में फिलहाल सरकार ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से समझौता नहीं किया है।

अंधता नियंत्रण कार्यक्रम

1665. श्री अम्बरीश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार ऐसा संशोधन कब किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारा देश उन देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां अंधे व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत अधिक है;

(घ) क्या कुछ राज्यों और विशेषकर कर्नाटक राज्य ने अंधता की इस समस्या से लड़ने के लिए प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य–वार कुल कितनी निधियों की आवश्यकता है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सहायता के पैटर्न का पिछली बार 1998–99 में विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना का मध्यकालिक मूल्यांकन करने के बाद संशोधन किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) कर्नाटक में दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए डेनिश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक परियोजना पहले ही 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ईस्ट कोस्ट रोड

1666. श्री ए. के. मूर्ति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईस्ट कोस्ट रोड जो कि तमिलनाडु में सभी महत्वपूर्ण पत्तनों को जोड़ती है, के विकास हेतु और निधियां आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस रोड के विकास हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में पूर्व तटीय सड़क पांडिचेरी, कुड्डालोर और नागापट्टीनम से गुजरते हुए चेन्नै और टूटीकारिन को जोड़ती है। पांडिचेरी से नागापट्टीनम के भाग को जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 क के रूप में घोषित किया है और अब इस रा.रा. पर 15.85 करोड़ रु. की राशि के सुधार कार्य को स्वीकृति दी गई है। पूर्व तटीय सड़क (रा. रा.–45 क) के इस भाग के सुधार के लिए 12 करोड़ रुपये की लागत वाले चार कार्यों को वार्षिक योजना 2002–2003 में सम्मिलित किया गया है। पूर्व तटीय सड़क का शेष भाग राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

1667. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के और विकास हेतु परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस परियोजना में कितनी विदेशी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) इस समय विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

स्तन कैंसर

1668. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हर तीन मिनट में एक

नये स्तन कैंसर का पता चलता है और हर 12 मिनट में एक महिला स्तन कैंसर से मरती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्तन कैंसर से मृत्यु का एक कारण है उपचार की उच्च लागत; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कैंसर के उपचार की लागत को कम करने तथा सभी सरकारी अस्पतालों में इस उपचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी संस्थाएं कैंसर रोगियों को शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा द्वारा उपचार प्रदान कर रही हैं। पूरे देश में धर्मार्थ गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं सहित लगभग 180 संस्थाएं हैं जहां विकिरण चिकित्सा उपचार उपलब्ध है, जबकि शल्य चिकित्सा और रसायन चिकित्सा जिला स्तर के अस्पतालों और मेडिकल कालेजों आदि में की जाती है।

सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में एक बड़ी संख्या में निर्धन रोगियों का या तो मुफ्त अथवा कैंसर के उपचार में शामिल नैदानिक और चिकित्सीय क्रियाविधियों के लिए नाममात्र के प्रभार लेकर उपचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि नामक स्कीम है जिसके अधीन कैंसर, कार्डियक समस्याओं, रीनल विकारों जैसे गंभीर रोगों अथवा अन्य ऐसे रोगों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केरल में सड़कों का रबड़ीकरण

1669. श्री सुरेश कुरुप : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार की तरफ से सड़कों के रबड़ीकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान कुल 1527 किमी. लंबाई में सतह बनाने में रबर/पोलीमर शोधित बिटुमिन के उपयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कुल 1499 किमी. लंबाई के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

शिलांग में एस.टी.डी. सेवा में रुकावट

1670. श्री पी. आर. किंडिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे शिलांग दूरसंचार जिले में एसटीडी सुविधाएं तथा दूरसंचार विभाग के मोबाइल टेलीफोन 12 जनवरी, 2002 से खराब चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सेवाओं की बहाली करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी रुकावटें भविष्य में न हों, क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 12.1.2002 को 0430 बजे से 13.1.2002 को 0000 बजे तक एसटीडी सुविधाएं बाधित रहीं। तथापि 12.1.2002 को 1400 बजे तक एसटीडी सुविधाएं अंशतः बहाल कर दी गईं। इस समय दूरसंचार विभाग (भारत संचार निगम लिमिटेड) शिलांग दूरसंचार जिले में मोबाइल टेलीफोन का प्रचालन नहीं करता है।

(ख) शिलांग में ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज (टीएएक्स) के विस्तार के दौरान उत्पन्न तकनीकी बाधा के कारण एसटीडी सुविधाएं बाधित हुईं।

(ग) तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए एक तकनीकी टीम ने उपस्कर विनिर्माता से परामर्श करके यथासंभव प्रयास किया। एक्सचेंज उपस्कर अत्यधिक विश्वसनीय माने जाते हैं किंतु इनकी विफलता की संभावना यद्यपि अत्यंत क्षीण है, पूर्णतः अस्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए संगत क्रियाविधियों का अनुपालन करने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण

1671. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी टेलीफोन कनेक्शन को एक ही एक्सचेंज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में समयावधि का उल्लेख करते हुए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का पालन कहां तक किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे कितने मामले हैं जिनमें एक ही एक्सचेंज के भीतर टेलीफोन के स्थानांतरण के मामले उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सपन सिकदर) : (क) और (ख) सेवा–पैरामीटरों की गुणवत्ता का निर्धारण और मॉनिटरन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार किया जाता है। टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए अनुदेश बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल सेवा के सेवा गुणवत्ता, 2000 दिनांक 5 जुलाई, 2000 पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विनियम (2000 की संख्या 2) के द्वारा जारी किए गए हैं। विनियम के अनुसार, इस समय लागू पैरामीटर यह है कि शिफ्ट के लिए 95 प्रतिशत अनुरोधों को 5 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रतिदर्श आधार पर सेवा गुणवत्ता से संबंधित पैरामीटरों (टेलीफोन शिफ्ट किए जाने सहित) की मॉनिटरिंग करने के लिए मैसर्स इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो (आईएमआरबी) को काम पर लगाया है।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केबल पेयर उपलब्ध न होने (तकनीकी रूप से अव्यवहार्य मामले) और उपभोक्ता कारणों से 7 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित पड़े मामलों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

दिल्ली	–	271
मुंबई	–	3065

आज की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से संबंधित उन मामलों की संख्या के बारे में सूचना जिनमें एक ही एक्सचेंज क्षेत्र के भीतर टेलीफोनों की शिफ्टिंग निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लंबित पड़ी है, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) टेलीफोनों को शिफ्ट करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करने सहित सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार निगरानी रखी जाती है।

वेरावल पत्तन

1672. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वेरावल पत्तन को मुक्त पत्तन के रूप में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) वेरावल गुजरात में एक लघु पत्तन है और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है जिनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। यह मंत्रालय किसी मुक्त पत्तन के रूप में अधिसूचित नहीं करता है।

सलाया लघु पत्तन

1673. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सलाया लघु पत्तन की कुछ सीमाओं को विअधिसूचित किया गया था और उसे कांडला पत्तन न्यास को हस्तांतरित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कांडला पत्तन न्यास ने एस्सार रिफाइनरी द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिए वाडीनार क्षेत्र में एस बी एम स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ग) क्या सरकार उस राजस्व को जो एस्सार रिफाइनरी के लिए एसबीएम के माध्यम से सृजित किया जा सकता है, गुजरात सरकार को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गुजरात सरकार ने सलाया लघु पत्तन की सीमाओं से वाडीनार के हिस्से को अधिसूचना से निकाल दिया था और उसी दिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक अन्य अधिसूचना के जरिए अधिसूचना से निकाले गए वाडीनार क्षेत्र को कांडला पत्तन की सीमाओं में शामिल कर लिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वाडीनार क्षेत्र कांडला महापत्तन का एक भाग है और महापत्तनों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व को राज्य सरकारों के साथ नहीं बांटा जाता है। इसलिए, गुजरात सरकार का एस्सार रिफाइनरी के लिए एसबीएम के माध्यम से सृजित किसी राजस्व को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

कश्मीर मुद्दा

1674. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने कश्मीर को भारत–पाक संबंधों में सर्व प्रमुख मुद्दा बताया है जैसा कि 25 दिसंबर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को चीन के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सरकार ने इस समाचार को 25 दिसम्बर, 2001 के हिन्दुस्तान टाइम्स में देखा है।

(ख) से (घ) चीन के राष्ट्राध्यक्ष श्री जू रेंगजी ने 13–18 जनवरी, 2002 के बीच भारत की यात्रा की। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के संबंध में राष्ट्राध्यक्ष जू ने कहा कि चीन चाहता है कि इसका निवारण दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण माध्यम से बातचीत और परामर्शों द्वारा किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47

1675. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अलेप्पी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–47 पर हरिपाद कृष्णापुरम की दो लेन वाली सड़क को चौड़ा करने से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) केरल में रा.रा. 47 के हरिपाद कायमकुलंश–कृष्णापुरम खंड को इकहरी लेन के दोहरी लेन का बनाने का कार्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, सिवाय कुछ छोटे विविध कार्यों, के जो शीघ्र ही पूरे कर लिये जायेंगे।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 17.75 करोड़ रुपये है।

टेलीफोन का स्थानांतरण प्रभार

1676. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन का स्थानांतरण प्रभार टेलीफोन लगाने के शुल्क से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्थानांतरण प्रभार को कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नये टेलीफोन कनैक्शन के लिए सामान्य संस्थापना प्रभार 800/– रु. है। उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन उपकरण और आंतरिक वायरिंग मुहैया कराने पर क्रमशः 500/– रु. तथा 250/– रु. की छूट दी जाती है।

मौजूदा टेलीफोन को शिफ्ट कराने के लिए 600/– रु. प्रभार है। आंतरिक वायरिंग के लिए उपभोक्ता को 300/– रु. की छूट दी जाती है।

दोनों प्रभारों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान कनैक्शन काटने, स्थानांतरण और नये स्थान पर दोबारा कनैक्शन लगाने में कहीं अधिक मेहनत करनी होती है।

(ग) फिलहाल, शिफ्टिंग प्रभार कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपुर्यक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरुड़ सेल्यूलर फोन सेवा

1677. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की गरुड़ सेल्यूलर फोन सेवा द्वारा आज की तिथि के अनुसार कितने कनैक्शन दिये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में हैंडसेट चोरी की शिकायतें मिली हैं;

(ग) एक हैंडसेट की कुल लागत कितनी है और अपना हैंडसेट खोने वाले प्रत्येक उपभोक्ता से कितनी धनराशि वसूल की गयी; और

(घ) हैंडसेट की लागत और उपभोक्ता से वसूल की गई धनराशि के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दिल्ली और मुम्बई में दिये गये कनैक्शनों की संख्या और हैंडसेट की चोरी के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार थी :

	दिल्ली	मुम्बई
(i) दिये गये कनैक्शन	23,029	4682
(ii) हैंडसेट की चोरी संबंधी शिकायतें	171	09

(ग) हैंडसेट का मूल्य 17,288/–रु. है, जबकि खोये गये हैंडसेट के लिए उपभोक्ता से वसूल की गई राशि 10,000/–रु. है।

(घ) जन सामान्य के लिए सेवा को वहनीय बनाने के उद्देश्य से हैंडसेट की लागत की तुलना में सुरक्षित जमा राशि कम रखी गयी है। भविष्य में इस प्रौद्योगिकी के व्यापक स्तर पर इस्तेमाल द्वारा सृजित मांग की बड़ी संख्या के कारण हैंडसेट का मूल्य कम होने की आशा है।

माओवादियों द्वारा अड्डे स्थापित किया जाना

1678. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के माओवादियों ने भारत में विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में अपने अड्डे स्थापित कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से माओवादियों को भारतीय क्षेत्र को अपना अड्डा बनाने अथवा ट्रांजिट कोरीडोर बनाने से रोकने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सरकार के पास इस बात के साक्ष्य नहीं हैं कि माओवादियों ने भारत में अपने अड्डे बनाये हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा और उग्रवाद का सहारा लेने का कड़ा विरोध करती है। पिछले नवम्बर में वार्ता से एकपक्षीय रूप से हट जाने के पश्चात नेपाल में माओवादियों द्वारा की गई व्यापक हिंसक हमलों की हमने निंदा की है। हमने देश में शांति और सुरक्षा बहाल करने के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है।

नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने, विशेषकर प्रभावी सीमा प्रबंधन के संबंध में, के उपाय किये गये हैं। एक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र भी बनाया गया है जिसमें सीमा प्रबंधन से संबद्ध एक संयुक्त कार्यकारी दल और गृह सचिव स्तरीय बातचीत शामिल है जो भारत और नेपाल में शांति बनाये रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने जाने से जुड़े मसलों पर संयुक्त रूप से विचार करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संवर्द्धित करने के लिए सीमा पर विशेष सेवा ब्यूरो को तैनात किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के मामले

1679. डा. बलिराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध लंबित भ्रष्टाचार के मामलों की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध मामलों में नियमित विभागीय पूछताछ के 12 मामले जिनमें एम एस ओ के 9 अधिकारी शामिल हैं, 7 मामले जिनमें केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 26 अधिकारी शामिल हैं, 4 मामले जो विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के संबंध में हैं और एक मामला जो भारत के पूर्व औषध महानियंत्रक के संबंध में है, शामिल है। इन मामलों में आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं और नियमित पूछताछ प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल के बाद शुरू किये गये अभियोजन के 10 मामले हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पेंशन योजना की समीक्षा

1680. श्री राजैया मल्याला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित अंशदानों के आधार पर नये पेंशन कार्यक्रम के संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाये जाने के लिए मौजूदा पेंशन पद्धति की समीक्षा करने और उस योजना की रूपरेखा बनाने के लिए पेंशन के संबंध में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ ग्रुप ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रुप द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) नई पेंशन-प्रणाली के बारे में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ-दल ने अपनी रिपोर्ट, दिनांक फरवरी 22, 2002 को प्रस्तुत कर दी। कर्मचारियों को, पेंशन के रूप में और किसी कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार, अंशदान किए जाने के प्रावधान से युक्त, एक स्वैच्छिक बचत की योजना के रूप में निश्चित लाभ पहुंचाने के प्रति, उनसे अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए, उपर्युक्त विशेषज्ञ-दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, एक अंशदायी पेंशन-योजना की सिफारिश की है जिसमें कर्मचारियों और केंद्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर अंशदान किए जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विशेषज्ञ-दल की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन

से पड़ने वाले प्रभावों का, इस समय, अध्ययन किया जा रहा है।

राज्यों को वित्तीय सहायता में कटौती

1681. श्री आर. एस. पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता में 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या

1682. श्री रामटहल चौधरी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार को झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त राज्यों के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्यवार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या लक्ष्यों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं रही है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुंडा) : (क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों अर्थात 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान 57,298 आवेदन पत्र बिहार में प्राप्त हुए (जिसमें झारखंड भी शामिल है) तथा 2,34,179 आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों अर्थात 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान बिहार (इसमें झारखंड शामिल है) तथा उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य तथा प्राप्ति का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य में उपरोक्त वर्षों के दौरान योजना में संतोषजनक प्राप्ति हुई है, बिहार में (झारखंड सहित) सुधार की अभी भी गुंजाइश है। इस मुद्दे पर राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कार्यान्वयन बैंकों के साथ विचार विमर्श किया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों अर्थात 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य, संवितरित मामले तथा बिहार (झारखंड शामिल है) तथा उत्तर प्रदेश में लक्ष्य की प्राप्ति का राज्यवार ब्यौरा

(भा.रि.बैं. की रिपोर्ट के आधार पर)

वर्ष	बिहार (जिसमें झारखंड शामिल है)		उत्तर प्रदेश	
	योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा संवितरित (सं.)	योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा संवितरित (सं)
1999–2000	21800	9159	26000	36919
2000–2001	21900	7014	26100	28640

बिहार में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

1683. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन–किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ख) इन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कब तक परिवर्तित किये जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया था; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) वर्ष 1999–2000 से पूर्व बिहार के सभी दूरभाष एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया था।

(घ) पुरानी प्रौद्योगिकी वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना नौवीं पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था।

[अनुवाद]

केंद्रीय भंडार की आंतरिक लेखापरीक्षा

1684. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री 5 दिसंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2530 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी, नहीं। प्रश्न में मांगा गया विवरण एकत्र किया जा रहा है। चूंकि उपर्युक्त विषय से संबद्ध संपूर्ण जानकारी–परक आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा करने में कुछ और समय लगेगा, अतः आश्वासन पूरा करने की दृष्टि से, दिनांक 4.3.2002 से आगे तीन माह का समय और मांगा गया है।

शहरों में दूरभाष सुविधा

1685. श्री सईदुज्जमा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एवं अन्य शहरों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अलावा एक से ज्यादा दूरभाष प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की सीमा के अंतर्गत आने वाले शहरवार क्षेत्र/स्थान कौन से हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के ब्यौरे के अनुसार 21 सेवा क्षेत्रों में बुनियादी दूरसंचार सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। इन लाइसेंसधारकों से प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) विशेषकर तहसीलों में चरणबद्ध तरीके से पांइट आफ प्रेजेंस (पीओपी) लगाने की आशा की जाती है।

विवरण

बुनियादी दूरसंचार सेवा प्रदान करने हेतु निजी लाइसेंस धारकों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निजी लाइसेंस धारक
1	2	3
1.	अं.–निको. द्वीप समूह	मै. रिलायंन्स कम्यूनिकेशंस लि.
2.	आंध्र प्रदेश	मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशनस लि.
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.

1	2	3
5.	दिल्ली	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
6.	गुजरात	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
7.	हरियाणा	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
8.	हिमाचल प्रदेश	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
9.	जम्मू तथा कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
11.	केरल	मै. रिलायंस सर्विसेज लि.
12.	मध्य प्रदेश	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
13.	महाराष्ट्र	मै. ह्यूजेज टेलीकॉम इंडिया लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
14.	पूर्वोत्तर	शून्य
15.	उड़ीसा	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
16.	पंजाब	मै. एच एफ सी एल इन्फोटेल लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
17.	राजस्थान	मै. श्याम टेलीलिंक लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
18.	तमिलनाडु	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
		मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
21.	पश्चिम बंगाल	मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

1686. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 2001–2002 के दौरान अब तक राजस्थान में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विद्यमान राजमार्गों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

	आवंटित राशि (करोड़ रु.)	फरवरी, 02 तक खर्च की गई राशि (करोड़ रु.)
राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	304.75	274.07
राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव	71.73	47.65

[अनुवाद]

एससीपी और टीएसपी के अन्तर्गत निधियों का आवंटन

1687. श्रीमती रीना चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य मंत्रालय/संगठनों सहित परिवहन मंत्री को संबोधित दिनांक 12.3.1980 के पत्र संख्या 280–पीएम ओ/80 में तथा निर्धारित विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के अन्तर्गत इनके आरम्भ से ही उनकी प्रकृति, क्षेत्र

तथा लक्षित समूहों का उल्लेख करते हुए कौन–कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए गए हैं/कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी निधियां मांगी गईं तथा प्राप्त की गई हैं;

(ग) इस संबंध में क्या लाभ हुए और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) इस मंत्रालय द्वारा अ.जा. तथा अ.ज.जा. को शक्तियां प्रदान करने के लिए और कौन सी योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पूर्व जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के बाद नवम्बर, 2000 में अस्तित्व में आया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव तथा मोटर यान अधिनियम/केन्द्रीय मोटर यान नियम बनाने के लिए जिम्मेवार है। विशेष संघटक योजना (एससीपी) और जनजाति उप योजना (टीएसपी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक लाभ के लिए कोई स्कीम/कार्यक्रम इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1688. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के राज्य–वार क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार निष्पादन क्या था;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग को क्या छूट दी गई है; और

(घ) इसका ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के कार्यान्वयन की नियमित राज्यवार समीक्षा की जा रही है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों पर आधारित, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों, 1998–99, 1999–2000 और 2000–01 के दौरान राज्य–वार कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित आवेदकों के लिए पात्रता हेतु 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा, को 10 वर्षों की छूट देकर 45 वर्ष कर दिया गया है। यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान करती है।

विवरण

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों, 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्य–वार निष्पादन

(आर.बी.आई. की रिपोर्टों के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	1998–99		1999–2000		2000–01	
		योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा संवितरण (सं.)	योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा संवितरण (सं.)	योजना लक्ष्य (सं.)	बैंकों द्वारा संवितरण (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	4150	5742	4150	5856	4300	5239

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	2300	1913	2450	2011	2650	1958
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1300	835	1300	871	1300	660
4.	पंजाब	4500	8075	4250	8519	4200	7064
5.	राजस्थान	8150	10059	8050	11089	8300	9578
6.	चण्डीगढ़	100	75	500	51	400	44
7.	दिल्ली	4700	508	4850	614	5000	660
	उत्तर पूर्व क्षेत्र						
8.	असम	6700	5525	6400	5850	6600	1534
9.	मणिपुर	1000	407	1000	310	1000	336
10.	मेघालय	300	202	300	356	300	406
11.	नागालैंड	250	40	200	73	200	19
12.	त्रिपुरा	650	110	650	244	650	26
13.	अरुणाचल प्रदेश	125	166	100	215	125	118
14.	मिजोरम	200	37	200	84	200	245
15.	सिक्किम	100	45	100	43	50	40
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	बिहार	20500	8364	21800	9159	21900	7014
17.	उड़ीसा	6700	3106	7100	6731	7100	1503
18.	पश्चिमी बंगाल	23000	2726	22800	2910	22500	1763
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100	77	75	128	100	109
	केन्द्रीय क्षेत्र						
20.	मध्य प्रदेश	15400	19102	15800	21207	16200	12776
21.	उत्तर प्रदेश	25800	35023	26000	36919	26100	28640
	पश्चिमी क्षेत्र						
22.	गुजरात	8300	10607	8300	10085	8400	7873

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	महाराष्ट्र	21250	26346	21800	26202	22500	18610
24.	दमन एवं दीव	25	21	25	17	50	17
25.	गोवा	600	300	500	382	500	274
26.	दादरा एवं नगर हवेली	25	28	50	25	50	22
	दक्षिणी क्षेत्र						
27.	आंध्र प्रदेश	17100	15186	16800	13309	16900	9010
28.	कर्नाटक	10950	13188	11100	15255	11000	7420
29.	केरल	16000	11749	16000	12500	13500	9845
30.	तमिलनाडु	18400	11422	17000	12154	17400	8665
31.	लक्षद्वीप	50	31	20	33	50	14
32.	पाण्डिचेरी	500	330	500	252	500	141

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

1689. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले भारतीय सुरक्षा पहलुओं पर कितनी चर्चा हुई;

(ग) सम्मेलन के लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। 1–3 फरवरी, 2002 को सम्पन्न सुरक्षा नीति से सम्बद्ध 38वें म्यूनिख सम्मेलन का केन्द्र बिन्दु अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और लोकतांत्रिक समाज नामक सम्मेलन जिसमें आतंकवाद के सार्वभौमिकरण से लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और बहुलवादी समाजों को होने वाले खतरे पर बल देते हुए अपने भाषण में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने से सम्बद्ध भारत के सुरक्षा हितों को उठाया था।

(ग) और (घ) एक प्रतिष्ठित निजी संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक म्यूनिख सम्मेलन में विभिन्न देशों के उच्च नीति निर्माताओं एवं निर्णायकों को विचार–विमर्श और बहस का अवसर प्रदान किया गया। यह एक मंच नहीं है, जहां कोई निर्णय लिए जाते हों और जिन पर अनुवर्ती उपाय अपेक्षित होते हैं।

सेन्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस (रोड) ग्रुप 'क'

1690. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस (रोड) ग्रुप 'क' में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत पर नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सेन्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस (रोड) ग्रुप 'क' के 'स्वीकृत पदों' की संख्या क्या है;

(घ) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार डीओपीटी के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में यथा सुनिश्चित (एक) अनुसूचित जातियों, (दो) अनुसूचित जनजातियों (तीन) अन्य पिछड़े वर्गों और (चार) सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत हैं और इनका अलग–अलग प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितने नए रिक्त पद बने और इन रिक्तियों/पदों पर प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित श्रेणियों में उनका प्रतिनिधित्व वर्तमान में क्रमशः 12.7 प्रतिशत, 8.9 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। अनुसूचित जाति की श्रेणी में मामूली गिरावट, फीडर ग्रेड में पात्र पदधारियों की अनुपलब्धता के कारण है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा सड़क ग्रुप 'क' में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 208 है। तथापि, इसमें से केवल 129 पद (कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में 87 पद और सहायक कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में 42 पद), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यक्षेत्र में आते हैं जबकि नई भर्ती स्तर पर सहायक कार्यपालक इंजीनियर के केवल 42 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति के कार्यक्षेत्र में आते हैं। 2 जुलाई, 1997 की स्थिति निम्न प्रकार थी :

अ.जा., अ.जा.जा. के लिए आरक्षण

पद	स्वीकृत	वर्तमान सहित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग सहित	टिप्पणी
कार्यपालक इंजीनियर और सहायक कार्यपालक इंजीनियर	129	63	7 (11.1%)	7 (11.1%)	49 (77.8%)	कार्यपालक इंजीनियर और सहा. कार्य. इंजी. स्तर तक ही अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षण है

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

पद	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति में	अन्य पिछड़ा वर्ग	टिप्पणी
सहायक कार्यपालक इंजीनियर	42	30	3 (10%)	अ.पि.वर्ग आरक्षण सहायक कार्यपालक इंजीनियर की नई भरती के स्तर पर ही लागू है।

(ङ) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान हुई नई रिक्तियों का विवरण और उनके श्रेणी–वार भरने का विवरण निम्नानुसार है :

कार्यपालक इंजीनियर

वर्ष	रिक्त पद	भरे गए रिक्त पदों की संख्या			टिप्पणी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	सामान्य	
1999	47	–	–	7	फीडर ग्रेड में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण सभी रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका। तथापि, नियमानुसार अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.वर्गों के प्रतिनिधि को ध्यान में रखते हुए सीधी भरती के आधार पर भरने के लिए 33 रिक्त पदों की सूचना संघ लोक सेवा आयोग को मंत्रालय ने दे दी है।
2000	36	02	01	10	
2001	37	–	–	–	

सहायक कार्यपालक इंजीनियर

वर्ष	रिक्त पद	भरे गए रिक्त पदों की संख्या			टिप्पणी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	सामान्य	
1999	07	–	01	03	वर्ष 1999 में 7 रिक्त पदों पर, केवल 4 अधिकारियों ने ही मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2000 और 2001 में हुए रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों, जिनकी सूचना संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है, को अभी नामित नहीं किया गया है।
2000	06	–	–	–	
2001	07	–	–	–	

बकाया आरक्षित रिक्तियां

1691. श्री ए. के. एस. विजयन : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए आरक्षित बकाया/अग्रेनित रिक्तियों को "अलग एवं विशेष समूह" के रूप में मानना उपेक्षित है जैसा कि एक वर्ष में आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख में प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में यथासुनिश्चित (1) अ.जा. (2) अ.ज.जा. और अ.पि.व. के क, ख, ग तथा घ श्रेणी की सेवाओं के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में उक्त रिक्तियों को भरने के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान इत्यादि के रोके जाने के पश्चात् बकाया/अग्रेनित रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी अग्रेनीत रिक्तियां भरी गईं तथा कितनी भरे जाने के लिए शेष रहीं; और

(घ) "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार गत चार वर्षों के दौरान आरक्षित वर्गों के लिए सभी श्रेणियों में उत्पन्न नवीन रिक्तियां/पदों की संख्या कितनी है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) आरक्षित रिक्तियां भरने पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो वर्तमान वर्ष से उत्पन्न हुई हैं। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पिछले वर्षों का बैकलॉग/आगे ले जाई गई आरक्षित रिक्तियों को "अलग एवं विशेष समूह" के रूप में माना जाएगा और यह डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/5/97–स्था. (आ.) खंड II दिनांक 20.7.2000 के अनुसार किसी अधिकतम सीमा के अधीन नहीं होगा। इन निदेशों के प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होते।

(ख) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2.7.1997 का पैरा 5 पर आधारित रोस्टर के आरंभिक प्रचालन और कैडर में सम्बन्धित श्रेणियों में अधिकता/कमी की पहचान के संबंध में है न कि बैकलॉग/आगे ले जाई गई रिक्तियों के संबंध में।

(ग) और (घ) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण विशेष अभियान से संबंधित नीतिगत मामले डी.ओ.पी.टी. द्वारा देखे जाते हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 1.9.2001 को अस्तित्व में आया। एक सितम्बर 2001 को इसके सृजन से पूर्व कथित मंत्रालय हेतु कोई अलग कैडर नहीं था। अतः कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए विशेष भर्ती अभियान के दौरान भरने हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिक्तियों का पता लगाना संभव नहीं था।

विशेष संघटक योजना

1692. सरदार बूटा सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अ.ज. और अ.ज.जा. जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, के समग्र विकास को प्राप्त करने हेतु वर्ष 1978 से विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) और टी.एस.पी. के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एस. सी.पी. एवं टी.एस.पी. के अन्तर्गत तैयार की गई/कार्यान्वित की जा रही है योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण क्या है और एस. सी.पी./टी.एस.पी. प्रारम्भ करते समय पोत मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय/संगठनों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संबोधित दिनांक 12.3.1980 के पत्र 280/पी.एम.ओ./80 में यथा निर्धारित इसकी प्रकृति, कार्य क्षेत्र और लक्षित समूह क्या हैं;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई, प्राप्त की गई और उपयोग की गई;

(घ) इससे कितना लाभ हुआ और क्या लक्ष्य हासिल हुए; और

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों के बेरोजगार युवकों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने तथा हमारे आर्थिक जीवन की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा क्या अन्य योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) पोत परिवहन मंत्रालय के कार्यकलापों में क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष संबंधी योजनाएं शामिल नहीं हैं। इन कार्यकलापों का लक्ष्य देश में व्यापार के विकास को आसान बनाना है। इसलिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा विशेष संघटक योजना के तहत समुदाय विशेष के लिए योजना बजट की कोई विशिष्ट प्रतिशत नियत करना अथवा कोई स्कीम अथवा कार्यक्रम शुरू करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर उप मार्ग

1693. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर खुनतुनी से पितापाली तक एक 'उप मार्ग' के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा के कटक शहर से उड़ीसा की राजधानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा में कटक से उड़ीसा की राजधानी तक रा.रा. 5 को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

मुकदमेबाजी के मामले

1694. श्री शीश राम सिंह रवि :
श्री अरूण कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसा निदेश दिया है कि मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विवादों के निपटान हेतु सरकार के स्वायत्त निकायों को विवाद निपटान फोरमों की स्थापना करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो अब तक केन्द्रीय भंडार में ऐसे फोरम की स्थापना न किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय भंडार में विवाद निपटान फोरम की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) उपर्युक्त प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य उच्चतम न्यायालय के किस निदेश का हवाला दे रहे हैं। भारत-सरकार को उच्चतम न्यायालय के ऐसे किसी निदेश की जानकारी नहीं है जिसमें, केन्द्रीय भंडार में एक विवाद-निबटारा-मंच स्थापित किए जाने की, स्पष्ट रूप से, अपेक्षा की गई हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के लिए भूमि का अधिग्रहण

1695. श्री जार्ज ईडन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) रा.रा. 47 पर, इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण आकलन स्वीकृत किए गए हैं :

(i) केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम बाइपास के निर्माण का एक खंड,

(ii) केरल राज्य में अलूवा–अंगमाली खंड को चार लेन बनाना, और

(iii) तमिलनाडु राज्य में 641/6 कि.मी. पर पुल के पुनर्निर्माण के लिए संपर्क मार्ग। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अभी अधिग्रहण कार्य पूरा किया जाना है।

(ग) प्रक्रियागत अपेक्षाओं और न्यायालयी मामलों के कारण विलंब हुआ।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत 5 मार्च, 2002 को जारी उद्घोषणा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य के संबंध में उनके द्वारा 2 जून, 2001 को जारी पूर्व उद्घोषणा को प्रतिसंहृत किया गया है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 5 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 5111/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री प्रमोद महाजन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल फार साफ्टवेयर टेक्नोलाजी, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार साफ्टवेयर टेक्नोलाजी, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी 5112/2002]

(2) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5113/2002]

(3) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नइ दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5114/2002]

(4) (एक) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5115/2002]

(5) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी–डीएसी), पुणे के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर आफ डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी–डीएसी) पुणे के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5116/2002]

(6) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5117/2002]

(7) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5118/2002]

(8) (एक) सोसायटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5119/2002]

(9) अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास–डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 96 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास–डिजाइन नियम, 2001 जो 11 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 892(अ) में

प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5120/2002]

(10) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2002–2003 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 5121/2002]

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5122/2002]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.1½ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2002–2003 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 5123/2002]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से विदेश मंत्रालय की वर्ष 2002–2003 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 5124/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5125/2002]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5126/2002]

(5) (एक) पेस्च्योर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेस्च्योर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5127/2002]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1231(अ) जो 19 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपमंडल अधिकारी, दहानौ, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले में सूरत–मेनौर टालवे रोड प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 3(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में हावेरी और बयाडगी तालुकाओं के बीच राष्ट्रीय राज–मार्ग–4 में भूमि का अर्जन करना है।

(तीन) का.आ. 77(अ) जो 17 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 18 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 940(अ) में संशोधन करना है।

(चार) का.आ. 78(अ) जो 17 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भू–भाग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 के हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में विशेष भू–अर्जन अधिकारी, बंगलौर को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 79(अ) जो 17 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू–अर्जन) को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 80(अ) जो 17 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में किशनगढ़ से नसीराबाद भू–भाग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू–अर्जन), अजमेर, राजस्थान को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 15(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय ठाणे–भिवंडी बाइपास और जिसमें महाराष्ट्र राज्य में रेती बंडर पर मुम्बई–पुणे सड़क को जोड़ने वाली लिंक और लूप सड़क शामिल है, के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए मैसर्स आइडियल रोड बिल्डर्स लिमिटेड को प्राधिकृत करना है।

(आठ) का.आ. 109(अ) जो 25 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 पर नागपुर–हैदराबाद खंड के दोनों ओर सम्पर्क सड़क सहित वघाडी नल्ला पर स्थायी पुल के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1073(अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले

में (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड के निर्माण) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1074(अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड) के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1187(अ) जो 3 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1188(अ) जो 3 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशाखापत्तनम जिले में (विशाखा–पत्तनम–भुवनेश्वर खंड) निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1233(अ) जो 19 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 पर इलुरू बाइपास की चार लेनों का उपयोग करने वालों से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2(अ) जो 2 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर हरियाणा और राजस्थान राज्य के बीच के भाग का उपयोग करने वालों से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 6(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (विशाखा–पत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) को चौड़ा बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 7(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (मद्रास–विजयवाड़ा खण्ड) को चौड़ा बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 8(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खण्ड) को चौड़ा बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 41(अ) जो 9 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (चेन्नई–विजयवाड़ा खण्ड) को चौड़ा बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 42(अ) जो 9 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (विशाखा–पत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 43(अ) जो 10 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (मद्रास–विशाखा–पत्तनम खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 70(अ) जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–60 (गोविन्दपुर ब्राह्मन सासन से रूपनारायणपुर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 71(अ) जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–60 (बालासोर–लक्ष्मणनाथ खण्ड) को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 72(अ) जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 (विशाखा–पत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1063(अ) जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–4 (टुमकुर से हरिहर के बीच) को चार लेन वाला बनाने के प्रयोजनों से भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1089(अ) जो 3 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–4 (पेरूमपुलिपक्कम से कोंडापुरम के बीच) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1090(अ) जो 3 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–46 के रानीपेट–कृष्णागिरी खण्ड को चार लेनों वाला बनाने के प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1091(अ) जो 3 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 (तालसरी–मनोर) पर भूमि के अर्जन के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकरण की नियुक्ति के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1092(अ) जो 3 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में टुमकुर से हरिहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–4 को चार लेन वाला बनाने के प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1106(अ) जो 8 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 पालामाधुर और संख्या–114 धोजूपेडू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–45 के चेंगलपट्टू–तिंडीवनम खण्ड को चार लेन वाला बनाने के के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1107(अ) जो 8 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में गोरहर से बरवा अड्डा तक चार लेन बनाने के लिए अर्जित भूमि के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1160(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–45 पर विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1161(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–45 पर (विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और सुधार करने के लिए) अधिग्रहित भूमि के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1162(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–45 (विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने के लिए) को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1163(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर (विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने के लिए) को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1164(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कोखराज (इलाहाबाद बाईपास के लिए कानपुर वाराणसी खण्ड) भू–भाग के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1165(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 पर भूमि (विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने तथा बाईपासों, यदि कोई हों, का निर्माण करने के लिए) के संबंध में ऐसे प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1166(अ) जो 24 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर करूर बाईपास पर भूमि के संबंध में निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1247(अ) जो 20 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में हावेरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 का निर्माण करने के प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 310(अ) जो 30 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 941(अ) जो 18 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 27 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 310(अ) की अनुसूची में संशोधन करना है।

(इकतालीस) का.आ. 942(अ) जो 18 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(बयालीस) का.आ. 181(अ) जो 8 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में तिरवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मदास–विजयवाड़ा खण्ड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेतालीस) का.आ. 192(अ) जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खण्ड) को चौड़ा करने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 175(अ) जो 7 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के हिस्सों का इस्तेमाल करने वालों से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 172(अ) जो 7 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीफ इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग), भोपाल को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का संग्रहण और प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 173(अ) जो 7 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीफ इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग), भोपाल को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थायी असम ब्रिज का इस्तेमाल करने वालों से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का संग्रहण और प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1067(अ) जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 को सुपुर्दगी अनुसूची से हटा दिया गया था।

(अड़तालीस) का.आ. 1068(अ) जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 को एक नए संरेखण के साथ घोषित किया गया था।

(उनचास) का.आ. 1149(अ) जो 21 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क की घोषणा की गई थी।

(पचास) का.आ. 1191(अ) जो 3 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की सुपुर्दगी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का.आ. 1192(अ) जो 3 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हटाए गए हिस्सों की सुपुर्दगी के बारे में है।

(बावन) का.आ. 12(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का.आ. 13(अ) जो 3 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के हिस्सों की सुपुर्दगी के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 93(अ) जो 22 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(पचपन) का.आ. 208(अ) जो 15 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 की सुपुर्दगी के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 209(अ) जो 15 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5128/2002]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड एवं स्थायी पुल के उपयोग का शुल्क–सरकारी वित्त पोषित परियोजनाएं) संशोधन नियम, 2001 जो 4 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 876(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) संशोधन नियम, 2001 जो 4 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5129/2002]

(4) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 13 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5130/2002]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2001 जो 31 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 933(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2002 जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5131/2002]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 8(अ) जो 4 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत 2 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 730 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 5132/2002]

(3) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5133/2002]

(4) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1999 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह को स्वीकार न करने के

कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5134/2002]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 880(अ) जो 5 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (विभाग प्रमुख की भर्ती) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया था।

(दो) सा.का.नि. 881(अ) जो 5 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5135/2002]

(2) (एक) पहले के बाम्बे डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पहले के बाम्बे डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी विवरण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5136/2002]

(4) (एक) मद्रास डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5137/2002]

(6) (एक) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5138/2002]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के लेखापरीक्षित लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा।

(9) उपर्युक्त (8) में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5139/2002]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकात्ता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकात्ता का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5140/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2001 जो 11 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 894(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (नौवां संशोधन) नियम, 2001 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 20 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5141/2002]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (आठवां संशोधन) नियम, 2001 जो 11 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (नौवां संशोधन) नियम, 2001 जो 20 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धिपत्र 24 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5142/2002]

(3) (एक) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5143/2002]

(5) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 5144/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां से इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1201–2002) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

सत्ताईसवां से इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति (2002) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पेय जलापूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 21वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन;

(दो) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 22वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन;

(तीन) शहरी विकास विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 23वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(चार) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 24वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन; और

(पांच) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 25वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

हिमाचल प्रदेश में न्यूमोनिक प्लेग का प्रकोप*

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा. सी. पी. ठाकुर सभा पटल पर अपना वक्तव्य रखेंगे।

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 5145/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : महोदय, मैं 'हिमाचल प्रदेश में न्यूमोनिक प्लेग का प्रकोप' के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

*मैं इस सदन को गांव हट कोटी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुए न्यूमोनिक प्लेग के प्रकोप तथा उसके बाद चंडीगढ़ में प्लेग जैसे रोग की घटना और उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा देना चाहूंगा।

गांव हट कोटी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में फरवरी, 2002 के पहले सप्ताह में छाती के प्रबल लक्षणों वाले उग्र, अत्यधिक सांसर्गिक ज्वरजन्य रोग का स्थानीय प्रकोप हुआ। ये मामले तीव्र ज्वर आक्रमण, ठंड, छाती में दर्द, श्वासहीनता, सरदर्द, प्रोस्ट्रेशन, रक्त निस्तीक्न (हिमोपटाइसिस) के साथ हुए। स्थानीय चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी ने इस संदिग्ध प्रकोप की गंभीरता के विषय में दिनांक 13.2.2002 को निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को सूचना दी। हिमाचल प्रदेश में 4.2.2002 को हुए पहले मामले के बाद से ऐसे रोग के कुल 16 रोगियों की सूचना दी गई। अब तक हिमाचल प्रदेश के संक्रमित व्यक्तियों में से 4 की मौत हो गई है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से इस प्रकोप की सूचना मिलने के तुरन्त बाद राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के जानपदिक रोग विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी तथा कीटविज्ञानी का एक दल 14.2.2002 को प्रातः प्रभावित क्षेत्रों में गया। साथ ही राज्य की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं की तुरन्त पूर्ति की गई। इस दल ने 14 और 17 फरवरी, 2002 के बीच शिमला जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अस्पतालों में रोगियों, जहां उनका उपचार किया जा रहा था की जांच की और इन रोगियों की परिचर्या करने वाले डाक्टरों के साथ परामर्श किया। अपने दौरे के दौरान इस दल ने यह देखा कि रोग हो सकता है सभी बीमार हुए व्यक्ति पहचान किए गए पहले रोगी के रिश्तेदार थे और सूचित पहले रोगी के संपर्क में आए थे। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के दल द्वारा यह भी देखा गया कि सूचित पहला रोगी 21 जनवरी से जंगलों में लंबे समय के लिए शिकार करने गया था और वह 2 फरवरी, 2002 को अपने गांव लौटने के तुरन्त बाद बीमार पड़ गया। पीजीआई, चण्डीगढ़ से प्राप्त रोगी नमूनों को 15.2.2002 को वापस दिल्ली

*सभा पटल पर रखा गया।

लाया गया और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के अन्वेषकों द्वारा उनकी जांच की गई।

दो संदिग्ध रोगियों के कल्चर आईसोलेट्स, दो रोगियों के थूक नमूने, एक रोगी का लंग आटोप्सी और एक लंग लेवेज मेटीरियल की जांच राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की प्रयोगशालाओं में की गई। राज्यवार जांचों से निम्नलिखित का पता चलता है :

- स्मीयर जांच से बाईपोलर, शार्ट थीन बेसिली जो आकार से एरसीनिया पेस्टिस के सदृश था, का पता चला;
- एरिसीनिया पेस्टिस के लिए फ्लोरेसेन्ट एंटीबाडी जांच पाजिटिव पाई गई;
- मोलिक्यूलर जांचों से एरिसीनिया पेस्टिस विशिष्ट पी एल ए और एफ 1 जीनों की मौजूदगी की पुष्टि हुई;
- डी एन ए फिंगर प्रिंट प्लेग बेसिली के ज्ञात सिक्वेंस के अनुरूप था;
- एरिसीनिया पेस्टिस के लिए बैक्टीरियोफेज लाइसिस जांच पाजिटिव थी।

अनेक जांचों से सामूहिक रूप से यह पुष्टि हुई है कि एरिसीनिया पेस्टिस के संक्रमण से संबंधित रोगी आम तौर पर जाने जाने वाले न्यूमोनिक प्लेग के रोगी थे। इस निष्कर्ष की अन्य नैदानिक और महामारी साक्ष्य द्वारा भी पुष्टि होती है। इस कार्य के लिए पैथोजन की पहचान और पुष्टि के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप थी।

19.2.2002 को श्वसनी लक्षणों वाले चंडीगढ़ के एक और रोगी को पीजीआई, चंडीगढ़ में भर्ती किया गया और उस रोगी की 19/20 की रात को मौत हो गई। जांच करने पर यह पता चला कि वह अपने भाई जो किसी अन्य रोग के कारण पीजीआई, चंडीगढ़ में पहले से ही भर्ती था, की देखभाल करने अस्पताल में गया था। यह पक्का पता नहीं है कि क्या वह हिमाचल प्रदेश के संदिग्ध प्लेग से पीड़ित रोगियों, जिनका पीजीआई, चंडीगढ़ में उपचार चल रहा था, के सम्पर्क में आया था या नहीं। 22.2.2002 को प्लेग जैसे लक्षणों वाले एक और रोगी और 23.2.2002 को दो और रोगियों को पीजीआई, चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया। उनमें से दो, श्वसनी लक्षणों वाले एक रोगी जिसकी 19/20 की रात को मौत हो गई थी, की पत्नी और बेटी थी; जबकि तीसरी एक नर्स थी जो उस नर्सिंग होम में कार्यरत थी जहां पर मृतक को पीजीआई, चंडीगढ़ में लाने से पहले भर्ती किया गया था। इन तीन रोगियों के नैदानिक नमूनों ने संदिग्ध जीवाणु वृद्धि (ग्रोथ) नहीं दर्शाई। तथापि, अत्यधिक सावधानी के उपाय के रूप में विभिन्न अस्पतालों में इन तीन रोगियों के सम्पर्क में आने वाले विभिन्न लोगों तथा उनके परिवारों के आस–पड़ोस के लोगों को रोग निरोधी (प्रोफिलैक्टिक) उपचार दिए गए और उन्हें आम जनता से अलग रखा गया। गैर–नैदानिक बुखार और श्वसनी रोग के संबंध में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में जनस्वास्थ्य परामर्श जारी किए गए।

चंडीगढ़ से प्लेग जैसे लक्षणों वाले नए रोगियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांच करने हेतु 22 फरवरी को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के जानपदिक रोग विज्ञानी और सूक्ष्म जीव विज्ञानी का एक विशेषज्ञ दल प्रतिनियुक्त किया। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में संक्रमण नियंत्रण उपायों की मानिटरिंग करने हेतु 4 और विशेषज्ञ भेजकर चंडीगढ़ में अपने दल को और सुदृढ़ किया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का दल जो संदिग्ध प्रकोप की जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश गया था, ने संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के महत्त्वपूर्ण घटक थे :

- प्रभावित गांव और रोगियों के निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों का संगरोधन।
- रोगियों के निकट सम्पर्क में रहने वाले लोगों, प्रभावित तथा पड़ोस के गांव के निवासियों और डाक्टरों/पराचिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लगभग 28,000 से 30,000 लोगों) को केमोप्रोफिलैक्सिज् (डाक्सीसाइक्लिन/टेट्रा–साइक्लिन/ब्रॉड स्पैक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग करके) दिया गया।

- प्रभावित गांवों के साथ-साथ परिवहन वाहनों में फार्मलीन (10 प्रतिशत) का प्रयोग करते हुए धूमन (फ्यूमिगेशन)।

- सामान्य जनता को आतंकित न होने देने के लिए उन्हें पुनः आश्वस्त करने और उन्हें यह सलाह भी देने के लिए कि वे बुखार, बलगम आदि होने की स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रिपोर्ट करें, सूचना शिक्षा व संचार अभियान।

- एंटिबायोटिक्स देने, नए रोगियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रभावित तथा पड़ोसी गांव में जनता से घर-घर जा कर बातचीत करना।

- रोगियों का स्थानीय तौर पर उपचार करना।

उत्तरांचल प्रदेश सरकार को भी यथोपरि दिशनिर्देश जारी किए जा चुके हैं क्योंकि उस प्रदेश के निवासी एक रोगी को हटकोटी जाने पर संक्रमण लग गया था।

11 मार्च, 2002 तक हिमाचल प्रदेश में पता लगाए गए प्लेग के 16 रोगियों तथा चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के प्लेग जैसे लक्षणों वाले चार संदिग्ध रोगियों में से पांच लोग मर चुके हैं, 13 को स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् छुट्टी दे दी गई है तथा दो पी जी आई, चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं और उनके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो रहा है।

मैंने केन्द्र तथा राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के साथ 21 फरवरी, 2002 को पीजीआई, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय विज्ञान संस्थान की परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन की स्कीम के खण्ड 9(1)(ङ) संस्थान के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित, के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, स्कीम के अन्य उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन की स्कीम के खण्ड 9(1)(ङ) संस्थान के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित, के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, स्कीम के अन्य उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

(दो) भारतीय नर्स परिषद्

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3(1)(ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3(1)(ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वर्ष 2001–2002 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5146/2002]

अपराह्न 12.05½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-1999

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वर्ष 1998–1999 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 5147/2002]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' शुरू होता है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मद सं. 20, श्री ईश्वर दयाल स्वामी।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक*—पुरःस्थापित

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड 2 दिनांक 13.3.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, प्रधानमंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए और स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा बतानी चाहिए...*(व्यवधान)* हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री तुरन्त यहां आएं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सबसे पहले प्रधानमंत्री को बुलाइए, तब हाउस चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री यहां आएं और स्थिति स्पष्ट करें...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने राष्ट्र को गुमराह किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि यथास्थिति रहेगी, लेकिन सरकार ने देश के साथ खेल किया, धोखा किया।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इससे पूरे देश का वातावरण खराब हो गया है, इसलिए पहले प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज और कल चर्चा करने का निर्णय लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी खड़े होकर इस तरह चिल्लाएंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे?

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें। लेकिन इससे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे कार्यक्रमानुसार आज और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। हमारे पास समय नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, विधि मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री अयोध्या के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदय, प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए। सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ला मिनिस्टर स्टेटमेंट करने के लिए बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हर कोई बोल रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कह रहा हूं। कुंवर अखिलेख सिंह, क्या आप अपने स्थान पर जाएंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा कि पहले अपनी सीट पर जाइए। पहले से ही टाइम नहीं है, आज और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डिसकशन करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह इसी सभा में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदे का उल्लंघन है। इसलिए, उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी को भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की अनुमति न दी जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस में व्यवस्था होनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, क्या तभी आप अपनी सीट पर जाएंगे? आप पहले अपनी जगह पर जाइए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बहुत गंभीर मामला है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : प्रधानमंत्री जी, आप बोलिए, सब अपनी सीट पर चले जाएंगे।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाएं, हम बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)* आप प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए कहिए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : प्रधानमंत्री जी बयान दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, इस सभा में दो प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाए। यदि हमें निवेदन करने की अनुमति मिलती है तो हम निवेदन करेंगे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री उत्तर दे सकते हैं।

अथवा माननीय प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें और तत्पश्चात् हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)* इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर यदि हमें प्रश्न नहीं पूछने दिया गया तो यह उचित नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा निवेदन है कि आप कृपया इन प्रक्रियाओं में से एक को स्वीकार करें अर्थात् आप या तो पहले हमें निवेदन करने दीजिए और तत्पश्चात् प्रधानमंत्री उत्तर दें अथवा प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने दीजिए और उसके बाद हमें प्रश्न पूछने दीजिए।...*(व्यवधान)* अन्यथा इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगी। कोई ध्यान नहीं देगा तथा यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो पायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वे स्टेटमेंट दें तो मैं इन्हें बैठा लूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने का निदेश नहीं दे सकता हूं और आप यह जानते हैं। मैं किस तरह ऐसा कर सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप प्रधान मंत्री जी को कहिए, हम बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले, श्री समीक लाहिड़ी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरीडीह) : महोदय, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को करीब 24 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को जनवरी 2000 से महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हो रहा है। स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी भविष्य निधि का भुगतान नहीं हो रहा है।

एक तो एच.एस.सी.एल. कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा इसके यूनियन के पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है।

पूर्व में एच.एस.सी.एल. को स्टील प्लांटों में कार्य करने हेतु प्राथमिकता दी जाती थी वहीं वर्तमान में इस कंपनी को खुली निविदा के माध्यम से प्रतियोगिता में आना पड़ता है, जिसके कारण इस कंपनी में कार्यरत अधिकारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि खुली निविदा के कारण एल–1 (निम्नतम) नहीं हो पाता है।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त में वर्णित विषयों के निष्पादन हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

(दो) बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, किसी भी राज्य के आर्थिक वर्गीकरण का मानदंड होता है 'जी.डी.पी.' अर्थात सकल घरेलू उत्पाद भुगतानों की बकाया राशि, मुद्रा की सुरक्षित निधि, आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में योजना विकास की स्थिति अन्य राज्यों से बदतर है। बिहार की वार्षिक योजना का आकार करीब 1300 करोड़ रुपए है। वर्ष 1998–99 में राज्यवार प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय 233 रुपए है जबकि असम और उड़ीसा में क्रमशः 500 और 679 रुपए रहा। 2000–2001 में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार से जितने भी पैसे प्राप्त हुए उसमें से 434 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सके। पिछले दस वर्षों में वृहद और मध्यम सिंचाई की एक भी योजना पूर्ण नहीं की जा सकी है। बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता 15 से 20 प्रतिशत रही है जबकि अन्य राज्यों का औसत 67 प्रतिशत है। बिहार राज्य वित्त आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई अन्तरिम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था विभाजन के बाद लड़खड़ा गई है।

गत वर्ष 1999–2000 के बजट में 4894 करोड़ रुपए

*सभा पटल पर रखे गए।

का वित्तीय घाटा दर्शाया गया है जबकि 98–99 में यह घाटा 4391 करोड़ था। सी.ए.जी. रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों से पता लगता है कि कुल व्यय का सामान्यतः 89 प्रतिशत राजस्व व्यय किया गया है जबकि अनुमानित पूंजीगत व्यय 5 प्रतिशत के मार्जिनल स्तर का रहा। मेरी केन्द्र सरयकार से मांग है कि बिहार सरकार को आर्थिक संकट से उबारने हेतु समुचित सहयोग करें।

(तीन) गुजरात के जामनगर शहर को बी-2 शहर का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : महोदय, गुजरात के जामनगर शहर क्षेत्र को आज दिन तक बी–2 का दर्जा नहीं दिया गया जबकि जनगणना 2001 के अनुसार जामनगर शहर एवं 5 किलोमीटर के एरिया का विस्तार में करीब 6 लाख की आबादी है, जिसमें एक लाख की जनसंख्या रक्षा विभाग की है, जो उसमें समावेश नहीं किया गया। करीब 1 वर्ष हो गया फिर भी जामनगर को बी–2 का दर्जा नहीं दिया गया।

इस बारे में जामनगर के बहुत से सरकारी कर्मचारी ,की यूनियनें, एसोसिएशन एवं फेडरेशन पिछले 15 वर्षों से अनेकों पत्र, मेमोरेंडम केन्द्रीय सरकार को भेजे, रिप्रेजेंटेशन किए, स्वयं भी मिले। जामनगर के सांसद के नाते मैं भी स्वयं प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री को स्वयं मिला हूं। सबने आश्वासन दिया कि तुरन्त दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया।

कई दफे बी–2 अपग्रेडेशन के बारे में जामनगर में आन्दोलन हुए, रास्ता रोको आन्दोलन हुए, बन्द हुए, भूख हड़तालें हुईं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि जामनगर को तुरंत ही स्पेशल केस मानकर भी तुरंत बी–2 में अपग्रेड किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) गुजरात राज्य के लिए खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात राज्य को योजना आयोग के निर्यात समूह की प्रक्रिया (एक्सपोर्ट ग्रुप मैथेडोलाजी) के 1993-94 के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 21.20 लाख का आवंटन मिलता है। इन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य को गुजरात में रहने वाले सभी 33.90 लाख गरीबी की रेखा से नीचे वाले राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार का खाद्यान्न का कोटा बढ़ाने का अनुरोध करता हूं अन्यथा राज्य सरकार भारत सरकार के मानदण्ड, जिसके अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 25 किलो प्रतिमास की दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए, के अनुसार ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी।

[हिन्दी]

(पांच) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुआ स्थित कोल्ड बान्डेड पिलेट प्लांट को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : महोदय, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में गुआ स्थित कोल्ड बोन्डेड, पिलेट प्लांट फैक्टरी 1995 से बंद पड़ी है, जो इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत थी। यह प्लांट लाभ में था एवं इसके उत्पादन को शत–प्रतिशत निर्यात किया जाता था। इस प्लांट में अपशिष्ट पदार्थों एवं रिजेक्ट को सही प्रकार से उपयोग किया जाता था अब उसी कचरे को यहां की नदियों में फेंका जाता है, जो सिंचाई के द्वारा किसानों के खेत में पहुंचता है, जो खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सीनीय नदी में जो कचरा खदानों का फेंका जाता था, उसे नदी में न फेंक कर इस प्लांट में उपयोग करके उसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाई जाती थी। इस प्लांट में जो कुप्रबंध व्यवस्था के चलते बंद किया गया था, वह खदानों का कचरा होता है, जिसका इस्तेमाल इस प्लांट में किया जा रहा था। साथ ही इस प्लांट के चलने से इस आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को काम भी मिलेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्लांट को शीघ्र शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हरिश्चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र का बहुमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : हरिश्चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार राज्य और कटिहार जिले की सीमा पर स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। इसमें मालदा जिले के दो राजस्व

खण्ड आते हैं। इस क्षेत्र में छात्रों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है और छात्राओं के लिए भी पर्याप्त विद्यालय नहीं हैं। यहां तेलजाना दिल्ली दावानगन्ज और पैखाना से तेलजाना के लिए सड़क सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तुरंत कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस्लामपुर बोरोई और खुसीदा अन्चल विकास, सड़क और स्वास्थ्य अवसंरचना की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हैं।

जब तक हरिश्चन्द्र पुर में कुमेदपुर रेलवे जंक्शन को बाई–पास उपमार्ग से नहीं जोड़ा जाता तब तक हजारों किसान और गरीब लोग वर्ष–दर–वर्ष परेशानी झेलते रहेंगे। जब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और रेल मंत्रालय नौवीं योजना के पूरा होने से पहले राज्य सरकार को सम्मिलित कर यहां के लोगों की विशेष समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह हिस्सा और वहां के लोग अकथनीय पीड़ा झेलते रहेंगे। इसलिए, कृपया योजना मंत्रालय इस पूरे मामले के ऊपर लिखित मंत्रालयों से समन्वय करे जिससे पश्चिम बंगाल के इस जिले को अस्थिरता से बचाया जा सके। कटिहार से हरिश्चन्द्रपुर को सड़क मार्ग से जोड़े जाने से इस क्षेत्र का और विकास होगा व यहां आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

(सात) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के अनुसूचित जाति से संबंधित युवाओं को पूर्णतया आधारहीन कारणों के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संविधान में उल्लिखत विदेश के अनुसार जारी करने से इंकार किया जा रहा है जिससे उनका भविष्य संवारने का मूल लक्ष्य ही प्रभावित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गई है जहां अभिभावकों के पास तो जाति प्रमाणपत्र है लेकिन उनके बच्चों को यह प्रमाण पत्र देने से इसलिए इंकार किया जा रहा है कि वे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद पैदा हुए हैं। इस अन्याय को तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं सरकार से अविलंब कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) रक्षा कर्मियों के लिए समान रैंक समान पेंशन योजना लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिकारी से नीचे के रैंक के व्यक्ति को इसकी सेवा के वर्गों के 50 प्रतिशत मौलिक संख्या अर्जित करने हेतु उसे 33 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी आवश्यक है। हालांकि अधिकारी स्तर से नीचे के व्यक्ति की सेवानिवृत्ति उसकी आयु पर नहीं बल्कि उसके रैंक पर निर्भर करती है। पूर्व में सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार और सूबेदार 17, 22, 24, 26 और 28 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने के पश्चात्, सभी रैंकों की सेवानिवृत्त आयु दो वर्ष बढ़ने से पूर्व, को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त होना पड़ता था। लेकिन सिविल प्रशासन में उनके समकक्ष चाहे उनका कोई भी ग्रेड हो, 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होते हैं जिससे वे पेंशन पाने के अधिकारी बने रहते हैं जबकि रक्षा सेवाओं में अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेंशन में कमी का अर्थ है तदनुसार पारिवारिक पेंशन में भी कमी। ऐक भूतपूर्व–सैनिक और एक सिविल कर्मचारी के लिए दो अलग–अलग मापदण्ड नहीं होने चाहिए। इस विसंगति को दूर करने हेतु सेवा के वर्षों को कम किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल सके। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह सेवा अवधि के वर्षों को ध्यान में न रखते हुए रक्षा कर्मियों हेतु रैंक एक पेंशन नीति को कार्यान्वित करे।

(नौ) देश में हेरोइन की तस्करी रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आई. एन. सी. बी.) की 2001 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत हेरोइन तस्करी का एक प्रमुख केन्द्र बन रहा है। भारत पर पहले से ही यह कलंक लगा हुआ है कि यूरोप और उत्तरी अमरीका के देशों में हेरोइन की तस्करी 'गोल्डन क्रेसन्ट जोन' के पुराने रास्ते से होती रही है। इस रिपोर्ट में इस पर जोर दिया गया है कि दक्षिण भारत के पत्तनों का नशीली दवाइयों की तस्करी में उपयोग तेजी से बढ़ा है। यह बात भारत से श्रीलंका के मार्ग में स्वापक औषधियों की खेप जब्त करने में हुई तीव्र वृद्धि से साबित होती है। हमारी सरकार को सीमा–पार होने वाली इस स्वापक औषधियों की चोरी–छुपे तस्करी को रोकने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा नशीली दवाओं के विरुद्ध हमारी लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार को इस समय चाहिए कि जैसा कि आई. एन. सी. बी. की रिपोर्ट में दर्शाया गया है सरकार को नशीली

दवाओं के दुनिया भर में फैले इस गठजोड़ द्वारा इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि इनसे अवैध दवाओं के व्यापार के विरुद्ध हमारी लड़ाई कठिन हो जाती है। इसमें असफल रहने पर स्वापक औषधियों का व्यापार शीघ्र ही हमारे देश में साइबर स्पेस में बड़े स्तर पर प्रवेश करेगा, जैसा कि यह इस समय अन्य देशों में बढ़ रहा है।

(दस) पश्चिम बंगाल में मुकुटमणिपुर और बांकुरा का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील खां (दुर्गापुर) : मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के अन्तर्गत मुकुटमणिपुर स्थित पर्यटन केन्द्र के विकास की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कंगसाबती नदी के तट पर स्थित मीलों लम्बा, पहाड़ियों से घिरा मुकुटमणिपुर अपने आप में एक अप्रतिम सौन्दर्य स्थल है और किसी भी अन्य पर्यटन स्थल से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार और निजी उद्यमियों ने यहां पर्यटकों की सुविधा के लिए सारी आवश्यक अवसंरचना का विकास कर लिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वित्तीय सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार आदि करे जिससे इस प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

(ग्यारह) मदुरै-बोडी रेलमार्ग को बंद करने के कदम को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम) : थेनी ओर मदुरै जिलों के लोग 90 किलामीटर लम्बे मदुरै–बोडी मीटर लाइन मार्ग को बंद किए जाने की आशंका से उत्तेजित हैं। यह मार्ग छात्रों, कार्यालय जाने वालों, किसानों, व्यवसायियों और पर्यटकों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह इस पिछड़े क्षेत्र के परिवहन की जीवन रेखा है। यह मार्ग करूमाथुर, उसिलमपट्टी, अंडिपट्टी और थेनी से होकर गुजरता है।

ऐसी सूचना मिली है कि अलाभप्रद होने के कारण रेलवे इस मार्ग को बंद करने पर विचार कर रहा है। इस निर्णय से यहां के यात्रियों को होने वाली असुविधा के साथ–साथ इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। इस क्षेत्र में बहुत इलायची पैदा होती है। इलायची उत्पादक इस रेल मार्ग का उपयोग व्यापार करने और अपनी बढ़ती फसल के लिए उर्वरक आदि ले जाने में करते हैं। चूंकि रेलवे की एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी है अतः केवल लाभार्जन ही अकेला मानदण्ड नहीं होना चाहिए। अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए रेल मार्ग ही एक आशा की किरण है। यदि मदुरै–बोडी मार्ग बंद कर दिया जाता है तो अंडिपट्टी सहित छह रेलवे स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। वैगैइडैम देखने जाने वाले पर्यटक भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

इस मार्ग के महत्त्व को देखते हुए मैं सरकार से इस मार्ग को बंद न करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

(बारह) बिहार के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर और सुपौल जिले में वीरपुर में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में सिमरी–बख्तियारपुर एवं वीरपुर प्रमुख शहर हैं। यह दोनों जगह अनुमंडल मुख्यालय भी है। इन जगहों पर रसोई गैस एजेंसी नहीं रहने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सिमरी बख्तियारपुर एवं वीरपुर से काफी दूरी पर रसोई गैस की एजेंसी है।

अतः सरकार सहरसा जिला के सिमरी-बख्तियारपुर एवं सुपौल जिला के वीरपुर में रसोई गैस एजेंसी की दुकान शीघ्र खोले।

(तेरह) हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को पूरा करने के संबंध में हाल ही में दिए गए निर्णय ने हरियाणा राज्य के किसान को राहत पहुंचाने में सहायता दी है। गत् ट्रिब्यूनलों आदि के निर्णयों के आधार पर इस परियोजना से हरियाणा को जल उपलब्ध कराने का तय हुआ। परियोजना का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। पंजाब में भी 75 प्रतिशत परियोजना पूरी कर ली गई। हरियाणा में भी इसका निर्माण 90 प्रतिशत तक हो गया था किंतु अभी भी इसका निर्माण अधर में लटका

है। किंतु, अब न्यायालय के निर्णय ने इस परियोजना के निर्माण पूरा करने में अहम भूमिका की है। पंजाब सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार को भी इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस परियोजना के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूरा करा कर हरियाणा राज्य के किसानों को न्याय दिलाएं।

(चौदह) वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती मनाई जा रही है। भगवान महावीर की जन्म भूमि के विकास के लिए राज्य सरकार ने तीन सड़कों यथा 1. भागवतपुर रत्ती से सरैया, सड़क, जो मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों जिलों में पड़ती है। 2. भागवतपुर से वैशाली से जैन मन्दिर और 3. मानपुर (लालगंज) से मदरना से वैशाली से जैन मन्दिर तक की सड़कों के निर्माण का प्राक्कलन भेज दिया है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृत्ति नहीं दी गई है, जिस कारण उस ऐतिहासिक स्थल का विकास नहीं हो पाएगा। सरकार वैशाली के विकास के लिए वचनबद्ध है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृपा कर इस ऐतिहासिक अवसर पर वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा देने हेतु भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती की कार्यान्वयन समिति द्वारा इन सड़कों का निर्माण करा दिया जाए, जिससे भगवान महावीर के जन्मस्थल वैशाली का विकास हो सके।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में बसंती में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित कर टी. वी. रिले केन्द्र शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सुन्दरवन में बसंती में एक एल. पी. टी. स्थापित कर वहां टी. वी. रिले केन्द्र शुरू करने में हो रहे विलंब की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने 1996 में बसंती में एक टी. वी. रिले केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया था। तदनुसार दूरदर्शन ने वहां स्थान ले लिया। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि तब से वहां रिले केन्द्र ने कार्य शुरू नहीं किया है। मेरे 31.08.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65914 के उत्तर में प्रसार भारती का हवाला देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया था कि बसंती में मार्च, 1997 से एक कम शक्ति वाला टी. वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है, जो कि सही नहीं है। सुन्दरवन में टी. वी. प्रसारण की दृश्यता बहुत खराब होने के कारण यहां एक कम शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना किया जाना आवश्यक है। चूंकि बंगलादेश वहां से निकट है और उनके टी. वी. कार्यक्रमों की दृश्यता बेहतर है अतः लोग बंगलादेश के टी. वी. कार्यक्रम देखने को बाध्य हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रसार भारती से बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के इस रिले केन्द्र को शुरू करने के लिए कहे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात एक–एक करके सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 14 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 मार्च, 2002/23 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/22/9/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।